

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

संक्षिप्त
तीसरी पंचवर्षीय योजना

339.49
P 7125/3



Shri Mahesh Chandra Mehta

KOTAH.

यो ज ना आ यो ग
भारत सरकार

16 श्रावण, 1883 (7 अगस्त, 1961)

निर्देशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, दिल्ली, द्वारा
प्रकाशित और प्रबन्धक, एन.बि.पल प्रेस, कदमीरी गेट, दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

भूमिका

इस रिपोर्ट में तीसरी पंचवर्षीय योजना के विकास सम्बन्धी लक्ष्यों, नीतियों और कार्यक्रमों का वर्णन है।

दो पंचवर्षीय योजनाओं से आर्थिक और सामाजिक जीवन की नीव मजबूत करने में मदद मिली है, और औद्योगिक तथा आर्थिक विकास तथा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक उन्नति को प्रोत्साहन मिला है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सविधान के सामाजिक लक्ष्यों को अधिक यथार्थ रूप दिया गया है और यह योजना इन लक्ष्यों की सिद्धि की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इसमें पहली दो योजनाओं की सफलता और विफलता को ध्यान में रखा गया है और वे कार्य निर्धारित किए गए हैं जो अगले पन्द्रह वर्षों और उससे भी आगे के विकास को दृष्टि में रख कर पूरे करने हैं।

तीसरी योजना तैयार करने का काम 1958 के अन्त में शुरू हुआ और वह तीन मुख्य सोपानों में पूरा किया गया। प्रथम सोपान में, जो जुलाई, 1960 के प्रारम्भ में योजना का प्रारूप प्रकाशित होने के साथ समाप्त हुआ, केन्द्र तथा राज्यों द्वारा नियुक्त कार्यकारी दलों ने विस्तृत अध्ययन किया। ससद ने अगस्त, 1960 में इस प्रारूप पर सामान्यतया अपनी सहमति दे दी। योजना के प्रारूप पर देश भर में विचार हुआ और इसके आधार पर राज्यों की योजनाएँ तैयार की गईं। राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने सितम्बर और नवम्बर, 1960 में इन योजनाओं पर विचार किया। जनवरी, 1961 में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने तीसरी योजना के आकार के विषय में अपनी सिफारिशें की। परिषद् ने तीसरी योजना के लिए अधिकाधिक साधन जुटाने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से एक दत्त समिति भी नियुक्त की। अन्त में 31 मई और 1 जून, 1961 को राष्ट्रीय विकास परिषद् ने तीसरी योजना के प्रारूप पर विचार किया और उस पर सहमति दे दी।

तीसरी योजना के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर नवम्बर, 1960 में पाच संसदीय समितियों ने सावधानी से विचार किया। इन समितियों ने जो टीका की, और सुझाव दिए, यह रिपोर्ट तैयार करते समय उनसे लाभ उठाने का पूरा प्रयत्न किया गया है। योजना के कई पहलू समय-समय पर ससद्-सदस्यों की समिति के सम्मुख भी रखे गए। इस समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री ने की। योजना आयोग से सम्बद्ध ससद्-सदस्यों की सलाहकार समिति ने भी विभिन्न अवसरों पर योजना की समीक्षा की।

योजना तैयार करने के दौरान प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों और विद्वानों, व्यावसायिक संघों, उद्योगों और श्रमिकों के प्रतिनिधि संगठनों और स्वाधीन विशेषज्ञों ने

उदारतापूर्वक अपना समय दिया और उनके अनुभव से लाभ उठाया गया। योजना आयोग ने अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों तथा भूमिसुधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास-विशेषज्ञों के परामर्श और सुझावों से भी लाभ उठाया। कार्यक्रम-मूल्यांकन संगठन, अनुसंधान-कार्यक्रम समिति, परियोजना समिति, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय सांख्यिकी संस्था और अनुसंधान-कार्य में लगे अन्य प्रमुख संगठनों द्वारा प्रारम्भ किए गए अध्ययन से भी आयोग को सहायता मिली। जिला, खण्ड और गांव के स्तर पर योजनाएं बनाने, विशेषकर कृषि, सहकारिता, शिक्षा और ग्रामोद्योगों के विकास की योजनाएं बनाने का काम राष्ट्र तथा राज्यों की योजनाओं के बनाने के क्रम का अभिन्न अंग रहा है। स्थानीय योजनाएं पचासवीं राज की सफलता के मार्मिक तत्व हैं और इनके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को विकास का उत्तरदायित्व और सूत्र तथा शीघ्र उन्नति के उपाय और साधन सौंपे गए।

इस प्रकार तीसरी योजना तैयार करने का काम एक विराट् राष्ट्रीय प्रयत्न रहा है, जिसमें अनेक सूत्रों से मूल्यवान् सहायता मिली और इसके प्रत्येक काम में केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच गहरा सहयोग रहा।

तीसरी योजना दीर्घकालीन विकास के कार्यक्रम का पहला सोपान है। यह कार्यक्रम अगले पन्द्रह वर्षों या उसके अधिक अवधि का होगा। इस अवधि में भारत की अर्थ-व्यवस्था का केवल तेजी से विस्तार ही नहीं करना है, बल्कि साथ ही साथ उसे आत्मनिर्भर और आत्मवाहक भी बनाना है। इस दीर्घकालीन मार्ग-निर्धारण का उद्देश्य देश के प्राकृतिक साधनों के विकास, कृषि तथा उद्योगों की उन्नति और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन का खाका खींचना है और यह प्रादेशिक और राष्ट्रीय विकास की एकीकृत योजना पेश करता है।

योजना में पांच वर्षों की अवधि के लिए बहुत महान् उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये लक्ष्य केवल बीते समय की तुलना में बड़े हैं, राष्ट्र की आवश्यकता और लक्ष्य-प्राप्ति की सामर्थ्य की दृष्टि से नहीं। ये न्यूनतम लक्ष्य तो पूरे किए ही जाने चाहिए, परन्तु इनका वास्तविक उद्देश्य पहले से भी अधिक प्रयत्न का मार्ग प्रशस्त करना और तुरन्त कुछ करने की भावना पैदा करना है।

इस कार्य की विशालता और उसकी बहुमुखी चुनौती को कम नहीं आकरना चाहिए। योजना में सबसे अधिक जोर उसे त्रिधातित करने, शीघ्र गति और सम्पूर्ण रूप से व्यावहारिक परिणामों पर पहुँचने, अधिकाधिक उत्पादन और रोजगार की स्थिति उत्पन्न करने और मानवीय साधनों का विकास करने पर होगा। अनुशासन और राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति तथा समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति के मूल आधार हैं। तीसरी योजना के प्रत्येक कदम पर निष्ठापूर्ण नेतृत्व, सार्वजनिक सेवाओं की अधिकतम कर्तव्यपरायणता और कार्य-कुशलता, जनता के व्यापक सहयोग और सहानुभूति तथा अपने उत्तरदायित्व को पूर्णतः निभाने और भविष्य में और भार वहन करने की तत्परता की आवश्यकता होगी।

अध्याय 1

योजनावद्ध विकास के उद्देश्य

: 1 :

भारत के विकास का बुनियादी उद्देश्य निश्चयतः यह होना चाहिए कि भारतीय जनता के लिए सुखी जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया जाए । समूचे विश्व की दृष्टि से, भारत और इसी प्रकार अन्य देशों के लिए इस उद्देश्य की पूर्ति का विश्व में शान्ति-स्थापना के साथ गहरा सम्बन्ध है और वह इसी बात पर निर्भर है । अल्प-विकसित और गरीब देशों या राष्ट्रों का देर तक रहना ही विश्वशान्ति के लिए एक स्थायी खतरा है । यह अधिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है कि विश्व के नल्याण और शान्ति के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक देश से गरीबी और तथा अज्ञान को मिटा दिया जाए जिससे एक स्वतन्त्र मानवता का निर्माण किया जा सके ।

2. भारत के 40 करोड़, वरिष्ठ इससे भी अधिक लोगों के लिए सुखी जीवन की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा कार्य है और इस उद्देश्य को पूरा करने में बहुत समय लगेगा, किन्तु इससे निम्न उद्देश्य सामने नहीं रखा जा सकता क्योंकि इस समय उठाए गए प्रत्येक कदम का सम्बन्ध अन्तिम उद्देश्य से है । गरीबी के अभिशाप और उससे पैदा होने वाली सभी बुराइयों का सामना करना, यही तात्कालिक समस्या है । यह कार्य सामाजिक और आर्थिक प्रगति के द्वारा ही किया जा सकता है जिससे कि प्रौद्योगिक दृष्टि से परिपक्व समाज का निर्माण किया जा सके और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके, जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो । इस प्रक्रिया के दौरान सामाजिक/रिवाजों और संस्थाओं में दूरगामी परिवर्तन करने होंगे और पुरानी परम्परागत व्यवस्था के स्थान पर एक गतिशील समाज की स्थापना करनी होगी तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी में विज्ञान का दृष्टिकोण और प्रयोग स्वीकार करना होगा । कुछ हद तक, पिछली पीढ़ियों में परिवर्तन का यह दोहरा पहलू भारतीय विचारधारा में विद्यमान रहा है । धीरे-धीरे इसने अधिक मूर्त रूप धारण किया है और यह आयोजन का आधार बन गया है ।

3. अपने प्रारम्भिक दिनों से ही, भारतीय राष्ट्रवाद में आर्थिक चिन्तन और सामाजिक सुधार का एक बहुत बड़ा तत्व मौजूद रहा है । जनता की गरीबी को दूर करने के लिए और भारत के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के समस्त ढांचे का पुनर्निर्माण करने के लिए स्वाधीनता को एक अनिवार्य साधन समझा जाता था । ज्यो-ज्यो राष्ट्रीय आन्दोलन बढ़ा और भारत के लोगों में फैला, इसकी सामाजिक अन्तर्गत वस्तु और अधिक गहरी हो गई । गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन का जनता की सेवा के साथ अधिक से अधिक सम्बन्ध होता गया और स्वाधीनता सन्नाम के सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य अधिक निश्चित होते गए ।

4. सविधान में बुनियादी उद्देश्यों को 'राजनीति के निदेशक सिद्धान्त' में बताया गया है। उनमें से कुछ ये हैं—

“राज्य एक ऐसी समाज-व्यवस्था को यथासम्भव प्रभावशाली रूप से स्थापित और रक्षित करके जनता के कल्याण को बढ़ाने का प्रयत्न करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की समस्त समस्याओं में व्याप्त होगा।”

और भी—

‘राज्य खास तौर पर निम्न उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपनी नीति का संचालन करेगा—

- (क) नागरिकों, पुरुषों और स्त्रियों को समान रूप से भ्राजोविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;
- (ख) समाज के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियन्त्रण का इस प्रकार विभाजन हो जिससे सभी का सर्वाधिक भला हो;
- (ग) आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम-स्वरूप धन और उत्पादन के साधनों के सकेन्द्रण से जनता का अहित न हो।”

दिसम्बर 1954 में इन सिद्धान्तों को और अधिक निश्चित दिशा प्रदान की गई जबकि ससद ने समाज के समाजवादी ढांचे को सामाजिक और आर्थिक नीति का उद्देश्य स्वीकार किया। इस धारणा से, जिसमें समाज और प्रजातन्त्र के मूल्य और योजनाबद्ध विकास के प्रति दृष्टिकोण परिलक्षित हुआ है, एकदम कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि यह तो भारत के स्वतन्त्रता सग्राम में गहरे रूप से विद्यमान थी।

5. स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से भारत के योजनाबद्ध विकास के सामने दो मुख्य उद्देश्य रहे हैं—प्रजातन्त्रीय साधनों द्वारा शीघ्रता से बढ़ने वाली और प्रौद्योगिकी दृष्टि से प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था की स्थापना करना, और न्याय पर आधारित एक ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो। एक ऐसे देश में, जिसकी बहुत बड़ी जनसंख्या हो और वह जनसंख्या भूतकाल से बुरी तरह बधी हुई हो, परम्परागत समाज को बदल कर एक प्रगतिशील समाज की स्थापना करना बहुत बड़ा कार्य है। चूंकि यह कार्य शान्तिमय और प्रजातन्त्रीय साधनों द्वारा तथा जनता की रजामन्दी से करना था, इसलिए यह और भी अधिक कठिन हो गया। यह अनिवार्य था कि भारत शान्तिमय और प्रजातन्त्रीय साधनों को स्वीकार करे, क्योंकि ये वही साधन थे जो स्वाधीनता सग्राम में अपनाए गए थे।

: 2 :

योजनाबद्ध विकास

6. स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने पर भारत को अनेक विशाल समस्याओं का सामना करना पड़ा। आर्थिक और सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आयोजन करना आवश्यक था, जिससे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जा सके, औद्योगिक और आर्थिक प्रगति की नींव डाली जा सके तथा शिक्षा एवं अन्य सेवाओं का

विस्तार किया जा सके। यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र गति से उन्नति करने, आर्थिक और सामाजिक जीवन की संस्थाओं का पुनर्निर्माण करने तथा राष्ट्रीय विकास-कार्य के लिए जनता की शक्ति का संचय करने के लिए योजनावद्ध विकास ही एक साधन था।

7. पंचवर्षीय योजना में विकास के जिस स्वरूप की कल्पना की गई है, उसका बुनियादी उद्देश्य यह है कि निरन्तर आर्थिक उन्नति की दृढ़ नींव रखी जाए, लाभदायक रोजगार के अवसरों में निरन्तर वृद्धि की जाए और जनता के जीवन-स्तर तथा कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार किया जाए। निश्चयतः कृषि को प्रथम प्राथमिकता दी गई है और यथासम्भव ऊंचे स्तर तक कृषि उत्पादन को बढ़ाना होगा। कृषि की उन्नति और मानवीय साधनों का विकास, ये दोनों ही उद्योग की प्रगति पर निर्भर करते हैं। उद्योग से न केवल नए औजार प्राप्त होते हैं, बल्कि इससे किसान का मानसिक दृष्टिकोण भी परिवर्तित होने लगता है। इसलिए कृषि और उद्योग विकास की प्रक्रिया के अभिन्न अंग समझे जाने चाहिए और योजनावद्ध विकास द्वारा उद्योग की उन्नति और अधिक तेजी से करनी होगी और आर्थिक प्रगति की रफ्तार भी बढ़ानी होगी, खास तौर पर भारी उद्योगों और मशीन बनाने वाले उद्योगों का विकास करना होगा, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र से यह आशा की जाती है वह, खास तौर पर, बुनियादी और सामरिक महत्व के उद्योगों, अथवा ऐसे उद्योगों, जिनका सम्बन्ध सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं से है, के और अधिक विकास के लिए व्यवस्था करे; और सरकार जहां तक जरूरी होगा अन्य उद्योग भी अपने हाथ में ले सकती है। अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार निरन्तर बढ़ते हुए स्तर पर राज्य-व्यापार को भी हाथ में लेना होगा। इस प्रकार समस्त उपलब्ध अभिकरणों का पूरा उपयोग करते हुए यह आशा की जाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र पूर्ण रूप से तथा तुलनात्मक दृष्टि से और निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगा।

8. अर्थ-व्यवस्था का द्रुत विस्तार होने से सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों के लिए उन्नति के और अधिक व्यापक अवसर पैदा होते हैं और कई प्रकार से उनके कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। निजी क्षेत्र में न केवल संगठित उद्योग सम्मिलित हैं, बल्कि कृषि, छोटे उद्योग, व्यापार और मकान निर्माण तथा अन्य क्षेत्रों में किए जाने वाले बहुत-से अनेक कार्य भी सम्मिलित हैं। इसे अधिकाधिक मात्रा में सहकारी प्रयत्नों का स्वरूप लेना होगा। देश के योजनावद्ध विकास की दृष्टि से निजी क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, किन्तु इसे सदा राष्ट्रीय आयोजन के ढांचे में काम करना होगा और समाज के प्रति इसके जो कर्तव्य हैं उन्हें ध्यान में रखना होगा। निस्संदेह इसका ध्यान रखना आवश्यक है कि निजी क्षेत्र में जो अवसर उपलब्ध हैं, उनके परिणाम-स्वरूप थोड़े-से व्यक्तियों अथवा व्यापारियों के हाथ में आर्थिक शक्ति का संचय न हो जाए और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आय और सम्पत्ति की विषमताओं को निरन्तर कम किया जाए।

9. विकास की योजनाओं में यह आशा की जाती है कि सहकारिता आर्थिक जीवन की कई शाखाओं में संगठन का अधिकाधिक मात्रा में मुख्य आधार बन जाए, खास तौर पर कृषि,

छोटे उद्योग, विनरण, निर्माण और स्थानीय समाजों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास में ग्रामीण और छोटे उद्योगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये एक और दैनिक उपभोग की तथा अन्य वस्तुओं को और बड़े पैमाने पर रोजगार को उपलब्ध करते हैं और दूसरी ओर राष्ट्रीय आय का और अधिक न्याय-संगत वितरण करने में और कार्य-कुशलता तथा जनशक्ति के उपलब्ध साधनों के प्रयोग में सहायक होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के स्तर में जो विषमताएँ हैं, उन्हें निरन्तर कम करना होगा और औद्योगीकरण के लाभों को देश के विभिन्न भागों में समान रूप से वितरित करना होगा। विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में इन उद्देश्यों को प्राप्त करना किसी भी तरह से आसान नहीं है और आर्थिक तथा सामाजिक पहलुओं का सन्तुलन करना पड़ेगा। फिर भी अर्थ-व्यवस्था की उन्नति के साथ-साथ कम विकसित क्षेत्रों का सघन विकास करना सम्भव हो जाएगा।

10. योजनावद्ध विकास करने के लिए स्वयं और शीघ्र प्रगति तथा समाज के समाजवादी ढाँचे के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी कसौटी यह है कि समूचे समाज का हित हो, विशेष तौर पर समाज के कमजोर वर्गों का। सफलता और गतिशीलता के कारण ही तेजी से विकसित होने वाली अर्थ-व्यवस्था में संगठन और प्रबन्ध तथा सामाजिक नीति की नई समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए राष्ट्र के विकास में मौजूदा सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का क्या हिस्सा हो, इसको ध्यान में रखते हुए समय-समय पर उनका मूल्यांकन करना होगा।

: 3 :

समाजवाद की ओर प्रगति

11. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की बुनियादी धारणा यह है कि समाजवादी ढंग पर देश का विकास किया जाएगा। यह विकास प्रजातन्त्र के द्वारा होगा और इसमें जनता व्यापक रूप से हिस्सा लेगी। इस प्रकार के विकास द्वारा शीघ्रता से आर्थिक उन्नति होगी और रोजगार का विस्तार होगा तथा न्याय्य वितरण होगा, आय और धन की विषमताओं में कमी होगी, आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रण को रोका जाएगा और एक स्वतन्त्र तथा समान समाज के मूल्यों और दृष्टिकोण का निर्माण होगा। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इसलिए आर्थिक कार्यों का इस प्रकार संगठन किया जाना चाहिए कि उत्पादन और उन्नति तथा न्याय्य वितरण की कमौटियाँ समान रूप से सही उतरें। समाजवाद की ओर प्रगति की बहुत-सारी दिशाएँ हैं जिनमें से प्रत्येक के द्वारा अग्यो का महत्व बढ़ता है।

पहली बात तो यह कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था को कुशल होना चाहिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति इसका दृष्टिकोण प्रगतिशील होना चाहिए और इसमें निरन्तर एक ऐसे स्तर तक विकसित होने की सामर्थ्य होनी चाहिए जिसमें जन-माधारण का कल्याण किया जा सके। अन्य-विकसित देशों में आर्थिक प्रगति की तेज रफतार और एक विशाल सार्वजनिक तथा-सहकारी क्षेत्र का विकास ही ऐसे मुख्य साधन हैं जिनके द्वारा वर्तमान स्थिति को बदल कर समाजवादी समाज की ओर परिवर्तन किया सकता है।

दूसरी बात यह है कि एक समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को समान रूप से अवसर प्राप्त होने चाहिए। इस दिशा में पहले कदम के रूप में बुनियादी आवश्यकताओं की व्यवस्था होनी चाहिए, खास तौर पर खाद्य, काम, शिक्षा के लिए अवसर, स्वास्थ्य और सफाई का युक्तिसंगत प्रबन्ध, मकान सम्बन्धी परिस्थितियों में सामान्य जीवन के सुख-साधन जुटाए जा सकें।

तीसरी बात यह कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक नीतियों द्वारा न केवल वे आर्थिक और सामाजिक विपमताएं कम होनी चाहिए जो पहले से मौजूद हैं बल्कि इनसे अर्थ-व्यवस्था का इस प्रकार शीघ्रता से विस्तार होना चाहिए, जिससे आर्थिक शक्ति और एकाधिकार किसी भी एक स्थान पर जमा न हो जाएं।

अन्तिम बात यह है कि सामाजिक मूल्यों और उद्देश्यों पर तथा समाज के समस्त वर्गों में सर्वमान्य हित और एक दूसरे के प्रति दायित्व की भावना विकसित करने पर सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक नीति का उद्देश्य एक ऐसे समाज के निर्माण में सहायता देना है जो बुनियादी तौर पर अपने अन्दर से एकीकृत हो तथा जिसकी शक्ति इस बात में निहित हो कि उसके सर्वमान्य मूल्य हैं और उसके नागरिकों में एक साभेदारी की भावना है।

: 4 :

समान अवसर

12. समान अवसर प्राप्त करने और राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए पहली शर्त यह है कि जो कोई भी व्यक्ति काम की तलाश करे, उसे लाभदायक रोजगार प्राप्त हो। आर्थिक ढाँचे में कमियां होने के कारण औद्योगिक आधार को पर्याप्त रूप से दृढ़ बनाना और शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवाओं का विस्तार करना आवश्यक है, क्योंकि तभी अर्थ-व्यवस्था द्वारा समस्त अल्प शक्ति के लिए पर्याप्त स्तर पर पारिश्रमिक को व्यवस्था की जा सकती है। इन कार्यों में समय लगेगा। इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि बड़े और छोटे उद्योगों, कृषि और आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं के विकास-कार्यक्रमों के अतिरिक्त, कुछ समय के लिए बड़े पैमाने पर ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों में न्यूनतम आय वाले वर्गों के लोगों के लिए काम करने के अतिरिक्त अवसर दिए जाने चाहिए। अधिक उन्नत देशों में जनता के विभिन्न वर्गों को और अधिक समान अवसर प्रदान करने में शिक्षा तथा अन्य सेवाओं के विकास का एक बहुत बड़ा भाग रहा है और इससे समाज को और अधिक गति प्राप्त हुई है। आय को पुनर्वितरित करने तथा बुनियादी आवश्यकताओं की व्यवस्था करने में भी सामाजिक-सेवाओं ने सहायता दी है। खास तौर पर, प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के विस्तार, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के लिए और अधिक अवसरों की व्यवस्था, छात्रवृत्तियों और अन्य प्रकार की सहायता के लिए अनुदान और स्वास्थ्य, सफाई, जल-पूर्ति और मकानों सम्बन्धी अवस्थाओं में सुधार के द्वारा भारत ने भी सामाजिक सेवाओं के विस्तार का ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक विकास की योजना में अनुसूचित आदिम जातियों तथा जातियों के लिए कल्याण के कार्यक्रम तथा अन्य कल्याण सेवाएँ बढ़ी

महत्वपूर्ण हैं। ज्यो-ज्यो आर्थिक विकास में वृद्धि होगी, सामाजिक सुरक्षा और बीमा को भी उच्च प्राथमिकता प्राप्त होगी। इस दिशा में प्रारम्भिक महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।

13. समाज के स्तर पर जैसे-जैसे समाजवाद के विकास के लिए प्रयत्न किए जाते हैं, आर्थिक विकास और सामाजिक सेवाओं का महत्व अवसरों की समानता स्थापित करने में अधिक बढ़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास आन्दोलन का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि वह एक निरन्तर प्रगतिशील सहकारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की उन्नति के लिए परिस्थितियाँ पैदा करे जिसका विभाजित व्यावसायिक ढांचा हो और जिसमें समाज के कमजोर वर्गों को अन्य वर्गों के स्तर पर लाना जाए। ग्राम, खड और जिला स्तर पर पंचायती राज की संस्थाओं के विकास द्वारा इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा। इनसे जिला प्रशासन के ढांचे और ग्रामीण विकास के स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा। शहरी क्षेत्रों में भी उपयुक्त सामाजिक नीतियों की आवश्यकता है, उदाहरण के तौर पर भूमि के प्रयोग का सावधानीपूर्वक आयोजन, भूमि प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम, कम आय वाले वर्गों और जनता के गरीब वर्गों की सहायता के लिए आवश्यक नीतियाँ, पूंजीगत लाभों और शहरी सम्पत्तियों पर पर्याप्त कर, शानदार और अनावश्यक भवनों के निर्माण को रोकना और भूमि की मिलियत तथा किराये की सम्बन्धी परिस्थितियों पर सार्वजनिक सतर्कता।

: 5 :

आर्थिक शक्ति का विभाजन और आय सम्बन्धी विषमताएं

14. अपेक्षाकृत थोड़े-से लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ति के इकट्ठा हो जाने से और इसके जो अन्य उपयोग हो सकते हैं उनसे प्रजातंत्र में सन्तुलन-शक्ति बिगड़ जाती है, सामाजिक ढांचे पर नए दबाव और तनाव पड़ते हैं और आर्थिक अवसरों के विभाजन में बाधा पड़ती है। फिर भी कई आर्थिक और औद्योगिक कारणों से शीघ्र आर्थिक विकास की प्रक्रिया द्वारा अच्छी तरह जमी हुई फसों को अपने आकार को बढाने और उद्योग-व्यापार के नए क्षेत्रों में प्रविष्ट होने के अवसर और अधिक बढ़ जाते हैं। इसलिए नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आर्थिक शक्ति एक स्थान पर जमा न हो, एकाधिकार सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ न बढें, और एक प्रकार के औद्योगिक संगठन के स्वरूप को बढावा मिले जिससे उच्च स्तर पर उत्पादन हो और राष्ट्रीय आयोजन के ढांचे के अन्दर नए उपक्रमियों, मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योग-धंधों और सहकारी संगठनों की उन्नति का पूरा क्षेत्र प्राप्त हो। इसलिए प्रशासकीय तरीकों, प्रथाओं तथा उन साधनों का सबसे अधिक महत्व है जिनके द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति होगी। मोटे तौर पर, एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना होगा जिसके तीन पहलू होंगे—सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, उद्योग-व्यापार में आने वाले नए लोगों, मध्यम और छोटे उद्योगों और सहकारी आधार पर संगठित उद्योगों के लिए अवसरों का विस्तार तथा नियंत्रण और नियमन के सरकारी अधिकारों का प्रभावशाली प्रयोग एवं चिन्तित निम्नलिखित उपयोग का प्रयोग। उद्योग के स्वामित्व का आधार काफी व्यापक

बनाने, उपक्रम का विस्तार करने और उद्योग-व्यापार में लगने वाले नए व्यक्तियों के लिए उदार सुविधाओं तथा सहकारी संगठनों की उन्नति के लिए उपयुक्त साधन काफी बड़ी हद तक पहले से ही उपलब्ध हैं। किन्तु फिर भी उनका प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि भूतकाल की अपेक्षा उनसे उद्देश्य की और अधिक सिद्धि हो और उनमें अधिक समन्वय हो। उदाहरण के तौर पर ऐसी नीतियों को क्रियान्वित करने में जिनका सम्बन्ध इस तरह की बातों से है जैसे साइमंस देना, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता, औद्योगिक सम्पदाओं का विकास, गांवों में बिजली लाना और क्षेत्रीय आयोजन, धन और पूंजीगत लाभों पर कर और कम्पनियों के नियमन और प्रबन्ध के लिए कानून बनाना। इन तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में जो मौजूदा सुविधाएं हैं उनकी, तीसरी योजना के कार्यों और प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हुए फिर से जांच करनी होगी।

15. यह ठीक है कि ग्रामीण व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने चाहिए, किन्तु औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के परिणाम-स्वरूप पैदा होने वाली आय और सम्पत्ति की विषमताओं से भी टेढ़ी समस्याएं पैदा होती हैं। कई कारणों से, जब तक कि विशेष उपाय ही न बरते जाएं, तब तक अल्प-विकसित देशों में आर्थिक विकास के प्रथम चरणों में ऐसी प्रवृत्ति रहती है जिससे आय के स्तरों का अन्तर पहले की भी अपेक्षा और अधिक बढ़ जाता है। महा आवश्यक समस्या यह है कि ऊंची और नीची आयों के अन्तर को कम किया जाए और न्यूनतम आय का स्तर बढ़ाया जाए। इस कार्य के लिए कई विभिन्न नीतियां अपनायी होंगी जैसे प्रशिक्षण के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम, ऐसे उपायों को बरतना जिनसे कि सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में योग्य व्यक्तियों के लिए शीघ्रता से और अधिक अवसर प्राप्त हों, और ऐसी कर सम्बन्धी नीतियां जिनसे सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के ऊंची आय के वर्गों की शुद्ध आय उचित स्तर तक आ जाए। अगली दो या तीन योजनाओं की अवधि में निरन्तर इस बात का प्रयत्न करना है कि आयों की एक उचित सीमा निर्धारित की जाए, जैसा कि कर जांच आयोग ने सुझाव दिया है कि यह सीमा औसत परिवार की आय की लगभग तीस गुना होना चाहिए। यद्यपि अधिकांश जनता की आय बहुत थोड़ी है इसलिए आय की इस सीमा से काफी विषमता प्रकट होती है, किन्तु छोटी आयों के बढ़ने पर इस विषमता को और अधिक कम किया जा सकता है।

16. आय सम्बन्धी विषमताओं की समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलु ग्रामीण तथा गैर-ग्रामीण आयों के अन्तर से सम्बद्ध है और यह अन्तर औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के कारण और अधिक बढ़ जाता है। यह उद्देश्य इन कार्यों के द्वारा पूरा करना होगा— कृषि सम्बन्धी उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक सेवाओं का विकास, भूमि पर निर्भरता में कमी और उद्योग के विस्तार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक ढांचे का विविध उद्योग-धन्धी में विस्तार और एक ऐसी कृषि सम्बन्धी मूल्य नीति का प्रतिपादन जिससे किसान के हितों की पूरी रक्षा हो और जो शहरी उपभोक्ता के लिए भी उचित हो।

17. प्रगतिशील ग्रंथ-व्यवस्था में ऊंची आयें प्रायः पूंजीगत लाभ, व्यापार और सट्टे से होने वाले लाभ या कुछ ऐसी आवश्यक बातों के कारण होती हैं जो कानून की दृष्टि से जायज हैं। उचित सामाजिक नीतियों द्वारा पूंजीगत लाभों और सट्टे आदि से होने वाली

आय सीमिन कर दी जानी चाहिए और राज्य को अपना उचित हिस्सा ले लेना चाहिए। दूसरे, कर-प्रणाली के विस्तार और सुधार द्वारा ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिनसे होने वाली आयों पर पूरी तरह से कर लगाया जाए; जो लोग कर न दें उन्हें कड़ी सजा दी जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि कर से बचने के बम से कम अवसर मिल सकें। खास तौर पर निश्चित आय वाले लोगों, जो निम्नतर मध्यम आय वाले वर्गों में आते हैं, की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि जरूरी चीजों के दाम कम रखे जाएं और उन्हें सामाजिक सेवाएं विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य, भूकान आदि की सुविधाएं सुलभ हों। पूरी तरह से बेरोजगार या अर्ध-रोजगार वाले लोगों का वर्ग ही ऐसा वर्ग है जिसकी ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। रोजगार के साथ-साथ, शिक्षा और सामाजिक सेवा के लाभ भी जितना अधिक सम्भव हो उन्हें दिए जाने चाहिए।

: 6 :

आर्थिक और सामाजिक एकीकरण

18. समाज के समाजवादी सगठन की स्थापना निश्चय ही एक सचयी प्रक्रिया है। ऐसा समाज कई विभिन्न मार्गों से प्रगति करने पर ही स्थापित हो सकता है। इस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए इस समय यह जरूरी है कि हममें यह भावना हो कि हमें बहुत जल्दी इस उद्देश्य तक पहुंचना है और अपनी गति बढ़ानी है, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक विकास में समय का व्यवधान पड़ जाने से नए दबाव पैदा हो जाते हैं। इस समय इस विषय पर ठीक-ठीक सामग्री उपलब्ध नहीं है और इसके बिना निश्चित उपाय मालूम करना कठिन है। योजना आयोग द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ समिति इस बात की जांच कर रही है कि पहली और दूसरी योजना की अवधि में जीवन-स्तर में क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं। यह समिति यह भी अध्ययन कर रही है कि प्रायः और-धन-के-वितरण-में-हाल ही में क्या क्या प्रवृत्तियां रही हैं और खास तौर पर वह इस बात का पता लगा रही है कि किस हद तक आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम-स्वरूप सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का जमाव हुआ है।

19. यद्यपि अभी विकास के क्षेत्र में बहुत-सी कमियां हैं, किन्तु धीरे-धीरे योजनाबद्ध विकास योजना के अन्तर्गत समाजवादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है, किन्तु इसे सुदृढ़ बनाना होगा और अपने कार्य-संचालन में इसे और अधिक उपयोगी बनाना होगा। सार्वजनिक प्रशासन और आर्थिक जीवन के समस्त क्षेत्रों में स्वीकृत नीतियों एवं कार्यक्रमों को और अधिक पूर्णतः तथा निश्चय के साथ कार्यान्वित करना चाहिए और मूल्यांकन की और अधिक कड़ी कसौटियां स्वीकार करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सदा ही नैतिक, मानवीय एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर उचित बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से आर्थिक प्रगति सार्थक होती है। यदि देश में आवश्यक एकता और अनुशासन ही तथा समाज के विभिन्न वर्गों में विकास का बोझ सहन करने की इच्छा हो और इस समय उनका क्या कर्तव्य है इसका एहसास हो तो आर्थिक और सामाजिक, दोनों प्रकार की उन्नति बहुत अधिक तेजी

से हो सकती है। जिन नीतियों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है उनसे सामाजिक गति को काफी प्रोत्साहन मिलेगा, मजदूर सघो, सहकारी आन्दोलन, स्वैच्छिक सगठनों और विश्वविद्यालयों को शक्ति मिलेगी और ग्रामीण तथा शहरी समाजों में एक ऐसे रचनात्मक नेतृत्व का निर्माण होगा जिसका काफी व्यापक आधार होगा। इनसे आर्थिक शक्ति के जमाव और एकाधिकार की वृद्धि को रोकने में सहायता मिलेगी, सांस्कृतिक और आर्थिक एकीकरण के सम्बन्ध सुदृढ़ होंगे और भारत के प्रत्येक नागरिक को काम करने का, समान अवसर और एक न्यूनतम जीवन-स्तर का अधिकार प्राप्त होगा। अन्ततोगत्वा, आर्थिक विकास एक साध्य का साधन मात्र है, और साध्य है—प्रयत्न और व्यापक रूप से सम्मिलित होकर किए गए बलिदानों द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें कोई जाति, श्रेणी या विशेषाधिकार न होगा और जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग और देश के समस्त भागों को विकसित होने और राष्ट्रीय कल्याण में योगदान देने के लिए पूरा अवसर प्राप्त होगा।

20. आयोजन वाञ्छित लक्ष्यों की ओर एक निरन्तर जारी रहने वाला आन्दोलन है और इसी कारण सब मुख्य निर्णय ऐसे अभिकरणों द्वारा किए जाने चाहिए कि जिन्हें इन लक्ष्यों और इनके पीछे जो सामाजिक उद्देश्य है, उसकी जानकारी हो। पाच साल की अवधि पर विचार करते हुए भी आगे के और दीर्घकालीन आयोजन को सदा दृष्टि में रखना चाहिए। ज्यों-ज्यों यह प्रक्रिया विकसित होती है, जनता के विकास में वृद्धि होने से उसे एक निश्चित लयात्मक आनन्द मिलता है और उसमें उद्यम और सफलता की भावना पैदा होती है; लोगों को जीवन में एक उद्देश्य की अनुभूति होती है, और वे इतिहास के निर्माण में भाग ले रहे हैं, यह भावना उनमें पैदा होती है। वस्तुतः मनुष्यों और मानवीय व्यक्तित्व का विकास, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आयोजन के लिए भौतिक रूप में पूंजी लगानी होती है, किन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव की समृद्धि के लिए शक्ति लगाई जाए। अपने समस्त बोझों और समस्याओं के साथ आज भारत के लोग एक ऐसे नए विश्व के सीमान्त पर रह रहे हैं जिसे बनाने में भी वे सहायता कर रहे हैं। इस सीमान्त को पार करने के लिए उनमें साहस और उद्यम, सहन-शक्ति की भावना और कठोर कार्य करने की शक्ति और भविष्य की कल्पना होनी चाहिए।

अध्याय 2

दीर्घकालीन आर्थिक विकास

: 1 :

भावी चित्र की आवश्यकता

अनेक दशाब्दियों तक भारतीय अर्थ-व्यवस्था लगभग निष्प्रवाह रही है। उसके विकास की गति जनसंख्या में वृद्धि की गति से कुछ ही अधिक थी। पिछली एक दशाब्दी में वह 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत गति से आगे बढ़ी है और कुल राष्ट्रीय आय में 42 प्रतिशत और प्रतिव्यक्ति आय में केवल 18 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पिछले दस वर्षों के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि अधिकांश जनता के जीवन स्तर पर गहरी छाप छोड़ने के लिए आर्थिक विकास की गति काफी बढ़ाई जानी चाहिए और जनसंख्या में वृद्धि की गति को कम करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। मूल रूप से कार्य यह है कि भली प्रकार चिन्तन के बाद बनायी गयी एक दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत ज्ञान, टेक्नॉलाजी और श्रेष्ठतर सगठन के अधिकाधिक प्रयोग द्वारा देश के प्राकृतिक और मानवीय साधनों का विकास किया जाए।

2. विकास की प्रक्रिया एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और उसके प्रत्येक चरण के लक्ष्य और प्राथमिकताएं एक व्यापक उद्देश्य से जुड़ी रहती हैं। ऐसे दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य को सामने रखने की वास्तविक उपयोगिता यह है कि वह बालू निर्णयों को करने में मूल्यवान सिद्ध होता है। ऐसा सामने न रहने से ये निर्णय गलत हो सकते हैं और महंगे पड़ सकते हैं। फलस्वरूप, वाद में उनमें अत्यधिक संशोधन की जरूरत पड़ती है। दीर्घकालीन योजना जब पर्याप्त विवरण सहित तैयार की जाती है, तब उससे अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता का ज्ञान होता है और अर्थ-व्यवस्था की उन्नति में जो सम्भव बाधाएं आ सकी हैं उन्हें भी साफ-साफ समझने में मदद मिलती है। घोषित सामाजिक लक्ष्यों की सिद्धि और राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ने से उत्पन्न होने वाली भाग और पूर्ति सम्बन्धी समस्याओं का विश्लेषण करके योजना इस बात में मदद करती है कि साधनों के अधिक से अधिक इस्तेमाल, आर्थिक क्रिया-कलाप के प्रादेशिक वितरण और उसके आकार तथा स्थान के विषय में परस्पर सुसम्बद्ध और सामयिक निर्णय किए जा सकें। प्रादेशिक वितरण वाली बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जैसे विशाल और विविध देश में कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनका स्वरूप प्रादेशिक हो और जो प्रादेशिक सघर्ष से सम्बन्ध रखती हैं। ये समस्याएं विभिन्न प्रदेशों को राष्ट्रीय विकास के व्यापकतर साके में शामिल कर लेनेवाली एक दीर्घकालीन योजना द्वारा ही हल की जा सकती हैं। विशेष कर, औद्योगिक क्षेत्र के लिए, जिसमें बिजली, परिवहन, वैज्ञानिक अनुसंधान और शैक्षणिक शिक्षा

शामिल हूँ, निश्चित और अग्रिम योजना बनाने की आवश्यकता है। विकास के दीर्घकालीन दृष्टिकोण से नीति और कार्यक्रम निर्धारित करने और प्रगति को आंकने में लाभ होता है। वास्तविक उपलब्धि और अनुभव के आधार पर स्वयं इस दृष्टिकोण का भी समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

3. पहली योजना में 1951 से 1981 तक के तीस वर्षों में आर्थिक विकास का भविष्य-चित्र आकड़ों में प्रस्तुत किया गया था। पहली योजना से जो स्थिति या और धारणाएँ एक प्रकार से उत्तराधिकार के रूप में चली आ रही हैं, उनकी दूसरी योजना में अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक उपलब्धियों की रोशनी में समीक्षा की गयी। यह सुझाया गया कि 1950-51 की तुलना में 1967-68 तक राष्ट्रीय आय और 1973-74 तक प्रतिव्यक्ति आय दुगुनी हो जाएगी। राष्ट्रीय आय प्रतिवर्ष लगभग 6 प्रतिशत भी बढ़ती रहे, तब भी, जनसंख्या-वृद्धि और उसके भावी रक्ष को देखते हुए, पाचवी योजना के मध्य तक 1950-51 की प्रतिव्यक्ति आय को दुगुना करने का दूसरी योजना में व्यक्त इरादा पूरा करना कठिन होगा। 1971 और 1976 के लिए इस समय जो अस्थायी अनुमान हैं, उनके आधार पर 1961-76 के बीच जनसंख्या में कुल वृद्धि 18 करोड़ 70 लाख हो सकती है। यह अनुमान है कि जनसंख्या में इस वृद्धि के साथ-साथ इसी अवधि में थमिक वर्ग की संख्या लगभग 7 करोड़ बढ़ सकती है। जनसंख्या में इस वृद्धि को देखते हुए और बेरोजगारी तथा अल्प-उत्पादकता की समस्या को हल करने की जरूरत समझने हुए यह आवश्यक है कि अर्थ-व्यवस्था का यथासम्भव विस्तार किया जाए।

: 2

दीर्घकालीन विकास का मार्ग-निर्धारण

4. अगली तीन योजनाओं की अवधि में यह अत्यावश्यक है कि आर्थिक विकास की समस्त सम्भावनाओं का पूर्ण और प्रभावशाली ढंग से लाभ उठाया जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक विकास की ऐसी नीति पर चला जाए, जिससे अर्थ-व्यवस्था का तेजी से विस्तार हो और वह यथासम्भव अल्पावधि में आत्मनिर्भर और आत्मबाहक हो जाए। तीसरी और उसके बाद आनेवाली योजनाओं में जो नीति रखी गयी है, उसमें कृषि और उद्योग, आर्थिक और सामाजिक विकास, राष्ट्रीय और प्रादेशिक विकास, और घरेलू तथा बाह्य साधनों की परस्पर-निर्भरता पर जोर दिया गया है।

5. कृषि और देहाती अर्थ-व्यवस्था—देहात में जनशक्ति और स्थानीय साधनों के अधिकाधिक उपयोग के आधार पर कृषि का विकास देश की शीघ्र उन्नति की कुजी है। पर्याप्त सिंचाई, उर्वरकों के प्रयोग, अच्छे बीज और उपकरणों के इस्तेमाल, किसानों को खेती के सुधरे तरीकों की शिक्षा, भू-धारण नियमों में सुधार और सहकारी ढंग पर कृषि अर्थ-व्यवस्था के विकास से अपेक्षाकृत कम समय में उत्पादन का स्तर काफी ऊँचा किया जा सकता है। इस अवधि में जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं, वे हैं; विविध और कुशल कृषि-प्रणाली का विकास, जिसमें पशुपालन, दुग्ध-उत्पादन, मांस-मछली का उत्पादन, मुर्गीपालन आदि

शामिल है, सारी जनसंख्या के लिए सन्तुलित और पर्याप्त भोजन की व्यवस्था; और निर्यात तथा उद्योगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए व्यापारिक फसलों का विकास।

6. **बुनियादी और भारी उद्योग**—अपने प्राकृतिक साधनों के कारण भारत में औद्योगिक उन्नति की काफी क्षमता है। अपेक्षाकृत सस्ते में इस्पात, बिजली, ईंधन और अन्य मूल पदार्थ पैदा करने की क्षमता और देश में ही एक बड़ी और बढ़ती हुई मांग होने के कारण भारत विकास के लिए आवश्यक मशीनों और अनेक प्रकार का रासायनिक तथा बिजली और इंजीनियरी का सामान तैयार कर सकता है। इनसे अपनी बारी में मध्यम और छोटे उद्योगों के विकास को बल मिलेगा और शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। इस प्रकार एक एकीकृत औद्योगिक ढांचे का निर्माण करने और तुलनात्मक दृष्टि से लाभपूर्ण, औद्योगिक उत्पादन का विकास करना सम्भव होगा। कम पूँजी और माध्यमिक वस्तुओं के उद्योगों को ध्यान में रखते हुए इस्पात, कोयला, तेल, बिजली और मशीन-निर्माण जैसे उद्योगों पर विशेष रूप से जोर देना होगा। आत्मनिर्भर और आत्मवाहक विकास के लिए इन उद्योगों का बढ़ना जरूरी है।

7. **मानवीय साधन और उत्पादकता**—दीर्घकालीन योजना का एक आवश्यक अंग यह है कि विभिन्न राज्यों में साधारण और निलम्बित शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधाओं के विस्तार द्वारा समूचे राष्ट्र की उत्पादकता का स्तर ऊँचा करने के लिए ऐसे द्रुत उपाय अपनाए जाए जो प्रभावशाली हों। यह अनिवार्य है कि प्रशिक्षित लोगों की संख्या बढ़ाने का कार्यक्रम उनकी आवश्यकता पड़ने से पहले शुरू किया जाए। इसके साथ ही यह बात भी उतनी ही जरूरी है कि जितनी जन-शक्ति उपलब्ध है, उसका अधिक से अधिक पूर्ण और प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया जाए।

8. **जनसंख्या**—जनसंख्या-वृद्धि को एक अवधि तक स्थिर रखना आयोजित विकास का केन्द्र-बिन्दु है। अतः परिवार का कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसके लिए लोगों को शिक्षित करना, उनके लिए व्यापक पैमाने पर सुविधाओं और परामर्श की व्यवस्था करना और सभी देहाती और शहरी समुदायों में लोकप्रिय प्रयत्न करना जरूरी है।

9. **विकास के लिए साधन**—विकास की तेज गति को बनाए रख सकने वाली आत्मनिर्भर अर्थ-व्यवस्था के निर्माण के लिए मुख्य शर्तें ये हैं कि देश में पूँजी का निर्माण पर्याप्त रूप से होता रहे, निर्यात के विकास के लिए यथासम्भव अधिक प्रयत्न किया जाए और अन्तरिम सकटकाल में विदेशी सहायता मिलती रहे। विकास की नीति का एक मूल लक्ष्य ऐसे हालात तैयार करना है, जिनमें बाहरी सहायता पर निर्भरता सीधे से सीधे खत्म हो जाए।

: 3 :

10. **1961-76 का चित्र**—भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विकास को मोटे तौर पर नज़र में रख यह माना जाता है कि 1960-61 के मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय दूसरी योजना के अन्त में लगभग 14,500 करोड़ रु० से बढ़कर तीसरी योजना के अन्त तक लगभग 19 हजार करोड़ रु०, चौथी योजना के अन्त तक लगभग 25 हजार करोड़ रु०

और पांचवीं योजना के अन्त तक 33 हजार करोड़ से 34 हजार करोड़ रु० तक हो जानी चाहिए। जनसंख्या में लगभग 2 प्रतिशत की अनुमित वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रखें, तो प्रति व्यक्ति आय 1960-61 के अन्त में 330 रु० से बढ़कर 1966, 1971 और 1976 में क्रमशः 385 रु० 450 रु० और 530 रु० हो जानी चाहिए। इससे यह जरूरत पड़ेगी कि राष्ट्रीय आय के अंश रूप जो कुल पूजी लगे, वह वर्तमान 11 प्रतिशत से बढ़कर तीसरी योजना में 14-15, चौथी योजना में 17-18 और पाचवी योजना में 19-20 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो। दूसरे शब्दों में, तीसरी योजना में लगायी जाने वाली लगभग 10,500 करोड़ रु० की पूजी की तुलना में चौथी योजना में 17 हजार करोड़ रु० और पाचवी योजना में 25 हजार करोड़ रु० की पूजी लगनी चाहिए। घरेलू बचत भी इसी अनुपात से वर्तमान 8.5 प्रतिशत से बढ़कर तीसरी योजना में 11.5 प्रतिशत, चौथी योजना में 15 से 16 प्रतिशत और पाचवी योजना में 18 से 19 प्रतिशत होनी चाहिए। पाचवी योजना के अन्त तक अर्थ-व्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी कि वह बाह्य सहायता के बिना सन्तोषजनक गति से बढ़ती रहे और सामान्य रूप से जो विदेशी पूजी देश में लगती है, केवल वही आती रहे।

11. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अधिकांश में दीर्घकालीन योजनाओं की व्यावहारिकता इस बात में है कि वे वर्तमान कार्यों और निर्णयों के करने में मार्ग-दर्शक बनती हैं और भविष्य की योजना बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। मूल उद्योगों के विषय में ये बातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। समन्वित विकास, भौतिक साधन और विदेशी मुद्रा, और उद्योगों की विभिन्न स्थानों में स्थापना को लेकर जो शिल्पिक तथा अन्य समस्याएँ सामने आती हैं, उनको हल करने के लिए काफी समय तक विचार करने और तैयारी करने की आवश्यकता होती है। तीसरी योजना के प्रारम्भिक अध्ययन के बाद कुछ वस्तुओं के विषय में 1970-71 के लिए क्षमता सम्बन्धी निम्नलिखित अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं—

इस्पात के ढोके	180-190 लाख टन
कच्चा लोहा	30-40 "
अलमुनियम	2.3-2.5 "
बिजली	210-230 लाख किलोवाट
कोयला	1700-1800 लाख टन
तेल-शोधन	180-200 "
नत्रजन उर्वरक	20-22 " (नत्रजन)
सोमेट	240-260 लाख टन
मशीन-निर्माण	1600 करोड़ रु० मूल्य की
रेल्वों द्वारा माल की ढुलाई	3800-4200 लाख टन
अनाज	1250 "
निर्यात	1300-1400 करोड़ रु० मूल्य का

इन लक्ष्यों से इस बात का संकेत मिलता है कि कितना प्रयत्न करने की आवश्यकता है। ये लक्ष्य इस विषय के और शिल्पिक अध्ययन का भी अच्छा आधार बन सकते हैं।

दीर्घकालीन विकास योजना की तैयारी

12. दीर्घकालीन योजना बनाने में इसका बहुत महत्व है कि नही आकड़े और शिल्पिक जानकारी उपलब्ध हो। इसलिए उपलब्ध आकड़ों और शिल्पिक जानकारी को परिष्कृत करने के लिए नीमरी योजना में विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। विकसनीय अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अंगों के पारस्परिक जटिल सम्बन्धों और मशीं अनुपात का विश्लेषण करने के लिए इस जानकारी की विशेष आवश्यकता होगी। विकास के प्रत्येक चरण में समूचे कार्यक्रम को एक निरन्तर और अबाध प्रक्रिया मानना होगा और बहुत बड़े परिमाण में आर्थिक, शिल्पिक और सांख्यिक विश्लेषण करना होगा। इसमें, प्रत्येक अवधि के अन्त में वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं की माग का अनुमान माध्यमिक वस्तुओं, कच्चे माल और शिल्पियों की जरूरत का पता लगाने की दृष्टि से उद्योगों के पारस्परिक सम्बन्धों के अध्ययन और पूंजी विनियोग तथा आयान में बचन और निर्यात बढ़ाने की सम्भावनाओं का निर्धारण शामिल है।

13 निश्चित कार्यक्रम और नीति वाली कोई दीर्घकालीन योजना केवल समूचे राष्ट्र को दृष्टि में रखकर ही नहीं बनाई जानी चाहिए, बल्कि उसमें इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि देश के विभिन्न प्रदेशों के माधनों के विकास की कितनी सम्भावना है, जिसमें उन्नति की गति मन्द किए बिना अधिक से अधिक क्षेत्र को विकास का लान पहुंचे। अतः दीर्घकालीन योजना को आर्थिक और सामाजिक विकास का ऐसा साक्षात् खींचना चाहिए जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं और उन्हें पूरा करने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखा गया हो और जिसमें यह सब राष्ट्रीय विकास के एकीकृत प्रयत्न में शामिल हो।

14. इस दिशा में दीर्घकालीन योजना को चलाने के लिए केन्द्र और राज्यों में विभिन्न सरकारी अभिकरणों और वैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान में लगे प्रमुख संस्थानों के मध्य गहरे और निरन्तर सहयोग की आवश्यकता है। जैसे-जैसे अधिक जानकारी और आकड़े उपलब्ध होने जाएंगे, दीर्घकालीन योजना के खाकें को भर दिया जाएगा और टेकनालॉजी में प्रगति माधनों की अधिक जानकारी और अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अंगों की प्रगति के अनुसार स्वयं इस योजना में भी समय-समय पर संशोधन किया जाएगा। योजना आयोग ने और स्वाधीन अनुसंधान संस्थानों ने इस दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया है। पाचवी योजना के अन्त तक की अवधि को छूने वाली एक बृहत्तर योजना की तैयारी के लिए अगले तीन वर्षों में काफी माधन लगाने का प्रस्ताव है।

अध्याय 3

तीसरी योजना का मार्ग निर्धारण

तीसरी योजना का मार्ग निर्धारण करते हुए, हाल के वर्षों में देश की अर्थ-व्यवस्था में हुई प्रगति, वर्तमान आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों और देश के मौलिक सामाजिक उद्देश्यों तथा पहले ग्रन्थियों में वर्णित दीर्घकालीन भावी वृद्धि, इन सबका ध्यान रखा गया है।

2. पिछली शताब्दी में भारत की अर्थ-व्यवस्था का काफी तेजी से विस्तार हुआ है, देश के भावी सामाजिक व आर्थिक ढांचे का खाका बन चुका है और दीर्घकालीन आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नींव पड़ चुकी है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कुल विनियोग प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष था। यह राशि दूसरी योजना के अन्त में बढ़कर लगभग 1600 करोड़ रुपये हो गई। सरकारी क्षेत्र में विनियोग इस अवधि में 200 करोड़ रुपये से बढ़कर 800 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हो गया। वर्तमान भावों के आधार पर पहली और दूसरी योजना में 10,110 करोड़ रुपये का विनियोग हुआ जिसमें से 5210 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में और 4900 करोड़ निजी क्षेत्र में लगे। पहली योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय 18 प्रतिशत बढ़ी, जब कि मूल लक्ष्य केवल 12 प्रतिशत वृद्धि का था। यह वृद्धि अधिकांशतः कृषि उत्पादन में प्रगति के कारण हुई। दूसरी योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि 20 प्रतिशत हुई जबकि लक्ष्य 25 प्रतिशत का था। कृषि उत्पादन 40 प्रतिशत बढ़ा और खाद्यान्नों में 46 प्रतिशत वृद्धि हुई। सुसंगठित उत्पादक उद्योगों में उत्पादन लगभग दुगुना हो गया। पिछले दस वर्षों में हुई वृद्धि का मोटा अंदाज पृष्ठ 18 और 19 में दी गई सारिणी में अंकित कुछ चुने हुए सूचकों से हो सकता है।

3. गत दस वर्षों में वृद्धि की गति एक-सी नहीं रही। इसमें ऊंच-नीच हुई, कभी प्राकृतिक कारणों या अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण तो कभी क्रियान्वयन की कमियों के कारण। जनसंख्या में वृद्धि ने बेरोजगारी की समस्या को और गंभीर बना दिया। दूसरी योजना में 80 लाख नई नौकरियों के बढ़ने का अनुमान है, जिसमें से 65 लाख कृषि के अलावा है। दूसरी योजना के अन्त में 90 लाख व्यक्ति बेकार थे। हालांकि राष्ट्रीय-जीवन के हर अंग में काफी उन्नति हुई है, फिर भी उसके साथ ही अनिवार्य रूप से कुछ कठिनाइयाँ और मुश्किलें पैदा हुईं। कुछ असफलताएँ और गलतियाँ हुईं, जिनसे बचा जा सकता था और अभी भी हमारे आर्थिक और सामाजिक ढांचे में कुछ कमजोरियाँ शेष हैं, लेकिन इन सबके बावजूद हर दिशा में कुछ नये कदम बढ़ाये गये हैं और बहुत सन्तोषजनक अनुभव प्राप्त हुआ है।

1950-51 की अपेक्षा
1960-61 में हुई वृद्धि
का प्रतिशत

वस्तु (1) इकाई (2) 1950-51 (3) 1955-56 (4) 1960-61 (5) (6)

राष्ट्रीय आय					
(1960-61 के मूल्यों के आधार पर)	करोड़ रु०	10240	12130	14500	41.6
प्रति व्यक्ति आय	रुपये	284	306	330	16.2
(1960-61 के मूल्यों के आधार पर)					
कृषि उत्पादन सूचक अंक	करोड़ टन	95.6	116.8	135.0	41.2
(1949-50=100)	हजार टन	5.22*	6.58*	7.60	45.6
खाद्यान्न उत्पादन	करोड़ एकड़	55	105	230	318.2
नवजन वाले उर्वरक उपभुक्त	करोड़ रुपये	5.15	5.62	7.00	35.9
सिंचित क्षेत्र (विद्युद्ध योग)					
किसानों को दिये जाने वाला सहकार					
अल्पमूल्य अग्रिम धन	करोड़ रुपये	22.9	49.6	200.0	773.4
औद्योगिक उत्पादन सूचक अंक					
(1950-51=100)		100	139	194	94.0
तेयार होहा	लाख टन	14	17	35	150.0
धलमुनियम	हजार टन	3.7	7.3	18.5	400.0
मशीनी औजार	करोड़ रुपये	0.34	0.78	5.5	1517.6
गंधक का तेजाब	हजार टन	99	164	363	266.7

	लाख टन	—	36	57	—
पेट्रोलियम के उत्पादन					
सूती कपड़ा	करोड़ गज	372	510.2	512.7	37.8
मिल से निर्मित					
खादी, हथकरघे तथा बिजली के करघे	करोड़ गज	89.7	177.3	234.9	161.9
का बना	करोड़ गज	461.7	687.5	747.6	61.9
योगफल	लाख किलोवाट	23†	34†	57	147.8
बिजली—लगे हुए कारखानों की क्षमता	करोड़ टन	9.14	11.40	15.40	68.5
रेलो द्वारा डोया हुआ माल	हजार मील	97.5	122.0	144.0	47.7
सड़क—राष्ट्रीय मार्ग शामिल करके					
सामान्य शिक्षा	करोड़ों में	2.35	3.13	4.35	85.5
विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या					
तकनीकी शिक्षा					
इंजीनियरी और टेकनोलोजी डिग्री देने	हजारों में	4.1	5.9	13.9	239
बाली संस्थाओं की क्षमता					
स्वास्थ्य	हजारों में	113	125	186	64.6
अस्पतालों में रोमी-रायग्रां					

*उत्पादन के अनुमानों में आंकड़े एकत्र करने की नई विधि और 1956-57 तक के नये अनुमानों के अनुसार

परिवर्तन कर दिया गया है।

†कैलेंडर वर्ष 1950 और 1955 के आंकड़े।

4. तीसरी योजना बनाते समय निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य रहे हैं—

- (1) राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि, और पूँजी-विनियोग का ऐसा स्वरूप बनाना ताकि वृद्धि का यह क्रम अगली योजना में भी जारी रहे।
- (2) खाद्यान्नों के मामलों में देश स्वावलम्बी हो जाए और कृषि की उपज इतनी बढ़े जिससे उद्योगों और निर्यात दोनों की आवश्यकताएँ पूरी हों।
- (3) इस्पात, रासायनिक उद्योग और बिजली सरीखे बुनियादी उद्योगों का विस्तार हो और यंत्र-सामग्री बनाने की क्षमता इतनी बढ़ जाए, ताकि दसक वर्षों के अन्दर औद्योगीकरण की समस्त आवश्यकताएँ पूरी होने लें।
- (4) देश की जनशक्ति का यथासम्भव पूरा उपयोग किया जाय और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि हो, तथा
- (5) अवसर की समानता उत्तरोत्तर बढ़े, आय और सम्पत्ति में विषमता घटे तथा आर्थिक क्षमता का वितरण और अधिक समुचित हो।

5. तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि, आत्मनिर्भर और स्वनिर्मित अर्थ-व्यवस्था के लिए आवश्यक सघन विकास की दशावधि का प्रथम चरण है। हालांकि भारतीय अर्थ-व्यवस्था अब आकार में कहीं बड़ी है, और इसके कार्यकलाप बहुत बढ़ गये हैं, इसे बढ़ती हुई माँगों को पूरा करना है और ऐसी अनेक योजनाओं में काफी विनियोग करना पड़ेगा जिनका फल चौथी योजना में ही मिलना शुरू होगा। इसलिए तीसरी योजना में यथासम्भव अधिकतम विनियोग करने की आवश्यकता है।

6. तीसरी योजना में विकास की आम शैली अधिकांशतः दूसरी योजना के मूल निर्धारण तथा अनुभवों के आधार से ही बनी है। लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों के मार्ग में यह विकास की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करती है और इसके क्रियान्वयन के लिए और अधिकतर प्रयास तथा शीघ्र काम पूरा करने की भावना की आवश्यकता है। तीसरी योजना विशेषकर कृषि अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने, उद्योग, बिजली और परिवहन का विकास करने और औद्योगिक तथा प्राविधिक परिवर्तन को तीव्र करने, अवसर की समानता और समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में प्रगति करने और रोजगार चाहने वाले तमाम व्यक्तियों को रोजगार देने का उद्देश्य लेकर चलेगी। इन उद्देश्यों वाली विकास की योजना के लिए राष्ट्र को दृढ़ प्रयास और त्याग करना पड़ेगा। यह अत्यावश्यक है कि तीसरी योजना की अवधि में विकास का जोर सब पर बराबर पड़े और हर चरण में आर्थिक और वित्तीय तथा अन्य नीतियाँ इस प्रकार बनाई जाएँ जिससे अधिकांश लोगों के कल्याण और रहन-सहन के स्तर में सुधार हो।

7. तीसरी योजना में विकास के कार्यक्रम में कृषि का सबसे पहला स्थान है। कृषि उत्पादन को अधिकतम अग्रिमता दी जाएगी और योजना के कृषि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त साधनों की व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को विविधीकृत करना होगा ताकि कृषि पर निर्भर जनमख्या में कमी हो। तीसरी योजना में कृषि और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास का मार्ग दर्शक तत्व यह रहेगा कि जो कुछ किया जा सकता है, उसके लिए वित्तीय साधन उपलब्ध हों, और हर क्षेत्र की संभावनाओं का अधिकतम विकास

किया जाए। तीसरी योजना का एक प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जनशक्ति के उपयोग का है। यह कार्य योजना में शामिल विकास कार्यक्रमों तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर बनाए गए जनशक्ति के उपयोग के लिए विस्तृत ग्रामीण निर्माण-कार्यक्रमों द्वारा किया जायगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का उत्तरदायित्व, और आगे बढ़कर काम करने की प्रवृत्ति, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों पर अधिकाधिक रहेगी। सेवा सहकारियों का संगठन किया जायगा और इस काम के लिए ग्राम समाज को प्रारंभिक इकाई माना जाएगा। ग्रामीण प्रगति के लिए अपरिहार्य सहकारी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि यह गांव के स्तर पर सहकारिता और सामुदायिक विकास की वृद्धि का युक्तिसंगत परिणाम है।

8. दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी इस्पात, ईंधन और बिजली तथा यंत्रनिर्माण और रासायनिक उद्योग आदि मूल उद्योगों को तीव्र आर्थिक विकास के लिए आधार रूप माना गया है। आर्थिक विकास के कार्यक्रम सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था अर्थात् सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हालांकि निजी क्षेत्र को बहुत बड़ा योगदान करता है, फिर भी अर्थ-व्यवस्था के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का स्थान और अधिक प्रमुख हो जाएगा। तीसरी योजना में छोटे उद्योगों को औद्योगिक ढांचे का महत्वपूर्ण अंग बनाने के प्रयास जारी रहेंगे; ऐसा बड़े और छोटे उद्योगों में और अधिक समन्वय, औद्योगीकरण के लाभों को छोटे नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार और प्रारंभिक ग्रामीण उद्योगों में नई सुधरी हुई प्रणालियों के आरंभ के द्वारा किया जाएगा।

9. तीसरी योजना में शिक्षा एवं अन्य सामाजिक सेवाओं के विकास पर काफी बल दिया गया है। ये आर्थिक और सामाजिक विकास में सन्तुलन बनाने के लिए जितनी आवश्यक है उतनी ही योजना के आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी जरूरी है। समाज में शिक्षा के प्रचार तथा रहन-सहन के स्तर में सुधार के बिना बड़ा प्राविधिक परिवर्तन या उत्पादन में वृद्धि का होना सम्भव नहीं है।

10. रोजगार की समस्या को हल करने के लिए दो दिशाओं में एक साथ प्रयत्न की जरूरत है। योजना में वर्णित विकास कार्यक्रमों को इस प्रकार चलाना है जिससे उनसे अधिकतम रोजगार पैदा हो सकें। उनका कार्यान्वयन समन्वित ढंग से हर क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना है। अनेक क्षेत्रों में जहां जनशक्ति का उपयोग और अधिक सघन रूप में किया जा सकता है, वहां योजना के विकास कार्यक्रम को तीव्रतर कर उन्हें योजना के अन्तिम चरणों की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। यह कार्रवाई उन क्षेत्रों में विशेष रूप से आवश्यक होगी, जहां जनसंख्या घनी है और बेकारी अधिक है। यह अनुमान है कि योजना के विकास कार्यक्रम 1 करोड़ 40 लाख नई नौकरियां पैदा करेंगे, जबकि इस योजना की अवधि में नए रोजगार चाहने वालों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख और बढ़ेगी। इस प्रकार जो शेष बेरोजगार बचेंगे, उन्हें ग्रामीण विकास के बड़े कार्यक्रमों, ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों तथा अन्य कामों में लगाया जाएगा।

11. वृद्धि की संचयशील दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष करने के लिए यह आवश्यक है कि

राष्ट्रीय आय का 14 प्रतिशत से भी अधिक विनियोग किया जाए जबकि वर्तमान स्तर केवल लगभग साढ़े ग्यारह प्रतिशत है। इसका अर्थ होगा कि घरेलू बचत वर्तमान साढ़े आठ प्रतिशत से बढ़ाकर योजना के अन्त तक लगभग साढ़े ग्यारह प्रतिशत की जाए। स्वदेशी साधनों के प्रतिरिक्त काफी विदेशी सहायता की भी आवश्यकता पड़ेगी। विकास के इस चरण में विदेशी साधनों पर निर्भरता इस बात का सबूत है कि तीसरी योजना में ऐसी नीति अपनायी होगी, और उपाय करने होंगे जिनमें आयात कम हो और निर्यात से आमदनी बढ़े।

12. तीसरी योजना में उत्पादन का जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि खाद्यान्नों और अन्य उपभोग्यता माल पर्याप्त मात्रा में पैदा किया जाए। फिर भी यह अनिवार्य है कि समय-समय पर मुद्रा-स्फूर्ति भर उठाने लगे। योजना में ऐसी मूल्य-नीति स्वीकार की गई है, जिसके अनुसार सम्बन्धित भावों का उतार-चढ़ाव योजना के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप रहेगा, और कम आमदनी वाले समुदाय जिन आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करने हैं उनके मात्र अधिक नहीं बढ़ेंगे। यह भी आवश्यक है कि अपेक्षया अनावश्यक वस्तुओं और, सेवाओं के उपयोग पर नियंत्रण किया जाए। इसी प्रकार उत्पादन के ढांचे का नियोजन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि देश के सीमित साधनों को अपेक्षया अनावश्यक माल और सेवाओं के उत्पादन में न लगाया जाए। इन उपायों का आर्थिक स्थिरता की परिस्थिति में तीव्र विकास करने के लिए ही महत्व नहीं है, बल्कि ये तीसरी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक घरेलू साधनों और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक हैं।

13. तीसरी योजना में इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है कि परियोजनाओं की अवस्थाओं का विभाजन एक दूसरे को ध्यान में रखकर किया जाए, उनके नियोजन और उनमें मिलने वाले लाभ दोनों में निरन्तरता बनी रहे और दीर्घकालीन तथा अपेक्षया अल्पकालीन परियोजनाओं के बीच समुलन रखा जाए। उद्योग, परिवहन और विजली जैसे सम्बन्धित क्षेत्रों के नियोजन और कार्यान्वयन में गहरा समन्वय होना नई परियोजनाओं के लिए ही नहीं, बल्कि चालू कारखानों में उत्पादन का स्तर बढ़ाने के लिए भी उतना ही आवश्यक है। उद्योगों का कार्यक्रम, जिसमें विजली, परिवहन, वैज्ञानिक अन्वेषण और प्राविधिक शिक्षा भी सम्मिलित हैं, स्वयं में पूर्ण बनाया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो परियोजनाएँ अर्ध-व्यवस्था में वृद्धि की क्षमता को बढ़ाने में सहायता दें उन्हें न्यूनतम अवधि में चलाया और पूरा किया जाए।

14. दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के तीव्र विकास में राज्यों की योजनाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं तथा ग्रामीण जनशक्ति के उपयोग के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य बनाये गये हैं उनकी प्राप्ति राज्यों की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर ही निर्भर करता है। बड़े उद्योगों और विशेषकर मूल और भारी उद्योगों का विकास होने से राज्यों की योजनाओं को विजली और प्राविधिक शिक्षा के विकास, आवास और शहरी विकास की योजनाओं तथा ग्रामीण और औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के गहरे समन्वय के उपायों की व्यवस्था करनी है। राज्यों

की योजनाएं बनाने और उनका आकार और ढांचा नियत करते समय इन बातों को यथा-संभव ध्यान में रखा गया है ।

15. तीसरी योजना में भूतकाल की अपेक्षा भारतीय अर्थ-व्यवस्था के निदेशन और प्रबन्ध में नियोजन और कार्यान्वयन के लिए पहले से कहीं अधिक मुधरे ढग और मशीनरी, सांख्यिकीय और आर्थिक आंकड़े, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले प्राविधिक तथा अन्य विकास के यथोचित मूल्यांकन, देश के साधनों का और अधिक ज्ञान तथा पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित विश्लेषण और अन्वेषण की आवश्यकता है ।

16. तीसरी योजना की अवधि के पाच वर्षों में राष्ट्र उतनी सफलता प्राप्त करने का इरादा रखता है, जितनी पहली और दूसरी योजनाओं के दस वर्षों में प्राप्त की गई । यह काम बहुत बड़ा है, जरूरी है और वर्तमान तथा भविष्य के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है । इसके प्रशासनिक प्रभाव और संभावनाएं अत्यन्त विस्तृत हैं और उनके लिए हर क्षेत्र में कार्यकुशलता के अत्यधिक ऊचे स्तर की आवश्यकता है । प्रभावी कार्यान्वयन के लिए साधनों के एकत्रीकरण, बदसती हुई आवश्यकताओं की स्वीकृति, हर चरण में साधनों के समन्वय और एकत्रीकरण, आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं के पूर्वाभास की क्षमता, विकास के लिए अनुकूल अवसरों से लाभ उठाने में तत्परता और सबसे अधिक विद्वान और कुशल कार्यकर्त्तियों तथा योजना के उद्देश्यों के अनुरूप संगठनों की आवश्यकता है । विकास की योजना चाहे वह कितनी ही विस्तृत हो या सक्षिप्त, केवल कार्यक्रम का मोटा ढांचा भर दर्शाती है । इसकी सफलता अनेक प्रकार के घटकों पर निर्भर करती है जैसे विकास के भार और चुनौती के प्रति लोगो में चेतना, नई उत्पादक शक्तियों का प्रकट होना और आधुनिक विज्ञान और टेक्नालाजी का अधिक उपयोग, दृष्टिकोण और प्रेरणा में परिवर्तन और अंत में विश्वास का ऐसा वातावरण जिसमें यह समझा जाय कि तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और विस्तृत आर्थिक अवसर दोनों का उपाय है ।

अध्याय 4

योजना के लक्ष्य और खर्च

पिछले अध्याय में जो लक्ष्य बताये गये हैं उनको पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि अगले 5 वर्ष में हमारी अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास हो वह एक निर्धारित सीमा से कम न हो। तीसरी योजना के भौतिक लक्ष्य इसी को ध्यान में रखकर बनाये गये हैं। अनुमान है कि अगले 5 साल में राष्ट्रीय आय में कम से कम 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति आय में कम से कम 17 प्रतिशत की। योजना की एक झाली देने के लिए नीचे की तालिका में कुछ मुख्य-मुख्य लक्ष्य दिये गये हैं—

मुख्य लक्ष्य

वस्तु	सख्या	1960-61	1965-66	1960-61 से 1965-66 में वृद्धि-प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खेती की उपज का सूचक अंक (1949-50=100)		135	176	30
अनाज की पैदावार	लाख टन में	760 ✓	1000 ✓	32
नत्रजनी खाद की खपत	टन	2,30,000	10,00,000	335
सिंचित क्षेत्र का रकबा (शुद्ध योग)	लाख एकड़	700	900	29
सहकारी आन्दोलन : किसानों को उधार	करोड़ रु०	200	530	165
औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक (1950-51=100)		194	329	70
उत्पादन :				
इस्पात के ढोके	लाख टनों में	35. ✓	92	163
अलमुनियम	टन	18,500	80,000	332
मशीनी औजार	करोड़ रु० में	5.5 ✓	30	445
गंधक का तेजाब	टन	3,63,000	15,00,000	313
पेट्रोल जन्य पदार्थ	लाख टन में	57 ✓	99	70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कपड़ा :				
भिस का	लाख गज में	51,270	58,000	13
हथकरघा, बिजली करघा और खादी	लाख गज में	23,490	35,000	49
जोड़	लाख गज में	74,760	93,000	24
खनिज :				
लोह खनिज	लाख टन में	107	300	180
कोयला	लाख टन में	546✓	970	76
निर्यात	फरोड़ ह० में	645	850	32
बिजली : स्थापित क्षमता	लाख कि० वा० में ✓	57	127	123
रेलवे-माल जो ढोया जाएगा	लाख टन में	1540	2450	59
सड़क-बस, ट्रकों की संख्या	संख्या	2,10,000	3,65,000	74
जहाज-टन भार	लाख जी० घार० टी०	9	10.9	*21
शिक्षा, स्कूलों में छात्रों की संख्या	लाख में	435	639	47
शिल्पिक शिक्षा (इंजीनियरी और टेकनालाजी में डिग्री के लिए भर्ती)	संख्या	13,900	19,100	37
स्वास्थ्य :				
अस्पतालों में पलंग	संख्या	1,86,000	2,40,000	29
डाक्टरों की संख्या	संख्या	70,000	81,000	16
खपत :				
भोजन	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी	2,100	2,300 ✓	10
कपड़ा	प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग गज	15.5	17.2 ✓	11

इस पुस्तिका के अन्त में परिशिष्ट 1 में तीसरी योजना के लक्ष्यों का अधिक ब्योरा दिया गया है।

2. जनसंख्या में वृद्धि, और लोगों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को देखते हुए और भ्रमली दो या तीन योजनाओं की अवधि में स्वतः विकस्य करने की स्थिति में पहुँचने के लिए, यह आवश्यक है कि अगले 5 वर्ष में उपर्युक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयत्न संभव हों, किए जाएं। इसके अलावा चौथी योजना की तैयारी के लिए तीसरी योजना में

भी कुछ कार्य करने पड़ेंगे। तीसरी योजना के कार्यक्रम उपर्युक्त दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाये गये हैं। इन सब कार्यों को पूरा करने में सरकारी क्षेत्र में 8000 करोड़ रु० से अधिक खर्च होगा और निजी क्षेत्र में 4100 करोड़ रु०* खर्च का अनुमान है।

3. पिछला अनुभव यह है कि 5 वर्ष की योजना बनाते समय यदि उन्हीं साधनों को ध्यान में रखा जाता है जो उस समय दिखाई देते हैं, तो आगे चलकर जो अवसर हाथ में आते हैं उनका पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए 5 वर्ष की अवधि के लिए जो भौतिक कार्यक्रम बनाये जाए वे बिल्कुल उन साधनों पर निर्भर न होने चाहिए जो योजना की तैयारी के समय दिखाई दें। साल-ब-साल कार्यक्रमों के खर्च जुटाने की कोशिश करनी चाहिए।

4. इस समय उपलब्ध आर्थिक साधनों का अनुमान 7,500 करोड़ रु० है। किन्तु इधर जाच-पड़ताल से पता चला है कि देश में बचत बढ़ाने के लिए और उपाय किए जाएं तो ये साधन और बढ़ सकते हैं। वास्तव में, योजना में जो लक्ष्य रखे गये हैं उनकी जिस हद तक पूर्ति हो सकेगी उसी हद तक और साधन भी जुटाये जा सकेंगे। भारत की विकास योजनाओं के लिए मिन देशों से और विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से जो सहायता मिल रही है उससे यह आशा होती है कि तीसरी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति में विदेशी मुद्रा की कमी विशेष बाधक न होगी। दूसरी ओर, ऐसा भी हो सकता है कि तीसरी योजना के कुछ कार्यक्रम इस अवधि में पूरे न हो सकें और उनमें जो खर्चा लगने वाला है उसे चौथी योजना के शुरू में लगाया जाए। कार्यक्रमों में जो कुछ भी हेर-फेर करने पड़े, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि तीसरी योजना के जो मुख्य या द्वितीयादी लक्ष्य हैं वे समय के अन्दर पूरे हो जाएं।

5. नीचे की तालिका में दिखाया गया है कि 7,500 करोड़ रु० किन मुख्य-मुख्य मदों में खर्च किये जाएंगे :

खर्च का ब्योरा

(करोड़ रु०)

मद	दूसरी योजना		तीसरी योजना				
	कुल खर्च	प्रतिशत	राज्य	केन्द्र शासित प्रदेश	केन्द्र	कुल खर्च	प्रतिशत
खेती और सामुदायिक विकास	530	11	919	24	125	1068	14
सिंचाई के बड़े और मध्यम काम	420	9	630	2	18	650	9
विजली	445	10	880	23	109	1012	13
आमोद्योग और छोटे उद्योग	175	4	137	4	123	264	4
बड़े उद्योग और खनिज	900	20	70	—	1450	1520	20
यातायात, संचार	1300	28	226	35	1225	1486	20
सामाजिक सेवा आदि	830	18	863	87	350	1300	17
कच्चा और ग्रथ तैयार माल (इनवेंटरी)					200	200	3
योग	4600	100	3725	175	3600	7500	100

*इसमें 200 करोड़ रु० की वह रकम शामिल नहीं है जो सरकारी क्षेत्र से निजी-क्षेत्र में डाली जाएगी।

सरकारी क्षेत्र में खर्च होने वाले 7,500 करोड़ रु० में से 6,300 करोड़ रु० पूंजी में लगाये जाएंगे और कर्मचारियों का वेतन, अधिक सहायता, आदि चालू खर्च 1,200 करोड़ रु० होगा। इस रकम में म्यूनिसिपैलिटियों और पंचायतों आदि स्थानीय संस्थाओं के विकास का केवल वह खर्च शामिल है जो केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपने योजना-खर्च के रूप में करेंगी। इसमें वह रकम शामिल नहीं है जो स्थानीय संस्थाएं अपने पास से लगाएंगी या जो स्थानीय जनता स्थानीय कार्यों में नगद या सामग्री आदि के रूप में देगी।

6. 10,400 करोड़ रु० के नियोजन में 2030 करोड़ रु० से कुछ अधिक की विदेशी मद्रा की दरकार होगी। दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में सरकारी और निजी नियोजनों की राशि करीब 1,600 करोड़ रु० थी। आशा है कि तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में यह करीब 2,600 करोड़ रु० हो जाएगी। सरकारी क्षेत्र में नियोजन इस अवधि में 8,00 करोड़ रु० से बढ़कर 1,700 करोड़ रु० हो जाएगा। तीसरी योजना में कुल नियोजन करीब 54 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है, 70 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में और करीब 32 प्रतिशत निजी क्षेत्र में।

7. इस संक्षिप्त विवरण के अन्त में परिशिष्ट 3 में केन्द्रीय और राज्यों की योजनाओं के खर्च का ब्योरा दिया गया है। साधारणतः विकास योजनाओं को राज्यों की योजनाओं में शामिल किया गया है और केवल कुछ थोड़ी-सी ही योजनाओं को केन्द्रीय सरकार की योजनाओं में रखा गया है, जो केन्द्रीय मन्त्रालय की ओर से चालू की जाएगी। इस प्रकार यह कोशिश की गई है कि राज्यों की योजनाओं का क्षेत्र और बढ़े तथा उनकी विकास योजनाएं समन्वित ढंग से चलें। राज्यों की योजनाएं तय करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि उनकी क्या विशेष आवश्यकताएं और कठिनाइयां हैं, उन्होंने अब तक कितना काम और प्रगति की है, उनके विकास में क्या त्रुटियां रह गयी हैं, मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने में वे क्या योग दे सकेंगे और वहां कितने साधन हैं और कितने जुटाये जा सकते हैं। राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के सब कार्यक्रमों का कुल जोड़ 4022 करोड़ रु० आता है। इनका ब्योरा इस पुस्तिका के अन्त में परिशिष्ट 3 में पहली और दूसरी योजनाओं के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ किया गया है।

8. ऊपर, भौतिक कार्यक्रमों और खर्च की मद्दों का जो मोटा ब्योरा दिया गया है उससे यह पता चलता है कि हमें इस योजना में कितना काम करना है और किन बातों पर कितना जोर दिया गया है। इसके अन्तर्गत विकास के कुछ ठोस कार्यक्रम शामिल हैं जिनका संक्षेप में इस विवरण में उल्लेख किया जाएगा।

9. तीसरी योजना में जो कार्यक्रम रखे गये हैं उनसे 1 करोड़ 40 लाख आदमियों को काम मिलने की आशा है। हमारी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण तीसरी योजना की अवधि में करीब 1 करोड़ 70 लाख और आदमियों को काम देने की जरूरत पड़ेगी। अतः हमें अधिक-से-अधिक लोगों को काम-धंधे दिलाने का प्रयत्न करना है। इनमें से कुछ लोगों को छोटे और ग्रामीण उद्योगों में खपाना होगा और कुछ को खेती और सामाजिक सेवाओं में। इसके लिए इन सबका विस्तार करना होगा। इसके अलावा गांवों में निर्माण के काम शुरू किये जाएंगे जिनमें अधिक-से-अधिक लोगों को काम में लगाया जाएगा।

10. अनुमान है कि यदि तीसरी योजना के सारे कार्यक्रम समय से पूरे हो गए तो 1960-61 के मूल्यों के आधार पर हमारी राष्ट्रीय आय करीब 34 प्रतिशत बढ जाएगी । खेती और उससे सबधित धधों का शुद्ध उत्पादन करीब 25 प्रतिशत बढेगा, खानों और प्रौर करखानो का करीब 82 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों का करीब 32 प्रतिशत । खेती, खान और कारखानो के उत्पादन वृद्धि का अनुमान योजनाओ के लक्ष्यों के आधार पर किया गया है । इनके अलावा अन्य क्षेत्रों के उत्पादन का केवल मोटा अन्दाज लगाया जा सकता है । राष्ट्रीय आय मे 34 प्रतिशत की वृद्धि के लिए बहुत-सी कठिन समस्याओ को हल करना होगा, जिनमें एक बहुत बड़ी समस्या है विकास कार्यों के लिए यथेष्ट रकम जुटाने की, फिर भी मोटा अन्दाज यह लगाया गया है कि तीसरी योजना के दौरान में राष्ट्रीय आय में कम से कम 30 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए । 1960-61 के मूल्यों के अनुसार दूसरी योजना के अंत में राष्ट्रीय आय में करीब 14,500 करोड़ अनुमानी जाती है, जिसे तीसरी योजना के अन्त तक बढ़कर 19,000 करोड़ हो जाना चाहिए । वर्तमान जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 1960-61 मे 330 रु० होती है जिसे तीसरी योजना के अन्त में 385 रु० हो जाना चाहिए ।

अध्याय 5

योजना के लिए वित्तीय साधन

आयोजन की समस्या की मूल बात है विकास की पर्याप्त दर के लिए साधन एकत्रित करना। योजना में 10,400 करोड़ रु० के विनियोग कार्यक्रम की व्यवस्था है। इसका अर्थ है कि इतने विनियोग के लिए हमें विनियोग-दर को बढ़ाना होगा—इस समय राष्ट्रीय आय का 11 प्रतिशत विनियोग में लगता है, इसे बढ़ाकर लगभग 14 प्रतिशत करना होगा। विनियोग के कुछ भाग के लिए हमें विदेशी सहायता भी लेनी होगी। देशी बचत की दर को भी वर्तमान समय की राष्ट्रीय आय के 8.5 प्रतिशत से तीसरी योजना के अन्त तक लगभग 11.5 प्रतिशत करना होगा। प्रत्यक्ष है कि इसके लिए हमें कुल उत्पादन बढ़ाने का पूरा प्रयास करना होगा जैसा कि योजना में कहा गया है। साथ ही हमें विनियोग की आवश्यकताओं को देखते हुए उपभोग को सीमाओं में रखने के लिए आर्थिक नीतियों का निरन्तर अनुकरण करना होगा। पिछले दस वर्षों में उत्पादन बढ़ाने और आगे विस्तार करने की क्षमता में जो प्रगति हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए योजना के विनियोग और बचत के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं बशर्तकि साधनों को दक्षतापूर्वक इकट्ठा किया जाए और लगाया जाए और विदेशी विनिमय पर्याप्त मात्रा में भिन्न सके।

2. भौतिक रूप अथवा वित्तीय रूप, दोनों में आयोजन का लक्ष्य अन्ततः एक ही है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा निश्चयात्मक फल नहीं दे सकता। विनियोग-दर अन्ततोगत्वा निर्णय द्वारा ही निश्चित होगी। समय-समय पर इस निर्णय की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी—इसलिए योजना में कुछ हद तक लचीलापन होना आवश्यक है ताकि व्यय में आवश्यक रद्दोबदल की जा सके। हमारा लक्ष्य स्वीकृत भौतिक कार्यक्रमों को पूरा करना है और इन पर होने वाले व्यय में किसी प्रकार की कमी से विकास की गति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आवश्यक साधन जुटाने के लिए पूरा प्रयास करना होगा। साधन जुटाने की प्रणाली और इनमें से हरेक का अधिक-से-अधिक उपयोग करने के प्रश्न की निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के लिए धित

3. सरकारी क्षेत्र के लिए स्वीकृत विकास कार्यों के लिए कुल 8,000 करोड़ रु० से भी अधिक की व्यवस्था की गई है। इन कार्यक्रमों को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए आन्तरिक साधनों को जुटाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना होगा। परियोजनाओं के विभिन्न चरणों और उन पर होने वाले वास्तविक व्यय के सम्बन्ध में अनिश्चितताएं हैं। औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति सीधे तौर पर विदेशी विनिमय की उपलब्धि पर निर्भर है। हालांकि विदेशी सहायता की वास्तविक आवश्यकता कुछ ज्यादा है, यह निर्णय किया गया है कि

प्रारम्भिक रूपरेखा में बनाए हुए मज के अनुमान पं० एल० 480 के अतिरिक्त कुल विदेशी सहायता 2600 करोड़ रु० में अधिस नहीं होगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय सरकारी क्षेत्र में होने वाले कुल व्यय की राशि 7500 करोड़ रु० निर्धारित की गई है। परन्तु यहाँ यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि इस अनुमान को बचत की मात्रा बढ़ाकर और अधिक संचित कर ऊपर ले जाने की हर सम्भव कोशिश की जाए।

4. योजना में सरकारी क्षेत्र में व्यय होने वाले कुल 7500 करोड़ रु० में से विनियोग अनुमानन 6300 करोड़ रु० के होंगे और कर्मचारियों, महानता की रकमों इत्यादि पर चालू व्यय 1200 करोड़ रु० होगा। 6300 करोड़ रुपये के विविध व्यय में 200 करोड़ रु० की वह राशि भी शामिल है, जिसको विज्ञान क्षेत्र में कृषि, उद्योग, आवास इत्यादि कुछ चुने हुए विनियोगों पर व्यय करने के लिए दिना जाएगा। इस प्रकार वास्तविक सरकारी विनियोग 6100 करोड़ रुपये होगा।

5. प्रारम्भिक रूपरेखा में सरकारी क्षेत्र के माधवों का अनुमान 7250 करोड़ रुपये था—केन्द्र में 6050 करोड़ रु० और राज्यों में 1200 करोड़ रुपये। बाद में राज्य सरकारों से हुई बातचीत तथा 1960-61 के केन्द्रीय बजट की द्वारा समीक्षा करने पर इस अनुमान का संशोधन कर इसे 7453 करोड़ रुपये कर दिया गया है—इसमें से 6107 करोड़ रु० केन्द्र से और 1346 करोड़ रु० राज्यों में प्राप्त होंगे। इस अनुमान को 7500 करोड़ रु० बनाकर जनवरी 1961 में राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने रखा गया। परिषद् ने कहा कि अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए साधनों के कुल अनुमान (7500 करोड़ रु०) और भौतिक कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए कुल आवश्यकताओं (8000 करोड़ रु०) में जो अन्तर है, उसे पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्यक्ष है कि इस समस्या का उत्तर इस पर निर्भर है कि क्या तक बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आन्तरिक बचत में वृद्धि की जाती है। परिषद् ने बचत बढ़ाने की सम्भावनाओं का अध्ययन और खोज करने के लिए एक दल समिति नियुक्त की। 1961-62 के केन्द्र और राज्य सरकारों के बजटों और आन्तरिक बचतों के हर मज के अन्तर्गत अधिक माधव जुटाने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के पश्चात् मन्त्रिण ने यह आशावादी निष्कर्ष निकाला कि केन्द्र और राज्य मिलकर पहले से अधिक साधन जुटा सकते हैं। परन्तु इस अवस्था में यह ठीक-ठीक बनाना सम्भव नहीं है कि भौतिक कार्यक्रमों की आवश्यकताओं और वित्तीय साधनों के अन्तर को पूरा करने के लिए किन दिशाओं में क्रम-उठाए जाए। साथ ही विदेशी विनिमय साधनों की उपलब्धि की सीमाओं को भी ध्यान में रखना था। साधन जुटाने में हर वर्ष जो प्रगति हो, उसके प्रकाश में इस समस्या की निरन्तर समीक्षा करना आवश्यक है। हालांकि सरकारी क्षेत्र के वित्तीय व्यय की राशि इस समय 7500 करोड़ रु० निर्धारित की गई है, इसमें और मुबार करने और खाई को पाटने के लिए निरन्तर प्रयास करते होंगे।

6. सरकारी क्षेत्र का योजनाओं के लिए जो वित्त-व्यवस्था की गई है, वह नीचे दी गई सारिणी में दी जा रही है। तुलना के लिए हर मुख्य वित्त-साधन में दूसरी योजना-अवधि में जो राशि प्राप्त हुई थी, वह भी सारिणी में दी जा रही है। अन्त के दो बालनों में केन्द्र और राज्यों के अनुमान अलग-अलग दिए जा रहे हैं।

वित्तीय साधन

(दूसरी और तीसरी योजना के लिए)

(करोड़ रुपये)

मद	दूसरी योजना		तीसरी योजना		
	आरम्भिक धनुमान	वर्तमान धनुमान	योग	केन्द्र	राज्य
1. वर्तमान राजस्व से बची हुई राशि (अतिरिक्त करो को छोड़कर)	350	(-) 50	550	410	140
2. रेलों से प्राप्ति	150	150 ¹	100	100	—
3. अन्य सार्वजनिक उद्यमों से बचत	— ²	— ²	450	300	150
4. जनता से ऋण (शुद्ध)	700	780 ³	800	475	325
5. छोटी बचतें (शुद्ध)	500	400	600	213	387
6. प्राविडेण्ट फण्ड (शुद्ध)		170	265	183	82
7. इस्पात समीकरण कोष (शुद्ध)	} 250	38	105	105	—
8. पूंजी खाते में जमा विविध रकमों (गैर-योजना ध्यय के अतिरिक्त)		22	170	428	—
9. 1 से 8 तक का योग	1950	1510	3040	2214	826
10. अतिरिक्त कर, जिनमें सार्वजनिक उद्यमों में अधिक बचत करने के लिए किए जाने वाले उपाय भी शामिल हैं	450 ⁴	1052	1710	1100	610
11. विदेशी सहायता के रूप में बजट में दिखाई गई रकम	800	1090 ⁵	2200	2200	—
12. घाटे की अर्थ-व्यवस्था	1200	948	550	524	26
योग	4800	4600	7500	6038	1462

(1) किराये और माल-भाड़े में हुई वृद्धि सहित।

(2) सारिणी के 1 से 8 मदों में शामिल।

(3) इसमें पी० एल० 480 निधि में से स्टेट बैंक द्वारा किए गए विनियोग शामिल हैं।

(4) इसके अतिरिक्त 400 करोड़ रुपये का अन्तर और आन्तरिक प्रयासों से पूरा करना होगा।

(5) इसमें रिजर्व बैंक द्वारा पी० एल० 480 निधि में से 1960-61 में विशेष ऋण-पत्रों में लगाई गई राशि भी शामिल है।

7. दूसरी योजना के अनुभव से यह कहा जा सकता है कि सारिणी में दिए गए हर साधन से प्राप्त होने वाली आय का अनुमान लगाने में जितनी भी सतर्कता बरती जाए, वास्तव में अलग-अलग मदों से प्राप्त होने वाली आय अनुमानों से भिन्न होगी। अतः आगामी पाच वर्षों की अवधि के लिए हमें सम्पूर्ण वित्त-योजना की पूर्णता पर ध्यान देना चाहिए न कि हर मद के अलग-अलग अनुमानों पर। दृष्टान्त के लिए राजस्व से प्राप्त होने वाली बचत का अनुमान लगाते समय यह मानकर चलना पड़ेगा कि आर्थिक कारंवाइयों में वृद्धि के फलस्वरूप कर से प्राप्त होने वाली आय इतनी हद तक बढ़ेगी। परन्तु अर्थ-व्यवस्था की विकास-गति हर वर्ष भिन्न-भिन्न हो सकती है, और कर प्राप्ति भी इस पर निर्भर करती है कि नई आय किस ओर जाती है। इसी तरह व्यय में भी गैर-योजना व्यय, विकास सम्बन्धी और गैर-विकास सम्बन्धी दोनों की प्रवृत्ति का अनुमान भी मोटे तौर पर ही लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में तो, जैसे सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त होने वाली बचत के, आकड़े वास्तव में अपर्याप्त हैं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि साधन जुटाने के विभिन्न तरीके कहीं न कहीं एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं; दृष्टान्त के लिए यह सम्भव है कि एक स्थिति में कर लगाकर अधिक प्राप्ति हो सकती है, पर दूसरी स्थिति में मण्डी से ऋण लेने से अधिक प्राप्ति होती है। विदेशी सहायता की सामयिक उपलब्धि का भी आन्तरिक बचत और विनियोग के प्रयत्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में मूल्यों की प्रवृत्ति और कठिन विदेशी विनिमय स्थिति को देखते हुए तीसरी योजना की अवधि में घाटे की अर्थ-व्यवस्था बहुत ही सीमित मात्रा में अपनाई जाएगी।

राज्य सरकारों के साधन

8. राज्यों के 1961-62 के बजटों के प्रकाश में की गई राज्यों के साधनों की समीक्षा से ज्ञात होता है कि राज्यों के साधनों की अवस्था इस समय अगस्त-नवम्बर 1960 में उनसे हुए विचार-विमर्श के फलस्वरूप प्राप्त हुई जानकारी से काफी बेहतर है। पहले राज्यों के अनुमानित साधन 1346 करोड़ रु० थे, अब यह अनुमान बढ़कर 1462 करोड़ रु० हो गया है। इस सुधार का मुख्य कारण भाय-कर और विभागीय उत्पादन शुल्कों के अन्तर्गत काफी साधनों को केन्द्र से राज्यों को चला जाना है। राज्यों के साधन 1462 करोड़ रु० के हैं, केन्द्रीय सहायता 2375 करोड़ रु० की होगी; इस प्रकार राज्यों की योजनाओं के लिए उपलब्ध साधन कुल 3837 करोड़ रुपये के होंगे। यह राशि 3847 करोड़ रुपये की राशि के लगभग बराबर ही है, जिसे राज्यों की योजनाओं के लिए स्वीकार किया गया है।

अतिरिक्त कर

9. तीसरी योजना में 1710 करोड़ रु० के अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव है— 1100 करोड़ रु० के केन्द्र में और 610 करोड़ रु० के राज्यों में। करों की यह न्यूनतम अनिवार्य राशि है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाना और सार्वजनिक उद्यमों से होने वाली बचतों में वृद्धि करना आवश्यक होगा। अप्रत्यक्ष कर समाज के हाथों विभाज्य (डिस्पोजेबल) आय को घटा कर सरकारी क्षेत्र के साधनों में वृद्धि करते हैं। प्रत्यक्ष कर व्यय की जाने वाली कुल आय से प्राप्त होने वाली कुल वस्तुओं

और सेवाओं में कमी करते हैं। दोनों प्रकार के करों में से चुनाव व्यावहारिक आधार पर करना पड़ेगा। जिस बात पर जोर देना है, वह यह है कि कर इस प्रकार लगाए जाए कि योजना की विनियोग-आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपभोग सीमित रहे। यह अनिवार्य है कि अधिकतर अतिरिक्त कर केन्द्रीय सरकार ही लगाए। इस दिशा में 1961-62 में अच्छी शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकारें भी अपने हिस्से के करों की उगाही करें, यह भी कम जरूरी नहीं है। ग्राम्य क्षेत्र में कर लगाना अधिकतर उन्हीं के क्षेत्र में आता है। उन्हें बिक्री कर जैसे सचकदार आय के साधनों का पहले से अधिक अच्छी तरह उपयोग करना चाहिए।

निजी विनियोग

10. निजी विनियोग के लिए भी उसी बचत कोष से राशि मिलती है, जिससे सार्वजनिक विनियोग को। दूसरी योजना-प्रवधि की प्रवृत्ति को देखते हुए यह अनुभव किया गया है कि बचत कोष में से सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ निजी विनियोग के लिए भी कुल 4300 करोड़ रु० की बचत भी प्राप्त हो सकती है। नीचे दी गई सारिणी में इस विनियोग राशि के विभिन्न मदों पर होने वाला व्यय और दूसरी योजना-प्रवधि के अनुमान (प्रारम्भिक तथा बाद में संशोधित) दिए गए हैं—

निजी क्षेत्र का पूंजी-विनियोग¹

(करोड़ रुपये)

	दूसरी योजना		तीसरी योजना के अनुमान
	प्रारम्भिक अनुमान	संशोधित अनुमान	
1. कृषि (सिंचाई-सहित)	275	675	850
2. बिजली	40	40	50
3. परिवहन	85	135	250
4. ग्रामीण और लघु उद्योग	100	225	325
5. बड़े और मध्यम उद्योग तथा खनिज पदार्थ	575	725 ²	1,100 ²
6. आवास और अन्य इमारती काम	925	1,000	1,125
7. इन्वेण्टरियां	400	500	600
योग	2,400	3,300	4,300

- (1) ये आंकड़े निजी क्षेत्र के सम्पूर्ण पूंजी-विनियोग के घातक हैं, और इनमें सरकारी क्षेत्र से हस्तान्तरित साधनों से होने वाला पूंजी-विनियोग भी शामिल है।
- (2) इन अंकों में यन्त्रों को प्राथमिक बनाने और बदलने के लिए किया जाने वाला पूंजी-विनियोग शामिल नहीं, जिसका अनुमान 150-200 करोड़ रु० है।

11. निजी क्षेत्र में लगाए जाने वाले कुल 4300 करोड़ ₹० में से 200 करोड़ ₹० सरकारी क्षेत्र से हस्तांतरित किए जाएंगे। वृषि, लघु उद्योगों और सहकारी संस्थाओं की रिजर्व बैंक आशिक सहायता देगा। निजी क्षेत्र को 300 करोड़ ₹० तक की विदेशी सहायता मिलने की सम्भावना है। कुल मिला कर निजी क्षेत्र में 4300 करोड़ ₹० के विनियोग की सम्भावना ठीक ही है।

विदेशी विनिमय साधन

12. आन्तरिक साधनों की कमी को कुछ हद तक अतिरिक्त प्रयासों द्वारा पूरा किया जा सकता है। विदेशी साधन इनकी तुलना में कठिन समस्या हैं। दूसरी योजना में भुगतान सन्तुलन 2100 करोड़ ₹० प्रतिकूल था—यह राशि प्रारम्भिक अनुमान से लगभग दुगुनी है। तीसरी योजना के आरम्भ होते समय विदेशी विनिमय कोष घट कर इतना कम रह गया है कि उसमें से और अधिक राशि निकाली नहीं जा सकती। इसलिए हमें निर्यात-आय बढ़ाने की हर सम्भव कोशिश करनी होगी; साथ ही कड़ी बजट नीति और आयातों के लिए विदेशी विनिमय निर्धारित करने की नीति भी जारी रखनी होगी।

13. पृष्ठ 35 की सारिणी में तीसरी योजना के भुगतान सन्तुलन के अनुमान दिए गए हैं।

14. निर्यात लक्ष्य 3700 करोड़ ₹० रखा गया है जब कि दूसरी योजना अवधि में कुल निर्यात 3053 करोड़ ₹० का हुआ था। पुरानी और नई दोनों प्रकार की वस्तुओं का निर्यात काफी बढ़ाना आवश्यक होगा। देश की आयात की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, साथ ही विदेशी ऋणो सम्बन्धी सेवा की जिम्मेदारिया भी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आगामी पाच वर्षों में और उससे भी आगे के लिए निर्यात बढ़ाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। निर्यात के वर्तमान स्तर से प्राप्त होने वाली कुल राशि को ध्यान में रख कर और नाम चालू रखने के लिए आवश्यक आयात के लिए लगभग 3650 करोड़ ₹० की व्यवस्था करने के पश्चात (इस मद के लिए वास्तविक आवश्यकता तो इससे अधिक है) विदेशी विनिमय की प्राप्ति और भ्रदानगो लगभग एक दूसरे के बराबर हैं। हालांकि देश को 2030 करोड़ ₹० के आयात की आवश्यकता है, योजना में 1900 करोड़ ₹० के आयात की व्यवस्था की गई है। पी० एल० 480 सहायता के अतिरिक्त तीसरी योजना में कुल विदेशी सहायता लगभग 2600 करोड़ ₹० आती गई है—इसमें 200 करोड़ ₹० के विशेष पूंजीगत माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात और 500 करोड़ ₹० की देनदारी चुकाने की व्यवस्था है। भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी जिन कठिनाइयों का देश को सामना करना पड़ रहा है, वे विकास-क्रम का एक भ्रग हैं और भ्राने वाले कुछ वर्षों तक हमें उनका सामना करना पड़ता रहेगा। इस भ्रवधि के लिए विदेशी सहायता आवश्यक है, पर हमारा लक्ष्य अर्ध-व्यवस्था को अधिक से अधिक स्वावलम्बी बनाना होना चाहिए।

15. कुल मिला कर विदेशी सहायता मिलने के भ्रच्छे लक्षण हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के तत्वावधान में मई 1961 में मित्र देगो के सघ की जो बैठक हुई थी, उममें भारत को

तीसरी योजना की विदेशी विनिमय की
आवश्यकताओं के लिए वित्त-व्यवस्था

(करोड़ रुपये)

	दूसरी योजना का योग	तीसरी योजना का योग	1961-62	तीसरी योजना का वार्षिक औसत
क. प्राप्ति				
1. निर्यात	3,053	3,700	667	740
2. अदृश्य (शुद्ध) (सरकारी दान को छोड़कर)	520 ¹	0	22	0
3. पूंजी का व्यवहार (शुद्ध) (सरकारी ऋणों और निजी विदेशी विनियोग को छोड़कर)	-172	-450	-133	-110
4. विदेशी सहायता	927 ²	2600	575 ³	520
5. विदेशी विनिमय अरक्षित कोष से निकाली गई राशि 1 से 5 तक का योग ⁴	598	0	0	0
	4826	5750	1 131	1150
ख. अदायगी				
1. 'परियोजनाओं के लिए मशीनों साज-सज्जा का आयात	4826	1900	325	380
2. पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए पुर्जों, मध्यमवर्ती वस्तुएं इत्यादि		200	60	40
3. काम चालू रखने के लिए किए गए आयात		3,650	746	730
1 से 3 तक का योग	4826	5750	1131	1150

(1) इसमें वह राशि भी शामिल है, जो आरम्भ में भारत ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात होने वाले माल के भाड़े में दी, पर बाद में अमरीका ने वह राशि भारत को लौटा दी।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकाली गई शुद्ध राशि भी इसमें शामिल है।

(3) यह अंक आयात के लिए आवश्यक विदेशी सहायता का स्रोतक है।

(4) दोनों में पी० एल० 480 आयात शामिल नहीं है—दूसरी योजना के लिए लगभग 534 करोड़ रु० और तीसरी योजना के लिए 600 करोड़ रु०।

तात्कालिक भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी समस्याओं और 1961-62 और 1962-63 के आयात की आवश्यकताओं के लिए कुल 1089 करोड़ रुपये की सहायता देने का आश्वासन दिया गया है। सोवियत रूस ने पहले के 238 करोड़ रुपये के दो ऋणों को तीसरी योजना की परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करने की स्वीकृति दे दी है। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पोलैण्ड और स्विट्जरलैण्ड जैसे कुछ अन्य मित्र देशों ने कुल मिलाकर 67 करोड़ रु० के ऋण देना स्वीकार किया है। विदेशी सहायता के क्षेत्र में हाल में जो प्रगति हुई है, वह भी काफी उत्साहवर्धक है। सत्सार के अविाकसित भागों के विकास के लिए मिलजुल कर सहायता देने की दिशा में यह एक साहसपूर्ण कदम है। मित्र देशों की इस सद्भावनापूर्ण पेशकश को देखते हुए हमें भी अपने आन्तरिक साधन जुटाने के लिए अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि उपलब्ध सहायता का अर्थ-व्यवस्था के सर्वाधिक हित में उपयोग किया जाए। जहा तक आन्तरिक और विदेशी साधनों का प्रश्न है हमें उत्पादन और बचत में निरन्तर वृद्धि करनी होगी—योजना की सफलता के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है।

उपसंहार

16. सार्वजनिक क्षेत्र में साधनों के अनुमान को, जो इस समय 7500 करोड़ रु० है, इस दिशा में सम्भावनाओं की सीमा नहीं समझना चाहिए। तीसरी योजना में बचत में निरन्तर किस-किस दिशा में वृद्धि की जा सकती है, इस बात का गहन और निरन्तर अध्ययन करना होगा। सारे, गैर-योजना व्यय की कड़ी समीक्षा की जाए, क्योंकि योजना और गैर-योजना मदों पर होने वाले व्यय में बचत से प्राप्त होने वाले कुछ साधन विकास में लगाए जा सकते हैं। दूसरी योजना के अनुभव के आधार पर यह सम्भावना है कि जितना इस समय दिखाई देता है, बाद में उससे कहीं ज्यादा कर शायद लगाए जा सकें। प्राविडेन्ट फण्ड, जीवन बीमा का विस्तार और ऐसी ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से बचतों को उस कार्य के लिए बनाई गई सत्साओं के द्वारा बढा कर साधनों में और वृद्धि की जा सकती है। बचत बढ़ाने के लिए देशव्यापी विशेष कर देहाती क्षेत्रों में आन्दोलन की आवश्यकता है। राज्यों में स्थानीय स्वायत्त सत्साओं को अधिक-से-अधिक उत्तरदायित्व सौंपने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अगर इन सत्साओं द्वारा समाज को स्थानीय विकास कार्यक्रमों में अधिक रुचि लेने और योग देने के लिए प्रेरित किया जा सके, तो विकास के लिए पहले से अधिक साधन जुटाए जा सकते हैं।

17. वित्तीय साधनों की सीमा कभी अपरिवर्तनीय नहीं होती। वह इस पर निर्भर करती है कि हम परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार का और कितना प्रयास करते हैं, उनकी बचत बढ़ाने, वित्तीय और अन्य कार्रवाइयों द्वारा साधनों को उपभोग अथवा गैर-प्राथमिक विनियोगों में चले जाने से रोकने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। विकास की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि वह यथासमय अपना वित्त आप जुटा सकें। पिछले दस वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में काफी मात्रा में विनियोग हुआ है; अब हमें इस बात के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए कि इन परियोजनाओं से पर्याप्त बचत हो, जिसका प्रयोग

उनको और आगे बढ़ाने में हो सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि केन्द्र और राज्यों की सरकारें परियोजनाओं को चुनाव करते समय इस बात को निरन्तर ध्यान में रखें कि ऐसी योजनाएं चुनी जाएं, जिनमें विनियोग का फल जल्दी-से-जल्दी प्राप्त हो। किसी परियोजना को आरम्भ करने में और उसे उत्पादक बनाने में थोड़ी-सी देर हो जाने पर विनियोग के लिए उपलब्ध साधनों पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। आयोजन और कार्यान्वयन में थोड़ा-थोड़ा सुधार ही कुल मिलाकर बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। समस्या के इस पहलू पर अगर ध्यान दिया जाए तो हम उस सीमा से भी अधिक साधन जुटा सकते हैं, जो इस समय बताई गई है।

18. साधनों की समस्या प्रशासनिक और सगठन सम्बन्धी दक्षता की समस्याओं से सम्बद्ध है। तीसरी योजना की सफलता इन दो महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करती है— (क) खाद्य पदार्थों और कच्चे माल का उत्पादन कितना बढ़ाया जाता है, और (ख) निर्यात आय बढ़ाने के लिए किस जोर-शोर से कोशिश की जाती है। इन दोनों दिशाओं में सफलता प्राप्त होने पर वित्त सम्बन्धी वर्तमान कठिनाइयों पर अधिकाधिक मात्रा में काबू पाया जा सकता है।

अध्याय 6

तीसरी योजना में मूल्य-नीति

विकासमान व्यवस्था में मूल्य-नीति के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं - (क) पहला यह कि योजना में जो लक्ष्य और प्राथमिकताएं निश्चित की गयी हैं उसी हिसाब से चीजों के भाव भी रहे, और (ख) दूसरी यह कि कम आमदनी वाले लोगों के व्यवहार की आवश्यक वस्तुओं के भाव अधिक न बढ़ने पाए। पहली और दूसरी योजनाओं में इन्हीं दो बातों पर जोर दिया गया था और भावों में अनुचित घट-बढ़ होने पर उनको रोकने के लिए कार्रवाई की गयी थी। फिर भी पहली योजना की अवधि में भावों में बहुत उतार-चढ़ाव होता रहा और दूसरी योजना की पूरी अवधि में उनका रुख बढ़ाव की ओर रहा है। तीसरी योजना के आरम्भ के समय थोक भाव और रहन-सहन का स्तर काफी बड़ गया है और इसका उपाय करना आवश्यक है कि तीसरी योजना के दौरान में महंगाई या मुद्रा-स्फीति का दबाव और न बढ़ने पावे और समाज की कमजोर श्रेणियों के लोगों के रहन-सहन का स्तर गिरने न पावे।

तीसरी योजना में भावों का रुख

2. तीसरी योजना के 5 वर्ष की अवधि के अन्त तक विकास-कार्यों में नियोजन 11 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। इसका अर्थ यह होगा कि लोगों के हाथ में और रुपया आवेगा। इसलिए मुद्रा-स्फीति रोकने के लिए इसी हिसाब से माल या वस्तुएं भी और उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी योजना में नियोजन की गति बढ़ने से जो मुद्रा-स्फीति पैदा हुई वह कुछ अंश तक विदेशी विनिमय के संचित कोष से रुपया निकालकर सभाली गयी। अब तीसरी योजना में ऐसा नहीं किया जा सकता। यद्यपि पिछले वर्षों में देश में खेती और कल-कारखानों की उत्पादन-शक्ति काफी बढ़ी है और तीसरी योजना में घाटे की वित्त-व्यवस्था से बहुत कम काम लिया जाएगा, फिर भी भावों के बढ़ने की आशंका बनी रहेगी। एक तो वर्षों का 'कुछ अड़ोसा नहीं, दूसरे उपभोग या खपत को रोकने के उपाय पूरी तरह कारगर नहीं हो पाते, इसलिए संभव है कि इस योजना की अवधि में कुछ समय तक माल अधिक रहे, अर्थात् 'चीजों की कुछ कमी रहे'। सोचते, यद्यपि योजना में यह खयाल रखा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास संतुलित ढंग से हो फिर भी यह संभावना रहती है कि किसी क्षेत्र में विकास अधिक हो और किसी में कम। चूंकि यह संभव नहीं है कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से रुपया लगाया जाय या उत्पादन हो। इसलिए उपर्युक्त कारणों से तीसरी योजना में भावों पर, खासकर आवश्यक चीजों के भावों पर कड़ी नजर रखनी होगी और कठिनाई उपस्थित होने पर पहले से उपाय सोचकर तैयार रखने पड़ेंगे।

मूल्य-नीति की संभावनाएं

3. मूल्य-नीति व्यापक आर्थिक नीति का अंग है और किसी विशेष वस्तु के मूल्य के सम्बन्ध में बिना और बातों पर विचार किए नीति नहीं स्थिर की जा सकती। भावों का उतार-चढ़ाव और स्तर केवल सरकार की नीति या निर्णयों पर नहीं निर्भर रहता। उसका संबंध उपभोक्ताओं और रुपया लगाने वालों से भी है, जो अपना हित देखते हैं। योजना इन सबको मिलाकर मूल्य-नीति निर्धारित करने की कोशिश करती है, परन्तु भावों के रख में जल्दी बहुत अधिक परिवर्तन करना संभव नहीं होता। विकास के क्रम में भावों का कुछ ऊपर चढ़ना स्वाभाविक है। विकास-कार्यों में जो रुपया लगाया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता और कुछ चीजों में तो काफी समय के बाद फल मिलता है, अर्थात् उत्पादन शुरू होता है। इसके अलावा नया काम शुरू करने में काफी साधन लगाने पड़ते हैं और कर्मचारियों को काफी पैसा देना होता है। इससे भी मुद्रा-स्फीति होती है।

4. दूसरी तरफ मुद्रा-स्फीति या महंगाई के रख को कम करने वाले भी कुछ तत्व हैं। जैसे, जो साधन अब तक बेकार पड़े हैं उनको उत्पादन में लगाने से उत्पादन बढ़ता है। इसके अलावा खेती आदि कुछ ऐसे धन्धे हैं जिनमें बिना अधिक पूंजी लगाए जल्दी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इन बातों से मुद्रा-स्फीति कम होती है। इसके अलावा पहले जिन कामों में रुपया लगाया जा चुका है जब उनसे उत्पादन होने लगता है और जब देश में शिल्प और प्रबन्ध, दोनों की कुशलता बढ़ती है तो कम खर्च में अधिक उत्पादन होने लगता है।

5. परन्तु ऐसा भी होता है कि मुद्रा-स्फीति का रख अधिक तेज हो और उसको कम करने वाली शक्तिया पूरा काम न कर सकें। पिछड़े हुए देश या पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था को उन्नत करने के लिए वर्षों तक विकास के काम में लगातार रुपया लगाना पड़ता है और अकुशल देहाती मजदूरों को कारीगरी और शिल्प सिखाना पड़ता है। इसमें अनेक कठिनाइया आती हैं। साधन और सामग्री जुटाने में काफी रुपया लगाना पड़ता है और जिन चीजों का जल्दी विकास करना है उनमें रुपया लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए, उनको काफी मुनाफे का आश्वासन देना पड़ता है। इसलिए आवश्यक चीजों की महंगाई रोकने का पूरा प्रयत्न करते हुए भी भावों का कुछ बढ़ना अनिवार्य है। फिर भी मूल्यों के बढ़ जाने से विकास की योजनाओं का खर्च तो बड़ जाता है, परन्तु उनका वास्तविक आकार या तत्व नहीं बढ़ता। महंगाई का एक और बुरा परिणाम यह होता है कि जिन चीजों में रुपया लगना चाहिए उनमें न लग कर और चीजों में लगता है। मूल्य नीति की मुख्य समस्या यह है कि मूल्यों पर नियंत्रण और अकुशल न तो बहुत अधिक होने चाहिए और न बहुत कम। मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए खास-खास स्थानों पर अकुशल रखना पड़ेगा।

मूल्य-नीति के अंग

6. मूल्य-नीति में वित्त और अर्थ-नीति भी आ जाती है। वित्त-नीति का उद्देश्य लोगों के हाथ से फालतू रुपए को खींचना होना चाहिए, जिससे चीजों की माग न बढ़े और कमी न पड़े और रुपया बचाया जाय तथा विकास के कामों में लगाया जाए। इस सबध में सरकारी

कारखानों की मूल्य-नीति के बारे में भी कुछ कहना जरूरी है। इन कारखानों को बचत बढ़ाने में योग देना चाहिए। इसलिए उन्हें इस ढंग से काम करना चाहिए जिससे मुनाफ़ा हो। उनकी बनायी चीजों का दाम भी इतना होना चाहिए कि उनमें जो पूंजी लगी है उसका अच्छा व्याज मिले।

7. अर्थ-नीति भी वित्त-नीति के साथ-साथ चलनी चाहिए। जैसे, वित्त-नीति का उद्देश्य यह है कि सरकार ऐसी कार्रवाई करे जिससे लोगों के हाथ से फालतू रूपया खिंच जाए, वैसे ही अर्थ-नीति का उद्देश्य बैंकों के लेन-देन को नियमित करना है, स्टॉटबाजी को रोकना और सामग्रियों का अत्यधिक संचय न होने देना है।

8. व्यापार-नीति द्वारा भी देश में आवश्यक वस्तुओं की कमी को रोका जा सकता है। पर अभी कई साल तक हमें आयात को घटाना और निर्यात को बढ़ाना है। इसलिए देश में मूल्यों का रख तेजी की ओर ही रहेगा।

9. आर्थिक और वित्तीय नियंत्रणों के बिना अन्य उपायों का पूरा असर नहीं होता। परन्तु केवल इनसे भी मूल्यों का नियंत्रण नहीं होता और कम आमदनी वाले तथा बंधी हुई आमदनी वाले लोगों को दामों के बहने से जो कष्ट होता है उसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष नियंत्रण और परिमाण नियत करना जरूरी होगा। जो चीजें बुनियादी रूप से आवश्यक हैं उनके दामों को स्थिर रखना पड़ेगा। जो कुछ कम आवश्यक हैं या जिन्हें आराम या विलास की चीजें कहा जा सकता है उनके भावों में बढ़ती बर्दाश्त करनी होगी। आराम और विलास की चीजों के सम्बन्ध में नीति तय करते समय इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि हमें विकास के लिए और साधन जुटाने हैं। प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर अलग-अलग विचार करना होगा। सबके लिए एक-सी नीति नहीं निर्धारित की जा सकती।

10. सरकार को इस समय भी अनेक वस्तुओं की मात्रा निर्धारित करने और मूल्यों में नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। जैसे इस्पात, सीमेंट, कपास, चीनी, कौयला, रसायन और पाट आदि। आवश्यक वस्तु कानून और औद्योगिक विकास और नियंत्रण कानून, दोनों के अन्तर्गत इनके दाम और वितरण पर नियंत्रण रखा जाता है। जिन चीजों पर उत्पादन-शुल्क लग सकता है उनके दामों को नियंत्रित करने के लिए भी सरकार समय-समय पर उत्पादन-शुल्क की दरों में परिवर्तन कर सकती है। अभी तो बजट के समय शुल्कों में परिवर्तन किया जाता है। परन्तु सरकार को अब साल के बीच में भी नियत सीमा के अन्दर इन शुल्कों में आवश्यक परिवर्तन करने के बारे में सोचना चाहिए। जिन चीजों पर नियंत्रण किया जाए या किन का दाम घटाया या बढ़ाया जाए, यह समय-समय पर इनके उत्पादन और मांग की स्थिति को देखकर निश्चय करना होगा।

गल्ले का खुला व्यापार

11. हमारे देश में कम आमदनी वाले परिवारों का मुख्य खर्च गल्ले पर होता है। इसलिए अनाज का दाम स्थिर रहना बहुत जरूरी है। पिछले वर्षों के अनुभव से पता चला है कि अनाज के वितरण पर से पूरी तरह कंट्रोल रखना या हटाना, दोनों ही ठीक नहीं हैं।

दो बातों को ध्यान में रखना होगा। एक यह कि अनाज पंदा करने वाले किसान को उचित दाम मिले, अर्थात् किसान को यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी खेती की फसल का दाम एक हद से नीचे नहीं गिरेगा। दूसरी ओर इस न भी प्रबन्ध करना चाहिए कि जन-साधारण को, खासकर अनाज का अत्यधिक दाम नहीं देना पड़े। इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखकर नियंत्रण आदि की कार्रवाई करनी होगी और उच्चतम या न्यूनतम दाम नियत करना होगा। दाम को स्थिर रखने के लिए गल्ले का सुरक्षित भंडार रखना होगा और बराबर बढ़े पैमाने पर खरीद और बिक्री करते रहना पड़ेगा। सरकार के सामने एक बड़ी कठिनाई यह रही है कि उसके पास गल्ला रखने के लिए गोदामों की कमी थी। इसलिए सरकार को अपने अन्तर्गत गल्ले की खतियों या गोदामों की संख्या तेजी से बढ़ानी होगी। लोगों को यह मालूम हो जाना चाहिए कि तीसरी योजना की पूरी अवधि में यदि गल्ले का दाम गिरने लगा तो सरकार खरीद करेगी और दाम बढ़ने लगा तो अपने भंडार से गल्ला बेचना शुरू कर देगी। सरकार द्वारा गल्ले की यह खरीद और बिक्री उचित समय पर, बहुत-से स्थानों पर होनी चाहिए, ताकि जहाँ भाव बढ़ते या गिरते नजर आए वहाँ इसका पूरा असर पड़े। इस काम के लिए सरकार को करीब 50 लाख टन अनाज का स्टॉक रखना चाहिए। सरकार को किसानों से गल्ले की खरीद और बिक्री के लिए सहकारी समितियों और सहकारी एजेंसियों का जाल बिछाना पड़ेगा, गल्ले में धोक व्यापार के लिए लाइसेंस देने होंगे, कुछ चीजों में स्वयं यानी सरकारी व्यापार करना होगा और फुटकर बिक्री का प्रबन्ध भी सहकारी और सरकारी दुकानों के जरिये करना होगा। तभी गल्ले की सरकारी खरीद और बिक्री के द्वारा अनाज के भावों में आने वाली मौसमी और क्षेत्रीय तेजी-मंदी रोकी जा सकेगी तथा भावों को स्थिर रखा जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि मूल्यों के नियंत्रण के लिए सरकार को निजी व्यापारियों के बजाय सरकारी और सहकारी व्यापार की व्यवस्था को बढ़ाना होगा।

12. निष्कर्ष यह है कि विकास के दौरान में दाम बिल्कुल स्थिर नहीं रह सकते। कुछ चीजों का दाम अवश्य बढ़ेगा। इसलिए हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि बुनियादी आवश्यकता की चीजों का दाम एक खास सीमा से ऊपर न चढ़े, बहुत अधिक न घटे। दामों को नियंत्रित करने के लिए अनेक स्थानों पर कार्रवाई करनी पड़ती है। अर्थ और वित्त-नीति में बराबर ऐसा परिवर्तन करना पड़ता है जिससे उपभोग या खपत घटे और बचत बढ़े। प्रत्यक्ष नियंत्रण या कंट्रोल का सहारा कुछ खास चीजों में ही लेना चाहिए और इसके लिए सरकार द्वारा अनाज आदि जिनसे का स्टॉक रखना और खरीद-बिक्री करना आदि अति आवश्यक है। योजना में आवश्यक वस्तुओं की पैदावार बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। मुख्य काम इन लक्ष्यों को पूरा करना है। योजना में यह भी व्यवस्था है कि सरकार गल्ले की खरीद और बिक्री के लिए सहकारी और सरकारी दोनों प्रकार का संगठन स्थापित करे, ताकि भावों की तेजी-मंदी, भुनाफाखोरी और अनुचित सचय को रोका जा सके।

अध्याय 7

विदेशी व्यापार का विकास

आयात और निर्यात की समीक्षा

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और समूची अर्थ-व्यवस्था के विकास के साथ-साथ पिछले वर्षों में आयात भी काफी बढ़ा है। पहली योजना की अवधि में कुल 3620 करोड़ रु० मूल्य की वस्तुओं का आयात हुआ। इस प्रकार औसतन 724 करोड़ प्रतिवर्ष का आयात हुआ। दूसरी योजना में कुल 5360 करोड़ रु० मूल्य के माल के आयात का अनुमान है और वार्षिक औसत 1072 करोड़ रु० का है, जो पहली योजना के औसत से 50 प्रतिशत अधिक है। दूसरी योजना में अधिक आयात मशीनों, कच्चे माल, पुर्जों आदि की आवश्यकता के कारण हुआ।

2. पूजा लगाने के बृहत्तर कार्यक्रम और मूल तथा भारी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देते रहने के कारण, दूसरी योजना के मुकाबले तीसरी योजना में और भी अधिक आयात की आवश्यकता है। तीसरी योजना में परियोजनाओं के लिए आयात की जाने वाली मशीनों और सामान की कीमत 1900 करोड़ रु० होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त देश में मशीनों और साज-सामान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जरूरी पुर्जों आदि के आयात के लिए भी कम से कम 200 करोड़ रु० चाहिए। आयात से आई हुई वस्तु के बलावा अन्य वस्तु से काम चलाने की सम्भावनाओं के लिए गुंजायश रखने के बाद, अर्थ-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कच्चे माल, माध्यमिक वस्तुओं, प्रतिस्थापन के लिए मशीनों, उपभोक्ताओं के इस्तेमाल की आवश्यक वस्तुओं आदि के लिए भी कम से कम 3650 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। तीसरी योजना में इस प्रकार कुल आयात 5750 करोड़ रु० मूल्य का होने का अनुमान है। इसमें पी० एल० 480 करोड़ के अन्तर्गत किया जाने वाला 600 करोड़ रु० मूल्य का आयात शामिल नहीं है।

3. पिछले दस वर्षों में भारत का निर्यात कुल मिलाकर निम्नवाह रहा है। पहली योजना की अवधि में प्रतिवर्ष औसतन 609 करोड़ रु० मूल्य का और दूसरी योजना की अवधि में 614 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात हुआ। परिमाण की दृष्टि से दूसरी योजना में निर्यात 9 प्रतिशत अधिक रहा, परन्तु वस्तुओं के मूल्य गिरने से आय नहीं बढ़ी। यहाँ यहाँ भी कह देना चाहिए कि इन दस वर्षों में जहाँ सस्तर का निर्यात-व्यापार दुगुना हुआ, वहाँ भारत का निर्यात-व्यापार 1950 में विश्व-व्यापार के 2.1 प्रतिशत से घटकर 1960 में 1.1 प्रतिशत रह गया।

4. जहाँ तक पिछले दस वर्षों में निर्यात-व्यापार के ढाँचे का सम्बन्ध है, कृषिजन्य वस्तुओं का निर्यात नहीं बढ़ा, परन्तु नए तैयार माल और खनिज लोहे जैसी वस्तुओं के

निर्यात में काफी वृद्धि हुई। परन्तु जिन वस्तुओं का परम्परागत निर्यात होता आया है, उनके निर्यात में हुई कमी इस वृद्धि से पूरी नहीं हुई।

5. पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर दूसरी योजना के मध्य से, निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं—संगठन की दृष्टि से विभिन्न वस्तुओं के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषदें स्थापित की गयीं, निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना हुई है, और प्रचार, व्यापारिक मेलों और प्रदर्शनियों के लिए सुविधाएं बढ़ायी गयी हैं। दूसरी ओर, निर्यात पर नियंत्रण और कोटा प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं, अधिकतर निर्यात-शुल्क खत्म कर दिए गए हैं, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क की वापसी होती है, निर्यात किये जाने वाले माल के लिए आवश्यक कच्चे माल के आयात के लिए विशेष लाइसेंस दिए जाते हैं और परिवहन की सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाती है। तीसरी बात यह है कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से भारत के विदेश व्यापार को विविधता प्रदान की गयी है और सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशों से व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाए गए हैं।

तीसरी योजना के निर्यात सम्बन्धी लक्ष्य

6. निर्यात को काफी बढ़ाने के लिए विभिन्न दिशाओं में, विशेषकर निम्नलिखित दिशाओं में, प्रगति करनी होगी—

- (क) देश में होने वाली खपत को उचित सीमा में रखना होगा, जिससे निर्यात के लिए माल बचे ;
- (ख) ऐसे कदम उठाना जरूरी होगा, जिनसे देश में खपत के मुकाबले माल को बाहर भेजना अधिक लाभप्रद बन जाए ;
- (ग) निर्यात किया जानेवाला माल तैयार करने वाले उद्योगों को शीघ्र से शीघ्र अपनी उत्पादकता बढ़ानी और लागत घटानी होगी, जिससे वे दूसरी से होड़ कर सकें। उद्योगों के लिए लाइसेंस देने की नीति भी इस प्रकार संशोधित करनी होगी कि उससे निर्यात को प्रोत्साहन मिले; और
- (घ) जनमत को निर्यात के पक्ष में करना होगा, उद्योग और व्यवसाय को पूरे प्रयत्न के लिये तैयार करना होगा, मंडियों सम्बन्धी जानकारी और अनुसंधान के लिए सरकारी संगठनों और विदेशों में व्यापारिक प्रतिनिधियों के काम को सुधारना होगा और ऋण, बीमा आदि सुविधाओं को बढ़ाना होगा।

7. निर्यात के विषय का जो अध्ययन किया गया है और निर्यात बढ़ाने के प्रयत्नों तथा विदेशों में मांग के लिए बड़े पैमाने पर जिस प्रकार प्रयास किए जाने का अनुमान है, उसके आधार पर यह आशा है कि तीसरी योजना की अवधि में 3700 करोड़ २० मूल्य का निर्यात होगा। वास्तव में इससे भी अधिक निर्यात का प्रयत्न किया जाना चाहिए। भुगतान के उत्तरदायित्व और अर्थ-व्यवस्था के सधारण तथा उसके विकास में सहायक आयात की आवश्यकता को ध्यान में रख, यह अनुमान है कि चौथी योजना के अन्त तक निर्यात प्रतिवर्ष 1300 करोड़ २० से 1400 करोड़ २० तक, अर्थात् वर्तमान स्तर से दुगुना बढ़ाना होगा। पाँचवी योजना तक भारत की अर्थ-व्यवस्था को आत्मनिर्भर और आत्मवाहक बनाने के लिए यह स्वयं एक आवश्यक शर्त है।

निर्यात बढ़ाने के लिए कदम

8. निर्यात में पर्याप्त वृद्धि के प्रस्ताव मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं—सामान्य नीति और निर्धारित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदम। सामान्य नीति का मुख्य उद्देश्य देश को निर्यात-प्रयत्न बढ़ाने के लिए तैयार करना, घरेलू खपत को सीमित कर निर्यात के लिए माल बचाना और उत्पादन की लागत घटाना है। निर्यात बढ़ाने के लिए जो कार्रवाई की जाएगी, उसकी एक हद के बाद देश की अर्थ-व्यवस्था पर निश्चय ही प्रतिक्रिया होगी।

9. निर्यात-कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि योजना के कृषि और उद्योग सम्बन्धी लक्ष्यों को पूरा किया जाए।

10. यदि ये लक्ष्य पूरे न हुए, तो जो कदम अग्न्या उठाए जा सकते हैं, वे उठाने कठिन होंगे। निर्यात बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि घरेलू खपत में वृद्धि पर अंकुश लगाया जाय। यह अंकुश इसलिए जरूरी है कि निर्यात के लिए जो माल कम माना में उपलब्ध है, वह बड़े और पूजी लगते समय उन उद्योगों को प्राथमिकता मिले, जो निर्यात के लिए माल तैयार करते हैं। खपत पर अंकुश से जो अतिरिक्त निर्यात होगा, उसके कारण अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति अनुपात से अधिक बढ़ेगी। सिद्धान्त की दृष्टि से जरूरत इस बात की नहीं है कि कुल अथवा प्रतिव्यक्ति खपत में बिल्कुल कमी कर दी जाए, बल्कि जरूरत इस बात की है कि खपत की रफ्तार को धीमा किया जाए। ये और अन्य कदम उठाने समय यह आवश्यक होगा कि लोग निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता को समझें और इस बात को स्वीकार करें कि जब सभी लोग समान रूप से कुछ न कुछ त्याग नहीं करें, तब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती।

11. निर्यात के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि निर्यात के लिए माल उपलब्ध हो, बल्कि यह भी आवश्यक है कि निर्यात-योग्य माल ऐसे दामों पर उपलब्ध हो जो विदेशी भंडियों में दूसरे देशों के माल से होड़ कर सके। इस दृष्टि से यह बहुत जरूरी है कि मुद्रास्फीति के दवावों को बश में रखा जाए।

12. निर्यात बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक है कि अधिकतर भारतीय उद्योग वर्तमान से कम लागत पर माल तैयार करने योग्य बनें। कुछ उद्योगों में माल की लागत कम करने के तरीकों पर विचार के लिए अध्ययन-दल नियुक्त किए गए हैं। विभिन्न उद्योगों में उत्पादन की लागत की समीक्षा करने का प्रस्ताव है, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि एक-एक उद्योग में ध्वस्त स्थिति रूप से लागत घटाने का कार्यक्रम कैसे चलाया जाए। यह अनुसृत किया गया है कि निर्यात-व्यापार की उन्नति के लिए जो उद्योग महत्वपूर्ण हैं, उनकी स्थापना के साइंस देने की नीति निर्धारित करते समय किस प्रकार कम से कम लागत में उत्पादन हो सकता है इसे ध्यान में रखा जाए। विभिन्न उद्योगों को कहां-कहां स्थापित किया जाए, यह निश्चय करते समय भी इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

13. देश में तेजी से मांग बढ़ने का यह असर भी होता है कि विदेशों में माल बेचने के मुकाबले घरेलू बाजार में माल बेचना अधिक लाभप्रद बन जाता है। इस रक को ठीक करने के लिए घोड़े से समय तक सीमित वित्तीय कदम उठाना आवश्यक हो सकता है।

14. विदेशी मुद्रा देते समय उन उद्योगों को निश्चय ही प्राथमिकता देनी होगी, जो निर्यात के लिए माल तैयार करते हैं या जिनका काफी माल निर्यात के लिए बचता है। कुछ मामलों में यह भी आवश्यक हो सकता है कि निर्यात के लिए माल बचाने के उद्देश्य से यह निर्धारित कर दिया जाए कि कोई कारखाना अपने माल का कितना अंश देश में बेच सकता है। सरकारी क्षेत्र के कारखानों को अपने माल का एक भाग निर्यात के लिए निर्धारित कर, निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न में अग्रणी बनना चाहिए।

15. विदेशी मंडियों के अध्ययन और उनके सम्बन्ध में ताजी से ताजी जानकारी रखने के काम में निर्यात-प्रोत्साहन-परिपदो को अग्रणी रहना चाहिए। विदेशों में भारत के व्यापारिक प्रतिनिधियों के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि वे विदेशी मंडियों सम्बन्धी जानकारी उद्योगों को दें। निर्यात बढ़ाने में राज्य व्यापार संगठन महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। सहकारी संगठनों की मार्फत निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए। गैर-सरकारी निर्यात संगठनों के प्रयत्नों को भी बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

16. निर्यात की विविधता बढ़ाने और नई मंडियां ढूँढने का कार्य विदेश-व्यापार के विस्तार और अन्य देशों से व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने के व्यापक प्रयत्न का अंग माना जाना चाहिए। अगले वर्षों में दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया पश्चिम एशिया और अफ्रीका की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए मशीनों, पुर्जों और कच्चे माल की आवश्यकता होगी और इन देशों से आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाना, दोनों पक्षों के हित में होगा। यूरोपीय संघा बाजार के देशों को निर्यात बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन देशों से भारत का आयात अधिक है और निर्यात कम है। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप से भारत के व्यापारिक सौदे इस आधार पर होते हैं कि उनसे जितने माल का आयात किया जाता है, उतने ही मूल्य का माल उन्हें निर्यात किया जाता है। अगले कुछ वर्षों में इन देशों को निर्यात बढ़ाने की बात सोची जा सकती है। उत्तर अमरीका, विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका से भारत के आयात का एक चौथाई भाग आता है। उनकी विकासशील अर्थ-व्यवस्था और जीवनयापन के उच्च स्तर के कारण इस बात की बहुत गुंजायश है कि उनके साथ व्यापार बढ़ाया जाए और विशेष रूप से निर्यात अधिक किया जाए।

अध्याय 8

सब क्षेत्रों का संतुलित विकास

योजनाबद्ध विकास का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के सभी भागों का संतुलित ढंग से विकास हो, जो भाग कम विकसित हैं उनकी आर्थिक उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाय और देश भर में व्यापक रूप से उद्योग स्थापित किये जाएं। इस प्रकार के संतुलित विकास में कुछ कठिनाइया आती हैं, खासकर शुरु में। जब साधन कम होते हैं तो उनको उन चीजों में लगाने में फायदा होता है जिससे ज्यादा लाभ हो। ज्यों-ज्यों विकास होता जाता है, त्यो-त्यो अधिक चीजों में धन और साधन लगाये जाते हैं और इन्से लाभ भी बढ़ता जाता है। विकास के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्रीय आय में अधिक से अधिक वृद्धि की जाय ताकि विकास के लिए अधिक साधन मिलें। यह लगातार चलने वाली क्रिया है और एक कदम से अगला कदम बढ़ा हुआ है। अर्थात् विकास का एक क्रम पूरा होने पर उसी के आधार पर दूसरा क्रम शुरू किया जाता है। जहां तक उद्योग का सम्बन्ध है, कुछ खास उद्योगों का और कुछ खास क्षेत्रों का विशेष विकास अनिवार्य हो जाता है। पर इसके साथ ही खेती, छोटे उद्योग-धंधे, विजली, यातायात और शिक्षा, चिकित्सा आदि सामाजिक सेवाओं में सभी ओर व्यापक प्रगति होनी चाहिए। उद्योगों के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में भी रूपया लगाने से विकास के क्रम में सहायता मिलती है। प्राकृतिक साधनों से भरापूरा बड़ा देश क्रमबद्ध विकास की दीर्घकालीन योजना बनाकर अपना निरन्तर और तीव्र विकास कर सकता है और साथ ही अपने पिछड़े हुए भागों की भी उन्नति करके उन्हें अन्य भागों के बराबर ला सकता है।

2. राष्ट्रीय आय में वृद्धि और देश के विभिन्न भागों का संतुलित विकास ये दोनों बातें एक-दूसरे से बंधी हैं और धीरे-धीरे प्रत्येक भाग का विकास इस ढंग से किया जा सकता है कि वहां के प्राकृतिक साधनों और निवासियों की प्रतिभा और धन का पूरा-पूरा उपयोग हो सके। किस भाग का विकास किस ढंग से होना चाहिए और उसमें क्या कठिनाइयां आ सकती हैं इसका बहुत ध्यान से अध्ययन करना चाहिए और फिर तेजी से विकास करने के लिए उपाय निकालने चाहिए। उद्योगों को बढ़ाने से, खासकर भारी और बुनियादी उद्योगों से, व्यापक और तेज विकास को सहायता मिलती है। पर देश का प्रत्येक भाग भारी उद्योगों की स्थापना के लिए उपयुक्त नहीं होता। भारी उद्योगों की स्थापना से ही लोगों की स्थिति में सुधार होगा, यह बात भी हमेशा आवश्यक नहीं। ऐसे अनेक देश हैं या एक देश के अन्दर ही अनेक भाग हैं जहां उद्योगों का बहुत अधिक विकास न होने पर भी वहां के प्राकृतिक साधनों और जन-शक्ति का अधिक अच्छा उपयोग करने से लोगों की स्थिति में

सुधार हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र को यह देखना चाहिए कि वहाँ किस प्रकार का उद्योग स्थापित हो सकता है और अच्छी तरह चल सकता है और उसे इसी प्रकार के उद्योगों को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।

3. ऊपर जो बातें कही गयी हैं उन्हीं के अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनेक प्रकार की नीतियाँ और कार्यक्रम बनाये गये थे। इनमें मुख्य-मुख्य ये हैं :—

- (1) खेती, सामुदायिक विकास, सिंचाई, खासकर सिंचाई के छोटे काम और स्थानीय विकास के ऐसे कामों को प्राथमिकता दी गयी थी जो जल्दी से जल्दी सारे देश में फैलाये जा सकें।
- (2) जिन क्षेत्रों में उद्योग कम थे और बेकारी अधिक थी वहाँ जल्दी-जल्दी बिजली, पानी, यातायात और संचार तथा काम-धंधे की शिक्षा का प्रबन्ध।
- (3) ग्रामीण और छोटे धंधों का विस्तार।
- (4) सरकारी और निजी उद्योगों का स्थान नियत करने में देश के सभी भागों के संतुलित विकास को ध्यान में रखना और जहाँ उद्योगों की स्थापना के स्थान का निर्दय कच्चे माल की उपलब्धि या अन्य प्राकृतिक कारणों के कारण न करना हो वहाँ इस पहलू का विशेष रूप से ध्यान रखना।

दूसरी योजना में विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम चलाये गये जिनसे जनता की प्रत्यक्ष भलाई हो, कुछ क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम चलाये गये और अधिक से अधिक स्थानों पर कल-कारखाने कायम किए गए।

4. तीसरी योजना में देश के विभिन्न भागों के विकास के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश है। कुछ मुख्य कार्यक्रम राज्य सरकारों को सौंपे गये हैं। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ खेती की पैदावार बढ़ाने, लोगों की आमदनी में अधिक वृद्धि करने और उन्हें काम देने, सामाजिक सेवाओं का विस्तार और पिछड़े इलाकों की उन्नति करने का अधिक से अधिक प्रयत्न कर सके। तीसरी योजना में राज्यों की योजनाएं बनाने और उनके लिए रुपया नियत करने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि विभिन्न राज्यों के विकास में जो अन्तर है वह कम हो।

5. राज्यों की योजनाओं के अलावा पिछड़े हुए इलाकों के विकास में तीसरी योजना में किये जाने वाले अन्य कामों से भी मदद मिलेगी। जैसे खेती का भरपूर विकास, सिंचाई, का विस्तार, ग्रामीण और घरेलू उद्योगों की उन्नति, बिजली, सड़क और यातायात का विस्तार, 6 से 11 तक की उम्र के सब बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध, माध्यमिक, शिल्पिक और व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार, अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों की भलाई के काम और जन-साधारण की रहन-सहन की स्थिति में सुधार तथा पानी आदि का प्रबन्ध; ये सब ऐसे काम हैं जिनसे देश भर में तीव्र आर्थिक विकास का रास्ता खुल जाएगा। गांवों में निर्माण के जो कार्यक्रम शुरू किये जाएंगे उनसे सभी जगह लोगों को काम मिलेगा और उन इलाकों को खास लाभ होगा जहाँ जनसंख्या बहुत घनी है। देश के कुछ भागों में चाय, कच्चा और रबड़ के बागों का काफी विस्तार किया जाएगा। जिन स्थानों में बड़ी उद्योग योजनाएं शुरू की गयी हैं और जहाँ बांध आदि बने हैं वे विकास के मुख्य केन्द्र बन जाएंगे।

6. बुनियादी उद्योगों के स्थान का चुनाव शिल्पिक और आर्थिक कारणों से किया जाता है। पर जिन उद्योगों का माल बाहर निर्यात किया जा सकता है उनके लिए ऐसा स्थान चुनना होगा जहाँ खर्च कम पड़े ताकि दूसरे देशों में हमारा माल सस्ता बिक सके। इसके साथ ही उन इलाकों में भी सरकारी और निजी कारखाने कायम करने होंगे जहाँ उद्योग विकास के साधन मौजूद हों। साधारणतः इस बात का खयाल रखना पड़ेगा कि अन्य उद्योग-वधे उन्हीं स्थानों पर न खुले जहाँ पहले से बहुत-से कल-कारखाने स्थापित हैं। परन्तु इन जगहों में नये कारखानों का खुलना बिल्कुल नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ऐसी जगहों पर उत्पादन की लागत कम आती है। सरकारी कारखानों के लिए अब तक जो स्थान चुने गये हैं वे एक ही क्षेत्र में नहीं हैं बल्कि देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। निजी कारखानों की स्थापना का लाइसेंस देते समय भी कम विकसित इलाकों का खयाल रखा जाता है और उद्योगपतियों को इन इलाकों में कारखाने स्थापित करने के उपयुक्त स्थान के सम्बन्ध में सुझाव दिया जाता है। निजी क्षेत्र के अनेक उद्योगों की प्रगति पर बराबर ध्यान रखा जाता है और नये उद्योगों को क्षेत्रवार खुलवाने की कोशिश की जाती है। तीसरी योजना में पिछड़े इलाकों में उद्योग-विकास-क्षेत्र स्थापित करने का भी एक प्रस्ताव है।

7. बड़े उद्योगों की स्थापना से उस क्षेत्र के लोगों को पूरा लाभ तभी होता है जब उसके साथ उसके पूरक रूप में और काम-वधे भी स्थापित किए जाएं। इसलिए योजना बनाते समय प्रत्येक बड़े उद्योग-कार्य का प्रोजेक्ट को उस क्षेत्र के समग्र विकास का केन्द्र मान कर चलना चाहिए।

8. क्षेत्रों में विकास की गुंजाइश पर विचार करते समय विज्ञान और शिल्प में नयी प्रगति पर भी ध्यान रखना चाहिए। बिजली का इन्तजाम होने से और रातों में बिजली लगने से विकास की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। तीसरी योजना में देश के अनेक कम विकसित इलाकों में बिजली का इन्तजाम हो जाएगा।

जिन कम विकसित क्षेत्रों में नये कारखाने स्थापित किये जाएं वहाँ शिल्पिक, व्यावहारिक और माध्यमिक शिक्षालय भी खुलने चाहिए। जिन इलाकों में घनी आबादी है वहाँ शिल्प-शिक्षा का विस्तार करने से लोगों को काम सीख कर दूसरी जगह जाने का मौका मिलेगा और उस क्षेत्र की भी उन्नति होगी।

तीसरी योजना में यह व्यवस्था है विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति और आर्थिक प्रवृत्तियों का लगातार अध्ययन किया जाए, कम विकसित क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जाए, उनके साधनों का पता लगाया जाए और उनके विकास के बारे में अध्ययन किया जाए। प्रत्येक राज्य में कुछ इलाके ऐसे हों, जो दूसरों से पीछे हों। यह भी निश्चय हुआ है कि राज्यों के अर्थ विभागों के सहयोग से केन्द्रीय-अक-संगठन विभिन्न राज्यों के वार्षिक आय का तुलनात्मक व्योरा तैयार करें।

पूरे देश का विकास और विभिन्न क्षेत्रों का विकास वास्तव में एक ही क्रिया के दो भाग हैं। पूरे देश की आर्थिक उन्नति विभिन्न क्षेत्रों की उन्नति पर निर्भर है और हर क्षेत्र के साधनों का जितना विकास होगा उतना ही तीव्र सारे देश का विकास होगा। किसी एक

क्षेत्र के विकास पर ही बहुत अधिक ध्यान देना ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे देश की उन्नति से ही विभिन्न क्षेत्रों का पूरा विकास हो सकता है। क्षेत्रों के सतुलित विकास के लिए दीर्घकाल तक क्रमवद्ध प्रयत्न करना होगा। उद्देश्य यह होना चाहिए कि उचित अवधि के भीतर देश के सब क्षेत्रों की भरपूर आर्थिक उन्नति हो और कोई भी क्षेत्र पिछड़ा न रहे। इसलिए सभी क्षेत्रों की प्रगति पर ध्यान रखना होगा और जो क्षेत्र पिछड़ते नजर आएँ वहाँ विकास का विशेष प्रयत्न करना होगा।

अध्याय 9

रोजगार और जनशक्ति

भारत के आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य लोगों को रोजगार दिलाना रहा है। विकास की काफी लम्बी अवधि के बाद ही जनशक्ति के उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग किया जा सकता है। फिर भी, तीसरी योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह रखा गया है कि योजना की अवधि में श्रमिक वर्ग में जितनी वृद्धि हो उतनी ही वृद्धि रोजगार के अवसरों में भी होनी चाहिए।

2. सख्या की दृष्टि से, रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करना उन अत्यन्त कठिन कार्यों में से एक है, जिन्हें अगले पांच वर्षों में करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी, ये दोनों ही साथ-साथ दिखाई पड़ती हैं और उनके बीच कोई स्पष्ट अन्तर प्रतीत नहीं होता। ग्रामों में साधारणतया बेरोजगारी का स्वरूप अर्द्ध-बेरोजगारी है। यह अर्द्ध-बेरोजगारी मन्दी के मौसमों में और अधिक उल्लेखनीय हो जाती है। शहरी क्षेत्रों में व्यापार, यातायात और उद्योग की स्थिति में जो उतार-चढ़ाव होता है, उसी के अनुसार रोजगार में भी उतार-चढ़ाव आता है। इस प्रकार परिस्थितियों में जो अन्तर होता है, उसका रोजगार के आँकड़ों में होने वाली वृद्धि या कमी से पता चलता है। सामान्यतः गावों में अर्द्ध-बेरोजगारी की जो परेशानी है, वही कस्बों में भी कुछ मात्रा में है।

3. रोजगार के बारे में इस समय प्राप्त सामग्री अधूरी है। फिर भी जो सीमित जानकारी उपलब्ध है, उसके आधार पर यह अनुमान किया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जिन लोगों को रोजगार नहीं दिलाया जा सका, उनकी संख्या लगभग 90 लाख है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 53 लाख लोगों के बेरोजगार रह जाने का अन्दाजा था, किन्तु इसकी तुलना में बेरोजगार रहने वाले लोगों में जो वृद्धि हुई उसका यह अर्थ है कि यद्यपि रोजगार की समस्या पर आयोजन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा, किन्तु फिर भी श्रमिक वर्ग में नए शामिल होने वाले लोगों की संख्या में जो निरन्तर वृद्धि हुई, उस हिसाब से लोगों को रोजगार नहीं दिलाया जा सका। पूर्ण बेरोजगारी के अतिरिक्त, जिन लोगों के पास कुछ काम है, किन्तु जो अतिरिक्त कार्य भी करना चाहते हैं, उनकी दृष्टि से अर्द्ध-रोजगार वाले लोगों की संख्या लगभग 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ 80 लाख तक है। 1961 की जनगणना से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में श्रमिक वर्ग में लगभग 1 करोड़ 70 लाख लोगों की वृद्धि होगी, इस वृद्धि की एक तिहाई शहरी क्षेत्रों में होगी। इसके विपरीत यह अनुमान है कि तीसरी योजना में 1 करोड़ 40 लाख लोगों को—1 करोड़ 5 लाख लोगों को कृषि-भिन्न कार्यों में और 35 लाख लोगों को कृषि में अतिरिक्त रोजगार दिलाया जाएगा। नीचे की तालिका में कृषि-भिन्न-कार्यों में रोजगार का विवरण दिया गया है :

अतिरिक्त कृषि-भिन्न रोजगार

(लाखों में)

क्षेत्र	तीसरी योजना में अतिरिक्त रोजगार
1. निर्माण ¹	23.00
2. सिंचाई और बिजली	1.00
3. रेल	1.40
4. अन्य यातायात और संचार	8.80
5. उद्योग और खनिज	7.50
6. छोटे उद्योग	9.00
7. वन, मछलीपालन और सम्बद्ध सेवाएं	7.20
8. शिक्षा	5.90
9. स्वास्थ्य	1.40
10. अन्य सामाजिक सेवाएं	0.80
11. सरकारी सेवा	1.50
योग	67.50
12. 'अन्य' जिनमें उद्योग और व्यापार सम्मिलित हैं, 1 से 11 तक की मदों के कुल योग का 56 प्रतिशत	37.80
	कुल योग 105.30

इस प्रकार श्रमिक वर्ग में नए शामिल होने वाले लोगों को काम दिलाने के लिए 30 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार होना चाहिए।

4. रोजगार की समस्या को तीन मुख्य रूपों में सुलझाने का विचार है। पहला, योजना के ढांचे के अंतर्गत ऐसे प्रयत्न करने होंगे जिनसे पहले की अपेक्षा रोजगार के प्रभावों का

(1) चूंकि निर्माण कार्य से बहुत बड़ी सख्या में रोजगार मिलता है, इसलिए विभिन्न विकास क्षेत्रों में रोजगार का निम्न रूप से दिया गया विवरण उपयोगी होगा :

(लाखों में)

क. कृषि और सामुदायिक विकास	6.10
ख. सिंचाई और बिजली	4.90
ग. उद्योग और खनिज, जिसमें कुटीर और लघु उद्योग भी सम्मिलित हैं	4.60
घ. यातायात और संचार, (रेल सहित)	3.40
ङ. सामाजिक सेवाएं	3.50
च. विविध	0.50

कुल योग 23.00

फंलाव अधिक व्यापक और सतुलित रूप से हो। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगीकरण का एक काफी बड़ा कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए, जिसमें इन बातों पर विशेष जोर दिया जाए :— ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाना, ग्रामीण औद्योगिक सम्पदाओं का विकास, ग्रामीण उद्योगों की उन्नति, और जनसक्ति को प्रभावशाली रूप में फिर से काम में लगाना। तीसरा, लघु उद्योगों द्वारा रोजगार बढ़ाने के अन्य उपायों के अतिरिक्त ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों को संगठित करने का विचार है, जिनसे लगभग 25 लाख और सम्भवतः इससे भी अधिक लोगों को साल में औसतन 100 दिन तक काम मिलेगा।

5. समूचे देश अथवा बड़े-बड़े प्रदेशों जैसे राज्यों की दृष्टि से बेरोजगारी की समस्या का विश्लेषण करना पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक जिले के विकास कार्यक्रम हैं जिनका सम्बन्ध कृषि, सिंचाई, बिजली, ग्राम और लघु उद्योग, संचार और सामाजिक सेवाओं से है और जिनका उद्देश्य अपने क्षेत्र में आर्थिक त्रियाकलाप के स्तर को ऊंचा उठाना है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य में बेरोजगारी की समस्या को हर स्तर पर—जिला, ग्राम और खण्ड स्तर पर अधिक से अधिक रूप में सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। स्थानीय रोजगार के इस प्रकार के विश्लेषण से अधिकारियों को इस बात में सहायता मिलेगी कि वे विशिष्ट वर्ग के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए साधन जुटा सकें और स्थानीय परिस्थितियों एवं साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र में इस समस्या को जैसी परिस्थिति हो, उसके अनुसार सुलझा सकें।

6. बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और अर्ध-बेरोजगारी, और तीसरी योजना की अवधि में श्रमिक वर्ग में नए शामिल होने वाले लोगों की विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि निर्माण क्षेत्र में हाथ से काम करने वाले लोगों को और कितना अधिक रोजगार दिया जा सकता है, इस बात की फिर से जांच की जाए। श्रम-उद्दीपक उपाय बरते जाने चाहिए, किन्तु जहां इनकी आवश्यकता न हो वहां इन्हें नहीं बरतना चाहिए। यदि पूर्वयोजन और आवश्यक संगठन किया जाय तो हाल ही के वर्षों की अपेक्षा जनसक्ति का और बड़ी हद तक उपयोग करना सम्भव है।

7. यद्यपि हाल के वर्षों में ग्राम और लघु उद्योगों की उन्नति के लिए बहुत-कुछ किया गया है, फिर भी इस क्षेत्र में और अधिक बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिलाने की संभावनाएं निकालनी हैं। यह कार्य तभी हो सकता है जबकि मौजूदा उद्योगों को कच्चे माल की यथेष्ट पूर्ति, प्रोसेसिंग तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। इन सुविधाओं में ऋण तथा हाट-व्यवस्था भी सम्मिलित हैं। इस बात के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए कि छोटे-एकको (चाहे वे कारीगरों की सहकारी समितियों द्वारा अथवा वैयक्तिक उपक्रमियों द्वारा चलाए जा रहे हों) को अपना अधिकतम उत्पादन-सामर्थ्य प्राप्त करने में सहायता की जाए। ग्रामीण औद्योगीकरण और गावों में बिजली लगाना, ये दोनों सम्बद्ध कार्यक्रम हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर रोजगार के अक्सर बढ़ाने के लिए इनका सबसे अधिक महत्व है। प्रत्येक क्षेत्र में और छोटे-छोटे कस्बों और गावों में औद्योगिक विकास के केन्द्र स्थापित करना आवश्यक है और ये सुधरे हुए यातायात एवं अन्य सुविधाओं के द्वारा एक-दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। प्रत्येक जिले में अग्रिम आयोजन के द्वारा दृष्टि

सम्बन्धी और औद्योगिक विकास का कार्यक्रम विजली की पूर्ति के साथ समन्वित होना चाहिए।

8. अर्द्ध-रोजगारी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए यह आवश्यक है कि न केवल सभी लोग कृषि कार्य में विज्ञान का प्रयोग करे, बल्कि ग्रामीण आर्थिक ढांचे को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत करना और उसे सुदृढ़ बनाना भी आवश्यक है। ग्राम और लघु उद्योगों तथा प्रोसेसिंग उद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों को और अधिक बढ़ाना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करने होंगे। इस प्रकार जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है, वहां समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक निर्माण कार्यक्रमों की आवश्यकता है खास तौर पर उन क्षेत्रों में ऐसा होना चाहिए जहां अधिकांश लोग भूमि पर निर्भर हैं, और जहां काफी बेरोजगारी और अर्द्ध-रोजगारी है। इस कार्यक्रम में खण्ड और ग्राम स्तर पर मुख्यतः स्थानीय निर्माण-कार्य किए जाएंगे। विशेषतः कृषि के मन्दे मौसम में कार्यान्वित करने के लिए निर्माण कार्यक्रम बनाए जाएंगे। गांवों में जो निर्माण कार्य होंगे, उन सभी में ग्राम की दरों पर मजदूरियां दी जाएंगी। ऊपर जो बातें बताई गई हैं, मोटे तौर पर उनका अनुसरण करते हुए हाल ही में 34 प्रारम्भिक परियोजनाएं चालू की गई हैं। इनमें सिंचाई, वन लगाना, भूमि संरक्षण, नालिया बनाना, भूमि का पुनरुद्धार, संचार साधनों में सुधार आदि की पूरक योजनाएं सम्मिलित हैं। प्रारम्भिक परियोजनाओं के आधार पर अन्य क्षेत्रों में एक बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को विस्तृत करने का विचार है। अस्थायी तौर पर यह अनुमान है कि निर्माण कार्यक्रमों द्वारा पहले वर्ष में 1 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना चाहिए, दूसरे वर्ष में 4 लाख से 5 लाख तक व्यक्तियों को और तीसरे वर्ष में लगभग 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना चाहिए और इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते योजना के अन्तिम वर्ष में लगभग 25 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल जाना चाहिए। योजना की अवधि में इस समूचे कार्यक्रम पर कुल व्यय 150 करोड़ रुपया हो सकता है। कार्यक्रम के आगे बढ़ने के साथ-साथ इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि मजदूरी की अदायगी आंशिक रूप में खाद्यान्नों के रूप में हो। निर्माण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए मुख्यतः राज्यों में और जहां तक जरूरी हो वहां तक केन्द्र में पर्याप्त संगठन स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

9. शीघ्रता से औद्योगीकरण किए जाने के परिणामस्वरूप पढ़े-लिखे लोगों के लिए रोजगार के अवसर और अधिक बढ़ जाएंगे। इसलिए उद्योगों के लिए जिस प्रकार के कर्म-चारियों की आवश्यकता होगी, उसको पूरा करने के लिए शिक्षा-पद्धति में भी परिवर्तन करने होंगे। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के विस्तार के कारण इस बात की ओर अधिक ध्यान देना होगा कि पढ़े-लिखे लोग लाभदायक रोजगार में लगाए जाएं। अनुमान है कि इस समय लगभग 10 लाख पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं। तीसरी योजना की अवधि में हाई स्कूल तथा इससे ऊपर की शिक्षा-प्राप्त लोगों की संख्या लगभग 30 लाख हो जाने का अनुमान है, जिन्हे रोजगार दिलाना होगा। कृषि, उद्योग और यातायात की उन्नति होने से कुशल और व्यावसायिक अथवा प्राविधिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की अधिक मांग होगी और उनके लिए रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। हाल के वर्षों में हाथ के काम के प्रति पढ़े-लिखे लोगों के रुझ में परिवर्तन हुआ है और उन्हें विकासशील अर्थ-व्यवस्था की

आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हाथ में लेने का विचार है। सहकारी समितियों और वैज्ञानिक खेती तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना हो जाने से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत पढ़े-लिखे लोगों के लिए नियमित और निरन्तर रोजगार का क्षेत्र काफी बढ़ जाएगा। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में प्राप्त रोजगार से उन्हे सही मायनों में उसनी ही आय होगी, जितनी कि शहरों में होती है। यह भी संभव हो जाएगा कि काफी बड़ी संख्या में पढ़े-लिखे नवयुवकों को ग्रामीण केन्द्रों में, जहाँ बिजली उपलब्ध की जा सके, छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाए।

10. इस बात की आवश्यकता है कि जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या जो पूरी होने वाली हैं, वहां से कुशल कर्मचारियों को लेकर उन परियोजनाओं में लगाया जाए जिनका आरम्भ होने वाला है। दूसरी योजना में इस कार्य के लिए बनाए गए सगठन ने सन्तोषजनक रूप से कार्य किया है। इस सगठन को बनाए रखते हुए यदि इसी प्रकार की परियोजनाओं की व्यवस्थाओं का विभाजन और अधिक अच्छे ढंग से किया जाए तथा पूर्वयोजन किया जाए तो इस समस्या का अधिक आसानी से सामना किया जा सकता है।

सार्वजनिक उद्यमों का संगठन

पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्रों में कई मुख्य औद्योगिक उद्यमों की स्थापना हुई है। तीसरी योजना की अवधि में कई अन्य ऐसे उद्यमों की स्थापना होगी। वास्तव में हर आने वाली योजना में स्थापित होने वाले नए उद्यमों की संख्या में वृद्धि होती जाएगी। अब तक तो नई परियोजनाएं शुरु करने और उनके लिए वित्तीय साधनों की व्यवस्था करने पर जोर रहा है—समस्या महत्वपूर्ण उद्यमों के शुरुआत की थी। परन्तु अब समय आ गया है कि हम इस बात पर ध्यान दे कि इन उद्यमों के प्रबन्ध को कैसे सर्वोत्तम बनाया जाए ताकि ये पहले से अधिक दक्ष उत्पादक बनें और उनसे काफी अधिक बचत हो, जो उनके भावी विस्तार में लगाई जा सके—वे मुचड़ आयोजन, सुप्रबन्ध और थ्रिफियों तथा प्रबन्धकों के अच्छे आपसी सम्बन्धों की दृष्टि से दूसरों के लिए आदर्श बनें। परियोजना की रूपरेखा कितनी भी अच्छी हो और कारखाना कितने ही अच्छे ढंग से खड़ा किया जाए, अन्ततः इसकी सफलता अथवा असफलता प्रबन्धकों की योग्यता पर निर्भर होगी।

2. उत्पादक वर्ग में सार्वजनिक उद्यमों के संगठन के तीन विभिन्न रूप हैं: (1) सरकारी विभाग द्वारा प्रशासित, (2) कानून द्वारा स्थापित निगम (कारपोरेशन), और (3) कम्पनी कानून के अन्तर्गत ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियाँ। कुछ समय पूर्व तक हर उत्पादक इकाई के लिए एक स्वतन्त्र कम्पनी बनाने की प्रवृत्ति थी। जहाँ यह अनुभव किया जाता था कि कई उद्यमों में विशेष तालमेल की आवश्यकता होगी, वहाँ कुछ ऐसे निदेशक रख लिए जाते थे, जो एक साथ कई उद्यमों के निदेशक मण्डल के सदस्य थे।

3. अब यह महसूस किया जा रहा है कि जहाँ तक सम्भव हो यह कोशिश की जाए कि इतनी सख्या में और इतने प्रकार के अलग-अलग संगठन न खोले जाएँ कि उनका प्रबन्ध भी कठिन हो जाए—अब नीति मोटे तौर पर एक ही क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमों को एक ही सूत्र में बाँधने की है। इससे अलग-अलग इकाइयाँ मिली-जुली समुक्त सुविधाओं से लाभ उठा सकती हैं—अलग-अलग होने की अवस्था में ये सुविधाएँ उनको प्राप्त नहीं हो सकती। इससे बचत और कुशलता बढ़ती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस प्रकार कई उत्पादक इकाइयों को एक कम्पनी के अन्तर्गत लाने से निदेशक मण्डलों का अत्यधिक केन्द्रीकरण न हो जाए या उत्पादक इकाइयों की रोजमर्रा की कार्रवाइयों में हस्तक्षेप न हो अन्यथा उद्यम के जनरल मैनेजर्स के पास न इतने अधिकार हों और न ही इतनी प्रेरणा कि वे उद्यम को दगैर किसी रुकावट के दक्षतापूर्वक चला सकें।

4. कुछ वर्ष पूर्व तक शुरु-शुरु में परियोजनाओं की देखरेख विभागों के जिम्मे होनी थी। बाद में यह निर्णय किया गया कि व्यापारिक किस्म के सरकारी उद्यमों को कम्पनियों

में संगठित किया जाए। इस समय अधिकतर नई परियोजनाओं के लिए प्रायः एक नई कम्पनी बनाई जाती है, जो आरम्भ से ही परियोजना की—निर्माण के चरण सहित—देखरेख करती है। वर्तमान कम्पनियों को अपने क्षेत्र में नई-नई इकाइया स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और बड़ी-बड़ी कम्पनियों को डिजाइन और निर्माण (कन्स्ट्रक्शन) के लिए अलग से अपने विशिष्ट अभिकरण बनाने को बहा जा रहा है।

5. औद्योगिक और व्यापारिक उद्यमों को अच्छे ढंग से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि उद्यमों के संचालन सम्बन्धी निर्णय तुरन्त किए जाए। उद्यम के प्रबन्धक उद्यम से लाभ दिखा सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि उनको अधिकार दिए जाएं और उद्यमों को चलाने में थोड़े अदलबदल की गुंजायश रखी जाए। किसी उद्यम के दक्षतापूर्वक चलाने के रास्ते में कई रुकावटें हो सकती हैं, जैसे, प्रबन्धक वर्ग में पर्याप्त अनुभवकी व्यक्तियों का अभाव, प्रबन्धक कर्मचारियों में योग्यता का अभाव, उद्यम के अन्दर अधिकारों का अपर्याप्त विकेन्द्रीकरण (जिसके फलस्वरूप कर्तव्य और उत्तरदायित्वों के विभाजन की परिभाषा नहीं की जा सकती) और लाभ तथा लागन के प्रति अपर्याप्त जागरूकता।

6. कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, जिनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, नीचे विचार किया जा रहा है—

सार्वजनिक उत्तरदायित्व—सार्वजनिक उद्योगों का जनतांत्रिक नियन्त्रण के अन्तर्गत होना बहुत महत्वपूर्ण है। साध ही इस बात से भी आम तौर पर सभी सहमत हैं कि एक सार्वजनिक उद्यम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए भूह आवश्यक है कि इसे सरकार और ससद से पर्याप्त सहायता प्राप्त हो। इसलिए ससद की एक समिति की आवश्यकता अनुभव की जा रही है जो ससद की उचित आलोचना के प्रकाश में सार्वजनिक उद्यमों में सुधार करे।

7. **निदेशक मण्डल का गठन और कर्तव्य—**मण्डल का मुख्य उद्देश्य मोटे तौर पर उद्यम की नीति और सामान्य उद्देश्य निर्धारित करना होता चाहिए। निर्धारित नीति के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक या जनरल मैनेजर को पूरा अधिकार होना चाहिए और आवश्यक फल प्राप्त करने का उत्तरदायित्व भी उस पर होना चाहिए। प्रबन्ध निदेशक और / या चेयरमैन सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने चाहिए और बहुत छोटी संस्थाओं को छोड़कर सभी में पूर्णकालिक होना चाहिए। मण्डल के सदस्यों का चुनाव योग्यता, अनुभव और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर किया जाए। निदेशक मण्डल को नियुक्त करने और वेतन निर्धारित करने के पर्याप्त अधिकार होने चाहिए। जहाँ मन्त्रालय कम्पनी को अधिकार सौंपे वहाँ कम्पनी को भी चाहिए कि वह निजी उद्यमों के जनरल मैनेजरों को अधिकार सौंपे, अन्यथा अत्यधिक केन्द्रीकरण की श्रुटिया रह जाएगी और उद्यमों को अच्छी तरह चलाने में रुकावट पड़ेगी।

8. **प्रबन्ध निदेशक / जनरल मैनेजर—**प्रबन्ध निदेशक / जनरल मैनेजर को नेतृत्व, निर्देशन और मुख्य प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। उनका चुनाव तकनीकी दक्षता, प्रशासनिक योग्यता और नेतृत्व के गुणों के आधार पर होना चाहिए। सामान्य निर्देशन नियम निर्धारित किए जाएं और उनके ढांचे के अन्तर्गत काम करने की उसे पूरी स्वतन्त्रता दी

जाए—उसे उद्यम को सफल बनाने का पूरा उत्तरदायित्व दिया जाए । वह रोजमर्रा के फंसले स्वयं करे । यह मान कर चला जाए कि दक्षता के हित में जब फंसले जल्दी किए जाएंगे, तो कुछ गलतियां होना अनिवार्य है । अगर जनरल मैनेजर का काम अच्छा हो, तो उसे एक उद्यम में काफी समय तक रखा जाए, ताकि उसे वहां की समस्याओं और सम्भावनाओं का पूरी तरह ज्ञान हो जाए—इससे वह अपना काम अच्छी तरह कर सकेगा ।

जनरल मैनेजर की सहायता के लिए पर्याप्त प्रबन्ध कर्मचारी होने चाहिए जो पर्याप्त नियन्त्रण, निदेशन, देखरेख और सब कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में उसके सहायक हों । जनरल मैनेजर उनको अधिकार सौंपे जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए—उनको ही सफलता-असफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए ।

9. **वित्तीय सलाहकार का काम**—सब कम्पनियों को एक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार मिलना चाहिए जो जनरल मैनेजर के नीचे काम करे । वित्तीय सलाहकार को केवल व्यय-नियन्त्रण पर ही ध्यान देने की बजाय वित्तीय प्रबन्ध की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए ।

10. **प्रबन्धक वर्ग का विकास**—उद्यमों की दक्षता काफी हद तक दो महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर होगी जिनका सेवि-वर्ग प्रबन्ध (परसनेल मैनेजमेण्ट) से सम्बन्ध है । ये दो बातें हैं—संस्था में उत्तरदायित्वपूर्ण स्थानों के लिए प्रशिक्षण और सृज्य नियुक्तियों के लिए अन्ततः चुने जाने के लिए कर्मचारियों का विकास । कर्मचारियों में न केवल तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, साथ ही उन्हें अपना दृष्टिकोण ऐसा बनाना चाहिए कि वह सारे कार-खाने के हित को ध्यान में रखना सीखे ।

11. **अग्रिम आयोजन**—किसी उद्यम की सफलता के लिए आयोजन आवश्यक है, आयोजन अर्थात् पहले से यह तय करना कि क्या किया जाए । इसी से वह आधार प्राप्त होगा जिस पर सगठन, साधनों को एकत्र करके काम में लगाना, निदेशन तथा नियन्त्रण किया जाएगा । किसी भी उद्यम की योजनाएँ बहुस्तरीय होनी चाहिए । सामान्य उद्देश्य निर्धारित किए जाए—इसके साथ एक योजना-माला हो जिसमें एक-से-एक विस्तृत योजना हो । हर विस्तृत योजना का उद्देश्य उस सामान्य योजना के लक्ष्यो की प्राप्ति हो, जिसका वह एक अंग है । इसी प्रकार दीर्घकालीन योजनाएँ हो जैसे पचवर्षीय योजना, वार्षिक योजनाएँ और बजट हों और हर विभाग के रोजमर्रा के विस्तृत कार्यक्रम हो ।

12. पहले से आयोजन करने से यह जानने का मौका रहता है कि हर भाग दूसरे से मेल खाता है और उद्देश्य की प्राप्ति में लगाया गया है । सतर्कता और वास्तविकतापूर्ण ढंग से किए गए पूर्व-आयोजन से रुकावटें प्रकाश में आती भी हैं, तो घटना घटने से पूर्व ही उनका कुछ हल निकालने के लिए काफी समय होता है । परन्तु अगर आपत्ति आने पर ही उसका समाधान आरम्भ किया जाए, तो आपत्ति के फलस्वरूप अनिवार्य रूप से अत्यधिक क्षति होगी । विशिष्ट लक्ष्य और उसके अन्तर्गत उपलक्ष्य निर्धारित करना सम्पूर्ण आयोजन क्रम का एक अभिन्न अंग है । अधिक विस्तृत योजना के अपेक्षित परिणामों की व्याख्या के लिए विभिन्न प्रकार के संचालन स्तर और 'आदर्श' निर्धारित करना आवश्यक होगा ।

13. प्रेरणाएं—जिम उद्यम ने उत्पादन के वास्तविकतापूर्ण 'भादर्श' निर्धारित किए हैं, उनके लिए मजदूरी की प्रेरणा प्रणाली आरम्भ करना आवश्यक है। इस प्रणाली से थम उत्पादकता बढ़ाने, लागत घटाने और किस्म सुधारने में बहुत सहायता मिलती है। इनको अधिक से अधिक लागू करना चाहिए।
14. अनुसन्धान विभाग—सांख्यिक उद्यमों में अनुसन्धान और विकास विभाग अवश्य रखे जाएं जिनमें पर्याप्त कर्मचारी हों। यह विभाग वैज्ञानिक अनुसन्धान द्वारा निरन्तर किस्म-सुधार और संचालन-सम्बन्धी और तकनीकी दक्षता में सुधार करने के लिए प्रयत्नशील रहें।
15. सेवि-वर्ग सम्बन्ध—सांख्यिक क्षेत्र के उद्यमों का यह विशेष उत्तरदायित्व है कि वे ऐसी थम नीति का अनुसरण करें जिससे उचित लागत पर योग्य कर्मचारी प्राप्त हो सकें और उन्हें उद्यम में रहने की प्रेरणा भी हो।
16. बचतें और उनका उपयोग—सांख्यिक उद्यमों का यह कर्तव्य है कि दक्षतापूर्वक उत्पादन करें और नई पूंजी का निर्माण करें जिसे आगे विकास-कार्यों में लगाया जा सके। साथ ही उनकी निरन्तर पहले से अच्छे ढंग से काम करने, अपने विकास और विस्तार की योजनाएं बनाने और उनको शुरू करने और आवश्यक साधन प्राप्त करने का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लेना चाहिए।
17. इस सक्षिप्त समीक्षा का उद्देश्य अलग-अलग उद्यमों के लिए विस्तृत संचालन सम्बन्धी सिफारिशें करना नहीं है, परन्तु कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना है जिन पर पहले से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रशासन और जनसहयोग

भूमिका

तीसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्र को पहली दो योजनाओं, यानी पिछले दशक की अपेक्षा कहीं बड़ा प्रयास करना है। योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर दक्तव्य से उस महान कर्तव्य का अन्दाजा लगना मुश्किल है जिसे अगले पांच वर्षों में राष्ट्र ने करने का इरादा किया है। अन्तिम विश्लेषण में यह विश्वास ही योजना का मूल आधार है कि आवश्यकतानुसार प्रयास होगा और राष्ट्रीय जीवन के हर स्तर पर मानव शक्ति से जो कुछ सम्भव है योजना को कार्यान्वित करने के लिए वह सब प्रयास सर्वाधिक कार्यकुशलता से किए जाएंगे। पंचवर्षीय योजना जिन मूल धारणाओं पर आधारित है यह उनमें सबसे महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि सर्वाधिक कठिन भी है।

2. योजना का कार्यान्वयन अनेक स्तरों पर होगा जैसे राष्ट्र, राज्य, जिला, खड और गाव। हर स्तर पर जो काम होने है उन्हे करने वाले विभिन्न अभिकरणों के बीच सहयोग होना आवश्यक है और यह भी आवश्यक है कि वे योजना के उद्देश्यों को समझे और ये उद्देश्य जिस तरह पूरे किए जाने हैं उन उपायों को भी समझें। हमारे जैसे विस्तृत और विभिन्नतापूर्ण देश में जहाँ प्रशासन सघीय प्रकार का है इस बात का बहुत बड़ा महत्व है कि विभिन्न स्तरों पर आपसी सम्पर्क कैसा है और एक ही स्तर पर विभिन्न अभिकरणों में कितना घनिष्ठ सम्पर्क है। विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में विस्तारशील सांख्यिक क्षेत्र और अधिकांशतः असंगठित निजी क्षेत्र के साथ-साथ बढ़ने से भी अनेक कठिन प्रशासनिक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं।

3. पिछली दशाब्दी में प्रशासन के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुए हैं और अनेक नए तरीके अपनाए गए हैं। इस दौरान नई पद्धतियाँ अपनाई गईं और नई प्रथाएँ प्रचलित हुईं। हालांकि इनमें से अनेक को अभी एक-दूसरे से शृंखलाबद्ध होने और प्रशासन प्रणाली में आत्मसात होने में समय लगेगा। सरकार की जिम्मेदारियों का क्षेत्र और विकास की गति बढ़ने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्य का परिमाण और जटिलताएँ भी बहुत बढ़ गई हैं। प्रशासनिक मशीन पर बहुत भार है और इन ढाँचे में कई स्तरों पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या और योग्यता यथेष्ट नहीं है। विकास योजनाओं को त्रियान्वित करने में प्रशासनिक काम अभी भी बहुत बढ़ चुका है लेकिन तीसरी योजना में तो यह और कई गुना बढ़ेगा और इसमें सन्देह नहीं कि जनसम्पर्क की अनेक नई समस्याएँ पैदा होंगी। प्रशासन को जैसे जैसे नए उत्तरदायित्व निभाने पड़ेंगे वैसे वैसे इसका आकार भी बढ़ेगा और आकार बढ़ने पर इसके कार्य की गति मंद होती जाएगी। हर स्तर पर देरी होखी है, काम में बाधा पड़ती है और अनुमित उत्पादन कम हो जाता है। जो काम चल रहे हैं यदि

उनका प्रबन्ध ठीक न हो और उनकी आलोचना होने लगे तो नए वामों को करना और भी कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान प्रशासनिक प्रणालियों में दूरगामी परिवर्तन करने की और काम करने के ढंग और दृष्टिकोण के पुनरवलोकन की आवश्यकता है।

4. गत वर्षों में प्रशासन के कुछ पहलुओं की कमियां विशेष रूप से सामने आई हैं। ये हैं अनेक क्षेत्रों में क्रियान्वयन की मंद गति, बड़ी योजनाओं के नियोजन, निर्माण और क्रियान्वयन की समस्याएं, विशेषकर उनके व्यय में वृद्धि और काम का समयानुसार न होना, बड़े पैमाने पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण और आवश्यक योग्यता और अनुभव वाले व्यक्तियों के मिलने में कठिनाई, अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित क्षेत्रों में पूरा समन्वय करने की समस्या तथा इन सबके ऊपर सम्पूर्ण समाज का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने की समस्या। तीसरी योजना की वृहत्तर पृष्ठभूमि में ये समस्याएं और जटिल बनेंगी तथा इनका हल और अधिक आवश्यक हो जाएगा। तीसरी योजना के जो फल निकलेंगे विशेषकर पहले चरणों में वे इस बात पर निर्भर करेंगे कि हम इन समस्याओं को किस तरह हल करते हैं।

कार्यकुशलता और मानदंड

5. विकास प्रशासन के हर पहलू की अपनी विशेष समस्याएं होती हैं। फिर भी सुधार की कुछ सामान्य दिशाएं हैं जो प्रशासन की सब शाखाओं पर लागू होती हैं। प्रमुख लक्ष्य ईमानदारी, दक्षता और क्रियान्वयन की द्रुत गति का ऊचा स्तर रखने का होना चाहिए। विभिन्न प्रक्रियाओं में क्रियान्वयन की गति और दक्षता का कुछ हद तक आपसी सम्बन्ध होता है। यह सब मानते हैं कि सगठन और कार्यपद्धति में परिवर्तन के साथ ही कर्मचारियों के प्रशिक्षण, निरीक्षण और मूल्यांकन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर भी वर्तमान प्रशासन को और अधिक सक्रिय बनाए बिना इन उपायों से अधिक लाभ नहीं हो सकता। किसी परियोजना के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में पहली आवश्यकता सम्बन्धित अभिकरण पर और विशेषतः व्यक्तियों पर विशिष्ट उत्तरदायित्व डालने की जरूरत है। निर्धारित सीमा में प्रत्येक व्यक्ति को पूरा उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए और इसके साथ ही उसे आवश्यक समर्थन और विश्वास प्राप्त होना चाहिए। आजकल हर छोटी छोटी बात के लिए जब तक बारबार दूसरों के साथ परामर्श नहीं किया जाता तब तक काम आगे नहीं बढ़ता। इससे सार्थक कार्रवाई करने पर बुरा असर पड़ता है इसलिए परामर्श केवल बड़े बड़े मामलों में और कम से कम किया जाना चाहिए। वित्तीय नियंत्रण को लागू करना इस समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

उपलब्ध परिणामों को ही सफलता अथवा असफलता की कसौटी मानना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि योजना बनाते समय यह साफ कर दिया जाए कि क्या काम होना है, किस तरह होना है और विभिन्न अभिकरणों या व्यक्तियों का क्या उत्तरदायित्व है तथा योजना के विभिन्न चरण किस क्रम में क्रियान्वित हों और एक-दूसरे में मिल-जुल कर परिणामदायक हों। जहां तक केन्द्रीय मन्त्रालयों और सचिवालय विभागों

का सम्बन्ध है उनका प्रमुख काम नीति निर्धारण, आम निरीक्षण और मानदंडों को लागू करना होना चाहिए तथा कार्यकारी अभिकरणों को और अधिक अधिकार होने चाहिए ताकि वे अपने उत्तरदायित्व पूरे कर सकें।

6. लक्ष्यों का निर्धारण बहुत गंभीर अध्ययन के बाद किया जाना चाहिए और समय की अनुसूची तथा क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व के हिसाब से उनके विभिन्न चरण निर्धारित किए जाने चाहिए। पंचवर्षीय लक्ष्यों पर प्राप्त अनुभव की दृष्टि से हर वर्ष पुनर्विचार होना चाहिए और सभावित भावी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए अगला कार्यक्रम निश्चित करना चाहिए।

7. औद्योगिक कारखानों आदि अनेक कार्यों में कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए द्राव्यिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा प्रशासन में अद्राव्यिक प्रोत्साहनों का अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। जैसे काम की मान्यता और प्रशंसा के विभिन्न ढंग, काम में भागीदारी की भावना और पारस्परिक आदर और मैत्री पर आधारित मानव सम्बन्ध।

8. दूसरी योजना में प्राप्त अनुभवों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में दक्षता और गति बढ़ाने तथा उनके निर्माण और संचालन में और अधिक किफायतशायी करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख सुझाव हैं :—

- (1) बड़ी परियोजनाओं से लाभ काफी देर बाद मिलने शुरू होते हैं और उनके बनाने में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। हर क्षेत्र में इन्हे दस से पन्द्रह वर्षीय विकास की योजना का अंग बना देना चाहिए।
- (2) तीसरी योजना में शामिल अनेक परियोजनाओं के लिए अभी उपलब्ध सूचना यथेष्ट नहीं है। इन परियोजनाओं पर विचार करने और स्वीकृति देने के लिए यथेष्ट अग्रिम विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। तीसरी योजना की परियोजनाओं की तैयारी का काम जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। चौथी योजना को ध्यान में रखकर परियोजनाओं का अध्ययन शुरू कर देना चाहिए ताकि अगले तीन साल में वे काफी हद तक पूरे हो जाएं।
- (3) जिन केन्द्रीय मंत्रालयों का औद्योगिक विकास से संबंध है उन्हें शीघ्र ही अच्छी साज-सज्जा से युक्त प्राविधिक नियोजन शाखाएं खोलनी चाहिए। कुछ प्रमुख उद्योगों के लिए प्राविधिक परामर्शदाता मंडल बनाने पर भी मंत्रालयों को विचार करना चाहिए।
- (4) बड़े-बड़े सरकारी उद्यमों को डिजाइन और गवेषणा शाखाएं खोलनी चाहिए और जहां वे मौजूद हैं उन्हें और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। यथा संभव इन्हीं शाखाओं में नई परियोजनाओं के प्रारूप तैयार होने चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि मंत्रालयों की प्राविधिक नियोजन शाखाएं परियोजनाओं के क्रियान्वयन के प्राविधिक और आर्थिक पहलुओं तथा नीति

और प्रशासन के स्तर पर समन्वय सम्बन्धी समस्याओं पर अधिक ध्यान दे सकेंगी ।

- (5) व्यय अनुमानों की छानबीन और परियोजनाओं के आर्थिक पहलुओं की जाच के वर्तमान प्रबन्ध को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए । वित्त मंत्रालय को प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार के सब औद्योगिक उद्यमों के वित्तीय और आर्थिक पहलुओं पर प्रतिवेदन देना चाहिए ।
- (6) दीर्घावधि बड़ी परियोजनाओं में कार्य का इस तरह विभाजन किया जाए ताकि योजना के हर चरण में उनसे निरन्तर लाभ मिलता रहे । इसके लिए परियोजना के विभिन्न चरणों तथा संबंधित क्षेत्रों में सूक्ष्म समन्वय की आवश्यकता है । यह समन्वय क्रियान्वयन के स्तर पर तथा उसके समानान्तर और पूरक विनियोगों के नियोजन दोनों में होना आवश्यक है । परियोजनाओं की सफलता के लिए अभिन्न नियोजन सही व्यय अनुमान और कार्यक्रम और तकनीक में निरन्तर सुधार होना चाहिए ।
- (7) बड़ी परियोजनाओं में उनके प्रबंध के अन्तर्गत ही क्वायतशारी, उत्पादकता में वृद्धि और क्रियान्वयन के निरीक्षण के लिए विशेष अनुभाग होने चाहिए । केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य सरकारों को अपने आधीन बड़ी औद्योगिक और अन्य परियोजनाओं में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्तमान प्रबन्ध की समीक्षा करनी चाहिए । इन प्रस्तावित अनुभागों को सर्वोच्च प्रबन्धकों के अन्तर्गत काम करना चाहिए लेकिन दिन प्रति दिन के काम में उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

9. योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की तरह निजी क्षेत्र में भी क्वायतशारी, देशी सामान के उपयोग, विशेषी मुद्रा की वचत, उत्पादन बनाए रखने और विकास के लिए व्यय, निर्यात बढ़ाने, रोजगार बढ़ाने और कर्मचारियों की योग्यता में सुधार की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । समस्याओं के हल और प्रशासन तथा कल्याण में ऊँचे मानदंड स्थापित करने के लिए विकास परिपदों को हर उद्योग में सर्वोत्तम नेतृत्व को काम में लाना चाहिए । इन दिशाओं में उन्हें अपना योगदान बढ़ाने में मदद देनी चाहिए ।

कर्मचारी वर्ग

10. तीसरी योजना की सफलता के लिए प्रमुख समस्या आवश्यक दृष्टिकोण और अनुभव वाले कर्मचारीवर्ग को तैयार करने की है । इसके लिए योजना में निम्न लिखित सुभाव दिए गए हैं :

- (1) कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आगामी अनेक वर्षों तक सर्वोच्च स्तर के कर्मचारी या विशेष अनुभव वाले कर्मचारी यथेष्ट नहीं मिलेंगे । इन क्षेत्रों में द्रुत विकास के लिए यह आवश्यक है कि कुछ अवधि तक उपलब्ध स्थानीय कर्मचारियों के अलावा कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए ।

- (2) तीसरी योजना के हर क्षेत्र में मुख्य काम ऐसे योग्य मंनेजरो को तैयार करना है जो अपना काम जानते हो और जिनमें नेतृत्व की योग्यता हो। अधिकतर हर सगठन में ही कर्मचारियों के मझले स्तर से ही ऐसे व्यक्तियों को ढूढना होगा। इन कर्मचारियों को दिन प्रति दिन के काम में अधिक उत्तर-दायित्व सौंपा जाए और प्रबन्ध के उच्चतर कामों का अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। इसके साथ ही हर परियोजना में सगठन के विभिन्न स्तरों तथा हर स्तर पर परामर्श और विचार-विमर्श की प्रथा ढालना भी आवश्यक है।
- (3) महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में लगे हुए अफसरों का जल्दी-जल्दी तबादला करने से काम की निरन्तरता और सगठन की मनोदशा को ठेस पहुचती है क्योंकि विकास के वर्तमान चरण में इन अफसरों का पद-प्रदर्शन का काम और कठिन होता है। किसी भी बड़ी जगह पाच से दस साल के कम समय में अच्छे परिणाम हासिल नहीं किए जा सकते। ऐसी हालत में इन व्यक्तियों को पद वृद्धि की आशाएं देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए।
- (4) सार्वजनिक क्षेत्र की हर बड़ी परियोजना में जहां कहीं संभव हो अप्रेटिस इत्यादि के प्रशिक्षण का सगठित कार्यक्रम होना चाहिए और साथ ही पोलिटेकनिक और अन्य केन्द्रों में सस्थागत प्रशिक्षण तो चलते ही रहने चाहिए।

निर्माण में किफायतशारी

11. विकास के अनेक क्षेत्रों में निर्माण पर अधिकांश व्यय होता है। मूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भवन-निर्माण के कार्य में काफी बचत की सम्भावना है। निर्माण कार्यों में बचत करने के सवाल पर केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर विचार-विमर्श किया गया और इसके लिए आवश्यक उपायों पर आम सहमति है। योजना में इन उपायों का उल्लेख किया गया है।

नियोजन का तात्पर्य

12. तीसरी योजना में प्रबन्ध, नियोजन और क्रियान्वयन की समस्याओं के विपद आकार को देखते हुए उन उपायों पर पुनर्विचार करना आवश्यक है जिनसे नियोजन की प्रक्रिया और मशीन विभिन्न स्तरों पर सुधर सकती है, मूल्यांकन और अधिक शुद्ध बनाया जा सकता है तथा नियोजन के लिए बेहतर आंकड़े तथा अन्य साधन उपलब्ध किए जा सकते हैं। नियोजन का संगठन और स्कीम जिन प्रमुख दिशाओं में मजबूत की जा सकती है निम्नलिखित हैं :

- (1) उद्योग, परिवहन, बिजली और अन्य क्षेत्रों की बड़ी परियोजनाओं का महत्व राष्ट्रीय नियोजन में निरन्तर बढ़ रहा है। सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग इन परियोजनाओं के काम से सम्पर्क रखने का प्रयास करेगा, और उसका विषयान्तरित विश्लेषण करके मंत्रालयों और राज्यों को बताएगा। इस दृष्टिकोण से योजना आयोग के काम तथा योजना कार्य समिति और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के काम का पुनरावलोकन किया जा रहा है। विभिन्न सांख्यिकीय अभिकरण में घनिष्ठ सहयोग तथा आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान के विस्तार की आवश्यकता भी है।

- (2) परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान प्रणाली में मंत्रालयों और राज्यों के सहयोग से काफी सुधार करने की आवश्यकता है।
- (3) तीसरी योजना के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में राज्यों की योजनाओं का अत्यधिक महत्व है। राज्यों को भी दीर्घावधि योजना तैयार करने में सहयोग देना होगा। अब तक नियोजन का जो काम हुआ है उसमें राज्यों के नियोजन विभागों ने अच्छा काम किया है लेकिन अब राज्यों को इस पर विचार करना होगा कि उन्हें किस दिशा में अपने विभागों को और मजबूत बनाना चाहिए।
- (4) पचासवीं राज के प्रवर्तन से राज्यों के विभागों, जिले के प्राविधिक तथा अन्य अधिकारियों और खंडों के विस्तार कार्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व बहुत बढ गया है। पचासवें राज की तरह योजना की सफलता भी इस बात पर निर्भर करेगी कि जनता के प्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी शुरू से ही विभिन्न समस्याओं पर उचित दृष्टिकोण अपनाएं।
- (5) अब तक योजनाओं में शहरी क्षेत्रों को सत्रिय रूप से साथ नहीं लिया गया। यह परिकल्पना है कि नियोजन के अगले चरण में यथासम्भव अधिक से अधिक शहरी और कस्बों को और हर हालत में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को सत्रिय रूप से नियोजन में लगाना चाहिए, हर नगर अपने साधनों को एकत्र कर अपने नगरवासियों के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध करने में सहायता करे। इस काम की तैयारी तीसरी योजना के प्रारम्भ में ही शुरू हो जानी चाहिए।

जन-सहयोग और योगदान

13. जनतंत्रीय आदर्शों और रचनात्मक कार्यों की परम्परा वाले विकासोन्मुख देश में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनता के सहयोग का सर्वोच्च महत्व है : जनसहयोग की धारणा या विशुद्ध अर्थों में स्वयंसेवी क्रियाकलाप के ऐसे विस्तृत क्षेत्र से आराम है जिसमें नेतृत्व और सगठनात्मक उत्तरदायित्व पूरी तरह जनता और उसके नेताओं पर होता है और वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कानूनी प्रोत्साहन या राज्यसक्ति का मुंह नहीं ताकते। उचित रूप से संगठित स्वयंसेवी क्रियाकलाप के

समाज को उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाने और समाज के कमजोर और अभावग्रस्त वर्गों का रहन-सहन बेहतर करने में बहुत अधिक मदद मिल सकती है। जनता का पहले से अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विशिष्ट कार्यक्रमों के प्रति उनके उत्तरदायित्वों से पूरी तरह और साफ ढंग से आगाह कर दिया जाए। पंचायती राज बनने से गांवों में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनसे उन्हें स्थानीय विकास कार्यक्रमों को चलाने में अपने ज्ञान और नेतृत्व का उपयोग करने का पूरा अवसर मिलेगा।

14. जनसहयोग कार्यक्रम का विशेष पहलू यह है कि लोगों में स्वेच्छापूर्वक सेवा करने की बड़े पैमाने पर भावना विद्यमान है। अब स्वयंसेवी सेवा का रुख कल्याण कार्यक्रमों से हटाकर सामाजिक-प्राथमिक कार्यक्रमों में लगना है जिन राष्ट्रीय कार्यक्रमों को तत्काल करने की आवश्यकता है वे हैं शहरो में गंदी बस्तिया, उपभोक्ता सहकारी स्टोर, कल्याणकारी सेवा चिकित्सा इत्यादि तथा गांवों में शिक्षा, साक्षरता, पंचायतों को मजबूत बनाना, सहकारी सेवा तथा अन्य सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में और अधिक सक्रिय सहयोग आदि स्वयंसेवी अभिकरणों को नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण कार्यों, छोटे और स्थानीय कार्यों, सादे भवन निर्माण और भवन निर्माण के सामान की पूर्ति आदि कार्यों को करने में सहायता दी जाएगी। इनमें ठेकेदारों पर अत्यधिक निर्भर रहने की स्थिति में सुधार तो होगा ही लेकिन उसके साथ ही बेकार पड़ी जनशक्ति का उपयोग होगा, निर्माण व्यय में कृपायत होगी, श्रमिकों की हालत सुधरेगी और कल्याण कार्यों के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे।

15. योजना के महत्व, उद्देश्यों और प्राथमिकताओं की जानकारी को जनता में और अधिक लोकप्रिय बनाने के वर्तमान प्रबन्धों में सुधार होना चाहिए ताकि जनसहयोग की भावना को प्रोत्साहन मिले। योजना का संदेश देश के कोने-कोने और घर-घर में पहुंचना होगा।

16. जनसहयोग के क्षेत्र में कुछ और भी उच्च कर्तव्य हैं जिनका सम्बन्ध मूल आवश्यकताओं और राष्ट्र के आदर्श और लक्ष्यों से है। वर्तमान परिस्थितियों में इनके प्रति जनता का विशेष उत्तरदायित्व है। समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि आज जो समाज में आचरण का दर्रा है, जो विचार करने का ढग है उसमें राष्ट्रीय हित को आत्मसात किया जाए। इसके तीन प्रमुख अंग हैं :-

(1) राष्ट्र प्रेम और उसके भविष्य में विश्वास, जिसका परिणाम होगा ईमानदारी और एकता की भावना में वृद्धि, (2) अर्थव्यवस्था के आधारस्वरूप क्रमिक समाजवाद और सहकारिता की वृद्धि तथा (3) सदाचारी जीवन।

17. स्वयंसेवी संस्थाओं से इतनी बड़ी आशा की जाती है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उनका संगठन और तकनीक इन कामों को करने में समर्थ हो। अपने साधनों का सार्थक उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि ये संस्थाएं अधिम नियोजन करें, आवश्यकताओं का उचित तलमीना लगाएं, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करें तथा कार्यक्रमों को ठीक क्रियान्वयन, यथेष्ट निरीक्षण और मूल्यांकन करें। उन्हें स्थानीय निकायों से अंतरंग रूप से मिलकर काम करना चाहिए और एक प्रकार से नगरपालिकाओं, पंचायत समितियों और

पंचायतों आदि की शृंखला के रूप में काम करना चाहिए। कार्यक्रम संयुक्त रूप में बनाए जाएं और उनमें स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट की जाए। सरकारी अभिकरण केवल सहयोग करें और निदेशन और नियंत्रण का काम इन संस्थाओं के नेताओं पर छोड़ दें। केवल इसी तरह इन संस्थाओं का राष्ट्रीय रूप बन सकता है और तभी इनमें प्रत्येक नागरिक का चाहे वह किसी भी राजनीतिक विचारधारा में विश्वास करता हो, आकर्षण होगा। स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के छोटे दलों को स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रोत्साहन देना चाहिए और बड़ी संस्थाओं को इनकी सहायता करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कार्य क्षेत्र, जो सामुदायिक विकास खंडों की तरह है, ऐसी संस्थाओं को काम करने का अवसर प्रदान करेंगे तथा उनके कार्यकलाप का समन्वय करेंगे। यही भावना शहरी क्षेत्रों में भी पट्टुचाई जाएगी।

18. तीसरी योजना में विश्वविद्यालय योजना गोष्ठियों को भी अधिक काम करना है। उन्हें विश्वविद्यालयों और कलेजों को समाज के निकट सम्पर्क में लाना तथा अध्यापकों और छात्रों को राष्ट्रीय विकास के रचनात्मक कार्यक्रमों में अधिकाधिक योगदान के लिए प्रेरित करना होगा।

अध्याय 12

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

भूमिका

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास-कार्यक्रमों का क्षेत्र व्यापक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए व्यापक दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है, वह कृषि उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्नों पर आधारित है। बड़ी और छोटी परियोजनाओं से सिंचाई का विकास, भूमि संरक्षण कार्यक्रम और उर्वरकों की आपूर्ति, उन्नत बीज और ऋण तथा ग्राम-स्तर तक विस्तार सेवाओं की व्यवस्था, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए हैं। सामुदायिक विकास आन्दोलन द्वारा प्रत्येक गांव की समूची जनता की शक्ति का संचय करना होगा और इस की जनशक्ति तथा अन्य साधनों का प्रभावशाली रूप से प्रयोग करना होगा। पशुपालन और दुग्ध उद्योग की सफलता तथा मछली-उद्योग और ग्रामीण उद्योग के विकास के साथ कृषि उत्पादन की योजनाओं का गहरा सम्बन्ध है। दीर्घकालीन विकास की दृष्टि से वन सम्पत्ति की देख-भाल, भूमि और नमी का संरक्षण और गांवों में ईंधन के लिए वृक्षों का लगाना, इन बातों का बड़ा महत्व है। सहकारी विकास के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं और जिन पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में और अधिक जोर दिया जाएगा, उनका यह उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घ आर्थिक विकास के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचे का निर्माण किया जाए, जिससे ग्रामीण जनता के कमजोर वर्गों को विशेष लाभ पहुंचे। भूमि सुधार नीतियों का यह उद्देश्य है कि भूतकाल से चले आए कृषि सम्बन्धी ढांचे के कारण अधिक उत्पादन के मार्गों में जो रुकावटें हैं, उन्हें दूर किया जाए तथा सहकारी आधार पर संगठित प्रगतिशील कृषि के विकास का रास्ता तैयार किया जाए। ग्रामीण जीवन को परिवर्तित करने की योजना में—(जो पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा कार्यान्वित की जा रही-है) एक मुख्य सवाल यह है कि कृषि श्रमिकों की आर्थिक परिस्थितियों में सुधार करने के लिए और भूतकाल में उन्हें जिन सामाजिक असमर्थताओं का सामना करना पड़ा है, उन्हें दूर करने के लिए कौन से साधन अपनाए जाए। इस प्रकार ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं का एक दूसरे से सम्बन्ध है। इस पृष्ठभूमि को रखकर इस अध्याय में संक्षेप से उन कार्यक्रमों की चर्चा की गई है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में न्यून विषयों के सम्बन्ध में कार्यान्वित किए जाएंगे :

(1) कृषि उत्पादन;

(2) पशुपालन, दुग्ध-उद्योग और मछली-उद्योग;

- (3) वन और भूमि संरक्षण;
- (4) सामुदायिक विकास;
- (5) सहकारिता;
- (6) भूमि सुधार, और
- (7) कृषि श्रमिक

I कृषि उत्पादन

प्रगति की समीक्षा

पहली और दूसरी योजना में कृषि उत्पादन का देशनाक (आधार 1949-50) 3 कर 135 हो गया, खाद्यान्नों का देशनाक 132 एवं अन्य फसलों का देशनाक 142 था पहली योजना में कृषि उत्पादन में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी योजना 5 में से पहले 2 वर्षों—1957-58 और 1959-60—प्रतिकूल रहे और कृषि उत्पादन कुल वृद्धि लगभग 16 प्रतिशत हुई। नवम्बर 1956 में उद्घोषित कृषि उत्पादन के संशोधित लक्ष्य और दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में अनुमानित उत्पादन की तुलना नीचे की सारि में की गई है—

वस्तु	एकक	दूसरी योजना के लिए संशोधित लक्ष्य	अनुमानित उत्पादन 1960-61
खाद्यान्न	लाख टन	805	760*
गन्ना (गुड़)	" "	78	80
कपास	लाख गार्डे	65	51
पटसन	" "	55	40

दूसरी योजना में उत्पादन का जो रख रहा, उसको ध्यान में रखते हुए यह अत्यन्त महत्पूर्ण है कि तीसरी योजना में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के अतिरिक्त, व्यापारिक फसलों में विशेषतः कपास, तेलहन और पटसन में काफी वृद्धि की जानी चाहिए

2. दूसरी योजना में कृषि विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में जो प्रगति हुई उसका सार नीचे दिया गया है।

* फसलों के उत्पादन के संशोधित अनुमान उपलब्ध हो जाने पर यह धारा है कि 1960-61 में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 7 करोड़ 80 लाख टन हो जाएगा।

कार्यक्रम	एकक	अनुमानित उपलब्धि
1. बड़ी और मध्यम सिंचाई	लाख एकड़ (कुल)	69
2. छोटी सिंचाई	"	90
3. कृषि जमीनों में भूमि संरक्षण	"	20
4. भूमि सुधार	"	12
5. उन्नत बीजों का क्षेत्र (खाद्यान्न)	"	550
6. नवजन की खपत	हजार टन	230
7. फास्फेट युक्त उर्वरकों की खपत (पी ₂ ओ ₅)	"	70
8. शहरी कूड़ा-खाद	लाख टन	30
9. ग्रामीण कूड़ा-खाद	"	830
10. हरी खाद	लाख एकड़	118

दूसरी योजना में कुछ दिशाओं में उतनी प्रगति नहीं हुई, जितनी कि आशा की गई थी; विशेषतः उन कार्यक्रमों में जिनमें जनता का बड़े पैमाने पर सम्मिलित होना आवश्यक था (जैसे कि भूमि संरक्षण), उर्वरकों की आपूर्ति, सिंचाई के लाभों का जल्दी ही उपयोग और क्षेत्र स्तर पर सघन कार्य। परिणामतः कृषि के सम्बन्ध में तीसरी योजना में बहुत अधिक कार्य करने को शेष है। किसी अन्य बात की अपेक्षा, तीसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता इसके कृषि लक्ष्यों के पूरा होने पर अधिक निर्भर होगी।

तीसरी योजना के प्रति दृष्टिकोण

3. तीसरी योजना के लिए कृषि उत्पादन के कार्यक्रम बनाते समय जो मुख्य बात सामने रही है, वह यह है कि वित्तीय अथवा अन्य साधनों की कमी के कारण कृषि सम्बन्धी प्रयत्न में किसी भी प्रकार से कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तदनुसार पर्याप्त मात्रा में वित्त की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त इस बात का आश्वासन भी दिया जा रहा है कि उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यदि अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता हुई, तो योजना की प्रगति के साथ-साथ, उनकी व्यवस्था की जाएगी। एक बड़े पैमाने पर उर्वरकों की आपूर्ति का भी प्रबन्ध करना होगा। राज्यों में कृषि प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। और विभिन्न अभिकरणों, विशेषतः कृषि, सहकारिता, सामुदायिक विकास और सिंचाई से सम्बद्ध अभिकरणों में घनिष्ठतम समन्वय किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। सहकारी अभिकरणों द्वारा ऋण दिए जाने में विस्तार किया जा रहा है और इस आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है कि उत्पादन तथा हाट-व्यवस्था के साथ ऋण का सम्बन्ध हो।

4. सामुदायिक विकास संगठन का और खण्ड तथा ग्राम स्तर पर विस्तार के कार्य-कर्ताओं का प्रमुख कार्य यह है कि वे कृषि के भरपूर विकास के लिए ग्रामीण समाज को तैयार

करें, सरकार की ओर से जो अभिकरण कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य का निदेशन करें और उनमें शीघ्र काम करने की भावना पैदा करें। वे इस का भी ध्यान रखें कि ठीक समय पर और ठीक स्थान पर और अत्यन्त प्रभावशाली रूप में आवश्यक आपूर्तियां, सेवाएं तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त हो। इसके साथ-साथ, कृषि-विभागों को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि खण्ड स्तर पर सामुदायिक विकास संगठन को आवश्यक आपूर्तियां, प्रशिक्षित कर्मचारी तथा अन्य साधन उपलब्ध कराए जाएं। इसका यह अर्थ है कि गांव के समस्त परिवारों, विशेषतः खेती में लगे हुए परिवारों को, ग्रामीण सहकारी समितियों और पंचायतों द्वारा कृषि सम्बन्धी प्रयत्न में सम्मिलित किया जाए। ग्राम उत्पादन योजनाओं द्वारा बड़े परिणाम प्राप्त करने में सहायता दी जाए। इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि राज्यों तथा केन्द्र में स्थानीय तथा उच्च स्तरों पर कृषि कार्यक्रमों के जो संगठन हैं, उनमें सुधार किया जाए।

5. कृषि कार्यक्रमों के लिए तीसरी योजना में कुल 1281 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जब कि दूसरी योजना में 667 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे :

	(करोड़ रुपये)	
	दूसरी योजना	तीसरी योजना
कृषि उत्पादन	98.10	226.07
छोटी सिंचाई	94.94	176.76
भूमि संरक्षण	17.61	72.73
सहकारिता	33.83	80.10
सामुदायिक विकास (कृषि कार्यक्रम)	50.00	126.00
बड़ी और मध्यम सिंचाई	372.17	599.34
	कुल योग 666.65	1281.00

इसके अतिरिक्त, सहकारी एजेंसियों से 530 करोड़ रुपये के अल्पकालीन और मध्यमकालीन ऋण तथा 150 करोड़ रुपये के (बकाया रकम) दीर्घकालीन ऋणों की आशा है।

विकास के कार्यक्रम

6. कृषि के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अधीन जो मुख्य लक्ष्य हैं उनका सार नीचे दिया गया है:

कृषि कार्यक्रमों के लक्ष्य—तीसरी योजना

कार्यक्रम	एकक	लक्ष्य
i-सिंचाई		
1- बड़ी और मध्यम सिंचाई (कुल)	लाख एकड़	128
2-छोटी सिंचाई (कुल)	"	128
(अ) कृषि	"	95
(ब) सामुदायिक	"	33
कुल		384
(ii) भूमि संरक्षण, भूमि सुधार आदि		
(अ) कृषि जमीनों में भूमि संरक्षण	लाख एकड़	110
(ब) सूखी खेती	"	220
(स) भूमि सुधार	"	36
(द) लोनी और क्षारीय भूमियों का सुधार	"	2
(iii) उन्नत बीजों-खाद्यान्न का अतिरिक्त क्षेत्र		
	"	1480
(iv) रासायनिक उर्वरकों की खपत		
(अ) नत्रजनयुक्त (न)	हजार टन	1000
(ब) फास्फेट युक्त (पी ₂ ओ ₅)	"	400
(स) पोटेशियुक्त (के ₂ ओ)	"	200
(v) कार्बनिक और हरी खाद		
(अ) शहरी कूड़ा-खाद	लाख टन	50
(ब) ग्रामीण कूड़ा-खाद	"	1500
(स) हरी खाद	लाख एकड़	390
(vi) वनस्पति संरक्षण		
	लाख एकड़	500

ऊपर जिन विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है, उन्हें स्थानीय जनता के अधिक से अधिक सहयोग से कार्यान्वित करना होगा और ग्राम उत्पादन योजनाओं द्वारा यथासंभव अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाना होगा। अपनी अनुकूल परिस्थितियों के कारण चुने गए 15 जिलों में विशेष तौर पर भरपूर विकास का कार्य किया जाएगा।

करें, सरकार की ओर से जो अभिकरण कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य का निदेशन करें और उनमें शीघ्र काम करने की भावना पैदा करें। वे इस का भी ध्यान रखें कि ठीक समय पर और ठीक स्थान पर और अत्यन्त प्रभावशाली रूप में आवश्यक आपूर्तियां, सेवाएं तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त हो। इसके साथ-साथ, कृषि-विभागों को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि सष्ठ स्तर पर सामुदायिक विकास संगठन को आवश्यक आपूर्तियां, प्रशिक्षित कर्मचारी तथा अन्य साधन उपलब्ध कराए जाएं। इसका यह अर्थ है कि गांव के सनस्त परिवारों, विशेषतः खेती में लगे हुए परिवारों को, ग्रामीण सहकारी समितियों और पंचायतों द्वारा कृषि सम्बन्धी प्रयत्न में सम्मिलित किया जाए। ग्राम उत्पादन योजनाओं द्वारा और बड़े परिणाम प्राप्त करने में सहायता दी जाए। इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि राज्यों तथा केन्द्र में स्थानीय तथा उच्च स्तरों पर कृषि कार्यक्रमों के जो संगठन हैं, उनमें सुधार किया जाए।

5. कृषि कार्यक्रमों के लिए तीसरी योजना में कुल 1281 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जब कि दूसरी योजना में 667 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे :

	(करोड़ रुपये)	
	दूसरी योजना	तीसरी योजना
कृषि उत्पादन	98.10	226.07
छोटी सिंचाई	94.94	176.76
भूमि संरक्षण	17.61	72.73
सहकारिता	33.83	80.10
सामुदायिक विकास (कृषि कार्यक्रम)	50.00	126.00
बड़ी और मध्यम सिंचाई	372.17	599.34
	कुल योग 666.65	1281.00

इसके अतिरिक्त, सहकारी एजेंसियों से 530 करोड़ रुपये के मल्पकालीन और मध्यमकालीन ऋण तथा 150 करोड़ रुपये के (बकाया रकम) दीर्घकालीन ऋणों की आशा है।

विकास के कार्यक्रम

6. कृषि के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अधीन जो मुख्य लक्ष्य हैं उनका सार नीचे दिया गया है:

कृषि कार्यक्रमों के लक्ष्य—तीसरी योजना

कार्यक्रम	एकक	लक्ष्य
i-सिंचाई		
1- बड़ी और मध्यम सिंचाई (कुल)	लाख एकड़	128
2-छोटी सिंचाई (कुल)	"	128
(अ) कृषि	"	95
(ब) सामुदायिक	"	33
कुल		384
(ii) भूमि संरक्षण, भूमि सुधार आदि		
(अ) कृषि जमीनों में भूमि संरक्षण	लाख एकड़	110
(ब) सूखी खेती	"	220
(स) भूमि सुधार	"	36
(द) लोनी और क्षारीय भूमियों का सुधार	"	2
(iii) उन्नत बीजों-खाद्यान्न का अतिरिक्त क्षेत्र		
	"	1480
(iv) रासायनिक उर्वरकों की खपत		
(अ) नत्रजनयुक्त (न)	हजार टन	1000
(ब) फास्फेट युक्त (पी ₂ ओ ₅)	"	400
(स) पोटेशियुक्त (के ₂ ओ)	"	200
(v) कार्बनिक और हरी खाद		
(अ) शहरी कूड़ा-खाद	लाख टन	50
(ब) ग्रामीण कूड़ा-खाद	"	1500
(स) हरी खाद	लाख एकड़	390
(vi) वनस्पति संरक्षण		
	लाख एकड़	500

ऊपर जिन विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है, उन्हें स्थानीय जनता के अधिक से अधिक सहयोग से कार्यान्वित करना होगा और ग्राम उत्पादन योजनाओं द्वारा यथासंभव अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाना होगा। अपनी अनुकूल परिस्थितियों के कारण चुने गए 15 जिलों में विशेष तौर पर भरपूर विकास का कार्य किया जाएगा।

7. ऊपर जिन कार्यक्रमों की भर्चा की गई है उनमें से प्रत्येक के बारे में हाल के वर्षों में जिन मुख्य त्रुटियों का सामना करना पड़ा है, उनका योजना में उल्लेख किया गया है, और साथ ही यह भी बताया गया है कि तीसरी योजना में किस प्रकार से कार्य का संगठन किया जाना चाहिए। सिंचाई के छोटे कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जिन पहलुओं पर जोर दिया गया है उनमें ये बातें सम्मिलित हैं—सिंचाई के छोटे कार्यों का, सामुदायिक कार्यक्रम के रूप में विकास करने की आवश्यकता जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा रुपया-पैसा अथवा श्रम के रूप में योगदान देने का बड़ा महत्व है, व्यवस्थित पर्यवेक्षण और जांच का महत्व, सिंचाई के छोटे कार्यों की देखभाल एवं रक्षा के लिए स्थानीय समाजों तथा उन लोगों पर जो इनसे लाभ उठाए, कुछ कानूनी दायित्व डालने की आवश्यकता, तथा सिंचाई कार्यों के पूरा होने तथा उनसे लाभ उठाने में समय का जो व्यवधान पड़ता है, उसमें कमी। तीसरी योजना में स्थानीय खाद के साधनों, विशेषतः कार्बनिक खाद के विकास पर और अधिक जोर देना होगा।

पहली और दूसरी योजना में जो कृषि कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए उन में एक बड़ी भारी कमी रह गई थी और वह थी उन्नत प्रकार के कृषि उपकरणों का प्रयोग। उन्नत प्रकार के कृषि उपकरणों के प्रयोग में प्रगति करने के लिए कई दिशाओं में कदम उठाने की आवश्यकता है। सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा जिन अधिक महत्वपूर्ण दिशाओं में कदम उठाए जाने चाहिए, उनका सम्बन्ध निम्न बातों से है :

1-कृषि उपकरणों के लिए जिस प्रकार के लोहे और इस्पात की आवश्यकता हो, उसकी पर्याप्त आपूर्ति;

2-प्रत्येक राज्य में उन्नत प्रकार के कृषि उपकरणों के लिए अनुसन्धान, परीक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना;

3-उन्नत प्रकार के कृषि उपकरणों का प्रदर्शन करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए जिला और खण्ड स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त विस्तार व्यवस्था;

4-राज्यीय कृषि विभागों के कृषि इंजीनियरिंग अधिभागों को सुदृढ़ करना;

5-उन्नत प्रकार के उपकरणों की आपूर्ति के लिए ऋण सम्बन्धी निश्चित प्रबन्ध करना और समस्त विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों में कृषि कारखानों की स्थापना।

उत्पादन के लक्ष्य

8. कार्यान्वित किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यक्रमों की दृष्टि से तीसरी योजना के अन्त तक उत्पादन के जो लक्ष्य सामने रखे गए हैं, वे निम्न हैं :

तीसरी योजना में उत्पादन के लक्ष्य

वस्तु	एकक	आधार स्तर पर उत्पादन		अनुमानित उत्पादन		प्रतिशत में वृद्धि
		1960-61	1961-66	1961-66	1965-66	
खाद्यान्न	लाख टन	760	240	1,000	31.6	
तेलहन	"	71	27	98	38.0	
गन्ना (गुड)	"	80	20	100	25.0	
कपास	लाख गांठे	51	19	70	37.2	
पटसन	"	40	22	62*	55.0	
नाखिल	लाख फल	45,000	7,750	52,750	17.2	
सुपारी	हजार टन	93	7	100	7.5	
काजू	"	73	77	150	105.5	
काली मिर्च	"	26	1	27	3.9	
इलायची	"	2.26	0.36	2.62	15.9	
लास	"	50	12	62	24.0	
तम्बाकू	"	300	25	325	8.3	
चाय	लाख पींड	7,250	1,750	9,000	24.1	
काफी	हजार टन	48	32	80	67.7	
खड़	"	26.4	18.6	45	70.5	

* इसमें भेस्ता सम्मिलित नहीं है जिसकी तीसरी योजना में 13 लाख अतिरिक्त गांठे प्राप्त हो सकती है।

उत्पादन में इन वृद्धियों का अर्थ यह है कि प्रति एकड़ पैदावार को काफी हद तक बढ़ाना होगा अर्थात् दूसरी योजना की औसत पैदावार से प्रति एकड़ चावल की पैदावार लगभग 27.5 प्रतिशत, गेहूँ की लगभग 20 प्रतिशत, तेलहन की लगभग 11 प्रतिशत, कपास की लगभग 14 प्रतिशत, पटसन की लगभग 16 प्रतिशत और गन्ने की पैदावार लगभग 18 प्रतिशत बढ़ानी होगी। पैदावार में ये अधिकांश वृद्धियाँ उन क्षेत्रों में करनी होंगी जिनमें सिंचाई होती है और जहाँ वर्षा निश्चित रूप से होती है, किन्तु ग्रन्थियों में भी भूमि संरक्षण और सूखी खेती के द्वारा औसत पैदावार में कुछ वृद्धि जरूर होनी चाहिए।

ऊपर जो लक्ष्य दिए गए हैं उनके अनुसार कृषि उत्पादन का निदेशनांक 1960-61 में 135 से बढ़ कर 1965-66 में 176 हो जाना चाहिए यानी 5 वर्ष की अवधि में कुल वृद्धि लगभग 30 प्रतिशत होनी चाहिए। खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 1960-61 में 16 औंस से बढ़कर 1965-66 में 17.5 औंस हो जाने की आशा है। और कपड़े की खपत प्रति वर्ष 15.5 गज से बढ़कर 17.2 गज हो जाएगी। तीसरी योजना की अवधि में प्रति दिन खाद्य तेलो की खपत 0.4 औंस से 0.5 औंस हो जाने की आशा है।

कृषि कार्यक्रमों के अन्य पहलू

9. यह आवश्यक है कि तीसरी योजना में व्यावसायिक फसलों, विशेषतः कपास, पटसन और तेलहनो का उत्पादन बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयत्न किए जाएं। इन फसलों के लिए विभिन्न वस्तु समितियों द्वारा विस्तृत कार्यक्रम बनाए गए हैं। इन फसलों और बागान फसलों, विशेषतः चाय, काफी और रबड़ के लिए पर्याप्त वित्त और उर्वरकों को उपलब्ध करना होगा। योजना में कई सम्बद्ध कृषि कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है जिनमें फल, सब्जियाँ और सहायक झन्नों के उत्पादन के कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

10. इस समय देश के कुल 2500 बाजारों में से 725 मंडियों का नियमन किया जा रहा है। तीसरी योजना में शेष मंडियों को भी नियमन की योजना के अन्तर्गत ले लिया जाएगा और हाट-व्यवस्था सूचना सेवा के अन्तर्गत सूचना-केन्द्रों की संख्या काफी बढ़ाई जाएगी। लगभग 500 हाट-बाजार इन केन्द्रों के अन्तर्गत हैं।

इस समय सरकार के पास कुल भण्डारण क्षमता 25 लाख टन है, जिसमें से एक तिहाई पर उसका स्वामित्व है। इस क्षमता को बढ़ाकर 50 लाख टन करना होगा, जिसमें से लगभग 35 लाख टन क्षमता पर सरकार का अपना स्वामित्व होगा। गोदाम निगमों की भण्डारण क्षमता को लगभग 3 लाख 50 हजार टन से बढ़ा कर 16 लाख टन से अधिक करना होगा। और सरकारी समितियों के गोदामों की क्षमता को 8 लाख टन से बढ़ाकर लगभग 20 लाख टन करना होगा।

11. कृषि कालेजों की संख्या 53 से बढ़ा कर 57 करनी होगी और इनमें प्रति वर्ष दाखिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5,600 से बढ़ाकर 6,200 करनी होगी। उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जा चुका है, उसी के ढंग

पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। कृषि अनुसन्धान के कार्यक्रमों में जो बातें सम्मिलित की गई हैं, वे ये हैं—राज्यों में अनुसन्धान संगठनों को सुदृढ़ बनाना, क्षेत्रीय आधार पर अनुसंधान का विकास, भूमि विज्ञान और मृदा विज्ञान की नई समस्याओं की स्थापना, चारा और घास-भूमियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान, विषाणु अनुसन्धान तथा सिंचाई प्रणालियों तथा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों के प्रयोग से सम्बद्ध समस्याओं का गहन अध्ययन। राज्यों में कृषि प्रशासन को दृढ़ बनाने वाले कार्यक्रमों को सर्वाधिक प्राथमिकता दे कर कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। सूरतगढ़ के राजकीय फार्म के ढंग पर एक या सम्भवतः दो और राजकीय यात्रिक फार्म स्थापित करने का भी विचार है।

12. योजना की अवधि में महत्वपूर्ण अन्न और कपास, तेलहन तथा पटसन जैसी व्यावसायिक फसलों के लिए न्यूनतम लाभकारी दाम निश्चित कर देने से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक उद्दीपक प्राप्त होंगे और इस प्रकार तीसरी योजना में विकास के जो विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं वे और अधिक प्रभावशाली हो जाएंगे। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए सरकार को जिन मूल्यों पर खरीदना और बेचना चाहिए उनका निर्णय बुवाई के मौसम से काफ़ी पहले ही कर लेना चाहिए।

II पशुपालन, दुग्ध-उद्योग और मछली-उद्योग

पूरक तथा सहायक अन्नो के उत्पादन को बढ़ाने की तुरन्त आवश्यकता के कारण विशेषतः प्रोटीन का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना में पशुपालन, और मछली-उद्योग के विकास के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

पशु-पालन

2. विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कृषि की एक ठोस प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में पशुपालन के विकास की परिकल्पना की गई है। फार्मों के उप-उत्पादनों के अधिक अच्छे उपयोग के लिए, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए, साल भर कृषकों को पूरा रोजगार दिलाने के लिए और ग्रामीण आयों में वृद्धि करने के लिए मिली-जुली खेती पर बल दिया जायगा। तीसरी योजना में पशुपालन के विकास के लिए 54 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जब कि दूसरी योजना में यह राशि लगभग 21 करोड़ रुपया थी।

3. भारत में पशुओं की एक बहुत बड़ी संख्या है, किन्तु उनकी उत्पादकता बहुत कम है। इस प्रकार प्रति दोहन गायों का औसत दूध लगभग 400 पौड है और भैंसों का लगभग 1,100 पौड, जबकि अधिक उन्नत पश्चिमी देशों में दूध की यह मात्रा 5,000 पौड या इससे अधिक है। इस समय दूध का कुल उत्पादन लगभग 2 करोड़ 20 लाख

टन है और यह आंसा है कि योजना के अन्त तक यह बढ़ कर 2 करोड़ 50 लाख टन हो जाएगा। वुनियादी नीति यह है कि इस प्रकार की नस्लें तैयार की जाएं और उनका विकास किया जाए कि जिनसे अच्छी खेती के लिए तगड़े बैल और मानवीय क्षमता के लिए और अधिक दूध की प्राप्ति, ये दोनों ही उद्देश्य पूरे हों।

4. पहली दोनों योजनाओं में केन्द्र ग्राम योजना पशुओं के भरपूर विकास का एक मुख्य कार्यक्रम रही है। इस योजना पर हाल ही में सावधानतापूर्वक फिर से विचार किया गया है। केन्द्र ग्राम क्षेत्रों में बधिया करने के कार्यक्रम को और बढ़ाया जाएगा। बढ़ड़े तैयार करने की सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी, वर्तमान चारे के साधनों का और अधिक अच्छा उपयोग करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा, और सीमान्त तथा उपसीमांत भूमियों में चारे की फसलें बोने पर भी ध्यान दिया जाएगा। परीक्षण के तौर पर यह भी विचार है कि ऊचाईवाले क्षेत्रों में और जहाँ भारी वर्षा होती है, वहाँ नस्ल सुधारने के लिए अच्छी जाति के विदेशी सांडों से गर्भाधान कराया जाए और एक ऐसा फार्म खोला जाए कि जहाँ अच्छी नस्ल के पशु रखे जाएं। सभी महत्वपूर्ण नस्लों के लिए एक ऐसी योजना निरन्तर लागू की जाएगी जिससे पैदा होने वाली नस्ल की जाच की जा सके।

5. मुख्य प्रजनन क्षेत्रों में प्रजनन सोसाइटियों को प्रोत्साहन देना होगा। ये पशुओं के पजीकरण और दुग्ध उत्पादन के हिसाब-किताब की व्यवस्था करेंगी और अन्य क्षेत्रों में प्रजनन सांडों की आवश्यकता होने पर उनकी पूर्ति करेगी। वृद्धि गर्भाधान के विस्तार के अतिरिक्त, प्रजनन सांडों की कमी को पूरा करने के लिए यह विचार है कि प्रजनन क्षेत्रों में सांड तैयार करने के 11 फार्म खोले जाएं। 30,000 सांड बढ़ड़े तैयार करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। मौजूदा 33 सरकारी पशु-प्रजनन फार्मों में जो पशु मौजूद हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए और कई नए पशु फार्म स्थापित किए जाएं।

6 अतिरिक्त तथा अनुत्पादक पशुओं की समस्या की गम्भीरता को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, यद्यपि इस प्रकार के पशुओं की संख्या के आकड़े भिन्न-भिन्न हैं। पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पौष्टिक चारा नहीं मिलता और पौष्टिक चारा न मिलने से उत्पादकता बढ़ाने के प्रयत्न विफल हो जाते हैं। इसलिए पशुओं के सुधार और व्यवस्थित प्रजनन के कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि घटिया किस्म के पशुओं को हटा दिया जाए। मौजूदा 59 गो-सदनो के अतिरिक्त, 23 और गो-सदन स्थापित किए जाएंगे। किन्तु इस कार्यक्रम में कुछ कठिनाइयाँ हैं, जिनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वन क्षेत्रों के अन्तर्गामी भागों में उपयुक्त स्थान नहीं मिलते जहाँ कि आवश्यक चरगाहों की सुविधाएं उपलब्ध हों। बेकार नर पशुओं को हटा देने के लिए तीसरी योजना में बधिया बनाने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर क्रियान्वित करने का विचार है। पहले उन क्षेत्रों में व्यापक रूप से बधिया करने का कार्य किया जाएगा जहाँ पशुओं के भरपूर विकास कार्यक्रम चालू किए गए हैं और बाद में अन्य क्षेत्रों में भी यह कार्य किया जाएगा।

7 तीसरी योजना के अन्त तक पशु-चिकित्सा के लिए 8,000 अस्पताल और शौच-

घालय हो जाएंगे। 1963-64 तक देश के समस्त मवेशियों को खूनी दस्तों की बीमारी से बचाने के लिए टीके लगा दिए जाएंगे।

8. जो अन्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएंगे, उनमें से कुछ ये हैं—दो प्रादेशिक सुअर प्रजनन तथा सुअर के मांस की फैक्टरियों, 12 सुअर प्रजनन एकक और 140 सुअर प्रजनन विकास खण्डों की स्थापना। एक अश्व प्रजनन फार्म भी स्थापित किया जाएगा जिसमें 10 अभिजनन केन्द्र होंगे। एक राष्ट्रीय अभिजनन सहकारी योजना तथा एक निजी अभिजनन योजना पर विचार किया जा रहा है। ऊन की किस्म सुधारने और स्थानीय भेड़ों की नस्लों का विकास करने के लिए 15 भेड़ प्रजनन फार्मों की स्थापना करने और 17 मौजूदा फार्मों का विस्तार करने का विचार है। जो विभिन्न उपाय बरते जाएंगे, उनके परिणामस्वरूप यह आशा है कि ऊन का मौजूदा उत्पादन 7 करोड़ 20 लाख पौंड से बढ़ कर तीसरी योजना के अन्त तक 9 करोड़ पौंड हो जाएगा। कुक्कुट पालन के विकास के कार्यक्रम में 60 राज्य कुक्कुट फार्मों, 3 क्षेत्रीय कुक्कुट फार्मों और 50 विस्तार तथा विकास केन्द्रों में वृद्धि करना सम्मिलित है।

9. अपने आप मरे हुए पशुओं की खालें और अधिक अच्छे ढंग से इकट्ठा करने और उन्नत तरीकों से चमड़ा उतारने के कार्यक्रमों को बढ़े पैमाने पर कार्यान्वित किया जाएगा। इसके लिए समय पर मृत पशु का मिल जाना और उप-उत्पादनों का पूरा उपयोग, उन्नत तरीकों से खालों और चमड़ों की कमाई तथा चुने हुए केन्द्रों में पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। एक बड़ा और 14 छोटे खाल उतारने और उसे बनाने तथा पशु शव का उपयोग करने वाले केन्द्रों की स्थापना की जाएगी तथा 2 चलते-फिरते हड्डियों के चूरा करने वाले एकक एवं खाल उतारने, बनाने और उसके उपयोग के लिए एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

10. 1960 में गोसंवर्द्धन की केन्द्रीय परिषद का पुनःसंगठन किया गया था। इसे पशुओं के संरक्षण और विकास से सम्बद्ध क्रियाकलाप को समन्वित करने का विशेष दायित्व सौंपा गया था, खास तौर पर गायों के विकास का। अपने अन्य कार्यों के अन्तर्गत, यह परिषद् गोशाला और चर्मालय के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था करेगी। तीसरी योजना में 168 गोशालाओं की सहायता की जाएगी जिससे कि वे पशु प्रजनन तथा दुग्ध उत्पादन एककों के रूप में विकसित हो सकें।

11. दूसरी योजना की अवधि में 5 पशु-चिकित्सा कालेजों का विस्तार किया गया था और 3 नए कालेज स्थापित किए गए थे। तीसरी योजना में 2 नए पशु-चिकित्सा कालेज स्थापित किए जाएंगे। लगभग 70,000 पशु रखनेवाले लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए भी प्रवन्ध किए जाएंगे।

दुग्ध उद्योग और दूध की आपूर्ति

12. भारत में दुग्ध उद्योग के सामने कई समस्याएं हैं जैसे कि बिखरे हुए तथा छोटे

पमाने पर दूध का उत्पादन, देश के अधिकार भागों में यातायात की अपर्याप्त सुविधाएं, दूध इकट्ठा करने, तैयार करने और बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी तथा संयंत्र के आयात पर निर्भरता, प्राविधिक तथा कुशल कर्मचारियों की कमी तथा उचित रूप से संगठित हाट-व्यवस्था का अभाव। इसलिए एक संगठित आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों से अतिरिक्त दूध का सग्रह करने तथा उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य पर दूध की बनी चीजों तथा अच्छे प्रकार के दूध की आपूर्ति को बढ़ाने की दिशा में प्रयत्न करने होंगे।

13. दुग्ध उद्योग के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली नीति का उद्देश्य दुग्ध उद्योग की परिपोजनाओं में वृद्धि करना है जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन करने पर और अधिक जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त दूध की विक्रय-व्यवस्था के लिए योजनाएं बनानी होंगी। दूध की आपूर्ति तथा संग्रह का कार्य गांवों में अनेक उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा। दूध तैयार करने तथा उसके वितरण और दूध की बनी चीजों को तैयार करने का कार्य सहकारी आधार पर चलाए जाने वाले संयंत्रों द्वारा संगठित किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में जो विकास किया जाएगा, उसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी दूध की बनी चीजों को तैयार करने के कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा।

14. तीसरी योजना की अवधि में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और निरन्तर बढ़ने वाले औद्योगिक उपनगरों में दुग्ध आपूर्ति की 55 नई योजनाएं चालू की जाएंगी। ग्रामीण दुग्ध बस्तियों का विकास करने के लिए 8 मलाई मक्खन निकालने के केन्द्र, 4 दुग्ध चूण की फैक्टरिया और 2 पनीर फैक्टरिया स्थापित की जाएंगी। दूध की आपूर्ति करनेवाले बड़े संयंत्रों के पास 4 पशु चारा तैयार करनेवाली फैक्टरिया भी लगाई जाएगी। तीसरी योजना में दुग्ध उद्योग के विकास के लिए लगभग 36 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। दुग्ध उद्योग के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध उद्योग के लिए आवश्यक साज-सामान और मशीनरी को देश में ही बनाने के लिए प्रबन्ध किए जाएंगे।

15. दुग्ध उद्योग के कार्यक्रम प्रभावशाली रूप से आसपास के गांवों की अर्थ-व्यवस्था के साथ सम्बद्ध होंगे, ताकि ऐसे पशुओं के विकास को बढ़ावा मिल सके जिन से दोहरे उद्देश्य पूरे हों। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रजनन नीति को सफल बनाने की दिशा में दुधारू पशु खरीदने के लिए ऋणों की सहायता दी जाएगी। गांवों की अच्छी नस्लों को बढ़ावा देने के लिए जहां तक संभव हो, संयंत्रों द्वारा गांवों का दूध भी उसी दाम पर खरीदा जाना चाहिए जिस दाम पर भेसो का दूध।

16. तीसरी योजना की अवधि में करनाल स्थित राष्ट्रीय दुग्ध उद्योग अनुसन्धान संस्था का विस्तार किया जाएगा। बंगलौर, इलाहाबाद, आनन्द तथा आरे में भारतीय डेरी डिप्लोमा के लिए और करनाल में डेरी उद्योग में बी० एस०-सी० पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में आनन्द नामक स्थान पर एक दुग्ध विज्ञान कालेज स्थापित किया जाएगा।

मछली पालन

17. भारतीय समुद्रों के जलीय साधन बहुत से हैं और विस्तृत हैं। मछली पकड़ने और उससे संबद्ध उद्योगों से लगभग 10 लाख मछलियों को रोजगार मिलता है, जिनमें से अधिकांश अत्यन्त गरीबी की हालत में रहते हैं। तीसरी योजना के लिए मछली पालन की योजनाएं बनाने का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि उत्पादन बढ़ाया जाए किन्तु इसके साथ ही मछलियों की आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है। निर्यात व्यापार को विकसित करने पर भी जोर दिया गया है।

18. अब बड़े पैमाने पर अन्तर्देशीय मछली पालन में विस्तार करना सम्भव हो गया है क्योंकि भारतीय मछलियों पर न्यासर्ग उपचार द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक ऐसी तकनीक का विकास हो गया है कि जिससे मछलियों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है कि जिसके परिणामस्वरूप देश के किसी भी भाग में, चाहे वह स्वाभाविक रूप से मछलियों के अण्डे देने के अनुकूल हो या न हो, मछलियों से अण्डे प्राप्त हो सकते हैं और मछलियां पैदा हो सकती हैं। इस सम्बन्ध में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया से 'कॉमन कार्प' मछली की किस्म भी लाई गई है जो बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। विभिन्न राज्यों में लगभग 50,000 एकड़ जलीय क्षेत्र का प्रदर्शन-मछली-फार्मों के रूप में उपयोग किया जाएगा। 120 करोड़ छोटी मछलियां और मछली के बीज जमा करने का भी विचार है। नदी घाटियों में भी नियमित रूप से मछलियों को रखा जाएगा, क्योंकि इनमें भी मछली पालन के विकास के लिए काफी गुंजाइश है। एक महत्वपूर्ण स्थानीय साधन के रूप में, पंचायत समितियों और पंचायतों को मछली तालाबों का भी विकास करना चाहिए।

19. तीसरी पंचवर्षीय योजना में मछली पालन की सहकारी समितियों का निर्माण और संचालन मछली पालन के विकास कार्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस समय मछली पालन की लगभग 2,100 सहकारी समितियां हैं, जिनके सदस्यों की कुल संख्या लगभग 2 लाख 20 हजार है। मछली पालन की सहकारी समितियों को अपने कार्य में जो सफलता मिली है वह एक जैसी नहीं है, उनमें से केवल 800 सहकारी समितियों का ही कार्य सन्तोषजनक कहा जा सकता है। तीसरी योजना में मछली पालन की सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाया जाएगा, जिनका और अधिक विकास, शिक्षा, व्यापार और उच्च-व्यवस्था तथा उत्पादक सहकारी समितियों के साथ सम्बद्ध किया जाएगा। ये कार्य निस्सन्देह बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनके लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाएगा।

20. देश की लगभग दो तिहाई मछलियों का अनुमानित उत्पादन समुद्र से होता है। तीसरी योजना में मछली पकड़ने के लिए 4,000 नई यंत्रसज्जित नावें चालू करने का विचार है। गहरे समुद्र में मछली मारने के मौजूदा 4 केन्द्रीय स्टेशनों के मछली पकड़ने के प्रारम्भिक कार्यक्रमों में विस्तार किया जाएगा, और अतिरिक्त एकको की स्थापना की जाएगी। 35 बड़े जहाज भी चलाए जाएंगे और 16 बन्दरगाहों पर मछलियों को लाने और उतारने की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

21. मछली एक ऐसी चीज है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए उसकी हाट-व्यवस्था की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करना अत्यन्त आवश्यक है। विभिन्न राज्यों में 72 आइस और कोल्ड स्टोरेज प्लांट वितरित किए जाएंगे, जिससे मछलियां खपत केन्द्रों तक अच्छी हालत में पहुंच सकें। मुख्य मार्गों पर लगभग 20 नए रेफ्रीजरेटेड डिब्बे चलाए जाएंगे। ऐसी आशा है कि मछलियों का उत्पादन 14 लाख टन से बढ़कर 18 लाख टन हो जाएगा। मछलियों के निर्यात का मूल्य 6 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 12 करोड़ रुपया हो जाने की आशा है। तीसरी योजना में मछली पालन के विकास के लिए लगभग 29 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

22 समुद्र में मछली पालन, समुद्रशास्त्र सम्बन्धी अध्ययन, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मछली पालन, ताजे पानी में मछली पालन और समुद्र के इधर-उधर जमा जल में मछली पालन आदि के सम्बन्ध में नई जाच-पड़ताल की जाएगी। जिला स्तर पर मछली पालन प्रबन्ध-कीय कर्मचारियों के लिए एक मछली पालन प्रशिक्षण संस्था ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। कोचीन में विभिन्न स्तरों पर मछली पालन में लगे लोगों के प्रशिक्षण के लिए एक संस्था स्थापित की जाएगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मछली पालन विकास की विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए जिन लोगों की आवश्यकता होगी अनुमानतः उनकी कुल संख्या लगभग 2,100 होगी। उनके प्रशिक्षण के लिए उचित प्रबन्ध किए गए हैं।

III वन और भूमि-संरक्षण

वन-साधनों का विकास भूमि के अधिकतम उपयोग के कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। भारत में भूमि-संरक्षण और उत्पादन की दृष्टि से वनों का बहुत महत्व है।

देश की कुल भूमि के केवल 22 प्रतिशत में ही वन हैं, जबकि एक-तिहाई क्षेत्र में वन होना वाछनीय है। औद्योगिक उपयोग और घरेलू कार्यों के लिए वनों में पैदा होने वाली विभिन्न वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ रही है। इस समय औद्योगिक लकड़ी, जिसमें लुगदी बनाने के काम आने वाली लकड़ी भी शामिल है, की मांग 45 लाख टन होने का अनुमान है। यह मांग 1975 तक लगभग 95 लाख टन हो जाने की सम्भावना है। जन-संख्या बढ़ने, साक्षरता में वृद्धि होने और रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने के साथ-साथ कागज और रेयन बनाने के काम आने वाली लुगदी की मांग काफी बढ़ जाने की सम्भावना है। इस दिशा में यदि विशेष प्रयत्न न किया गया, तो 1975 तक उत्पादन 55 लाख टन से अधिक बढ़ सकता है और इस प्रकार 1975 में 40 लाख टन की कमी रह जाएगी। ईंधन की कमी 10 करोड़ टन हो जाने की सम्भावना है।

2. पहली और दूसरी योजनाओं में 55 हजार एकड़ क्षेत्र में दियासलाई बनाने के लिए उपयुक्त लकड़ी और 3 लाख 30 हजार एकड़ क्षेत्र में इमारती लकड़ी के वृक्ष लगाने का काम शुरू किया गया। लगभग 18 हजार वर्गमील क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन

किया गया, वन-क्षेत्रों में 9 हजार मील लम्बी सड़कों का विकास किया गया और हीन दशा में पड़े हुए लगभग 4 लाख एकड़ वनों का पुनरुद्धार किया गया। वृक्ष काटने के सुधरे तरीकों का भी प्रदर्शन किया गया।

3. तीसरी योजना में उन कार्यों पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिनसे देश की दीर्घ-कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिले और उपलब्ध धनोत्पादनों का, जिनमें घटिया लकड़ी और लुगदी के काम आने वाली लकड़ी भी शामिल है, किफायत और कुशलता से उपयोग किया जा सके। अबिलम्ब जिस लक्ष्य की पूर्ति करनी है, वह यह है कि इमारती लकड़ी निकालने के बेहतर तरीकों का इस्तेमाल कर उत्पादन बढ़ाया जाए, वन संचार का विकास किया जाए और संरक्षण तथा परिपक्वता की प्रक्रियाओं का अधिक उपयोग कर लकड़ी का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। योजना में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए 51 करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था की गई है।

4. उद्योगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए वन लगाने का व्यापक कार्यक्रम शुरू करना आवश्यक है। इन वनों में केवल धीरे-धीरे बढ़ने वाले पुरानी किस्म के वृक्ष नहीं लगाने चाहिए, बल्कि ऐसे वृक्ष भी लगाने चाहिए, जो जल्दी बढ़ें। तीसरी पंचवर्षीय योजना में नए वन लगाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 लाख एकड़ क्षेत्र में टीक, दिवासलाई के उपयोग की लकड़ी, बांस, बाटल और कजुवरिना आदि के वृक्ष लगाए जाएंगे। इसके अलावा 3 लाख एकड़ क्षेत्र में जल्दी बढ़ने वाले इमारती लकड़ी के वृक्ष लगाने का कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।

5. यह अनुमान है कि तीसरी योजना में 12 लाख एकड़ क्षेत्र में वन लगाने का काम होगा। इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से चलाने में पंचायत समितियों और पंचायतों की सहायता की जानी चाहिए और वन-विभागों को इस बात का प्रबन्ध करना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए बीज और नए पीछे उपलब्ध हों। राज्यों के और राष्ट्रीय राजपथों, नहरों और रेल की पटरियों के किनारे पेड़ उगाने के कार्यक्रमों को बढ़ाया जाना चाहिए।

6. वृक्ष काटने के उन्नत औजार बनाने के उन्नत तरीकों से छीजन कम होती है और लकड़ी का अधिक उपयोग होता है। अनेक राज्यों में वन-विभागों के कर्मचारियों को इन उन्नत तरीकों का इस्तेमाल करने की शिक्षा दी गई है। देहरादून की वन-अनुसन्धान संस्था में उन्नत उपकरणों को तैयार करने का काम शुरू किया जा चुका है। हिमालय पर्वत श्रेणी में बहुत ऊँचाई पर जो घने वन हैं, उनसे या तो लाभ नहीं उठाया गया है, या केवल आंशिक लाभ उठाया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन वनों तक पहुँचना कठिन है। वनों के बेहतर उपयोग के लिए योजना में इस बात की व्यवस्था की गई है कि वनों में 15 हजार मील लम्बी वन-सड़कें बनाई जाएँ और इन सड़कों को मुख्य सड़कों और नदियों के घाटों से जोड़ दिया जाए।

7. अबल दर्ज की इमारती लकड़ी कम है, इसलिए उसके बदले दोयम दर्जे की लकड़ी को अच्छी तरह से पकाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। योजना में यह व्यवस्था की गई है कि लकड़ी को परिपक्व करने के 27 और परिपक्वता एवं संरक्षण के 3 संयंत्र

लगाए जाए। यह बहुत जरूरी है कि बढ़िया किस्म की इमारती लकड़ी का इस्तेमाल ऐसे महत्वपूर्ण कामों के लिए ही किया जाए, जिनके लिए कोई दूसरी लकड़ी काम में नहीं लाई जा सकती।

8. लगभग 43 हजार वर्गमील क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का काम करने का प्रस्ताव है। जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सीमांकन पहले हो चुका है, उनमें पुनर्वास का काम बढ़ाकर 6 लाख एक्ड़ में किया जाएगा।

9. विनियोग से पहले वन-साधनों और उद्योगों के व्यापक सर्वेक्षण की एक परियोजना तीसरी योजना में शामिल कर ली गई है। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि जल्दी बढ़ने वाले वृक्ष लगाने का दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाया जाए, अन्तर्प्रदेश में स्थित वनों तक पहुंचा जाए और वनों पर आधारित उद्योगों की आर्थिक दृष्टि से उन्नति की सम्भावना का निरन्तर किया जाए। विभिन्न उद्योगों के अगले पन्द्रह वर्ष या अधिक की आवश्यकताओं का इन सर्वेक्षण में अधिक ध्यान रखा जाएगा। इस सर्वेक्षण के बाद परिवहन की सुविधाओं को सुधारने, लकड़ी का उपयोग करने, बोई बनाने आदि के विस्तृत कार्यक्रम शुरू करने का विचार है। इस सर्वेक्षण के आधार पर जो कदम उठाए जाएंगे, उनसे इमारती लकड़ी और आर्थिक महत्व की अन्य वस्तुओं की पूर्ति और उनकी भाग के बीच के अन्तर को कम करने में मदद मिलेगी।

10. देहरादून की वन-अनुसंधान सस्या में होने वाले काम को विस्तृत करने के लिए तीन प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र खोले जाएंगे। इन केन्द्रों में विभिन्न प्रकार की लकड़ी की मजबूती, दीर्घजीवन और किकावती इस्तेमाल के विषय में व्यापक अध्ययन होगा। कोमती उत्पादन, जैसे मन्दल, अगर आदि की उपज को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी अन्वेषण किया जाएगा। विविध प्रकार के वनों और बेंतों को उगाने और उनका उपयोग करने के विषय में परीक्षण किए जाएंगे।

11. यह अनुमान है कि विभिन्न राज्य-वन-विभागों के 480 अधिकारियों और 1,520 रेंजरो को प्रशिक्षण करना होगा। देहरादून और कोयम्बटूर-स्थित वर्तमान संस्थाओं में प्रवेश भी तदनुसार बढ़ा दिया जाएगा। फारेस्टरो और फारेस्ट-गाइडों जैसे 10 हजार क्षेत्र-कर्मचारियों की प्रशिक्षण की राज्य व्यवस्था राज्यों की ओर से होगी।

12. प्राकृतिक संरक्षण वन-विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और देश में पाए जाने वाले जन्तुओं और वृक्षों की रक्षा और उनका उचित प्रबन्ध इसके अन्तर्गत है। तीसरी योजना में 5 विडियाघरों, 5 राष्ट्रीय उप-वनो और 10 वन्य-जन्तु-शरणों की स्थापना और विकास का कार्यक्रम शामिल किया गया है। दिल्ली के विडियाघर को और अधिक विकसित किया जाएगा।

13. वनों में काम करने वाले कर्मचारियों की सहकारी समितियां बनाने और इनको उचित रियायत देने का प्रस्ताव है। राज्यों की योजनाओं में इस बात की व्यवस्था भी की गई है कि इस वर्ग के कर्मचारियों को आवास, डाक्टरों सहायता, पीने के पानी की पूर्ति और प्राथमिक शिक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएं।

14. वनों के विकास में जनता के सहयोग का बहुत महत्व है। वृक्ष चाहे जनता द्वारा लगाए जाएं या सरकारी अभिकरणों द्वारा, उनकी देखभाल और रक्षा तभी हो सकती है, जब सम्पूर्ण जनता वृक्षों के महत्व को समझे और उनके संरक्षण के लिए प्रयत्न करे। गांवों में ईंधन के लिए जो वन लगाए जाते हैं, वे सारे गांव की मूल्यवान सम्पत्ति हैं। इस पूंजी को पैदा करने में ग्रामीण समाज की मदद की जानी चाहिए और इन वनों के प्रबन्ध का अधिकाधिक उत्तरदायित्व जल्दी से जल्दी पंचायत समितियों और पंचायतों पर डाल देना चाहिए।

भूमि-संरक्षण

15. यह अनुमान है कि इस समय लगभग २० करोड़ एकड़ धोन भू-क्षरण से ग्रसित है। भूमि-संरक्षण और भूमि में नमी को बनाए रखने की व्यापक योजना बनाने और उससे लाभ उठाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने की जरूरत है।

16. पहली योजना में 7 लाख एकड़ खेती की जमीन में मेड़ बनाने और उत्तलन का काम शुरू किया गया। भूमि और जल-संरक्षण की समस्याओं के अध्ययन के लिए 8 प्रादेशिक अनुसन्धान एवं प्रदर्शन-केन्द्र स्थापित किए गए। इसके अलावा रेगिस्तान की समस्याओं के अध्ययन के लिए जोधपुर में मरुभूमि वनरोपण और अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किया गया। दूसरी योजना में मेंडवन्दी और भूमि-उत्तलन के कार्य में अच्छी प्रगति हुई और 20 लाख एकड़ का लक्ष्य पूरा हो गया। भूमि-संरक्षण और भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में एक अखिल भारतीय एकीकृत सर्वेक्षण शुरू किया गया। लगभग 1 करोड़ 20 लाख एकड़ भूमि का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 20 लाख एकड़ भूमि नदियों के जल-ग्राहक क्षेत्रों में है। सूखी खेती के तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए दूसरी योजना के अन्तिम दो वर्षों में नदियों के जलग्राहक क्षेत्र में 40 प्रदर्शन-परियोजनाओं के लिए मजूरी दी गई। इनमें से कुछ परिपोजनाएँ शुरू की जा चुकी हैं और तीसरी योजना में इन परि-योजनाओं का काम और भी बढ़ाया जाएगा। विभिन्न अनुसन्धान-केन्द्रों में जो अनुसन्धान-कार्य हुआ है, उससे बहुत मूल्यवान व्यावहारिक परिणाम निकले हैं। इन केन्द्रों में चलायमान रेतीले टीलों को अचल करने के तरीके निकाले गए और लगभग 1,800 एकड़ भूमि में ऐसे टीलों को स्थिर किया गया। राष्ट्रसंघीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सगठन के सहयोग से जोधपुर के मरुभूमि वनरोपण एवं अनुसन्धान-केन्द्र का केन्द्रीय शुष्क-क्षेत्र-अनुसन्धान सस्था के रूप में पुनर्गठन किया गया। राजस्थान में चरागाहों के विकास की एक योजना शुरू की गई। अब तक 18 विकास-खण्डों में लगभग 50 छोटे चरागाह बनाए गए हैं।

17. कृषि-साधनों के विकास के लिए यह जरूरी है कि भूमि-संरक्षण और शुष्क खेती का कार्यक्रम व्यापक रूप से शुरू किया जाए और देहात के लोग बड़े पैमाने पर इसमें भाग लें। तीसरी योजना में लगभग 1 करोड़ 10 लाख एकड़ खेती की जमीन में मेड़बन्दी होगा और लगभग 2 करोड़ 20 लाख एकड़ को शुष्क खेती के तरीकों से लाभ पहुंचाया जाएगा।

18. बड़ी नदी-घाटी परियोजनाओं के जलप्राहक क्षेत्रों में भूमि-संरक्षण का कार्य तुरन्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन पर काफी धन लगाया जा चुका है। अन्ततः लगभग 1 करोड़ 50 लाख एकड़ क्षेत्र में भूमि-संरक्षण-कार्य करने की जरूरत होगी। दूसरी योजना में यह काम लगभग 1 लाख 40 हजार एकड़ में हुआ। तीसरी योजना में यह कार्यक्रम और 10 लाख एकड़ में शुरू करने के लिए 11 करोड़ रु० रले गए हैं।

19. मिचाई वाली भूमि के विगड़ने का एक प्रधान कारण भूमिगत पानी के स्तर का उटना और लोनी और क्षारीय भूमि का बढ़ना है। जैसे-जैसे मिचाई बढ़नी जाएगी, वैसे-वैसे भूमि के विगड़ने की सम्भावना भी बढ़ेगी। अतः जल-प्लावन बाधे क्षेत्रों में जल की निकासी की व्यवस्था आवश्यक है। तीसरी योजना में लगभग 2 लाख एकड़ जल-प्लावन, लोनी और क्षारीय भूमि को खेती-योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

20. यह प्रस्ताव है कि ऐसी भूमि का सर्वेक्षण किया जाए और उसके तल-रूप नक्शे तैयार किए जाएं, जिनमें उन्हें खेती-योग्य बनाने की परियोजनाएँ तैयार करने और शुरू करने में सुविधा हो। तीसरी योजना में, प्रभावित राज्यों में, 40 हजार एकड़ भूमि को खेती-योग्य बनाया जाएगा।

21. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान मन्त्रालय ने रेतीले क्षेत्रों और तटसम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के अनुसंधान का कार्य शुरू किया है। रेतीली भूमि को खेती-योग्य बनाने के तरीकों के अध्ययन के लिए एक अज्ञातमाइशी परियोजना शुरू करने का भी प्रस्ताव है। लगभग 1 लाख एकड़ महभूमि में भूमि-संरक्षण सम्बन्धी कदम उठाए जाएंगे। इसमें विभिन्न राज्यों में वनरोपण और चरागाहों के विकास का काम भी शामिल है।

22. पहाड़ी क्षेत्र, काटे डाले गए वन और बजर भूमि एक गम्भीर समस्या बन गए हैं। इन क्षेत्रों में भू-क्षरण का पहाड़ों और मैदानों, दोनों की खेती पर बुरा असर पड़ना है। यह स्थिति मवेशियों के ज्यादा चरने, अदल-बदल कर खेती करने और निरंकुश रूप से पेड़ों के गिराए जाने के कारण उत्पन्न हुई है। भू-क्षरण को रोकने और उत्पादकता पुनः-स्तथापित करने के लिए वनरोपण और चरागाहों के विकास का काम लगभग 7 लाख एकड़ क्षेत्र में फैलाया जाएगा, जिसके अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्र, काटे गए वन और बजर भूमि आ जाएगी।

23. तीसरी योजना में 1 करोड़ 50 लाख एकड़ से भी अधिक क्षेत्र के सर्वेक्षण का प्रस्ताव है। इसमें से अधिकांश क्षेत्र नदी-घाटी परियोजनाओं के जलप्राहक क्षेत्रों में है। केन्द्रीय भूमि-संरक्षण मण्डल ने देहरादून, चंडीगढ़, कोटा, दमोड, आगरा, बेलारी, उदकमण्डलम, दूध और जोधपुर में जो प्रादेशिक अनुसंधान एवं प्रदर्शन-केन्द्र स्थापित किए हैं, उन्हें भू-क्षरण की प्रादेशिक समस्याओं के अध्ययन के लिए बढ़ा दिया जाएगा। लाल भूमि वाले क्षेत्रों की समस्याओं के अध्ययन के लिए दो और केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से एक उड़ीसा और दूसरा आंध्र प्रदेश में होगा। केन्द्रीय शुष्क प्रदेश अनुसंधान संस्था शुष्क क्षेत्रों की मूल और व्यावहारिक समस्याओं के विषय में अनुसंधान करेगी। रेगिस्तान की चलत्मान रेत को स्थिर रखने के लिए चरागाहों के विकास की एक योजना भी चल रही है। तीसरी योजना में भूमि-संरक्षण-कार्यों के लिए लगभग 350 अधिकारियों, 1,700

सहायकों और 9,000 उप-सहायकों की आवश्यकता का अनुमान है। इन जल्दियों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण की वर्तमान सुविधाओं को समुचित रूप से बढ़ाया जा रहा है।

24. नदी-घाटी-परियोजनाओं में, जहां काफी लागत वाले कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, और शुष्क क्षेत्रों में भूमि-संरक्षण के अत्यधिक महत्व को ध्यान में रख यह जरूरी होगा कि प्रत्येक राज्य में एक भूमि-संरक्षण-संगठन स्थापित किया जाए। यह संगठन आवश्यकता-नुसार एक विभाग हो सकता है या किसी वर्तमान विभाग की एक शाखा और उसे भूमि-संरक्षण-कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें चलाने का भार सौंपा जा सकता है। विभिन्न सम्बद्ध विभागों के बीच समन्वय भी होना चाहिए।

25. मंडवन्शी और सूखी खेती जैसे भूमि-संरक्षण के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते समय लक्ष्य यह रहना चाहिए कि भूमि के स्वामियों अथवा उसका इस्तेमाल करने वालों को स्वेच्छा से भूमि-संरक्षण के उपाय अधिक से अधिक मात्रा में अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर जनता का सहयोग प्राप्त किया जाए। पर्याप्त और सामयिक जनसहयोग प्राप्त करने के लिए स्थानीय नेताओं को अपने पक्ष में करने से भूमि और जल-संरक्षण का कार्यक्रम तेजी से चल सकेगा।

26. इस बात की मिफारिश की गई है कि उपयुक्त कानून बनाकर राज्य सरकारों को बड़ी अथवा छोटी नदियों के क्षेत्र या गावों के समूह के लिए भूमि-संरक्षण-योजनाएँ तैयार करने का अधिकार दे दिया जाए। इन योजनाओं से जिन लोगों को लाभ पहुंचता है, यदि वे उसे पूरा करने के लिए स्वयं काम न करें, तो यह काम सरकार पूरा करे या उसकी ओर से पंचायत समिति करे और लागत उन लोगों से वसूल कर ले, जिन्हें लाभ पहुंचे। कुछ राज्यों में इस प्रकार के कानून पहले से हैं और अन्य राज्य भी ऐसे ही कानून बनाने का विचार कर रहे हैं।

IV सामुदायिक विकास

इस समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम 3,100 से अधिक विकास खण्डों में लागू किया जा चुका है जिनमें 3 लाख 70 हजार गाव शामिल हैं। इनमें से लगभग 880 खण्ड सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 5 से अधिक वर्ष पूरे कर चुके हैं और दूसरे सोपान में पहुंच गए हैं। अक्टूबर 1963 तक यह कार्यक्रम देश के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में प्रसारित हो चुकेगा। पहली दो योजनाओं में सामुदायिक विकास के लिए कुल लगभग 240 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई थी। तीसरी योजना में कुल 294 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त लगभग 28 करोड़ रुपये पंचायतों के लिए रखे गए हैं।

दूसरी योजना की अवधि में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में 3 महत्वपूर्ण बातें हुईं :—(1) राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास संगठनों को सामुदायिक विकास की

एक योजना में मिला दिया जाता, (2) पचायती राज का आरम्भ, (3) खण्ड को प्रायोजन एवं विकास की इकाई के रूप में स्वीकार करना ।

2. जिन्ना योजना के सामान्य ढांचे के अन्तर्गत खण्ड योजना में उन समस्त सामाजिक तथा आर्थिक क्रिया-कलापों को सम्मिलित करने का विचार है जिनके लिए (1) खण्ड और ग्राम स्तरों पर स्थानीय रूप से आभोजन शुरू करना आवश्यक है, और (2) खण्ड के भीतर क्रियान्वित होने वाली विभिन्न विभागों की योजनाओं का समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है । खण्ड योजना की परिधि में आने वाली मुख्य कार्रवाइयों के प्रकार ये हैं :

- (1) सामुदायिक विकास खण्ड के योजनावद्ध बजट में, जिस दौर में काम पहुँचा जा हो, उसके अनुसार आने वाली मदें;
- (2) विभिन्न विभागों के बजट में शामिल होने वाली ऐसी मदें जिन पर खण्ड सस्था के द्वारा अमल होना है;
- (3) स्थानीय समुदाय या लाभान्वित होने वालों के द्वारा कानून से निर्धारित जिम्मेदारियों के अनुसार शुरू किए गए काम;
- (4) खण्ड में शुरू किए गए ऐसे काम, जिनमें अकुशल और अर्द्ध-कुशल मजदूर काम करते हैं; और
- (5) खण्ड में खण्ड सस्था द्वारा इस उद्देश्य से शुरू की गई कार्रवाइया, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में विकास योजनाओं के निमित्त स्थानीय समुदायों का और अधिक योगदान प्राप्त किया जा सके ।

3. ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का पुनःसंगठन करने के लिए इस समय जो बुनियादी प्रश्न है वह ग्राम-स्तर पर कृषि सम्बन्धी प्रयत्न का संगठन करना है । कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में तीसरी योजना में बड़े महान कार्य सामने रखे गए हैं जिनके लिए ग्राम-स्तर पर अत्यन्त भरपूर प्रयत्नों का संगठन करना होगा । उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रामीण समुदाय को तैयार करने में जिस हद तक प्रगति होगी उसी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों की हर समस्या को सुलभाना आसान होगा और अन्य दिशाओं में विशेषतः ग्रामीण उद्योग और सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करने में अधिक उन्नति की जा सकती है । कृषि उत्पादन को बढ़ाने का इतना अधिक महत्व है कि तीसरी योजना के तात्कालिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए, सामुदायिक विकास आन्दोलन को जिस महत्वपूर्ण कसौटी पर पूरा उतरना है वह यह है कि यह आन्दोलन कृषि विस्तार अभिकरण के रूप में व्यावहारिक रूप से प्रभावशाली सिद्ध हो । इसलिए यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में अपने को सुदृढ़ करने के लिए सामुदायिक विकास संगठन को समस्त आवश्यक कदम उठाने चाहिए और यथासम्भव अधिकतम स्थानीय प्रयत्न के आधार पर कृषि उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना दायित्व स्वीकार करना चाहिए । इसके साथ ही कृषि विभागों तथा कृषि उत्पादन से सम्बद्ध अन्य विभागों के लिए यह जरूरी है कि वे सामुदायिक विकास संगठन को जिला और खण्ड स्तर पर आवश्यक विशेषज्ञ, निरीक्षण और पथप्रदर्शन तथा आपूर्तियाँ, प्रशिक्षित जनशक्ति तथा अन्य जरूरी साधन मुहैया करें ।

4. ग्राम उत्पादन कार्यक्रम, गांव के समस्त किसानों को कृषि कार्य में जुटाने और स्थानीय समुदाय के साधनों को प्रभावशाली रूप से गतिशील करने का मुख्य साधन है। विस्तार के क्षेत्र में तीसरी योजना में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा वह यह है कि ग्राम की उत्पादन योजनाएं तैयार की जाएंगी। कृषि विकास के लिए अब तक कार्य की साधारण पद्धति के रूप में इस प्रकार की योजनाएं बनाने के विचार को क्रियान्वित नहीं किया गया था। ग्राम की उत्पादन योजना में जो कार्यक्रम सम्मिलित हैं उनके दो मुख्य वर्ग हैं—जैसे (अ) ऋण, उर्वरक और उन्नत बीजों की आपूर्ति, वनस्पति संरक्षण के लिए सहायता, छोटे सिंचाई कार्य आदि, जिनके लिए गांव के बाहर से कुछ सहायता देनी होगी, और (ब) बड़ी योजनाओं से सिंचाई करने के लिए खेतों में नालियों का रख-रखाव कंट्रोल बांध बांधना, गांव में तालाबों का खोदना और उनकी देखभाल, खाद के स्थानीय साधनों का विकास और उपयोग, गांवों के ईंधन के लिए पेड़ लगाने आदि का कार्यक्रम, जिनके लिए ग्रामीण समुदाय अथवा लाभान्वित होने वाले लोगों के प्रयत्न करने की आवश्यकता है। दूसरे वर्ग के कार्यक्रमों को पूरा करने में ग्राम समुदाय का उत्साह और सहयोग अधिकांश रूप से आपूर्तियों एवं ऋण आदि के कुशल संगठन तथा विस्तार कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए प्राविधिक परामर्श की उत्तमता पर निर्भर होगा। ग्राम उत्पादन योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए जिन विभिन्न तत्वों की आवश्यकता है उनके लिए तीसरी योजना में पहले से ही व्यवस्था की जा चुकी है।

पंचायती राज

5. पंचायती राज का महत्व इस बात में है कि यद्यपि पथप्रदर्शन और निरीक्षण का कार्य तो राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा किन्तु ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का दायित्व अब खण्ड पंचायत समिति का होगा जो ग्राम तथा जिला स्तर पर क्रमशः पंचायतों और जिला परिषदों के साथ मिल कर कार्य करेगी। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक क्षेत्र के लोग समस्त आवादी के हित में भरपूर और निरन्तर जारी रहने वाली उन्नति प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को पंचायती राज के विकास का महत्व इस रूप में समझना चाहिए कि उससे जनता की सेवा के लिए नए-नए मार्ग मिलते हैं, न कि इस रूप में कि वह अधिकार का प्रयोग करने का अवसर देता है। पंचायती राज में लोकतन्त्रीय संस्थाएं और विस्तार सेवाएं, ये दोनों ही सम्मिलित हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा विकास कार्यक्रम चालू किए जाते हैं। खण्ड तथा ग्राम स्तर पर कार्य करने वाले विस्तार कर्मचारी यद्यपि पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करते हैं किन्तु वे उन अनेक प्रशासनिक और प्राविधिक कर्मचारियों के अंग हैं जो जिला और उससे भी परे तक फैले हुए हैं। पंचायती राज की स्थायी सफलता के लिए यह बड़ा जरूरी है कि सरकार ने जिन प्राविधिक तथा प्रशासनिक सेवाओं की व्यवस्था की है वे पूरी ईमानदारी से काम करें और उन पर जो कार्य और जिम्मेदारियां डाली गई हैं उन्हें पूरी तरह से निभाएं। इसके साथ ही जिला और खण्ड स्तरों पर चुनी हुई संस्थाओं को उनके ज्ञान और अनुभव के लाभ उपलब्ध होने चाहिए। बैंक, हाट-

व्यवस्था, प्रोसेसिंग, वितरण, शिक्षा और प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में राज्य और जिला स्तरों पर कार्य करने वाले संघीय सहकारी संगठनों का जिले में क्या कार्य है, इसको स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए और सहकारी आन्दोलन के रवैये तथा सिद्धान्तों के अनुकूल सहकारी समितियों को अपने दायित्व पूरा करने में सहायता दी जानी चाहिए।

6. जिन मुख्य कसौटियों पर कस कर समय-समय पर पंचायती राज की सफलता आकने की आवश्यकता है वे नीचे दी गई हैं :

- (1) तीसरी योजना में सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में कृषि उत्पादन;
- (2) ग्रामीण उद्योग का विकास,
- (3) सहकारी संस्थाओं का विकास;
- (4) स्थानीय जनशक्ति एवं अन्य साधनों का पूरा उपयोग;
- (5) शिक्षा तथा वयस्क साक्षरता की सुविधाओं का विकास;
- (6) पंचायती राज की संस्थाओं के लिए उपलब्ध साधनों का, जहाँ तक लाभप्रद हो, वहाँ तक उपयोग, जैसे बिजली, कर्मचारी, प्राविधिक सहायता और उच्च स्तरों से अन्य सुविधाएँ तथा उनके द्वारा अपने साधन बढ़ाने के प्रयत्न;
- (7) ग्राम समुदाय के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को सहायता;
- (8) स्वयंसेवी संगठनों के दायित्व पर विशेष जोर देते हुए, अधिकार और साहस का प्रगतिशील वितरण,
- (9) व्यापक शिक्षा के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों के बीच एक दूसरे को समझने की भावना और तालमेल पैदा करना, कार्यों तथा जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण, और सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारियों की योग्यता में निरन्तर वृद्धि करना, और
- (10) समुदाय में मेलजोल और स्वयं अपनी तथा परस्पर एक-दूसरे की सहायता की भावना।

7. अब तक प्राप्त सीमित अनुभव के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावशाली और सफल कार्य सम्पादन के लिए निम्न सुझाव दिए जा रहे हैं :

- (1) उच्च स्तरों पर संस्थाओं का विकास करते हुए ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और पंचायत के कार्य पर सब से अधिक जोर दिया जाना चाहिए;
- (2) जिला स्तर के प्राविधिक अफसरों को, खण्ड विकास अफसरों और पंचायत समितियों को अपनी सलाह और सहायता उपलब्ध करानी चाहिए;
- (3) खण्ड में विस्तार अफसरों को खण्ड विकास अफसर के नेतृत्व में मिल कर काम करते रहना चाहिए और उन योजनाओं के तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए जिन पर पंचायत समिति विचार करती है;

- (4) अच्छी तरह सोच कर बनाई गई खण्ड योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने पर जोर दिया जाना चाहिए;
- (5) राज्य स्तर पर प्राविधिक विभागों द्वारा पंचायती राज की संस्थाओं का पथप्रदर्शन; और
- (6) जिलाधीश (कलक्टर) को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिला स्तर पर जिला परिषद तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्राविधिक अफसरों के बीच समन्वय हो तथा प्राविधिक अफसरों एवं खण्ड स्तर पर पंचायत समितियों तथा विस्तार अफसरों के बीच घनिष्ठ सम्पर्क हो और राज्य स्तर के विभागों से प्राविधिक परामर्श और पथप्रदर्शन निरन्तर प्राप्त होता रहे। उसे लोकतान्त्रिक संस्थाओं की और सार्वजनिक सेवाओं की सहायता करनी चाहिए ताकि वे रोजमर्रा के काम में और प्रशासनिक सम्बन्धों में ठीक प्रकार की परम्पराओं का विकास कर सकें।

8. पंचायती राज की स्थापना से जिला प्रशासन को पुनः संगठित करने का और बड़ा सवाल पैदा होता है। कई जिलों में निम्न संगठन समानान्तर रूप से कार्य कर रहे हैं जिनके क्रियाकलाप में अधिकांशतः कोई समन्वय नहीं है :

- (i) राजस्व प्रशासन जो कुछ विशिष्ट विकास कार्यों की देखभाल करता है जैसे कि तकावी, ऋण, वसूली आदि;
- (ii) जिला, तालुका और अन्य स्तरों पर स्थापित विकास विभाग;
- (iii) सामुदायिक विकास संगठन जिनमें खण्ड अफसर और ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता हैं, और जो ग्राम स्तर पर पंचायती और सहकारी समितियों से सम्बन्धित हैं; और
- (iv) स्थानीय बोर्ड (जहाँ ये अभी तक खत्म नहीं किए गए हैं)।

अब कुछ हद तक वैज्ञानिक तथा कार्यों तथा सम्बन्धों की नई परिभाषा करना जरूरी हो गया है।

कमजोर वर्ग और रोजगार की समस्या

9. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत विकास के अधिक व्यापक दृष्टिकोण से कमजोर वर्गों के कल्याण की समस्या पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि एक तरह से ग्राम समुदाय का अधिकांश भाग ऐसे लोगों का है जिन्हें अधिक दृष्टि से कमजोर कहा जा सकता है। कम आय, कम उत्पादन और निरन्तर बने रहने वाले रोजगार का अभाव—ये वर्तमान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य कमजोरियाँ हैं। जब तक कि समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था का काफी शीघ्रता से विकास न हो तब तक ग्राम समुदाय की अथवा उसके कमजोर वर्गों की समस्या का सुलभाना कठिन है। इसलिए मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि एक अधिक उत्पादक कृषि अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाए और गावों में बहुत बड़ी संख्या में कृषि-भिन्न धन्धों की व्यवस्था की जाए जिससे कि उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हो।

इसके साथ ही समस्त त्रियाकलाप में कम रियायत प्राप्त वर्गों की आवश्यकताओं की ओर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

10. सामुदायिक विकास और ग्रामदान आन्दोलनों के कुछ सामान्य उद्देश्य हैं जिनमें ग्राम समुदाय द्वारा अपने मसल लोपो के कल्याण, रोजगार और आजीविका की जिम्मेदारी को स्वीकार करना सम्मिलित है। गांव के कमजोर वर्गों की दृष्टि से यह बात सब से अधिक महत्व की है।

11. खण्ड सगठन, भूमि सुधार कानून को लागू करने में महायत्ना देकर उपयोगी सेवा कर सक्ता है। यह कानून सार्वजनिक मन तैयार करके और लोगों को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में शिक्षा देकर पहले ही बनाया जा चुका है। जनता के कमजोर वर्गों के तात्कालिक लाभ के लिए खण्ड सगठन जो अन्य कार्य कर सक्ता है, वे ये हैं : गांवों में सहायक रोजगार बढ़ाना, ग्रामीण उद्योगों और ग्रामीण कारीगरों का उत्पादन बढ़ाना, श्रमिकों की सहायक समितियों का सगठन करना और क्षेत्र के जनसक्ति सम्बन्धी साधनों के यथासम्भव पूर्ण उपयोग को बढ़ाना। जिस ग्राम निर्माण कार्यक्रम से तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष तक विशेषतः कृषि के मन्दे मोसम में लगभग 25 लाख व्यक्तियों को रोजगार के बखस प्राप्त होंगे वह एक बड़ी हद तक सामुदायिक विकास सगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यह कार्यक्रम पहले उन क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाएगा जहाँ बहुत अधिक ग़ावामी है और काफी अर्द्ध-रोजगार की स्थिति है और बाद में अन्य क्षेत्रों में भी यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

V सहकारिता

सहकारिता और योजनावद्ध विकास

समाजवाद और लोकतन्त्र के मूल्यों पर आधारित एक योजनावद्ध अर्थव्यवस्था में सहकारिता आर्थिक जीवन की अनेक शाखाओं के, विशेषतः कृषि और छोटे सिंचाई कार्य, छोटे उद्योग, प्रोसेसिंग, त्रय-विद्यय, वितरण, आपूर्ति, गांव में विजली लगाना, मकान और निर्माण तथा स्थानीय समुदायों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सम्बन्धी सगठन का मुख्य आधार हो जानी चाहिए। मध्यम और बड़े उद्योगों और यातायात में भी अधिकांश त्रियाकलाप सहायक आधार पर किए जा सकते हैं। इस प्रकार शीघ्रता से विकसित होने वाला एक सहायक क्षेत्र, जिसमें किसान, मजदूर और उपभोक्ता की आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया गया हो, सामाजिक स्थिरता, रोजगार के अवसरों में विस्तार और शीघ्रता से आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक कारण बन गया है।

2. भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन, ये दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण तत्व हैं। सहकारिता अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढग के परिवर्तन लाने के लिए मुख्य माचनों में से एक है। जैसा कि दूसरी

योजना में कहा गया था, किसी ऐसे देश में, जिसके आर्थिक ढांचे की जड़ें गावों में हों, सहकारिता केवल सहकारी आधार पर संगठित कुछ क्रियाकलाप-मात्र नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं अधिक बड़ी चीज है। बुनियादी तौर पर इसका उद्देश्य एक ऐसी योजना बनाना है, जिससे एक सरकारी सामुदायिक संगठन की स्थापना हो और जिसमें जीवन के सब पहलुओं का समावेश हो। खास तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता उत्पादन का स्तर बढ़ाने, प्रौद्योगिकी में सुधार करने और रोजगार बढ़ाने का मुख्य साधन है, जिससे समुदाय के प्रत्येक सदस्य की बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।

3. ग्राम स्तर पर सहकारिता का अर्थ यह है कि समूचे ग्राम के सर्वसामान्य हित की दृष्टि से भूमि तथा अन्य साधनों और विभिन्न सेवाओं का विकास किया जाए और अपने समस्त सदस्यों के प्रति ग्राम समुदाय में निरन्तर बनी रहने वाली दायित्व की भावना पैदा हो। यह सोचा गया है कि एक और अधिक बड़ी सहकारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के अंग के रूप में नीति का व्यापक ध्येय यह होना चाहिए कि कृषि तथा ग्रामीण जनता के कल्याण से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध कई अन्य आर्थिक और सामाजिक संगठनों की प्रारम्भिक इकाई के रूप में ग्राम का विकास किया जाए। इसके साथ ही कारीगर तथा अन्य व्यक्ति अपने सामान्य हितों की दृष्टि से सरकारी सघ बनाएंगे, जो उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। भूमि सुधार और ग्राम तथा छोटे उद्योगों के लिए कार्यक्रम पंचायतों का विकास, सामुदायिक विकास में समुदाय के दायित्वों तथा कार्यों पर बुनियादी तौर पर दिया गया जोर, ये सभी बातें इन्हीं दिशाओं में सकेत करती हैं। धीरे-धीरे कृषि सम्बन्धी आधार के दृढ़ हो जाने पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के व्यावसायिक ढांचे को और अधिक क्षेत्रों में क्रियाकलाप के लिए निरंतर और अधिक संख्या में सरकारी समितियों के संगठन की आवश्यकता होगी। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया के तेज हो जाने पर और ग्राम समुदाय द्वारा कुशलता और उत्पादन के उच्च स्तर प्राप्त कर लेने पर सहकारिता को और अधिक बड़ी और पेचीदा मागों की पूर्ति करनी होगी। नई आवश्यकताओं एवं सम्भावनाओं के अनुकूल सहकारी संगठनों के विभिन्न स्वरूप विकसित होते रहेंगे।

4. तीसरी योजना में सहकारिता के विकास के लिए 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जब कि दूसरी योजना में 34 करोड़ रुपये के प्रत्याशित व्यय की व्यवस्था की थी।

सहकारी उधार ऋण

5. सहकारी उधार ऋण विषयक समिति के प्रस्तावों पर विचार करके राष्ट्रीय विकास परिषद ने यह सामान्य नियम बनाया है कि ग्राम समुदाय को प्रारम्भिक इकाई मानकर उसके आधार पर सहकारी समितियों का संगठन किया जाना चाहिए। किन्तु यह बात स्वीकार कर ली गई है कि जहाँ गाव बहुत छोटे हों, वहाँ सुचारु रूप से कार्य संचालन के लिए सहकारी समिति संगठित करने के निमित्त गावों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि कार्य ठीक रूप से किया जा सके और गाव की आवश्यक न्यूनतम संख्या सम्मिलित की जानी चाहिए, जिससे सहकारी समितियाँ ठीक प्रकार से कार्य कर सकें और उनमें सहकारिता के आवश्यक तत्व, जैसे स्वयंसेवी आधार, निकट सम्पर्क, सामाजिक

घनिष्ठता और पारस्परिक दायित्व का वातावरण कायम हो सके। किन्तु गांवों की संख्या में यह वृद्धि एक निश्चित अधिकतम हद ही होनी चाहिए, अर्थात् 3,000 से अधिक लोगो (600 परिवार या लगभग 500 कृषक परिवार) की वृद्धि नहीं होनी चाहिए और वे हेडक्वार्टर गांव से 3 या 4 मील से अधिक की दूरी पर नहीं होने चाहिए। यद्यपि एक प्रारम्भिक गांव सोमाइटी के लिए 3,000 लोगों की संख्या साधारणतया बहुत अधिक है, फिर भी सहकारी समितियों के संगठन और आकार के बारे में अत्युक्तिमंत ढंग के बड़े नियम बनाना वाञ्छनीय नहीं है। इस व्यापक ढांचे के अन्तर्गत सहकारी समितियों को स्वयं ही विकसित होने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। संगठन की इस योजना में उपयुक्त परिस्थितियों में राज्य द्वारा हिस्सा-पूजी में शरीक होने के लिए भी व्यवस्था की गई है। प्रारम्भिक समितियों और केन्द्रीय बैंको के बोध में एकमुश्त रकम देने के भी प्रस्ताव हैं। जिससे सहकारी समितियां सब प्रकार के किसानों को सदस्य बना सकें और उत्पादन की आवश्यकताओं तथा उनकी प्रदायगी की क्षमता के आधार पर उन्हे उधार ऋण की पर्याप्त सुविधाएं दे सकें। प्रारम्भिक समितियों को 3 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए अधिक से अधिक 900 रु० के प्रबन्ध अनुदान भी दिए जाते हैं।

6. पहली दो योजनाओं की अवधि में प्रारम्भिक कृषि उधार ऋण समितियों की संख्या 1 05 लाख से बढ़ कर लगभग 2.10 लाख हो गई है और उनकी सदस्यता 44 लाख से बढ़ कर लगभग 1 करोड़ 70 लाख हो गई है और इनके द्वारा दिए गए ऋण लगभग 23 करोड़ रु० से बढ़कर लगभग 200 करोड़ रु० हो गए हैं। तीसरी योजना में प्रारम्भिक कृषि उधार ऋण समितियों की संख्या बढ़कर लगभग 2 लाख 30 हजार, सदस्यता 3 करोड़ 70 लाख (कृषकों का 60 प्रतिशत) हो जाएगी और छोटे तथा मध्यम ऋण देने का वार्षिक स्तर 530 करोड़ तथा दीर्घकालीन ऋण (रकम बकाया) 150 करोड़ रुपया हो जाएगा। जहां-जहां सहकारी आन्दोलन कमजोर है, वहां इसे मजबूत बनाने और इसका संगठन करने पर तीसरी योजना में काफी जोर दिया गया है और लगभग 52 हजार प्रारम्भिक समितियों को मजबूत बनाने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त दूसरी योजना में लगभग 42 हजार समितियों को पुनः संगठित किया गया था। इन लक्ष्यों को निर्धारित करने में मुख्य बात यह रही है कि तीसरी योजना में और अधिक कृषि उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को पूरा बल मिले।

सहकारी ऋण-विक्रय

7. दूसरी योजना की अवधि में 1869 प्रारम्भिक ऋण-विक्रय समितियों की सहायता की गई। तीसरी योजना में 600 और प्रारम्भिक ऋण-विक्रय समितियों की स्थापना हो जाने के बाद देश की 2,500 मण्डियों में से प्रत्येक में अथवा प्रत्येक के पास एक ऋण-विक्रय समिति हो जाएगी। कृषि पैदावार के विक्रय के अनिश्चित ऋण-विक्रय समितियां कृषि के लिए आवश्यक सामान के वितरक के रूप में भी कार्य करती हैं। इसके लिए प्रयत्न किए जाएंगे कि सहकारी समितियां बिनी के योग्य फालतू खाद्यान्नों और व्यावसायिक फसलों का भी कार्य अधिक से अधिक परिमाण में करें। ऋण-विक्रय समितियों कुछ मुख्य समस्याएं ये की

है—पर्याप्त वित्त प्राप्त करना, प्रबन्ध में सुधार करना और अपने सदस्यों से निरन्तर समर्थन प्राप्त करना। मूल्य को स्थिर करने वाली नीतियों के परिणामस्वरूप क्रय-विक्रय की सहकारी समितियों के विकास और उधार ऋण में विस्तार के लिए बड़ी सहायता मिलेगी।

8. क्रय-विक्रय के कार्यक्रम के साथ गोदामों के कार्यक्रम का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। दूसरी योजना के अन्त तक मण्डी केन्द्रों में लगभग 1,670 और ग्रामीण क्षेत्रों में 4,100 गोदाम स्थापित किए जा चुके थे। तीसरी योजना में 990 अतिरिक्त गोदाम मण्डियों में और 9,200 गोदाम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।

सहकारी प्रोसेसिंग

9. ग्रामीण आय बढ़ाने और उत्पादन के लिए सहकारी उत्पादन का विकास अत्यन्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में सहकारी पहलुओं की दृष्टि से ग्रामीण आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए भी यह आवश्यक है। 1960-61 में 30 सहकारी चीनी कारखाने उत्पादन कार्य कर रहे थे, और तीसरी योजना में चीनी कारखानों की प्रगति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के अनुसार ऐसे और 25 कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं।

दूसरी योजना में चीनी कारखानों के अतिरिक्त 378 सहकारी प्रोसेसिंग एकाइयों की सहायता की गई। तीसरी योजना के लिए बनाए गए कार्यक्रमों में 783 सहकारी प्रोसेसिंग एकाइयों की स्थापना सम्मिलित है, जिसमें 48 कपास की सफाई करने और गाठें बाधने के संयंत्र और 36 चावल मिलें और 29 पटसन के कारखाने, 33 तेल मिलें, 63 मूंगफली कारखाने, 77 फल-डिब्बाबन्दी एकाइ, 411 धान कूटने की मिलें और 86 अन्य एकाइ होंगे।

10. योजना में चीनी को छोड़ कर अन्य प्रोसेसिंग एकाइयों के संगठन के बारे में दो-तरफा दृष्टिकोण रखा गया है। पहला यह कि उद्योग की प्रत्येक शाखा में एकाइयों की संख्या के बारे में कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र का कितना विकास किया जाए, इसका निर्णय व्यापक बातों के आधार पर किया जाना चाहिए। विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए सयंत्रों के नमूने, पूंजी निवेश के अनुमान और कार्यान्वयन लागत तथा अन्य प्राविधिक सामग्री आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। सहकारी चीनी कारखानों की भांति अन्य प्रकार के उत्पादन एकाइयों की वित्तीय सहायता के लिए प्रबन्ध किए जाने चाहिए। इस पृष्ठभूमि में विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों और सहकारी समितियों से निश्चित प्रस्ताव मंगाए जा सकते हैं। यदि आवश्यक परिस्थितियाँ मौजूद हों, तो न केवल नए एकाइयों की दृष्टि से सहकारी प्रोसेसिंग के विकास का बड़ा भारी क्षेत्र है, बल्कि जो एकाइ निर्जन्म व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं, उनका सहकारी आधार पर पुनर्गठन करने के लिए भी बड़ा भारी क्षेत्र है। व्यापक बातों पर विचार करते हुए यह पिछला पहलू बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सार्वजनिक नीति का उद्देश्य यह है कि निजी आधार की वजाय सहकारी आधार पर प्रोसेसिंग उद्योगों के संगठन में परिवर्तन किया जाए और यह पहलू इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से उद्योगों में इस समय या तो अतिरिक्त क्षमता है या उनकी वर्तमान क्षमता को बढ़ाने का केवल सीमित क्षेत्र है।

सहकारी खेती

11. पहली और दूसरी, दोनों ही योजनाओं में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनःसंगठित करने में सहकारी खेती का जो योगदान हो सकता है, उस पर बल दिया गया था। दूसरी योजना में यह सक्षम रखा गया था कि ऐसे आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जिनसे सहकारी खेती के विकास के लिए सृष्ट आधार प्राप्त होंगे, जिससे कि 10-15 वर्षों की अवधि में अधिकांश कृषि भूमि में सहकारी आधार पर खेती होने लगेगी। आवादी की वृद्धि तथा कृषि उत्पादन में और ग्रामीण रोजगार में दीघ्रता से वृद्धि करने की आवश्यकता के कारण यह आवश्यक है कि समूचे देश में सहकारी आधार पर खेती का विकास करने के लिए और अधिक प्रयत्न किए जाए और विशेषतः दूसरी योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जाएं। मुख्यतः सहकारी खेती का विकास सामान्य कृषि प्रयत्न की सफलता के परिणामस्वरूप होगा अर्थात् सामुदायिक विकास आन्दोलन, उधार ऋण, ऋण-विक्रय, वितरण और प्रोसेसिंग में सहकारिता की प्रगति, ग्रामीण उद्योग की उन्नति तथा भूमि सुधार के उद्देश्यों की पूर्ति के द्वारा होगा। ग्रामीण प्रगति में सहकारी खेती का योगदान तभी महत्वपूर्ण होगा, जब वह ईमानदार स्थानीय नेताओं के अधीन एक स्वयंसेवी जन आन्दोलन के रूप में विकसित हो और ग्राम के स्तर पर सामुदायिक विकास तथा सहकारिता की एक युक्तियुक्त परिणति हो। यदि सामुदायिक विकास का दृष्टिकोण मौजूद हो, और ग्राम समुदाय अपने सब सदस्यों की खुशहाली की जिम्मेदारी स्वीकार कर ले, तो सहकारी खेती की मुख्य समस्याएँ केवल प्रबन्ध सम्बन्धी, प्राविधिक और शैक्षणिक रह जाएगी।

12. सहकारी खेती के सम्बन्ध में कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर सितम्बर 1960 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारी कृषि समितियों के संगठन सम्बन्धी व्यापक सिद्धान्तों को तथा उन्हें दी जाने वाली सहायता को स्वीकार कर लिया था। सहकारी खेती के विकास के लिए संगठन का जो सामान्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, उसके अन्तर्गत इस सिद्धान्त पर जोर दिया जाता है कि सहकारी खेती एक स्वयंसेवी आन्दोलन है, और इसलिए किसी सहकारी खेती समिति में सम्मिलित होने के लिए किसी भी किसान को मजबूर करने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। इस स्वरूप में इन सवालों के प्रति जो दृष्टिकोण है, उसका संकेत किया गया है—सहकारी खेती का आकार, प्रारम्भिक योजनाओं में राज्य के शामिल होने का आधार तथा सहकारी खेती योजना के अन्य संगठन सम्बन्धी और आर्थिक पहलू। प्रारम्भिक योजनाओं के रूप में 3,200 सहकारी खेती समितियाँ स्थापित करने का विचार है। लगभग प्रत्येक जिले में ऐसी 10 समितियाँ होंगी। सहकारी खेती के विकास कार्यक्रम की यह पहली अवस्था होगी। ज्यों-ज्यों योजना में प्रगति होगी, प्रारम्भिक क्षेत्रों तथा अन्य स्थानों पर प्राप्त व्यावहारिक अनुभव की दृष्टि से सहकारी खेती को बढ़ावा देने के लिए और अधिक व्यापक कार्यक्रम बनाए जाएंगे, ऐसी आशा है। सहकारी खेती के विकास में और अधिक उन्नति हो जाने पर ऐसे अतिरिक्त साधनों को उपलब्ध करने में कोई कठिनाई नहीं होगी चाहिए, जो इस प्रयत्न को सफल बनाने के लिए आवश्यक है।

13. सहकारी खेती के विकास में सामान्य पथ-प्रदर्शन करने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी खेती सलाहकार बोर्ड स्थापित किया गया है।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

14. 1959-60 में 7,168 प्राथमिक दुकानें थीं, जिनमें सदस्यता लगभग 14 लाख थी और जिनकी कुल प्रदत्त पूंजी 2.4 करोड़ रु० थी। इन दुकानों में से एक तिहाई से कम मुनाफे पर चल रही थी। तीसरी योजना के कार्यक्रमों में अस्थायी तौर पर 50 थोक और 2,200 प्राथमिक उपभोक्ता दुकानों की सहायता करने के लिए व्यवस्था की गई है। किन्तु इन लक्ष्यों पर उपभोक्ता सहकारी समितियों विषयक समिति की हाल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए और अधिक विचार करने की आवश्यकता होगी। ये उपभोक्ता दुकानें न केवल फुटकर मूल्यों को स्थिर करने में बल्कि खाद्य वस्तुओं में मिलावट को रोकने में भी अत्यन्त सहायक सिद्ध होंगी।

औद्योगिक सहकारी समितियां

15. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास तथा उद्योग के विकेन्द्रित क्षेत्र के निर्माण, इन दोनों प्रकार के कार्यों के लिए औद्योगिक कार्यों में औद्योगिक सहकारी समितियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। करघा उद्योग, नारियल जटा उद्योग तथा कुछ ग्राम उद्योगों में औद्योगिक सहकारी समितियों को पर्याप्त सफलता मिली है। पिछले दो या तीन सालों में कई रियायतें और सुविधाएं दी गई हैं, जिनके परिणामस्वरूप संगठन के एक सामान्य रूप में औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इन सुविधाओं को औद्योगिक सहकारी समिति बनाने में प्रभावशाली रूप से प्रयुक्त करना चाहिए। तीसरी योजना में इस दिशा में और भी अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

श्रमिक और निर्माण सहकारी समिति

16. तीसरी योजना में स्वयंसेवी संगठनों के साथ-साथ निर्माण कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि श्रमिक सहकारी समिति का एक बड़ा पार्ट अंश करें।

श्रमिक और निर्माण सहकारी समिति तथा स्वयंसेवी संगठनों को ये चीजें बनाने का कार्य सौंपा जा सकता है—सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं से सम्बद्ध सब प्रकार की मिट्टी से बनाई जाने वाली चीजें और सामान्य राजगोरी की चीजें, मामूली सरकारी इमारतें जैसे होस्टल, स्कूल के भवन तथा पत्थर और रेत आदि इमारती सामान की बड़ी मात्रा में आपूर्ति। सच्ची श्रमिक सहकारी समिति और ऐच्छिक संगठन इस प्रकार के कार्य कर सके, इसके लिए कुछ आवश्यक प्रशासकीय शर्तों का पालन करना होगा। योजना में इनका सकेत किया गया है और उद्देश्य यह रखा गया है कि विकास कार्य करने और मुख्यतः सरकारी विभागों, पंचायत समितियों और पंचायतों द्वारा किए जाने वाले निर्माण द्वारा रोजगार दिलाने के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में श्रमिक सहकारी समितियों और ऐच्छिक संगठनों का निर्माण किया जाना चाहिए। एक बार ऐसे संगठनों की स्थापना हो

जाने के बाद उनके कार्यक्षेत्र को बढाने और समुदाय तक उनके लोगों को पहुँचाने की नई सभावनाएँ पैदा हो जाएगी।

आवास सहकारी समितियाँ

17. ग्राम आवास योजना के अन्तर्गत चुने हुए गाँवों में ईंटें, दरवाजे, लिडकिबों तथा अन्य आवश्यक चीजें बनाने के लिए आवास समितियाँ संगठित करने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार कम आय वाले लोगों के लिए आवास योजना तथा शहरों में चानू की जाने वाली अन्य योजनाओं के अन्तर्गत सहकारी समितियों को अनुकूल शर्तों पर या तो जमीन दी जाती अथवा निजी जमीन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। इन विभिन्न व्यवस्थाओं का सोद्देश्य रूप से तथा एक निरन्तर गतिशील नीति के रूप में प्रयोग करने की आवश्यकता है, जिसमें कि शहरी और गाँवों, दोनों में आवास तथा जीवन सम्बन्धी परिस्थितियों में पर्याप्त सुधार किया जा सके।

अन्य ऋण भिन्न सहकारी समितियाँ

18 ऊपर जिन विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों की चर्चा की गई है, उनके अतिरिक्त गन्ना आपूर्ति समितियाँ, दुग्ध आपूर्ति समितियाँ, मछली पालन समितियाँ आदि का भी उल्लेख कर देना चाहिए, जिनकी सदस्य संख्या 1959-60 में क्रमशः 23 लाख 40 हजार और 2,33,000 और 2,20,000 थी। दूसरी योजना के अन्त तक 16 कोलड स्टोरेज स्थापित किए गए थे और तीसरी योजना में 33 और स्थापित किए जाएंगे। तीसरी योजना में मछली पालन तथा दुग्ध उद्योग के बड़े कार्यक्रम सम्मिलित हैं। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें सहकारी क्रिया-कलाप के विकास के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। पहले लिखे बेरोजगार व्यक्तियों को नए अवसर प्रदान करने के साधनों के रूप में यातायात सहकारी समितियों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने एक समिति नियुक्त की है, जो इस बात पर विचार कर रही है कि आदिम जाति क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुकूल सहकारिता को बढावा देने के लिए क्या-क्या प्रणालियाँ और कानून बनाने चाहिए। इन क्षेत्रों में, विशेषतः वन क्षेत्रों में, कार्य करने तथा परम्परागत धन्धों का विकास करने के लिए सहकारी समितियाँ बनाने की काफी गुंजाइश है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से नए-नए क्रिया-कलापों को करने के निमित्त सहकारिता के सिद्धान्त का विस्तार किया जा सकता है।

सहकारिता का प्रशिक्षण और प्रशासन

19. तीसरी योजना के लिए राज्यों ने जो कार्यक्रम बनाए हैं, उनमें अन्य बातें भी सम्मिलित हैं : कनिष्ठ सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 13 और स्कूलों की स्थापना तथा परिणामी दलों के द्वारा सहकारी समितियों के सदस्यों की शिक्षा की योजना को जारी रखना। सहकारी प्रशिक्षण विषयक अध्ययन दल ने अभी हाल में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिनमें मध्यवर्ती कर्मचारियों के प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या को 15 से बढाकर

120 करने का प्रस्ताव है। इस दल की इन तथा अन्य सिफारिशों पर इस समय विचार किया जा रहा है।

दूसरी योजना में राज्य सहकारी विभागों को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्रवाई की गई है। इस कार्य के लिए तीसरी योजना में भी व्यवस्था की गई।

20. ग्रामीण क्षेत्रों में भरपूर विकास का आयोजन करने तथा उसे क्रियान्वित करने में पंचायती राज की सस्थाओं और सहकारी सगठनों का एक पूरक दायित्व है और उन्हें प्रत्येक पय पर घनिष्ठ रूप से सहयोग वरना चाहिए। जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को सहकारी समितियों के विकास को बढ़ावा देना चाहिए और सामूहिक प्रयत्न तथा सामाजिक जिम्मेदारी का वातावरण तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें प्रत्येक स्तर पर सहकारी समितियों के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। सहकारी सगठनों के सम्बन्ध में नियामक अधिकार तो सरकार के पास ही रहने चाहिए, किन्तु उनमें से कुछ अधिकार निरन्तर संघीय सहकारी संगठनों को सौंपे जा सकते हैं। इनसे अपने आपको स्वयं निमित्त करने में इस आन्दोलन को सहायता मिलेगी और स्थानीय नेतृत्व को भी बढ़ावा मिलेगा।

सहकारिता जनता का ही एक आन्दोलन है, इसलिए सहकारिता के विकास के लिए साहस और आन्दोलन के कार्य को नियमित करने की जिम्मेदारी निरन्तर सहकारी संस्थाओं और उनके उच्चतर संघीय सगठनों पर ही डाली जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में सहकारी क्रिया-कलाप के सभी क्षेत्रों में कुशल संघीय सगठनों के निर्माण करने का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सगठनों की स्थिति बढ़ने पर उन्हें और अधिक अधिकार सौंपे जा सकते हैं तथा विभागीय मशीनरी का कार्यक्षेत्र घट कर केवल कुछ न्यूनतम अनुविहित कर्तव्यों का निष्पादन मात्र रह जा सकता है। ये अनुविहित कर्तव्य ये हैं—पंजीकरण, लेखा परीक्षण, भगड़ों का निबटारा करना और निरीक्षण। सहकारिता, सहकारी प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रचार सम्बन्धी विकास कार्य सहकारी सघों के विशेष अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है। राज्य तथा जिला स्तरों पर सहकारी सघों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए और उन्हें इन दायित्वों का पालन करने में सहायता दी जानी चाहिए तथा निचले स्तर से एक मजबूत संघीय ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए।

VI भूमि सुधार

तीसरी योजना के उद्देश्य

भूमि सुधार कार्यक्रमों के, जिन्हें पहली और दूसरी योजनाओं में विशेष महत्व दिया गया था, दो विशिष्ट उद्देश्य हैं। एक तो यह कि पुराने जमाने से विरासत में मिले खेती-वाड़ी के ढांचे के कारण खेती की पैदावार बढ़ाने में आने वाली रुकावटों को हटा दिया जाए। इससे ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में सहायता मिलती है, जिनमें कृषि की

अर्थव्यवस्था का विकास शीघ्रतापूर्वक हो, किसान अधिक कुशलता से खेती करने लगे और खेती की उत्पादकता बढ़ जाए। दूसरा उद्देश्य यह है कि कृषि व्यवस्था में से सामाजिक शोषण और अन्याय को निकाल दिया जाए और जमीन जोतने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए तथा इस प्रकार गांव के सब लोगों को यह विश्वास दिला दिया जाए कि सबका दर्जा बराबर का है और सब को आगे बढ़ने का एक सा मौका मिल सकता है।—

2. ये उद्देश्य पूरे करने के लिए प्रधानतया ये उपाय किए गए थे—(1) विचौलियो या लगान उगाहने वालों की समाप्ति, (2) जमीन के कानूनो में सजोधन, जिसमें लगान को नियमित करना व कम करना, काश्त की सुरक्षा तथा अन्त में किसानों को भूमि की मालिकी देना शामिल है, और (3) जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करना। यह अनुभव किया गया कि आजकल खेती की जमीन का जंसा वितरण है तथा छोटी-छोटी आराजियों की बहुतायत है, उसके रहते हुए, एक नियत परिमाण से अधिक जमीन भूमिहीनों में बांट देने का निश्चय कर लेने पर भी बांटने के लिए फालतू जमीन बहुत अधिक नहीं मिलेगी। फिर भी, सोचा गया कि सहकारिता पर आधारित प्रगतिशील ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए उक्त विपत्तियों का निवारण एक आवश्यक शर्त है। यहां यह भी जोर देकर बतला देना आवश्यक है कि जिन सिद्धान्तों के आधार पर भूमि सुधार की योजना बनाई गई है, उनका प्रयोजन भूमि पर आश्रित लोगों के विभिन्न वर्गों का पुनर्गठन कर देना ही नहीं है, अपितु वे एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक विचारधारा के भाग हैं और उन्हें थोड़ा-बहुत देस की अर्थव्यवस्था के प्रत्येक अंग पर लागू करना होगा।

3. एक के बाद दूसरे राज्य में भूमि-सुधार सम्बन्धी कानून बन जाने के बाद से भूमि सुधारों की आवश्यकता तथा उससे जिन उद्देश्यों की पूर्ति की अपेक्षा की जाती है, उन्हें अधिक अच्युत तरह समझा जाने लगा है। अनेक कारणों से भूमि सुधारों का प्रभाव उतना नहीं पड़ा है, जितना पढ़ने की आशा की गई थी। यह बात बहुत ही कम समझी गई है कि भूमि सुधार एक सचेष्ट विकास कार्यक्रम भी है। यह भलीभांति अनुभव नहीं किया जाता कि भू-स्वामित्व में सुधार करना तथा जोत की अधिकतम सीमा शीघ्र लागू करना सहकारिता पर आधारित ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के निर्माण की आवश्यक नींवें हैं। यही नहीं, भूमि सुधारों के प्रशासकीय अंग की ओर पर्याप्त ध्यान ही नहीं दिया गया। मिल-मिलाकर कानून की अपेक्षा करने या अमल न करने की चेष्टाएं बेरोक टोक चल रही हैं और कानून की कारगर तौर पर लागू करने के लिए ग्राम समाज का समर्थन तथा अनुमति भी हासिल नहीं की जा सकी है। कानून या उसके अधीन बने नियमों में पाई जाने वाली खामिया दूर करने के साथ-साथ यह भी बहुत आवश्यक है कि भूमि सुधार का कार्यक्रम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जिससे इन पर अमल करने में विलम्ब से पैदा होने वाली अनिश्चितता की भावना समाप्त की जा सके। भूमि सम्बन्धी कानूनो तथा अन्य सुधारों पर कारगर रूप से अमल करने के लिए जरूरी है कि सरकारी अभिकरण विशेष रूप से जोरदार तथा अनवरत प्रयास करें, क्योंकि सामान्यतः वर्तमान स्थितियों और अवस्थाओं को जारी रखने की ओर झुकाव रहता है। काश्तदारों को उनके अधिकारों से परिचित कराने के लिए ही

नहीं, वरन् प्रत्येक भाग के लोगों को भूमि सुधारों का उद्देश्य अधिक अच्छी तरह समझाने और अविलम्ब ये सुधार कार्य पूरे करने की आवश्यकता बताने के लिए भी विशेष प्रयास किए जानि चाहिए।

बिचौलियों की समाप्ति

4. जमींदार, जागीर और इनाम आदि बिचौलियों के पास देश की करीब 40 प्रतिशत जमीन थी। कुछ गौण बिचौलियों को छोड़कर बाेष सबकी समाप्ति का काम पूरा किया जा चुका है। बिचौलियों की समाप्ति होने से 2 करोड से अधिक किसानों का सीधा सम्बन्ध राज्य से जुड़ गया है और काश्त योग्य परती पडी पर्याप्त जमीन तथा निजी जंगलात सरकार के प्रबन्ध में आ गए हैं। लेकिन हरजाने की कुल 670 करोड २० की रकम में से केवल 164 करोड २० मुख्य रूप से बाण्डों में अदा किया जा सका है। यह नितान्त आवश्यक है कि तीसरी पचवर्षीय योजना की अवधि में सब सम्बन्धित राज्य मुभावजे के रूप में बाण्ड इन बिचौलियों को दे दें।

लगान व्यवस्था में सुधार

5. लगान : पिछले कुछ सालों में सभी राज्यों में लगान नियंत्रित करने के कानून बन चुके हैं। कई राज्यों में, पहली तथा दूसरी योजना में दिए गए सुभावों के अनुसार अधिकतम लगान, कुल पैदावार का एक चौथाई या पाचवा भाग या उससे कुछ कम नियत किया गया है। कई राज्यों में लगान को घटाकर योजना में सिफारिश किए हुए स्तर तक लाना बाकी है। आशा की जाती है कि इन राज्यों में लगान घटाकर इस स्तर तक कर दिए जाएंगे, जिससे किसानों की आर्थिक दशा में तेजी से सुधार होना आसान हो जाए। जैसा कि दूसरी योजना में सुभाव दिया गया था, फसल के रूप में लिए जाने वाले लगान के बदले नकद रूपों में लगान लेना वाछनीय है। प्रत्येक जिले की स्थिति का उचित खयाल रखते हुए, लगान को, यदि लगान चालू भू-राजस्व आकलन का गुणक घोषित कर दिया जाए तो, नकद लगान शुरू करने में आसानी हो जाएगी।

6. काश्त की सुरक्षा : काश्त को सुरक्षित कर देने के कानून 11 राज्यों तथा सभी संघीय प्रदेशों में बन चुके हैं। चार राज्यों में विधान मंडलों के समझ तत्सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन पडे हैं और शीघ्र ही उनके कानून बन जाने की आशा है। जब तक कानून न बन जाए तब तक के लिए काश्तकारों की बेदखली रोक दी गई है। काश्त की सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनों के तीन अनिवार्य उद्देश्य हैं :—प्रथम, कानूनी तरीकों के अलावा और किसी भी तरह से काश्तकार बेदखल नहीं किया जा सकता; दूसरे, जमीन का मालिक केवल स्वयं खेती करने के लिए ही जमीन पर फिर से काश्त हो सकता है; और तीसरे, मालिक द्वारा जमीन फिर ले लिए जाने पर भी काश्तकार को जमीन का न्यूनतम टुकड़ा मिलना निश्चित बना दिया गया है।

7. पिछले कुछ वर्षों में अनेक राज्यों में 'खुशी से जमीन छोड़ देने' के नाम पर खासे बड़े पैमाने पर काश्तकारों की बेदखली हुई है। काश्त पर से खुशी से जमीन छोड़ देने

के अधिकांश मामलों में कार्रवाई के वास्तविक और मही होने में संदेह है। खुद काय्य करने की ठीक-ठीक परिभाषा उपलब्ध न होने के कारण भी वास्तविकारों के हकों को सुरक्षित करने के कानूनों पर अमल करने में कठिनाई आई है। कुल मिलाकर कानून तथा प्रशासकीय कार्रवाई, दोनों ही योजना के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर अमल करने के लिए नाकाफी रहे हैं। यह जरूरी है कि अपनी खुशी से जमीन छोड़ देने और उन पर जमींदार के फिर काय्य होने की रजिस्ट्री करने से सम्बन्धित सभी कानूनी एवं प्रशासकीय स्वामित्वा दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाए। राज्य सरकारों को 'खुद काय्य करने' की वर्तमान परिभाषा पर पुनः विचार करना चाहिए और उसमें आवश्यक संशोधन करने चाहिए।

8. दूसरी पंचवर्षीय योजना में 'खुद काय्य करने' के नाम पर आराजियों पर फिर से अधिकार करने को नियमित करने के लिए विस्तृत सुझाव दिए गए थे। इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं के प्रचलन से हुए अनुभव ने मोटे तौर पर कुछ परिणाम निकाले जा सकते हैं। आराजी पर फिर से मालिक द्वारा कब्जा करने के अधिकार से अनिश्चितता पैदा होती है और कानून द्वारा प्रदत्त काय्य की सुरक्षा कम होती है। पहली और दूसरी, दोनों योजनाओं में यह सोचा गया था कि आराजी पर मालिक द्वारा फिर से कब्जा किए जाने की प्रक्रिया को 5 वर्ष से आगे ले जाने की आवश्यकता न होगी। यह समझा गया है कि जिन लोगों के पास कानूनी अनुमति के अनुरूप ही परिवार की खेती के लिए जमीन है या इससे कम जमीन है, उनकी छोड़कर, बाकी किसी को आराजी पर पुनः काय्य होने का अधिकार न रहे, क्योंकि 5 वर्ष का समय समाप्त हो गया है। यही नहीं, किसान की स्थिति की अनिश्चित अवस्था भी खेती के विकास के हक में अच्छी न होगी। जमीन के छोटे मालिक, यानी जिनके पास परिवार के लिए ही खेती की या इससे कम जमीन है, उनका विशेष रूप से खयाल रखने की जरूरत है। उनको काय्यकार की भाँषी जमीन, जो किसी भी हालत में वूनियादी आराजी से कम न हो, फिर से अपने कब्जे में लेने दिया जाए। ऐसी अवस्था में जब काय्यकार के पास जमीन रहे ही नहीं, या वूनियादी आराजी से कम जमीन रह जाए, तो सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि उसे खेती करने के लिए जमीन मिल सके।

9. 'खुद काय्य करने' के लिए जमीन पर फिर से कब्जा ले लेने की इस व्यवस्था का बड़े-बड़े तथा मझले आकार वाले जमीन मालिक दुरुपयोग कर सकते हैं और अपने सम्बंधियों तथा अन्य लोगों को जमीन देकर स्वयं छोटे जमीन मालिकों की परिभाषा के अन्तर्गत आ सकते हैं। इसके लिए सामान्यतः इस तरह के हस्तांतरण पर नियमन की व्यवस्था करना वांछनीय है, जैसा कि गुजरात, महाराष्ट्र तथा केरल में किया गया है।

10. काय्यकारों को स्वामित्व के अधिकार : दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक राज्य में एक कार्यक्रम बनाया जाए, जिसके अनुसार जिन जमीनों पर जमींदार फिर से कब्जा नहीं कर सकता, उनके काय्यकारों को उनका मालिक बना दिया जाए और इस प्रकार जमींदार-काय्यकार-संबन्ध के अवशेषों को समाप्त कर दिया जाए। काय्यकारों को अपनी जोत की जमीन खरीदने का ऐच्छिक हक देने के स्थान पर

जमीदार द्वारा कब्जा फिर न ली जा सकने योग्य जमीनों के काश्तकारों का संबंध सीधे सरकार के साथ स्थापित कर दिया जाए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में काश्तकारों को भूस्वामित्व के अधिकार देने के कानून बनाने में कुछ प्रगति हुई है। यह सिफारिश है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जमींदारों द्वारा कब्जा फिर न ली जा सकने योग्य जमीनों पर काश्तकारों को भूस्वामित्व के अधिकार देने का कार्यक्रम पूरा करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

11. * प्रश्न उठता है कि क्या छोटे जमींदारों के काश्तकारों को भी भूस्वामित्व के अधिकार दिए जाएं। सिद्धान्त रूप में यह वांछनीय हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ी सख्या में छोटे जमींदारों पर पड़ेगा। इसे देखते हुए इस सम्बंध में एक सी नीति अपनाना संभव नहीं भी हो सकता है। राज्यों को इस समस्या को अपनी-अपनी रिश्ति के अनुसार अध्ययन करना चाहिए और तय करना चाहिए कि इसके लिए क्या कार्रवाई करने की जरूरत है।

जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण

12. दूसरी पंचवर्षीय योजना में जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब के पेप्सू भाग, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, प० बंगाल तथा संघ शासित प्रदेशों में कानून बन गए हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य एवं हिमाचल प्रदेश में इससे पहले ही इस प्रकार के कानून बन गए थे। जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के विधेयक बिहार, मद्रास तथा मैसूर के विधान मंडलों के समक्ष प्रस्तुत हैं। पंजाब के पेप्सू वाले भाग को छोड़कर शेष भाग में वर्तमान कानून के अनुसार सरकार को यह अधिकार है कि बेदखल लोगों या बेदखल होने वाले काश्तकारों को फिर से बसाने के लिए उन लोगों से जमीन ले ले, जिनके पास स्वीकृत सीमा से अधिक जमीन है। कानून बन जाने के बाद आवश्यक काम यह रह जाता है कि उन पर तेजी से तथा फारगर तौर पर अमल किया जाए।

13. हस्तांतरण : इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय बात है उन जमींदारों द्वारा जमीन के हस्तांतरण की, जो जोत की अधिकतम सीमा निर्धारण के अन्तर्गत आते हैं। कुल मिलाकर यह कहना सही होगा कि हाल के वर्षों में जमीनों के हस्तांतरण द्वारा जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के कानूनों का उद्देश्य तथा उनका ग्राम्य अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ना चाहिए था, वह प्रभाव विफल हो गया है। शूक परिवार के सदस्यों के मध्य जमीन का हस्तांतरण तो प्रबन्ध होगा, इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि जोत की अधिकतम सीमा एक परिवार के लिए निर्धारित की जाए, न कि व्यक्तियों के लिए। लेकिन शूक अधिकांश राज्यों में जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के कानून बन चुके हैं, उनकी खामिया या कमजोरियां दूर करने के सभी प्रयास वर्तमान कानूनों के ढांचे में ही फिट करने होंगे। जमीनों में हस्तांतरण का प्रश्न संभवतः निम्न तरीके से हल किया जा सकता है :

(1) जहां हस्तांतरणों को मान्य न करने की कोई तारीख कानून में नियत नहीं

है, बड़ी संख्या में हस्तांतरण होने के कारण, एक तारीख निर्दिष्ट कर दी जाए, जिसके बाद हुए हस्तांतरणों को न माना जाए। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो कानून में संशोधन कर दिए जाएं। यह तारीख जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रस्ताव प्रकाशित होने की तारीख या स्थानीय अवस्थाओं के अनुसार उरगो भी पहले की कोई नियत तारीख हो सकती है।

- (2) इस नियत तारीख के बाद हुए हस्तांतरणों में भी निम्न प्रकार के हस्तांतरणों में भेद रचना ही होगा : (क) परिवार के सदस्यों के बीच हुए हस्तांतरण, (ख) वनामी हस्तांतरण या अन्य हस्तांतरण, जिनके लिए कोई मूल्य न दिया हो और न कोई रजिस्ट्री की गई हो, और (ग) रजिस्ट्री करके वाकायदा धन लेकर जमीन हस्तांतरित की गई हो। (क) और (ख) के अन्तर्गत आने वाले हस्तांतरणों की तो अवहेलना की जा सकती है। (ग) कोटि में आने वाले हस्तांतरणों को निम्न प्रकार से निबटाना होगा, क्योंकि हस्तांतरणकर्ता छोटा जमींदार हो या लेने वाला व्यक्ति भूमिहीन किसान हो, जिसने थोड़ी सी भूमि खरीदी हो। इस तरह के हस्तांतरणों को हर हालत में सुरक्षा प्रदान करनी होगी, यद्यत् कि वे एक निर्धारित सीमा यानी पारिवारिक आराजी तक ही हो।
- (3) उपयुक्त अधिकारी द्वारा इन हस्तांतरणों पर ऊपर वर्णित ढंग से पुनर्विचार करने की व्यवस्था रहनी चाहिए।

14. जोत की अधिकतम सीमा से छूट : दूसरी पंचवर्षीय योजना में जोत की अधिकतम सीमा से निम्न श्रेणियों के फार्मों को मुक्त रखने का विचार किया गया था :

- (1) चाय, काफी तथा रबड़ के बगान।
- (2) फल आदि के बाग, जहां वे उचित रूप से एक धरु हों,
- (3) पशु-पालन, दुग्ध या ऊन पैदा करने आदि के विशेष फार्म,
- (4) चीनी कारखानों के गन्ने उगाने के फार्म और
- (5) कुशल प्रबंध व्यवस्था में चल रहे फार्म, जो बड़े-बड़े चर्कों के रूप में हों, जिनमें काफी रकमा लगाया गया हो या स्थायी इमारतें आदि बनाई गई हो और जिन फार्मों को रक्षित करने में उत्पादन कम होने की संभावना हो।

राज्यों में जोत की सीमा निर्धारित करने वाले जो कानून बनाए गए हैं, उनमें बगानों को इस सीमा से अनिवार्य रूप से मुक्त कर दिया गया है। विशेष प्रकार के फार्मों को रखने के लिए भी व्यवस्था उनमें है। चीनी कारखानों द्वारा खलाए जाने वाले गन्ने के फार्मों तथा कुशलतापूर्वक संचालित फार्मों के प्रति रंग के सम्बन्ध में एकात्मता नहीं है। कुशलतापूर्वक संचालित फार्मों तथा गन्ना कारखानों द्वारा संचालित फार्मों के संबंध में दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो बात खयाल रखा गया था और इस सम्बन्ध में जो सिफारिशें की गई थी, वे तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए भी वैध रहेंगी और प्रस्तावित मार्ग अपनाने

में लाभ रहेगा। इसके विपरीत, यदि कोई राज्य व्यावहारिक कठिनाइयों या किन्हीं अन्य कारणों से भिन्न रास्ता अपनाना चाहे, तो उसे कुछ बातों का अवश्य खयाल रखना होगा। ये बातें हैं : एक, फार्मों की अभिन्नता नष्ट न हो तथा उनकी कार्यकुशलता न गिरने पाए, और दूसरे, गन्ता कारखानों के फार्मों के सम्बन्ध में यह खयाल रखना होगा कि कारखानों को कच्चा माल बराबर मिलने की व्यवस्था की जा सके।

15. यह महत्वपूर्ण बात है कि जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देने के कानूनों के फलस्वरूप जो फालतू जमीन सुलभ हो, वह परती जमीन तथा भूदान में मिली जमीन, भूमिहीन किसानों को फिर से बसाने की व्यवस्थित योजना के अनुसार बिना विलम्ब दे दी जानी चाहिए। भूमि देते समय इस बात का खयाल रखना चाहिए कि उन लोगों को आवश्यक वित्तीय तथा तकनीकी सहायता भी सुलभ की जाए, जिससे उस जमीन को लेने वाले लोग उच्च स्तर पर खेती कर सकें।

चकबन्दी

16. करीब 2 करोड़ 30 लाख एकड़ जमीन की चकबन्दी 1959-60 के अन्त तक की जा चुकी है और करीब 1 करोड़ 30 लाख एकड़ जमीन की चकबन्दी का काम हाथ में था। राज्यों ने जो कुछ बताया है, उसके अनुसार तीसरी योजना में करीब 3 करोड़ एकड़ जमीन की चकबन्दी का काम हाथ में लिया जाएगा। चकबन्दी के काम में प्रगति मुख्यतः पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में हुई है। अन्य राज्यों में दूसरी योजना की अवधि में अपेक्षाकृत कम प्रगति हो पाई है। यह अध्ययन करने का विचार है कि देश के दक्षिणी तथा पूर्वी भागों में चकबन्दी कार्यक्रम का विस्तार करने में आने वाली बाधाओं को सर्वोत्तम ढंग से कैसे निबटाया जा सकता है और इन क्षेत्रों में चकबन्दी करने के वर्तमान तरीकों एवं प्रणाली में क्या परिवर्तन या हेर-फेर करने जरूरी हैं।

भूमि प्रबंध व्यवस्था सम्बंधी कानून

17. भूमि प्रबंध व्यवस्था सम्बंधी कानूनों का क्या स्थान रहे, उनको किस तरह लागू किया जाए, इस पर प्रथम दो योजनाओं में हुई बातों को देखते हुए विचार करने की आवश्यकता है। भूमि प्रबंध व्यवस्था सम्बंधी कानून केवल दो राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश में बने हैं और उनमें भी इनको लागू नहीं किया गया है। लेडिन राज्यों में विशिष्ट कृषि कार्यों, यथा बजर जमीन के उपयोग, उन्नत बीजों का उपयोग, बीमारियों या कीट रोगों आदि के नियंत्रण के लिए बहुत से कानून विद्यमान हैं। कृषि-विकास के वर्तमान कार्यक्रमों तथा सामुदायिक विकास खंडों में सुलभ विस्तार सेवाओं को ध्यान में रख कर इन कानूनों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। कानूनी अनिवार्यता को लागू करने तथा पंचायतों एवं पंचायत समितियों का इसमें क्या हाथ रहे, इस प्रश्न का वर्तमान कानूनों से प्राप्त अनुभव के आधार पर और अध्ययन किया जाना चाहिए।

अमल करने की समस्या

18. राज्यों द्वारा बनाए गए भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों पर अमल करने से संबंधित समस्याओं का भूमि सुधार सम्बन्धी अध्ययन-दल ने अध्ययन किया था। अध्ययन-दल ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि भूस्वामित्व संबंधी अधिकारों के सही तथा नवीनतम रिकार्ड तैयार किए जाएं। राजस्व प्रशासन को और भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी उसने बल दिया था। अनेक क्षेत्रों में खाते खसरो को सारी दृष्टियों से पूरा कर-दिया गया है। कुछ में और गहन कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है। कई राज्यों में इस खाते खसरे में वास्तुकार, उपवास्तुकार और फसल के साभेदार आदि के नाम नहीं होते हैं, इसलिए कानून पर अमल करना कठिन होता है। भूस्वामित्व सम्बन्धी सर्वेक्षणों तथा भूस्वामित्व सम्बन्धी खाते खसरो को तैयार करने और उनको ठीक करने के लिए खर्च की राशि कुछ राज्यों की योजना में सम्मिलित की गई और इसके लिए वे केन्द्रीय सहायता की भी हकदार हैं। जैसे-जैसे काम आगे चलेगा, इसके लिए की गई धन की व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी।

19. वित्त आयोग की कार्यक्रम गवेषणा समिति ने देश के विभिन्न भागों में भूमि सुधार सम्बन्धी अनेक सर्वेक्षण किए हैं। इनमें भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों को लागू करने में आने वाली समस्याएं बताई गई हैं। भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों का क्षेत्र व्यापक होने तथा स्थितियों में भिन्नता होने के कारण यह वाद्यनीय है कि इन अध्ययनों का विधिवत विस्तार किया जाए। इसके लिए विश्वविद्यालयों तथा प्रमुख गवेषणा केन्द्रों की पूरी-पूरी सहायता ली जानी चाहिए। इसका लक्ष्य यह होना चाहिए कि एक सार्वजनिक योजना के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों को लिया जाए और भूमि सुधारों का, परिवर्तनकालीन दौर तथा उसके दूर-दामी आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों की दृष्टि से मूल्यांकन कराया जाए।

VII खेतिहर मजदूर

खेतिहर मजदूरों की दो प्रमुख समस्याएं भावी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके स्थान और उनके लिए काम की व्यवस्था से सम्बन्धित हैं। यद्यपि खेतिहर मजदूरों और सामान्य रूप से सभी पिछड़े वर्गों के मार्ग की सामाजिक असुविधाएं बहुत कम हो गई हैं, उनकी आर्थिक समस्याएं, विशेषकर उनके लिए काम के अधिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता अधिक प्रखर रूप से सामने आई है। पंचवर्षीय योजनाओं का एक प्राथमिक लक्ष्य यह है कि ग्रामीण समाज के सभी वर्गों के लिए काम के पूर्ण अवसर जुटाए जाएं और उनके रहन-सहन के स्तर को ऊंचा किया जाए और विशेष रूप से खेतिहर मजदूरों तथा दूसरे पिछड़े वर्गों को अन्य वर्गों के स्तर तक उठने में सहायता दी जाए। उनकी समस्याएं निश्चय ही एक चुनौती हैं और इन समस्याओं का सन्तोषजनक हल ढूँढना पूरे समुदाय का उत्तरदायित्व है।

2. खेतिहर मजदूरों की समस्या देहाती क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी और अल्प-रोजगार

की व्यापकतर समस्या का अंग है। कृषि व सिंचाई के विकास से उत्पादन और काम की कुल मात्रा में वृद्धि हुई है। परन्तु इसमें बहुत ज्यादा लोग हिस्सेदार हैं। यह हमेशा अनुभव किया गया है कि ग्रामीण जनता के हित के लिए जो विभिन्न कार्य किए जाते हैं, उनकी अनेक प्रकार से अनुपूर्ति की जानी चाहिए और खेतिहर मजदूरों के रहन-सहन की स्थिति सुधारने और ग्रामविकास तथा अन्य कार्यक्रमों द्वारा गावों में बढ़ाए जा रहे श्रवसरो का उन्हें भी उचित अंश दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए।

3. पहली योजना में खेतिहर मजदूरों को जमीन देने, जिन खेतों में वे काम करते थे वहां से न हटाए जाने और न्यूनतम वेतन, विशेष कर विभिन्न राज्यों के उन क्षेत्रों में जहां वेतन बहुत कम है, लागू करने के प्रस्ताव शामिल किए गए थे। दूसरी योजना में राज्य पुनर्वास की उन योजनाओं को चलाते रहे जो उन्होंने तैयार की थी और इनमें से अनेक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने सहायता दी। कुछ राज्य सरकारों ने मकान बनाने के लिए मुफ्त जमीन दी या जमीन खरीदने के लिए सहायता दी। कृषि, सिंचाई, सामुदायिक विकास और ग्राम तथा लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रमों से खेतिहर मजदूरों को भी देहाती क्षेत्रों के अन्य लोगों के साथ-साथ काफी हद तक लाभ पहुंचने की आशा थी।

4. तीसरी योजना में देहाती अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत बड़ी राशि व्यय करने की व्यवस्था की गई है। कृषि, सामुदायिक विकास और सिंचाई-कार्यों पर सरकारी क्षेत्र में 1,700 करोड़ रु० से भी अधिक व्यय किया जाएगा। इससे और ग्राम तथा लघु उद्योगों के विकास, गावों में बिजली लगाने और उनके लिए पीने के पानी का प्रबंध करने, देहाती में मकान बनाने और पिछड़े वर्गों की भलाई के कार्यक्रमों से, जिनके लिए तीसरी योजना में पर्याप्त व्यवस्था की गई है, खेतिहर मजदूरों तथा देहात के अन्य कमजोर वर्गों को काफी फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा, योजना आयोग द्वारा हाल ही में स्थापित केन्द्रीय खेतिहर मजदूर सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार, 50 लाख एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के 7 लाख परिवारों को बसाने का प्रयत्न किया जाएगा। राज्यों ने खेतिहर मजदूरों को बसाने के लिए 4 करोड़ रु० की योजनाएं बनाई हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों की जमीनें देने की योजनाओं के लिए केन्द्र भी 8 करोड़ रु० देगा।

5. खेतिहर मजदूरों के लाभ के लिए तीसरी योजना में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, वह है—देहाती क्षेत्रों में सकार्य परियोजनाओं का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष तक देहाती क्षेत्रों में लगभग 25 लाख लोगों को वर्ष में लगभग 100 दिन के लिए, विशेषकर उस समय जब खेती का काम मन्दा हो, अतिरिक्त रोजगार देने की व्यवस्था की जा सकेगी। उन क्षेत्रों में, जहां बहुत अधिक लोगों के लिए अल्प रोजगार रहता है, खेती की मन्दी के दिनों में सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण, भूमि को खेती योग्य बनाने, वन लगाने, भूमि का संरक्षण करने और सड़कों का विकास करने जैसी कृषि-विकास की योजनाओं पर जोर दिया जाएगा।

6. सहकारी ढंग पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने और ग्रामीण समुदाय के अपने कर्तव्यों पर जोर देने का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादकता बढ़ाना और ग्रामीण

आर्थिक ढांचे में विविधता पैदा करना ही नहीं है, बल्कि यथासम्भव शीघ्र एक एकीकृत समाज की स्थापना करना भी है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जात-पात या दर्जे के भेदभाव के बिना समान अवसर मिलें। दूसरे शब्दों में, पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देहाती अर्थ-व्यवस्था का जो ढांचा खड़ा करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसमें खेतिहर मजदूर पूरी तरह और दरावरी के आधार पर भाग लेंगे और उनका आर्थिक और सामाजिक दर्जा शेष देहाती जनता के बराबर हो जाएगा। इस दिशा में वास्तविक प्रगति कितनी हुई, इस पर पूरी नजर रखी जानी चाहिए और इसके लिए विशेष अध्ययन और मूल्यांकन तथा केन्द्रीय सलाहकार समिति और राज्यों में स्थापित किए जाने वाले ऐसे ही अन्य निकायों द्वारा समीक्षा होनी चाहिए।

सिंचाई और विजली

सिंचाई

देश में लगभग 1 अरब 35 करोड़ 60 लाख एकड़ फुट नदी-पानी-साधन उपलब्ध हैं। प्राकृतिक-भूवृत्त कारणों से, इनमें से केवल 45 करोड़ एकड़ फुट का ही सिंचाई के लिए उपयोग हो पाता है। दूसरी योजना के अन्त तक 12 करोड़ एकड़ फुट का उपयोग हो सकेगा। तीसरी योजना में और 4 करोड़ एकड़ फुट का उपयोग किए जाने की सम्भावना है।

2. पहली और दूसरी योजना के अन्त तक सिंचाई में हुई प्रगति और तीसरी योजना के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :

सिंचित क्षेत्र

(वास्तविक* क्षेत्र लाख एकड़ में)

	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66
बड़ी और मध्यम सिंचाई	220	249	310	425
छोटी सिंचाई	295	313	390	475
जोड़	515	562	700	900

बड़ी और मध्यम सिंचाई-योजनाओं से अन्ततः कुल लगभग 1,000 लाख एकड़ और छोटी सिंचाई से 750 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई का अनुमान है।

3. पहली और दूसरी योजनाओं में शामिल की गई बड़ी और मध्यम सिंचाई-योजनाओं की समस्त अनुमित लागत 1,400 करोड़ रु० है और इन योजनाओं के पूर्णतः विकसित

* वास्तविक सिंचित क्षेत्र वह क्षेत्र है, जिसकी एक वर्ष में सिंचाई हुई और जिसमें एक से अधिक फसल के लिए एक बार सींचा गया क्षेत्र शामिल है।

† जिन सिंचाई-योजनाओं पर 5 करोड़ रु० से अधिक लागत आती है, वे बड़ी मानी जाती हैं और जिन पर 10 लाख रु० से 5 करोड़ रु० तक लागत आती है, वे मध्यम मानी जाती हैं। 10 लाख रु० या उससे कम लागत की योजनाएं छोटी मानी जाती हैं, बशर्ते वे किसी बड़ी या मध्यम योजना का अंग न हों।

‡ कुल सिंचित क्षेत्र एक वर्ष में सींचे गए बुवाई वाले क्षेत्रों का जोड़ होता है, अर्थात् वास्तविक सिंचित क्षेत्र में वट क्षेत्र जोड़ दिया जाता है, जिसमें एक वर्ष में और फसलें भी बोई गई हों।

होने पर लगभग 380 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने की आशा है। दूसरी योजना के अन्त तक सिंचाई पर लगभग 800 करोड़ रु० खर्च किए जा चुके थे। इसमें बाढ़-नियंत्रण का काम भी शामिल था। पहली और दूसरी योजनाओं के अन्त में इन सिंचाई-योजनाओं से जो लाभ हुआ, वह निम्नलिखित सारिणी में बताया गया है :

सिंचाई योजनाओं से हुए लाभ

अन्न में	जलमार्ग से निकासी पर कुल सिंचाई-क्षमता* (लाख एकड़ में)	कुल सिंचित क्षेत्र (लाख एकड़ में)	निकासी पर सिंचाई क्षमता का प्रतिशत	वास्तविक सिंचित क्षेत्र (लाख एकड़ में)
----------	--	-----------------------------------	------------------------------------	--

पहली योजना

(1955-56)

65

31

48

29

दूसरी योजना

(1960-61)

132

100

76

90

(अनुमित)

4. तीसरी योजना का कार्यक्रम : तीसरी योजना में निम्नलिखित योजनाओं पर जोर दिया गया है :-

- (1) दूसरी पंचवर्षीय योजना से जो काम होते चले आ रहे हैं, उनको पूरा करके किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाए, यानी खेतों तक नालियाँ बनाने का काम पूरा होना चाहिए;
- (2) जल-निकामी की और जल-प्लावन रोकने की योजनाएं; और
- (3) मध्यम सिंचाई-परियोजनाएं।

तीसरी योजना में जो नई परियोजनाएं शुरु की जानी हैं, उनमें लगभग 95 नई मध्यम सिंचाई-योजनाएं शामिल हैं। सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण-कार्यक्रम पर तीसरी योजना में 661 करोड़ रु० खर्च होगा। इसमें से 436 करोड़ रु० उन सिंचाई-परियोजनाओं पर खर्च होगा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना से चली आ रही हैं, 164 करोड़ रु० नई परियोजनाओं पर और 61 करोड़ रु० बाढ़-नियंत्रण, जल-निकासी, और जल-प्लावन तथा समुद्र-तट-क्षरण रोकने की योजनाओं पर खर्च होगा। तीसरी योजना में विभिन्न मद्दों से जो लाभ होने का अनुमान है, वह इस प्रकार है :-

* सिंचाई-क्षमता उस क्षेत्र से मानी जाती है, जो जलमार्ग से निकासी के स्थल पर उपलब्ध पानी से सींचा जा सकता है।

† खेत नालियों से तात्पर्य उन नालियों से जिनके जरिए बम्बों या रजबाहों से खेतों को पानी पहुंचाया जाता है।

तीसरी योजना के कार्यक्रम और उनके लाभ

वर्ग	अनुमित व्यय (करोड़ रु० में)	आंतरिक लाभ	
		सिंचाई-क्षमता	कुल सिंचित क्षेत्र (लाख एकड़ में)
1. सिंचाई			
चालू योजनाएं	436	138	116.5
नई योजनाएं	164	24	11.5
	600	162	128.00
		वास्तविक क्षेत्र	115

2. बाढ़-नियंत्रण

जल-निकासी, जल-प्लावन
और समुद्र-तट-क्षरण रोकने
की योजनाएं

61

कुल

661

लगभग 50 लाख एकड़ क्षेत्र को लाभ
पहुंचेगा और 25 मील समुद्र तटवर्ती
भूमि की रक्षा हो सकेगी।

'कृषि' की मद में नदी-घाटी जलग्राहक क्षेत्रों में भूमि के कटाव को रोकने के काम के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और इसके अन्तर्गत लगभग 10 लाख एकड़ क्षेत्र आ जाने का अनुमान है।

5. बाढ़-नियंत्रण, जल-निकासी तथा जल-प्लावन और समुद्र-तट-क्षरण रोकने की योजनाएं : बाढ़-नियंत्रण, जल-निकासी और जल-प्लावन रोकने के काम का सिंचाई से गहरा सम्बन्ध है और व्यापक विकास-योजनाएं बनाते समय इन सब पर एक साथ विचार करने की आवश्यकता है। देश के कुछ भागों में, विशेषकर पंजाब में, जल-प्लावन की समस्या गम्भीर बन गई है और तीसरी योजना में जल-प्लावन रोकने का काम बड़े विस्तृत पैमाने पर करना होगा। इसी प्रकार कुछ समुद्र-तटवर्ती क्षेत्रों, जैसे केरल, में समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने पर भी समुचित ध्यान देना होगा।

6. आर्थिक लाभ : प्रायः सभी राज्यों में सिंचाई-योजनाएं इस समय धाटे में चल रही हैं। सिंचाई-कार्यों से हो सकने वाला आर्थिक लाभ काफी बड़े, इसके लिए जिन विशेष कदमों की तुरन्त आवश्यकता है, वे हैं : सिंचाई-सुविधाओं का तेजी से उपयोग; पानी की दरों में सशोधन और अनिवार्य जल-शुल्क; खुशहाली-कर लगाने के लिए कानून और इस कर की वसूली और सिंचाई के लिए मिलने वाले पानी के इस्तेमाल में किफायत। पानी की दरों से मूलतः चालू खर्च और ऋण-प्रभार निकल आना चाहिए। अधिकतर राज्यों में पानी की वर्तमान दरें अपेक्षितता कम हैं और उन्हें बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा जिन राज्यों में पानी का प्रभार वैकल्पिक है, वहाँ एक अनिवार्य जल-शुल्क उस पूरे क्षेत्र पर लगाना चाहिए, जिसके लिए सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था की गई हो—चाहे किसान पानी लें या न लें। तीन राज्यों को छोड़, बाकी सब में खुशहाली कर सम्बन्धी कानून पास

दिए जा चुके हैं, परन्तु ऐसे सभी राज्यों में इस कानून को लागू करने का काम पिछड़ गया है। बाढ़-सुल्क लगाने का कानून भी अनेक राज्यों में पास किया जा चुका है। तीसरी योजना में खुशहाली कर और बाढ़-सुल्क से 39 करोड़ रु० की प्राप्ति का जो अनुमान है, उसे पूरा करने के लिए बाकी राज्यों में आवश्यक कानून बनाना और जिन राज्यों में कानून बन चुका है, वहाँ इस कानून को लागू करना जरूरी है।

7. सिंचाई-प्रवस्था का उपयोग : सिंचाई-परियोजनाओं से शीघ्र लाभ उठाने के लिए जो मुख्य कदम उठाए जाने चाहिए, वे सुपरिचित हैं। ये कदम हैं : हेडवर्क्स, नहरें, सहायक नदियाँ, जल-मार्ग और खेतों की नातियाँ बनाने का काम एक साथ सम्पन्न करना ताकि जैसे ही हेडवर्क्स से पानी मिलने लगे, उसे किसानों के खेतों तक पहुंचाया जा सके; समूचे परियोजना-क्षेत्रों में विकास-खण्डों की स्थापना; परियोजना-अधिकारियों द्वारा गाँव के नक्शों पर जल-मार्गों और खेतों की नातियों का रेखांकन और इन नक्शों को जिला तथा खण्ड अधिकारियों को भेजना अन्य विकास-कार्य करना और पानी के इस्तेमाल में किफायत करना; सम्बद्ध विभागों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की योजना पहले से तैयार करना, जैसे अच्छे बीज और उर्वरक मुहैया करना, ऋण और हाट की सुविधाएँ प्रदान करना आदि। किसी नई सिंचाई-परियोजना के शुरू के दो-तीन सालों में पानी की दरों में रियायत भी जरूरी है।

8. अन्वेषण, अनुसंधान और डिजाइन : प्रत्येक राज्य में सिंचाई के दीर्घकालीन विकास के लिए बृहत्तर योजनाएँ तैयार कर ली जानी चाहिए। राज्य सरकारें जिन योजनाओं को चौथी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव रखना चाहे, उन योजनाओं का काफी समय रहते अन्वेषण हो जाना चाहिए और परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट तीसरी योजना के दौरान में ही सब प्रकार से पूरी कर ली जानी चाहिए। इस कार्य के लिए और तीसरी योजना में शामिल की गई योजनाओं के लिए भी राज्यों में अन्वेषण-दलों को दृढ़ करना चाहिए।

तीसरी योजना में सिंचाई सम्बन्धी दुनियादी अनुसंधान के कार्यक्रमों के लिए 120 लाख रु० रख गए हैं। यह अनुसंधान-कार्य पूना के केन्द्रीय पानी और विजली अनुसंधान केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों में स्थित अन्य 15 अनुसंधान-केन्द्रों में चल रहा है। डिजाइन आदि तैयार करने के लिए भी प्रत्येक राज्य में एक उपयुक्त संगठन होना चाहिए, क्योंकि वह अनुसंधान संगठन के साथ-साथ काम करके सर्वाधिक उपयुक्त और कम खर्चालि डिजाइन तैयार कर सकता है।

9. नदी-मण्डल : जल-साधनों के एकीकृत और लाभपूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है कि नदी-क्षेत्रों, विशेषकर बड़ी नदियों के क्षेत्रों, के विकास में राज्यों में परस्पर सहयोग हो। जल-साधनों के विषय में दीर्घकालीन योजना बनाने समय उद्योगों और बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या की पानी की आवश्यकता भी विचार की एक प्रमुख समस्या बन जाएगी। प्रमुख नदी-क्षेत्रों के लिए नदी-मण्डल नियुक्त करने से समस्त नदी-क्षेत्र की आवश्यकताओं और जलमाला क्षेत्र में भूक्षरण को रोकने के प्रश्न पर समन्वित रूप से विचार हो सकेगा।

10. **जनसहयोग :** बाढ़-नियंत्रण, जल-निकासी और जल-प्लावन तथा समुद्र-तट-क्षरण रोकने की योजनाओं और सिंचाई-कार्यों से जिन लोगों को लाभ होगा, उन्हें इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि वे स्वेच्छा से श्रमदान कर अथवा धन देकर इन योजनाओं को पूरा करने में मदद दें। ये योजनाएं स्थानीय निर्वाचित निकायों के सहयोग से पूरी की जानी चाहिए। जहां तक सम्भव हो, श्रमिक सहकारी संस्थाओं और स्वयंसेवक संगठनों से काम लेना चाहिए।

11. **श्रमिकों और मशीनों का इस्तेमाल :** जब तक श्रमिकों के इस्तेमाल से काम में अत्यधिक देरी होने या बहुत ज्यादा लागत आने का भय न हो, तब तक सामान्यतः निर्माणकार्य के लिए श्रमिकों से ही काम लेना चाहिए। जहां आवश्यक हो, वहां मशीनों और श्रमिकों के काम में सहायक अन्य औजारों का भी विवेकसंगत इस्तेमाल किया जा सकता है।

12. **वर्तमान सिंचाई-सुविधाओं को सुरक्षित रखना :** वर्तमान सिंचाई-सुविधाओं को भली भांति सुरक्षित रख उनसे अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए।

13. **नियंत्रण-मण्डल :** तीसरी योजना के अन्तर्गत अनेक बड़ी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इनमें से कुछ के लिए नियंत्रण-मण्डल नियुक्त करना अच्छा होगा, जिससे इन परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक और किफायत से कार्यान्वित किया जा सके। जिन अन्य बड़ी योजनाओं के लिए नियंत्रण-मण्डल नियुक्त न किए जाएं, उनकी बिजली और पानी मंत्रालय द्वारा समीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे काम में कहीं गत्यवरोध न हो और इन परियोजनाओं पर तेजी से अमल किया जा सके।

बिजली

14. पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं के आरम्भ में देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता क्रमशः 23 लाख किलोवाट, 34 लाख 20 हजार किलोवाट और 57 लाख किलोवाट थी। दूसरी योजना में प्रतिवर्ष औसतन 4 लाख 50 हजार किलोवाट की अतिरिक्त बिजली उत्पादन-क्षमता स्थापित की गई। तीसरी योजना में प्रतिवर्ष औसतन 14 लाख किलोवाट की बिजली उत्पादन-क्षमता स्थापित कर इस कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। 1975-76 तक देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 3 करोड़ 50 लाख किलोवाट तक हो जाने की सम्भावना है।

15. तीसरी योजना के अन्त तक चालू और बन रहे और परीक्षाधीन बिजलीघरों की कुल उत्पादन-क्षमता 1 करोड़ 34 लाख किलोवाट हो जाएगी, जिसमें से 1 करोड़ 26 लाख 90 हजार किलोवाट बिजली व्यापारिक उपयोग में लगाई जाएगी। इस कार्यक्रम के पूरा हो जाने पर बिजली का प्रतिव्यक्ति उत्पादन 1951 के 18 किलोवाट से बढ़कर 1956 में 28 किलोवाट, 1961 में 45 किलोवाट और 1966 में लगभग 95 किलोवाट हो जाएगा। बिजली पहुंचाने की व्यवस्था भी और मजबूत की जाएगी और तीसरी योजना में बिजली पहुंचाने वाली 66 हजार मील लम्बी लाइनें (11 किलोवाट और उससे अधिक की) लगाई जाएगी।

बम्बई के निकट तारापुर में 300 मैगावाट की स्थापित क्षमता का एक अणुविजली केन्द्र बनाने की योजना है।

16. बिजली पर खर्च : दूसरी योजना के अन्त तक बिजली पर 1,017 करोड़ ₹० खर्च होने का अनुमान है। इसमें से 790 करोड़ ₹० राज्याधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, 149 करोड़ ₹० कम्पनी-अधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और 78 करोड़ ₹० स्वयं बिजली पैदा करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर खर्च होगा।

तीसरी योजना में बिजली-उत्पादन के कार्यक्रम पर 1,089 करोड़ ₹० (1,039 करोड़ ₹० सरकारी क्षेत्र में और 50 करोड़ ₹० गैर-सरकारी क्षेत्र में) खर्च होने का अनुमान है। इसमें से 320 करोड़ ₹० की विदेशी मूद्रा की आवश्यकता होगी। सरकारी क्षेत्र में जो व्यय होगा, उसका विभाजन मोटे तौर पर इस प्रकार है : पनबिजली और तापीय बिजली-योजनाओं पर 661 करोड़ ₹०; परमाणु-शक्ति पर 51 करोड़ ₹०; और संचरण तथा वितरण की योजनाओं पर लगभग 327 करोड़ ₹०, जिसमें गावों में बिजली लगाने के काम पर खर्च होने वाला 105 करोड़ ₹० भी शामिल है।

17. क्षमता में वृद्धि निम्नलिखित सारिणी में अंकित की गई है :—

स्थापित क्षमता तथा उत्पादित बिजली का विकास

	1950	1955	1960-61 (अनुमित)	1965-66 (अनुमित)
	(साक्ष किलोवाट में स्थापित क्षमता)			
राज्याधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठान	6.3	15.2	33.2	98.2
कम्पनी-अधिकृत सार्वजनिक प्रतिष्ठान	10.8	11.8	13.6	14.5
खुद बिजली पैदा करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान	5.9	7.2	10.2	14.2
जोड़ :	23.0	34.2	57.0	126.9

बिजली का कुल उत्पादन दूसरी योजना के अन्त में 20 अरब किलोवाट घंटे से बढ़कर तीसरी योजना के अन्त तक 45 अरब किलोवाट घंटे हो जाएगा। कुल उत्पादित बिजली के 63 प्रतिशत की खपत उद्योगों में होती है। हमारे शहरों में, 72 प्रतिशत बिजली उपभोक्ताओं को बेची जाती है।

18. गावों में बिजली : तीसरी योजना में गावों में बिजली लगाने पर 105 करोड़ ₹० खर्च किए जाएंगे। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जितने गावों और कस्बों में बिजली लगी है, उनकी संख्या नीचे दी गई है :

बिजली वाले गांव और कस्बे

आबादी वर्ग	1951 की जनगणना के अनुसार संख्या	मार्च 1951 तक इतने गांवों-कस्बों में बिजली लगाई गई	मार्च 1956 तक इतने गांवों-कस्बों में बिजली लगाई गई	मार्च 1961 तक इतने गांवों-कस्बों में बिजली लगाई गई (अनुमित)	मार्च 1966 तक इतने गांवों-कस्बों में बिजली लगाई जा चुकेगी (अनुमित)
1 लाख से अधिक	73	49	73	73	73
50 हजार से 1 लाख तक	111	88	111	111	111
20 हजार से 50 हजार तक	401	240	366	399	401
10 हजार से 20 हजार तक	856	260	350	756	856
5 हजार से 10 हजार तक	3,101	258	1,200	1,800	3,101
5 हजार से कम	5,56,565	2,792	5,300	19,861	38,458
जोड़ :	5,61,107	3,687	7,400	23,000	43,000

19. अलग-थलग पड़े हुए ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जिनमें 10 से 100 किलोवाट तक के पनबिजली संयंत्र मामूली लागत पर लगाए जा सकते हैं। 100 किलोवाट तक की क्षमता के छोटे-छोटे पनबिजली संयंत्र अथ देश में बनाए जाने लगे हैं। आगे चलकर इनसे डीजल आल्टरनेटर सैटों के मुकाबले किफायत भी रहेगी और उन्हें हासिल करने या चलाने के लिए विदेशी मुद्रा की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

20. गांवों तक बिजली ले जाना अपेक्षाकृत महंगा पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि एक गांव से दूसरे गांव के बीच दूरी बहुत होती है, बिजली की खपत कम होती है और बिजली की जरूरत—विशेष रूप से खेती में—खास मौकों पर ही पड़ती है। बिजली के भार-अनुपात को सुधारने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक जिले में विभिन्न प्रकार के आर्थिक कार्यों का, जिनके लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, समन्वित रूप से विकास किया जाए। गांवों में बिजली लगाने की योजना पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। जिससे कि

सभी क्षेत्रों में उचित समय पर एक साथ काम शुरू किया जा सके। राज्यों से यह सिफारिश की गई है कि जिन जिलों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है, या उपलब्ध होने वाली है, उनमें ग्राम-विकास-कार्यक्रमों के बारे में सलाह देने के लिए एक छोटी-सी समिति बना देनी चाहिए। ग्रामोद्योगों और छोटे उद्योगों के विकास, बिजली से पानी खींचने वाली छोटी सिंचाई और देहाती क्षेत्रों में बिजली के उत्पादन और वितरण के कार्यक्रमों के बीच समन्वय होना चाहिए।

21. देहाती भार-अनुपात से पर्याप्त बिजली की सप्लाई, बिजली सप्लाई करने की दरें और बिजली के वितरण में पंचायत समितियों और ग्राम-पंचायतों के सहायक होने जैसे विभिन्न पहलुओं पर और आगे विचार हो रहा है।

22. बिजली के विकास के अन्य पहलू : 1948 के (पूर्ति) अधिनियम में कहा गया था यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी, पर्याप्त और एकरूप नीति बनाई जाए, जिसके आधार पर बिजली के राष्ट्रीय साधनों का नियन्त्रण और उपयोग करने वाले अभिकरणों के काम में समन्वय किया जा सके। इसके लिए यह जरूरी है कि राज्य की सीमाओं का ध्यान न माना जाए और प्राकृतिक साधनों का सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक किफायती ढंग से उपयोग किया जाए। भाखड़ा-नगल, मचक्रुड, तुगभद्रा, चम्बल आदि परियोजनाओं को चलाने में अन्तर्राज्यीय सहयोग रहा है। इस प्रकार के सहयोग का और विस्तार आवश्यक है, जिससे बिजली उत्पादन का कार्य, प्रादेशिक और क्षेत्रीय आधार पर किया जा सके, न कि केवल एक राज्य की जरूरत पूरी करने के लिए किया जाए। केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग में एक विशेष विभाग खोला जा रहा है, जो राज्य बिजली मंडलों और अन्य बिजली सभरण प्रतिष्ठानों के सहयोग से प्रादेशिक 'सुपरग्रिडों' के अध्ययन और उनसे सम्बन्धित योजना बनाने का काम करेगा।

23. बिजली (पूर्ति) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जो स्वायत्त बिजली मण्डल स्थापित किए गए हैं, उन्हें राज्यों में कुशल और किफायती ढंग से बिजली के उत्पादन, पूर्ति और वितरण के समन्वित विकास का कार्य सौंपा गया है। राज्य बिजली मण्डलों की वित्तीय स्थिति को, जो बहुत से मामलों में सन्तोषजनक नहीं हैं, काफी सुधारने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है।

24. पनबिजली परियोजनाओं की बड़े व्यापक पैमाने पर जांच-पड़ताल की जरूरत होती है। इस प्रकार की पूरी जांच-पड़ताल को हुई परियोजनाएँ कम हैं, जिससे बिजली प्राप्त करने के इस सस्ते साधन के तेजी से विकास में रुकावट पड़ी है। 120 लाख किलोवाट बिजली पैदा कर सकने वाले 64 पनबिजली-स्थलों की जांच-पड़ताल का कार्यक्रम तैयार किया गया है, और इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

25. राज्य बिजली मण्डलों और केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग को विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्याशित भार-अनुपात का व्यवस्थित सर्वेक्षण कराना चाहिए और नियत अवधि के बाद उसकी समीक्षा करनी चाहिए।

26. अनुसन्धान : बंगलौर में स्थापित बिजली अनुसन्धान संस्थान में बिजली के उत्पादन, संचरण और वितरण सम्बन्धी समस्याओं का अनुसन्धान किया जाएगा। भोपाल में एक स्विच-गियर टेस्टिंग स्टेशन, स्विच-गियर के डिजाइनों की जांच तथा विकास के लिए स्थापित हो रहा है।

27. डिजाइन और निर्माण : बड़े पनबिजली और तापीय बिजलीघरों की योजना बनाने, उनके नमूने तैयार करने और उन्हें बनाने के लिए केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग में एक विशेषज्ञ-समूह स्थापित किया जा रहा है। इस समय यह काम विदेशी सलाहकारों की मार्फत हो रहा है।

ग्रामोद्योग और लघु उद्योग

पहली और दूसरी योजना में ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों ने रोजगार बढ़ाने, उत्पादन में वृद्धि करने और आय के अधिक उचित वितरण के उद्देश्यों की दिशा में काफी योगदान किया। तीसरी योजना में और अधिक बड़े काम करने हैं, इसलिए इनके योगदान का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। इस क्षेत्र में नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य लोगों को उत्पादन के नए तरीके अपनाने में मदद करना और इनके संगठनों को अधिक कार्य-कुशल बनाना है ताकि देश में ग्राम आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप जो सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध हों, उनसे पूरा लाभ उठाया जा सके और कुछ अवधि बाद यह पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बन जाए। लेकिन इसके साथ ही प्राविधिक परिवर्तन पर इस तरह का नियन्त्रण रखना पड़ेगा जिससे बड़े पैमाने की प्राविधिक बेरोजगारी को बचाया जा सके। इसलिए इन उद्योगों की समस्याओं पर बराबर पुनर्विचार करने और आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है जिससे ये उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आवश्यक और अभिन्न अंग के रूप में अपना पूरा योगदान दे सकें।

प्रगति की समीक्षा

2. पहली योजना में हथकरघा उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग, रेशम, नारियल रेशम, दस्तकारी और लघु उद्योगों के विकास के कार्यक्रमों के बनाने में मदद करने और परामर्श देने के लिए अखिल भारतीय मण्डल नियुक्त करके इन उद्योगों की प्रगति के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। विकास कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण अंग इनमें लगे दस्तकारी को विविध रूप से सहायता पहुंचाने का था, जैसे प्रशिक्षण सुविधाएं, तकनीकी परामर्श, सुधरे हुए औजार आसान किस्ती पर देने का प्रवन्ध और बिक्री की ठूकानों की स्थापना। दूसरी योजना में इन सब प्रकार की सहायता बहुत अधिक बढ़ा दी गई। इसके लिए 180 करोड़ रुपये से कुछ कम खर्च किया गया जब कि पहली योजना में केवल 43 करोड़ रुपये खर्च किया गया था। राज्यों के उद्योग विभागों को भी बढ़ाया गया।

3. इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार हथकरघे के कपड़े का उत्पादन 1950-51 में 742 करोड़ गज से बढ़ कर 1960-61 में लगभग 190 करोड़ गज हो गया। इसमें लगभग 30 लाख बुनकरों को पहले से अधिक रोजगार मिला। सहकारी समितियों में हथकरघों की संख्या 1953 में 7 लाख से बढ़ कर 1960 के मध्य तक 13 लाख हो गई। खादी (सूती, रेशमी और ऊनी) का उत्पादन 1950-51 में 70 लाख गज से बढ़ कर 1960-61 में 4.8 करोड़ गज हो गया। और अम्बर खादी का उत्पादन 1956-57

में 19 लाख गज से बढ़ कर 1960-61 में लगभग 260 लाख गज हो गया। इन कार्यक्रमों से लगभग 14 लाख कातने वालों को अर्द्ध-रोजगार मिला और लगभग 1.9 लाख बुनकरों और बढ़इयों इत्यादि को पूरा रोजगार मिला।

4. ग्रामोद्योगों के कार्यक्रमों से दूसरी योजना में लगभग 5 लाख दस्तकारों और गांवों की महिला श्रमिकों को कुछ रोजगार मिला। दूसरी योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योगों के सघन विकास के लिए एक सघन क्षेत्र योजना चलाई गई। कच्चे रेशम का उत्पादन 1951 के 25 लाख पौंड से बढ़ कर 1960 में 36 लाख पौंड हो गया। दूसरी योजना के अन्त में यह अनुमान था कि इस उद्योग में 35,000 व्यक्तियों को पूरा रोजगार और लगभग 27 लाख व्यक्तियों को आंशिक रोजगार मिला। नारियल के रेशों के धागे और सामान का निर्यात पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त के स्तर से नीचे रहा। इस उद्योग में इस समय लगभग 8 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। दस्तकारियों की चीजों की देश और विदेश दोनों में बिक्री बढ़ी। यह अनुमान है कि गलौचों समेत लगभग 6 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का सामान दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम तीन वर्षों में विदेश भेजा गया।

5. दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अनेक छोटे उद्योग जैसे मशीनी औजार, सिलाई की मशीन, बिजली के पंखे और मोटर, साइकिलें, राजगीरो के औजार तथा लोहे की चीजों का बहुत विकास हुआ और इनमें 25 से 50 प्रतिशत प्रति वर्ष उत्पादन बढ़ा। छोटे उद्योगपतियों को किस्तों पर मशीन देने के लिए एक औद्योगिक विस्तार सेवा शुरू की गई जिसमें लगभग 4.2 करोड़ रुपये की मशीनें बिक्री-खरीद शर्तों पर दी। छोटे कारखानों ने निर्यात के लिए 6 लाख जोड़ी चमड़े के जूते तैयार किए। लगभग 60 औद्योगिक बस्तियां 1960-61 में पूरी हो गईं, जिनमें 52 में 1,035 कारखाने थे, जिनमें 13,000 लोग काम करते थे। लघु उद्योगों के कार्यक्रम से अनुमान है कि लगभग 3 लाख लोगों को पूरा रोजगार मिला।

तीसरी योजना का मार्ग निर्धारण

6. तीसरी योजना में ग्राम और लघु उद्योगों के कार्यक्रम चलाते समय निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य सामने रखे जाएंगे :

- (क) कारीगर की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और उसे कार्यकुशल बनाने, प्राविधिक परामर्श देने, बढ़िया औजार और ऋण आदि की सहायता देकर उत्पादन-व्यय घटाना।
- (ख) बिक्री में सहायता, उत्पादन में सहायता और आश्रय प्राप्त बिक्रय आदि को धीरे-धीरे कम करना।
- (ग) गांवों और छोटे कस्बों में उद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहन देना।
- (घ) छोटे उद्योगों का बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में विकास करना।

(ड) दस्तकारों की सहकारी समितियां बनाना ।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीति और उपाय किए जाएंगे, वे नीचे दिए जा रहे हैं ।

7. **कार्यकुशलता और उत्पादकता में सुधार :** प्राविधिक और प्रबन्धकीय कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं तीसरी योजना में बहुत बढ़ाई जाएंगी । ग्रामीण कारीगरों के लिए चुने हुए क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की संस्थाएं चलाने की योजना बनाई गई है, जो आस-पास के गावों को लोहारी, बड़ईगिरी इत्यादि पेशों में प्रशिक्षण देंगी । औद्योगिक विस्तार तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए एक आबल भारतीय संस्था बनाई जाएगी । विभिन्न उद्योगों में लगे हुए कारीगरों और दस्तकारों को सुधरे हुए औजार और मशीनें देने के अलावा उन्हें तकनीकी परामर्श देने की भी व्यवस्था की जाएगी ।

8. **ऋण और पूंजी :** तीसरी योजना में ऋण देने की सुविधाओं का और अधिक विस्तार किया जाएगा और ऋण उचित शर्तों और न्यूनतम समय में दिया जाएगा । इसके लिए लक्ष्य यह रहेगा कि जितने ऋण की आवश्यकता पड़ती है, वह साधारण बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से मिले ।

9. **संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम :** पहली और दूसरी योजनाओं में संगठन और सहायता के व्यावहारिक उपायों को 'संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम' के तत्व कहा गया था । संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम से भाव यह है कि किसी उद्योग के विभिन्न विभागों के विकास कार्यक्रम को बनाने समय उसमें बड़े उद्योगों, छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों का योगदान क्या रहेगा जिससे समाज की सारी भाग सामाजिक और दूसरे उद्देश्यों के अनुरूप पूरी की जा सके । इस कार्यक्रम के दूसरे तत्व थे उत्पादन के क्षेत्र नियत करना, उद्योग के बड़े अंगों की क्षमता के विस्तार पर रोक लगाना, बड़े कारखानों पर शुल्क लगाना और टैक्सों, विक्री में छूट, सहायता आदि देकर छोटे कारखानों को मूल्य की दृष्टि से लाभ पहुंचाना । यह महसूस किया गया कि संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम के ग्राम असूचियों को उद्योग विशेष की समस्याओं का पूरा अध्ययन और छानबीन करने के बाद ही लागू किया जाए ।

10. **सरकारी सहायता, विक्री में छूट आदि की भूमिका :** व्यवहार्य सहायता के कार्यक्रमों के क्रमिक विकास से यह आशा है कि तीसरी योजना में सरकारी सहायता और विक्री में छूट आदि की आवश्यकता कम हो जाएगी । हो सकता है कि कुछ पारम्परिक उद्योगों के मामले में इस प्रकार की सहायता देने और उनमें बने माल के लिए बाजार ढूढ़ने आदि के उपायों को अन्य लघु उद्योगों की अपेक्षा अधिक समय तक जारी रखना आवश्यक हो ।

11. **ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों का औद्योगिक विकास :** तीसरी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों तथा ऐसे कम विकसित क्षेत्रों में जहाँ उद्योग खोलने की साफ सम्भावनाएं हों, उद्योगों की और अधिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जाएगा । इसलिए जिन क्षेत्रों में अन्य विकास कार्यक्रमों के कारण विभिन्न मौलिक सुविधाएं उपलब्ध

हो जाएंगी, उनके मामले पर गौर करना होगा और उन ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में छोटे उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सहायता देनी होगी। इस प्रकार अनेक सफल केन्द्र बनाने होंगे ताकि वे और अधिक विस्तृत विकास के लिए केन्द्र या आदर्श का काम दे सकें। विशेषकर माल को विविध रूप में तैयार करने वाले उद्योग छोटे पैमाने पर और सहकारी समितियों द्वारा अधिकतम सीमा तक खोले जाने चाहिए। जहाँ बिजली तथा अन्य मूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ ग्रामीण कारीगरों को सहकारी समितियों में संगठित करने में मदद करनी चाहिए।

12. छोटे उद्योगों का सहायक उद्योगों के रूप में विकास : बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में छोटे उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के विभिन्न उपायों पर एक विशेष समिति विचार कर रही है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में बड़े कारखानों और छोटे-छोटे कारखानों का पारस्परिक सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव है। उद्योग के हर पहलू में समाज की आवश्यकताओं का विस्तृत दृष्टिकोण लेना आवश्यक है जिससे पता चल सके कि बड़े और छोटे उद्योग क्या योगदान कर सकते हैं और उत्पादन का विभिन्न चरणों में किस प्रकार विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है। ऐसे समन्वित विकास की दृष्टि से अनेक उद्योगों का अध्ययन किया जा रहा है।

13. औद्योगिक सहकारी संस्थाएं : तीसरी योजना में वर्तमान सहकारी संस्थाओं के संगठन और पूंजी को मजबूत बनाने और अधिकाधिक कारीगरों को उनमें भर्ती करने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए जिन प्रमुख उपायों का प्रस्ताव है, वे हैं कुछ समय तक प्रबन्धकीय और निरीक्षक कर्मचारियों पर होने वाले व्यय के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था और प्रारम्भिक समितियों से केन्द्रीय सहकारी वित्तीय एजेंसी जो सूद ले, उसके लिए सरकारी सहायता देना। जिन छोटे उद्योगों में एक या कुछ थोड़े मालिक लोग हो, वहाँ संगठन के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए।

14. समन्वय के लिए प्रबन्ध : इन कार्यक्रमों को जो विभिन्न मण्डल और एजेंसियां विशेष तौर पर क्षेत्रों में चलाएंगी, उनके काम में सामंजस्य लाने के उपायों की बड़ी आवश्यकता है। गावों में खेती, बिजली, परिवहन आदि का विकास हो जाने से यह आवश्यक हो जाएगा कि ग्रामीण औद्योगीकरण की समस्या पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए, जो वर्तमान मण्डल आदि नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र अपने विशेष उद्योग तक ही सीमित है। इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकारों और विभिन्न मण्डलों के साथ मिल कर आगे विचार करने का प्रस्ताव है।

15. व्यय और व्यय-परिमाण : तीसरी योजना में ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए 264 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव है। दूसरी योजना में इन पर 180 करोड़ रुपये से कुछ कम व्यय होने का अनुमान है। यह राशि विभिन्न उद्योगों पर निम्नलिखित रूप में व्यय की जाएगी :

उद्योग	दूसरी योजना (अनुमित व्यय)	(करोड़ रुपये में)		
		राज्य और केन्द्रीय प्रदेश	केन्द्र	योग
हथकरघा उद्योग क्षेत्र	29.7	31.0	3.0	34.0
हथकरघा क्षेत्र में विजली के करघे	20	-	4.0	4.0
			37.0	
खादी—पारम्परिक अम्बर ग्रामोद्योग	82.4	34	32.0 20.0	92.4
रेसम उद्योग	31	55	1.5	7.0
नारियल रेसा उद्योग	20	24	0.8	3.2
दस्तकारी	48	61	2.5	8.6
लघु उद्योग	44.4	62.6	22.0	84.6
औद्योगिक बस्तिया	11.6	30.2	-	30.2
योग	180.0*	141.2	122.8	264.0

ऊपरलिखित व्यय के अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम में भी इन उद्योगों के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इसके अलावा विस्थापितों के पुनर्वास कार्यक्रम और समाज कल्याण तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्यक्रमों में भी इन उद्योगों के लिए कुछ व्यवस्था है। निजी तौर पर जिनमें बैंक भी शामिल हैं लगभग 275 करोड़ रुपये इन उद्योगों में लगाए जाने का अनुमान है। हर कार्यक्रम के लिए यह आवश्यक है कि भवन निर्माण और ऊपरी तलों को न्यूनतम रखा जाए।

विकास के कार्यक्रम

16. हथकरघा और विजली करघा उद्योग : हथकरघों पर बनुने वाले जुलाहों को पहले से अधिक काम देकर, उन्हें संघर पूजों के लिए ऋण देकर और मुचरे हुए तरीकों को प्रचलित किया जाएगा और साय-नाय वित्री छूट इत्यादि के महत्व को कम करके अन्य प्रकार की, उद्योग को दृढ़ बनाने वाली, सहायता देकर कमजोर सहकारी समितियों को बड़ा और सक्षम बनाने का प्रस्ताव है। हथकरघे के कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने के भी उपाय किए जाएंगे। सहकारी समितियों में शामिल हथकरघा जुलाहों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अगले कुछ वर्षों में नौ-साढ़े नौ हजार विजली करघे लगाने का प्रस्ताव है। 1965-66 में कपड़े के कुल उत्पादन का लक्ष्य 930 करोड़ गज है उसमें से हथकरघा, विजली करघा और खादी उद्योग का हिस्सा 350 करोड़ गज रखा गया है। लेकिन इन

* खर्च का अनुमान लगभग 175 करोड़ ₹० है

उद्योगों में अलग-अलग कितना-कितना उत्पादन होगा इसका निश्चय अभी नहीं किया गया प्रत्येक क्षेत्र में हुई उन्नति को देखकर समय-समय पर स्थिति पर पुनर्विचार किया जाएगा।

17. **पारम्परिक और अम्बर खादी :** खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सघन क्षेत्रों या ग्राम इकाइयों के रूप में ग्रामीण विकास का जो कार्यक्रम बनाया है उसी के अनुसार तीसरी योजना में खादी के विकास का कार्य चलेगा। इस कार्यक्रम में 3 हजार ग्राम इकाई खोलने का प्रस्ताव है जिसमें से हरेक में एक या एक से अधिक गाव होंगे जिनकी जनसंख्या लगभग 5 हजार होगी। भविष्य कार्यक्रम की एक विशेषता यह होगी कि इस कार्यक्रम में गावों में उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए स्थानीय योजनाएं बनाई जाएंगी। किसान चरखा तो रहेगा ही लेकिन अम्बर चरखे को लोकप्रिय बनाने के और अधिक प्रयास किए जाएंगे और उसकी उत्पादकता को भी और अधिक बढ़ाया जाएगा। यद्यपि इन उद्योगों में विकेन्द्रीकृत अंग के विभिन्न भागों के लिए कपड़े के उत्पादन के लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए हैं लेकिन खादी का कुल उत्पादन बढ़ाकर 16 करोड़ गज करने का लक्ष्य है।

18. **ग्रामोद्योग :** ग्रामोद्योगों के द्रुत विकास करने में अनेक स्वाभाविक कठिनाइया हैं। ग्रामीण कारीगर अनेक गावों में बिखरे हुए होते हैं और उनमें साक्षरता की कमी है तथा उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। अन्य कठिनाइया हैं। प्रशिक्षित और सुशिक्षित कर्मचारियों की कमी, पूँजी की कमी, कच्चे माल का इन्तजाम करने के लिए संगठन की अनुपस्थिति, काम करने के पुराने ढंग, आदि। खादी और ग्रामोद्योग आयोग क्षेत्रों ने सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए ग्रामोद्योगों के कार्यक्रम बनाए हैं जिनका लक्ष्य स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। जहाँ कहीं आवश्यक हो और उपलब्ध हो वहाँ विजली के उपयोग से तथा उत्पादन की सुधरी हुई प्रणालियों से इन उद्योगों का वर्तमान रूप बदल जाने की सम्भावना है। ये विकास कार्यक्रम धान को हाथ से कूटने, तेलहन से तेल निकालने, चमड़ा रगने, दियासलाई बनाने, गुड़ और खडसारी, मधुमक्खी पालन, ताड़-गुड़, हाथ से बनाया हुआ कागज आदि उद्योगों के लिए नए उत्पादन केन्द्र खोलने, सुधरे हुए औजार देने तथा ग्राम तौर से सघन विकास के कार्यक्रम हैं। हाथ से चावल कूटने के उद्योग की रक्षा के लिए चावल मिल उद्योग (नियंत्रण) कानून 1958 बनाया गया था जिसके अनुसार चावल कूटने की मिलों के लाइसेंस देने पर नियंत्रण रखा गया था और सहकारी समितियों द्वारा चलाए जाने वाली मिलों को लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाती थी। यह महसूस किया गया कि इस समस्या पर आगे फिर विचार किया जाए ताकि कानून में वर्णित नीति और अधिक प्रभावी ढंग से लागू की जा सके।

19. **रेशम उद्योग :** इस उद्योग के विकास कार्यक्रम में उत्पादन व्यय में कमी करने, उचित बिक्री संगठन तैयार करने, नौरोग अड़े उपलब्ध कराने तथा निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं की खोज करने पर जोर दिया जाएगा। सिंचाई और उर्वरकों का प्रबन्ध करके सहतूत की खेती को लाभदायक बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। पारम्परिक चरखे के स्थान पर नए चरखे प्रचलित किए जाएंगे। गोटीयों और कच्ची रेशम दोनों के लिए सहकारी विक्रय व्यवस्था का विकास किया जाएगा ताकि रेशम के कीड़े पालने वालों को अच्छी कीमत मिल

सके और कच्ची रेशम के भाव ज्यादा चढ़ने से रोके जा सकें। सहजत और गैर सहजत वाली रेशम का उत्पादन 1960 में 36 लाख पौंड से बढ़कर 1965-66 में 50 लाख पौंड होने की आशा है।

20. **नारियल रेशा उद्योग :** तीसरी योजना में इस उद्योग के माल का निर्यात बढ़ाने और उसमें सहकारी संस्थाओं को दृढ़ आधार पर संगठित करने पर जोर दिया जाएगा। नारियल रेशे को कातने वालों को मशीनें दी जाएगी ताकि काम की किस्म बढ़िया हो सके। इसके साथ ही प्रारम्भिक सहकारी समितियों के कार्यक्रमलाप पर और अधिक देखरेख रखी जाएगी। इस उद्योग के उत्पादकों और निर्यात करने वालों की सहायता के लिए एक विशेष निर्यात प्रोत्साहन योजना बनाई गई है। इस कार्यक्रम में उत्पादन की नई प्रणालियों को प्रोत्साहन देना नारियल के सार भाग तथा रेशों में से बचे हुए हिस्सों को उपयोग में लाना इसके अन्तर्गत है। गद्दों तथा ब्रश रेशों के कार्य को भी बढ़ाया जाएगा।

21. **दस्तकारियां :** अखिल भारतीय दस्तकारी मंडल ने 12 चुनी हुई दस्तकारियों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए हैं। पिछले वर्षों में जो विकास कार्य हुआ है उससे विभिन्न दस्तकारियों की मुख्य समस्याओं की जानकारी प्राप्त हुई। तीसरी योजना में इन समस्याओं को हल करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। विकास अधिकतर सहकारी समितियों द्वारा ही किया जाएगा लेकिन कुछ छोटे उपक्रमियों के सप बनाने का भी प्रस्ताव है ताकि किस्म पर नियन्त्रण किया जा सके और कारीगरों की दशा में सुधार हो तथा व्यावसायिक स्तर में भी सुधार हो। निर्यात को प्रोत्साहन देने के साथ ही दस्तकारियों के उत्पादन का इस तरह नए ढंग से संगठन करना होगा ताकि देश के विभिन्न आय-वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही सामान तैयार किया जा सके और ग्रामीण दस्तकारियों का भी विकास हो। तीसरी योजना के अन्तर्गत ये काम भी होंगे : बाहर भेजे जाने से पहले वस्तुओं का निरीक्षण तथा निर्यात करने वालों को ऋण सुविधा, डिजाइन तैयार करने के केन्द्र, अन्तरराज्य व्यापार को प्रोत्साहन, कुछ दस्तकारियों में प्रशिक्षण सुविधाएं, बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान और विक्रय भंडारों के प्रबन्ध और बिक्री सम्बन्धी प्रशिक्षण।

22. **लघु उद्योग :** दूसरी योजना में प्राविधिक परामर्श देने, उधारवित्त और प्रशिक्षण सुविधाएं, मशीन देने, बिक्री की व्यवस्था, और कच्चे माल की उपलब्धि आदि की व्यवस्था के जो कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए थे उन्हें तीसरी योजना के बड़े कामों को देखते हुए और अधिक बढ़ाया जाएगा। उत्पादन में वृद्धि और उसके विकेन्द्रीकरण के साथ ही तीसरी योजना के कार्यक्रमों का एक लक्ष्य यह भी रहेगा कि अधिक से अधिक उद्योगों के छोटे और बड़े कारखानों में समन्वय रहे। छोटे कारखाने बड़ों के सहायक के रूप में बढें और छोटे उद्योग छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलें तथा उन्हें चलाने वाली सहकारी समितियों और नए उद्योगपतियों और उपक्रमियों को और अधिक सुविधाएं मिलें। विकास का एक महत्वपूर्ण अंग यह भी है कि कारखानों की क्षमता का पूरा फायदा उठाया जाए, इसके लिए एक से अधिक पालिया शुरू की जाए और आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध किया जाए। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार की मांग भी अधिकतर छोटे उद्योगों से ही पूरी करने

की नीति और कड़े ढंग से लागू की जाए। राज्यों के साथ ही केन्द्र में स्टोर की ऋय सम्बन्धी नीतियों तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों को और भी विस्तृत रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। अन्य विकास कार्यक्रमों में ये हैं : राज्य सरकारों द्वारा मुश्किल से मिलने वाले कच्चे माल के भंडार स्थापित करना, औद्योगिक बस्तियां बनाने, कच्चे माल के भंडारों का संचालन करने और सर्व सेवा सुविधा केन्द्र चलाने के लिए लघु उद्योग निगमों को स्थापित करना।

23. औद्योगिक बस्तियां : तीसरी योजना में लगभग 300 नई विभिन्न प्रकार की औद्योगिक बस्तियां खोलने का विचार है। ये यथासम्भव छोटे और मझोले कस्बों के समीप बसाई जाएंगी। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं वहां भी अनेक औद्योगिक बस्तियां खोलने का विचार है। बड़े शहरों और विकसित कस्बों के पास छोटे उद्योगपतियों को कारखाने बनाने के लिए केवल विकसित स्थान देने का भी प्रस्ताव है। छोटे उद्योगों को सहायक के रूप में विकसित करने के लिए यह सुझाव है कि बड़े उद्योगों के आस-पास उनके सहायक के रूप में पनप सकने वाली एक ही प्रकार के लघु उद्योगों की बस्तियां खोली जाएं। नई बस्तियां खोलते समय भवन निर्माण आदि कार्यों में कम से कम खर्च करने के अनेक सुझाव आ चुके हैं और उन पर पूरा अमल करना आवश्यक होगा।

रोजगार

24. तीसरी योजना में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में ऊपर लिखित कार्यक्रमों में जो रूपा लगाया जाएगा, आशा है उससे 80 लाख लोगों को आशिक या पहले से अधिक रोजगार और लगभग 9 लाख लोगों को पूरा रोजगार मिलेगा।

25. निर्यात : नारियल रेशे का सामान, हथकरघे का कपड़ा और दस्तकारियों का सामान लगभग प्रतिवर्ष 21 करोड़ रुपये का निर्यात होता है। लघु उद्योगों का भी कुछ माल निर्यात होने लगा है। लघु उद्योगों के माल की किस्म बढ़िया करके कीमत घटाकर और नए डिजाइन आदि बनाकर उनके और अधिक माल को बाहर भेजना सम्भव होगा।

आंकड़े

26. किसी कार्यक्रम का क्या प्रभाव हुआ इसको आकने के लिए देश भर के आंकड़े अत्यन्त आवश्यक होते हैं, लेकिन लघु उद्योगों सम्बन्धी पूरे आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। 1961 की जनगणना से उम्मीद है कि औद्योगिक इकाइयों की एक पूरी सूची शायद मिल जाए। उसको ढाचा मानकर जो कारखाने दस या उससे अधिक कर्मचारी रखते हैं या जिनकी पूंजी 5 लाख से अधिक है उन सबका छायाही सर्वेक्षण करने का एक प्रस्ताव है।

अध्याय 15

उद्योग और खनिज

1

उद्योग

प्रगति की समीक्षा

पिछले 10 वर्ष में और खासकर दूसरी योजना की अवधि में उद्योगों का बहुत तेजी से विकास हुआ है और अनेक प्रकार के उद्योग कायम किए गए हैं। सरकारी क्षेत्र में तीन नए इस्पात के कारखाने खोले गए हैं और निजी क्षेत्र के कारखानों का आकार दुगुना कर दिया गया है। बिजली के भारी सामान, भारी मशीनी औजार और भारी मशीनों को बनाने वाले कारखानों की नींव डाल दी गई है। रसायन-उद्योगों में उर्वरकों और बुनियादी रसायनों का उत्पादन काफी बढ़ाया गया है और यूरिया, पेंटेसिलीन, नकली रेशे, औद्योगिक विस्फोटक, रंग-रोगन और अखबारी कागज जैसे नए पदार्थों का भी बनना शुरू हो गया है। और भी अनेक उद्योगों का उत्पादन बहुत बढ़ा है। पिछले 10 वर्ष में संगठित उद्योगों का उत्पादन करीब-करीब दुगुना हो गया है और औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक जो 1950-51 में 100 था, 1960-61 में 194 पहुंच गया।

2. दूसरी ओर कुछ त्रुटियां भी रह गयी हैं, जैसे सन् 1960-61 में तैयार इस्पात का उत्पादन कुल 22 लाख टन होने का अनुमान है जबकि लक्ष्य 45 लाख टन था। उर्वरक आदि के कुछ महत्वपूर्ण कारखानों के पूरे होने में भी देरी लगी है। कुछ उद्योगों में योजना में निर्धारित लक्ष्य नहीं पूरा हो सका है।

3. पिछले 10 वर्ष में उद्योगों को देश भर में फैलाने में भी सफलता मिली है और बिल्कुल नयी जगहों में बड़े-बड़े कारखाने खोले गये हैं, जैसे भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने और राची में भारी मशीन का कारखाना, भोपाल में बिजली के भारी सामान का कारखाना और नवेली में लिग्नाइट का उद्योग। ये सब नयी जगहें हैं। इसी तरह निजी उद्योगों को भी ऐसे क्षेत्रों में स्थापित कराने की कोशिश की गयी है जहां अब तक कल-कारखाने नहीं थे।

4. दूसरी योजना की अवधि में संगठित उद्योगों में कुल मिलाकर स्थिर नियोजन 1620 करोड़ ₹० हुआ है; सरकारी क्षेत्रों के कारखानों में 770 करोड़ ₹० और निजी कारखानों में 850 करोड़, जबकि लक्ष्य क्रमशः 560 करोड़ और 685 करोड़ ₹० का था।

तीसरी योजना में नीति

5. उद्देश्य—1961-66 की अवधि के लिए जो औद्योगिक कार्यक्रम बनाया गया है उसका उद्देश्य अगले 15 साल में तेजी से औद्योगीकरण की नींव डालना है। इसलिए ऐसे

बुनियादी उद्योगों को स्थापित करना आवश्यक है जिनसे और उद्योग कायम हो सकें या और सामग्री बन सके । खासकर मशीनें बनाने पर बहुत जोर देना है । इसके साथ ही शिल्प, कारीगरी और डिजाइन भी बनाने की शिक्षा आवश्यक है ताकि आगे चलकर हम अपने आप उन्नति कर सकें और विदेशी सहायता का सहारा कम से कम लें । इसके साथ ही हमें उन चीजों को बनाने का भी इन्तजाम करना पड़ेगा जिनकी मांग अगले 5 वर्ष में होने की सम्भावना है । जरूरी चीजों की मांग तो पूरी करनी होगी पर आराम और विलास की चीजों के बारे में अधिक से अधिक संयम करना होगा । स्वभावतः उद्योगों का विकास कच्चे माल और विजली की शक्ति पर निर्भर होगा, इसलिए इनको बढ़ाना भी आवश्यक है ।

6. औद्योगिक नीति— उद्योगों का विस्तार अप्रैल 1956 के उद्योग नीति संकल्प के अनुसार होगा । दूसरी योजना की तरह इस योजना में भी सरकारी और निजी क्षेत्रों को एक-दूसरे के सहायक और पूरक की तरह काम करना होगा ।

7. औद्योगिक-प्राथमिकता—हमारे साधन सीमित हैं । इसलिए नये कारखानों को बढ़ाने या वर्तमान कारखानों का विस्तार करने के पहले जो कारखाने लग चुके हैं उनसे पूरा काम लेना जरूरी है । नये कारखानों को कायम करने के बजाय वर्तमान कारखानों का विस्तार करना अच्छा होगा क्योंकि इससे उत्पादन भी जल्दी होगा और उसकी लागत भी कम पड़ेगी । नये कारखाने हमें ऐसी चीजों के खोलने होंगे जो निर्यात हो सकें या जो ऐसी चीजें बनाएँ जो अब तक बाहर से आयात होती रही हैं, और जिनसे हमारी विदेशी मुद्रा का खर्च कम हो और आय बढ़े । ऐसे कारखानों का बहुत विस्तार सम्भव न होगा जो बाहर से आने वाले कच्चे माल का इस्तेमाल करते हों । हमें तो ऐसे कारखानों पर जोर देना होगा जिनका माल विदेशों में बिक सके ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने उद्योगों को निम्नलिखित क्रम से प्राथमिकता देनी होगी—

- (1) ऐसे उद्योगों को पूरा करना जो दूसरी योजना में शुरू किये गये थे या जिन्हें विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण 1957-58 में रोक देना पड़ा था ।
- (2) भारी इर्जीनियरी और मशीन बगाने के कारखानों का विस्तार जैसे गढाई और ढलाई, मिश्रित धातु और विशेष किस्म के इस्पात, लोहा और इस्पात और लोह-मिश्रित धातु के कारखाने । उर्वरक और पेट्रोल के कारखानों का उत्पादन भी बढ़ाना होगा और इनसे नयी-नयी चीजें बनाने का उद्योग शुरू करना होगा ।
- (3) अलमुनियम, खनिज तेल, घुलने वाली लुगदी, मूल कार्बनिक और अकार्बनिक-रसायन और पेट्रोल के रसायन तथा नये उद्योगों में काम आने वाले रसायन आदि के कारखानों का उत्पादन बढ़ाना होगा ।
- (4) दवा, कागज, कपड़ा, चीनी, तेल और इमारती सामग्री आदि के उद्योगों का उत्पादन बढ़ाना होगा ।

औद्योगिक विकास कार्यक्रम

8. तीसरी योजना में उद्योगों और खानों के विकास के जो लक्ष्य रखे गये हैं उनको

पूरा करने के लिए करीब 2993 करोड़ रु० की जरूरत पड़ेगी। इसमें करीब 1338 करोड़ की विदेशी मुद्रा की दरकार होगी। इनका व्योरा नीचे दिया है—

(करोड़ रु० में)

1	सरकारी क्षेत्र		निजी क्षेत्र		सरकारी व निजी क्षेत्र	
	कुल रकम	विदेशी मुद्रा	कुल रकम	वि. मुद्रा	कुल रकम	वि. मुद्रा
	2	3	4	5	6	7
(क) नया नियोजन						
(1) खानों का विकास	478	200	60	28	538	228
(2) उद्योगों का विकास	1330	660	1125	450	2455	1110
(ख) पुरानी मशीनों को बदलना	—	—	150	50	150	50
योग—	1808	860	1335	528	3143	1388

ऊपर सरकारी क्षेत्र में उद्योगों और खानों के नियोजन की राशि 1808 करोड़ रु० दी गयी है। दूसरी जगह यही राशि 1882 करोड़ रु० बतायी गयी है, परन्तु इसमें बागान उद्योगों को आर्थिक सहायता, हिन्दुस्तान शिपयार्ड को जहाज बनाने में सहायता, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और भारतीय मानक सस्था के कार्यक्रमों का खर्च, दशमिक प्रणाली के विस्तार का खर्च राष्ट्रीय-उद्योग-विकास-निगम के जरिये निजी कारखानों को सहायता और निजी उद्योगों को सरकारी कर्ज और उनके हिस्सों की सरकारी खरीद की रकम भी शामिल है।

ऊपर, पुरानी मशीनों को बदलने के लिए जो रकम रखी गयी है वह आवश्यकता से कम है। पर इससे अधिक तीसरी योजना में संभव नहीं।

9. खर्च के जो अनुमान ऊपर दिये गये हैं इनके मुकाबले इस समय साधन कम पड़ रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और खानों के लिए जो रुपया रखा गया है और निजी क्षेत्र के लिए जितने रुपये उपलब्ध होने का अनुमान है, उनकी राशि 2570 करोड़ रु० होती है, 1470 करोड़ रु०* सरकारी क्षेत्र के लिए और 1100 करोड़ रु० निजी क्षेत्र के लिए।

इसके अलावा आशा है कि 150 करोड़ रु० उन कारखानों की मशीनों बदलने तथा उनमें आधुनिक मशीनों लगाने के लिए उपलब्ध होंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले के हैं।

अस्तु ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में तीसरी योजना की अवधि तक भौतिक लक्ष्य पूरे नहीं हो सकेंगे और काफी काम चौथी योजना में ले जाना होगा। परन्तु इस समय यह कहना कठिन है कि कौन से कार्यक्रम चौथी योजना में ले जाये जाएंगे और कौन से लक्ष्य पूरे नहीं होंगे।

*इसमें 50 करोड़ रु० की वह रकम शामिल नहीं है जो निजी क्षेत्र को दी जाएगी।

10. सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम : सरकारी क्षेत्र में उद्योग और खानों के कार्यक्रम में कुल मिला कर करीब 1882 करोड़ रु० लगेगा। योजना खर्च के कुल 7500 करोड़ रु० में से 1520 करोड़ इन कार्यक्रमों के लिए रखे गये हैं, 1450 करोड़ केन्द्र में और 70 करोड़ राज्यों में।

तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में जो बड़े उद्योग चलाये जायेंगे उनमें लोहा और इस्पात, कारखानों की मशीन, बिजली का भारी सामान, मशीनी औजार, उर्वरक, मूल रसायन और ऐसे रसायन जिनसे दूसरी चीजें तैयार हो, जर्ल्नी दवाए और पेट्रोल साफ करने के कारखाने होंगे। इस कार्यक्रम को तैयार करने में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि सैनिक कारखानों का जो विस्तार होगा उनसे भी असैनिक व्यवहार की कुछ चीजें तैयार होंगी, जैसे मिश्रित धातुएं, ट्रैंक्टर, ट्रक और बिजली के उपकरण वगैरह।

राज्य सरकारों के बड़े औद्योगिक कार्यक्रम ये हैं :—मंसूर लोहा और इस्पात कारखाना और आंध्र कागज मिल का विस्तार, दुर्गापुर की कोक भट्टी को दोहरा करना और दुर्गापुर से कलकत्ता तक नलो द्वारा गैस ले जाना, उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिए एफ० ए० सी० टी० कारखाने का विस्तार और ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स का विकास तथा दुर्गापुर इंडस्ट्रीज बोर्ड द्वारा कास्टिक सोडा, फैनोल, थैलिक एनहाइड्राइड और अन्य कार्बनिक रसायनों का निर्माण। राज्यों की योजना में ऐसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां उद्योगों का विकास कम हुआ है।

11. निजी क्षेत्र के कार्यक्रम : अप्रैल, 1956 के उद्योग-नीति-संकल्प की सूची 'ए' में ऐसे उद्योग रखे गये हैं जिन्हें सरकार स्थापित करेगी। परन्तु इसके अलावा बाकी चीजों में निजी क्षेत्र के लिए बहुत गुंजाइश है और तीसरी योजना में निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए काफी जगह रखी गयी है।

अनुमान है कि तीसरी योजना में निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए करीब 1,250 करोड़ रु० उपलब्ध हो सकेंगे जो निम्नलिखित सूत्रों से प्राप्त होंगे :

	(करोड़ रु०)
संस्थाओं (बैंक आदि) से	130
केन्द्र और राज्य सरकारों से ऋण, सहायता और हिस्सों की खरीद	20
नई पूंजी	200
आंतरिक साधन (शुद्ध देनदारी)	600
विदेश से ऋण व पूंजी साभेदारी	300
	1250

परन्तु निजी क्षेत्रों की आवश्यकता ऊपर दी हुई रकम से अधिक होगी, अनुमानतः 1350 करोड़ रु०। इसके अलावा निजी उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा भी 530 करोड़ से कम दरकार न होगी और इसका प्रबन्ध करना भी एक समस्या है। फिर भी कोशिश की जाएगी कि सबसे ऊंची प्राथमिकता वाले उद्योगों के लक्ष्य तो पूरे हो ही जाएं। इसलिए विचार यह है कि औद्योगिक कार्यक्रम की बराबर समीक्षा की जाए और स्थिति तथा प्रगति को देखते हुए हर छठे महीने विदेशी मुद्रा और ऋण की व्यवस्था की जाए।

औद्योगिक कार्यक्रम की मुख्य बातें

(क) धातु उद्योग

12. लोहा और इस्पात—इसमें 102 लाख टन इस्पात के ढोके और 15 लाख टन विक्री के लिए लोहा बनाने का लक्ष्य है। निजी उद्योग का हिस्सा 32 लाख टन इस्पात होगा। इस समय निजी उद्योगों की क्षमता 30 लाख टन की है। 2 लाख टन इस्पात, निजी क्षेत्र में कतरनों और पुराने लोहे को गलाने वाली विजली की भट्टियों में बनेगा। इसी तरह निजी क्षेत्र के कारखानों में विक्री के लिए 3 लाख टन लोहा भी बनेगा।

सरकारी क्षेत्र में सबसे जरूरी काम होगा कि दूसरी योजना में जो इस्पात कारखाने कायम हुए हैं उनमें पूरी क्षमता से उत्पादन कराना। तीसरी योजना में भिलाई, दुर्गापुर, राजरकेला और मंसूर लोहा और इस्पात कारखाने के विस्तार का और बोकारो में नया इस्पात कारखाना लगाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा नैवेली के लिगनाइट से चलने वाला लोहे का कारखाना भी खोला जाएगा। बोकारो में 20 लाख टन इस्पात के ढोके बनाने का लक्ष्य है पर प्रारम्भ में 10 लाख टन बनाने की मशीनें लगायी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र में इस्पात बनाने के इन कार्यक्रमों पर कुल 525 करोड़ ₹० खर्च होने का अनुमान है। मोटे तौर पर अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में देश में 240 लाख टन तैयार इस्पात बनेगा। इसमें 3 लाख टन सन् 1965-66 में बोकारो के कारखाने में बनने की आशा है।

13. औजारों में काम आने वाली मिश्रित धातु और वेदांगी इस्पात—दुर्गापुर में प्रतिवर्ष 48 हजार टन विशेष किस्म का इस्पात बनाने वाला एक कारखाना लगाया जाएगा। सैनिक कारखानों से भी करीब 50 हजार टन मिश्रित इस्पात तैयार होगा। तीसरी योजना के अन्त तक इस प्रकार के करीब 2 लाख टन इस्पात की दरकार होगी। बाकी इस्पात बनाने का काम निजी उद्योगों को सौंपा जाएगा।

14. अलमुनियम—सन् 1965-66 में 87,500 टन बनाने का लक्ष्य है जो कि उन निजी कारखानों से पूरा हो जाएगा जिनके लाइसेंस दिये जा चुके हैं। परन्तु देश में इलेक्ट्रो-लिटिक ताबे की मांग बढ़ रही है और तीसरी योजना में इसका उत्पादन बढ़ने की आशा बहुत कम है। इसलिए अलमुनियम के और कारखाने लगाने जरूरी हो जायेंगे।

15. तांबा और जस्ता—तीसरी योजना में घटशिला में इंडियन कॉपर कारपोरेशन के कारखाने में इलेक्ट्रो-लिटिक ताबे का उत्पादन शुरू हो जाएगा। खेतड़ी और दड़ीबो की खानों में लगी भट्टियों से भी करीब 11,500 टन इलेक्ट्रो-लिटिक तांबा प्रतिवर्ष बनाने की आशा है। राजस्थान में ज्वार की जस्ते की खानों से, उदयपुर के जस्ते की भट्टी में करीब 15 हजार टन धातु प्रतिवर्ष तैयार होगी।

(ख) इन्जीनियरी उद्योग

16. लोहा और इस्पात की सप्लाई और मशीनों की मांग बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में भी काफी विकास होगा। सरकारी क्षेत्र में मुख्यतः भारी मशीनों के बनाने पर जोर दिया जाएगा। बाकी चीजों को बनाने का काम निजी उद्योगों को सौंपा जाएगा।

17. **ढलाई और गढ़ाई**—मशीनों को बनाने के लिए ढलाई और गढ़ाई के कारखाने अत्यन्त आवश्यक हैं। तीसरी योजना में 12 लाख टन भूरे लोहे की ढलाई और 2-2 लाख टन इस्पात की ढलाई और गढ़ाई करने का लक्ष्य है। सरकारी क्षेत्र में 1 लाख 39 हजार टन भूरे लोहे की ढलाई, 76 हजार टन इस्पात की ढलाई और इतनी ही गढ़ाई की व्यवस्था की गई है। निजी उद्योग में ढलाई और गढ़ाई का काम मुख्यतः मोटर के कारखानों में और कागज, चीनी, सीमेंट और कपड़े की मशीनों के कारखानों में होगा।

18. **कारखानों की मशीनें**—सरकारी क्षेत्र में रांची में भारी मशीनों को बनाने का कारखाना लगाया जाएगा, दुर्गापुर में खानों की मशीनों का और बिजली की भारी मशीनों का और भोपाल में बिजली के भारी सामान का। दो और बिजली के भारी सामान बनाने के कारखाने लगाए जाएंगे जिनकी जगह तय नहीं हुई है। भारी मशीनों के कारखाने में प्रतिवर्ष 10 लाख टन इस्पात की मशीनें तैयार हो सकेंगी। खानों की मशीनों के कारखाने में प्रतिवर्ष 45 हजार टन माल बनेगा। बिजली के भारी सामान के तीनों कारखानों में बिजली के बहुत-से यंत्र बनाये जाएंगे जिससे सन् 1971 से लेकर प्रतिवर्ष बिजली बनाने की क्षमता 20 लाख कि० वा० बढ़ती चली जाएगी। तीसरी योजना में कोयले के बिजली-घरों के लिए ऊंची दाब के बायलर भी बनाने का कार्यक्रम है।

निजी क्षेत्र में सीमेंट, कागज, चीनी और कपड़े की मिलों के पूरे यंत्र बनाकर तैयार किए जाएंगे।

19. **मशीनी औजार**—1960-61 में करीब 7 करोड़ रु० के मशीनी औजार बनाने का अनुमान है। तीसरी योजना में 30 करोड़ रु० के औजार बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा करीब 5 करोड़ रु० के मशीनी औजार छोटे कारखानों में बनेंगे। सरकारी क्षेत्र में हिन्दुस्तान मशीन टूल और प्रागा टूल कारखानों को बढ़ाया जाएगा, राची में एक नया भारी मशीन बनाने का कारखाना खोला जाएगा और पंजाब में हिन्दुस्तान मशीन टूल के बराबर का कारखाना खोला जाएगा। आशा है कि सन् 1965-66 तक सरकारी क्षेत्र में 15 करोड़ रु० के मशीनी औजार बनाने लग जाएंगे।

20. **घाताघात का सामान**—सरकारी क्षेत्र में बिजली और डीजल के इंजन बनाने, विशाखापत्तनम के जहाज कारखाने का विस्तार करने और कोचीन में एक और जहाज कारखाना खोलने की योजनाएं मुख्य हैं। योजना में प्रतिवर्ष 1 लाख मोटर गाड़ियां और 60 हजार मोटर साइकिल, स्कूटर और तीन पहिये वाली गाड़ियां बनाने की व्यवस्था है। कोशिश यह करनी होगी कि मोटरों के 85 प्रतिशत पुर्जे देश में ही बनने लगे ताकि इनके लिए हमें विदेशी मुद्रा अधिक न खर्च करनी पड़े। सवारी के मोटरों की बजाय व्यापारी मोटरों तथा ट्रक, बस, आदि बनाने पर ज्यादा जोर देना होगा।

(ग) रसायन और संबंधित उद्योग

21. **उर्वरक**—अनुमान है कि 1965-66 तक 10 लाख टन नत्रजनयुक्त और 4 लाख टन पी₂ ओ₅ युक्त उर्वरक की जरूरत होगी। नत्रजनी खाद मिश्रित रूप में बनायी जाएगी ताकि फास्फेट की जरूरत भी कुछ हद तक इससे पूरी हो सके। नत्रजनी खाद के

कारखाने निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में खोले जाएंगे। सरकारी क्षेत्र में उत्पादन क्षमता तीसरी योजना के अंत तक 7 लाख 30 हजार टन हो जाएगी। निजी क्षेत्र में भी 5 नये कारखानों को बढ़ाने की और एक कारखाने का विस्तार करने की इजाजत दे दी गयी है। इन से करीब 4 लाख टन नत्रजन तैयार होगा। सुपरफास्फेट बनाने के जिन कारखानों की अनुमति दे दी गयी है उनसे और सरकारी तथा निजी कारखानों में बनने वाले मिश्रित उर्वरकों से 1965-66 तक 4 लाख टन फास्फेट उपलब्ध होने की आशा है, जो हमारी जरूरत के लिए काफी है।

22. गंधक का तेजाब, कास्टिक सोडा और सोडा ऐश—तीसरी योजना में सन् 1965-66 तक गंधक का तेजाब 17 लाख 50 हजार टन, कास्टिक सोडा 4 लाख टन और सोडा ऐश 5 लाख 30 हजार टन बनाने का लक्ष्य है। कास्टिक सोडा और सोडा ऐश दोनों में तीसरी योजना के अंत तक हम आत्म-निर्भर हो जाएंगे।

23. कार्बनिक रसायन—इस क्षेत्र में भी बहुत विकास होगा। प्लास्टिक, रंग और दवाओं के उद्योगों के विकास के कारण कार्बनिक रसायन उद्योग के लिए बहुत गुंजाइश हो गयी है और करीब 40 ऐसे रसायनों को बनाने का इन्तजाम किया जाएगा जिनका कुल उत्पादन 25,160 टन होगा और इसमें 15 हजार टन की और वृद्धि करने की भी व्यवस्था है।

24. पेट्रोल की सफाई—1965 तक 117 लाख टन पेट्रोलियम की दरकार होगी। पेट्रोल साफ करने की निजी क्षमता करीब 56 लाख टन है। नूनमती और बरौनी के सरकारी कारखानों की क्षमता 23 लाख टन होगी। जब ये कारखाने पूरे हो जाएंगे तो देश में पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन 79 लाख टन हो जाएगा। गुजरात में तेल सफाई का तीसरा सरकारी कारखाना खोला जाएगा जिसकी क्षमता 20 लाख टन होगी। इन सबको मिलाकर जो उत्पादन होगा वह हमारी आवश्यकता से फिर भी कम रहेगा। परन्तु मोटर स्प्रीट हमारी आवश्यकता से 4 लाख टन अधिक बनेगी। इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की जा रही है।

25. दवाएं—आंध्र प्रदेश में सनत नगर में कृत्रिम (सिंथेटिक) दवाओं का कारखाना, ऋषिकेश के पास एंटी-बायोटिक दवाओं का कारखाना और केरल में फीटो कॅमिकल कारखाना खोला जाएगा। इनके अलावा निजी कारखानों में जो दवाएं बनेंगी उनको मिलाकर तीसरी योजना के अंत तक हमारा देश मुख्य-मुख्य दवाओं में प्रायः आत्म-निर्भर हो जाएगा।

26. प्लास्टिक—प्लास्टिक सामग्री का उत्पादन भी बढ़ाने का कार्यक्रम है और इसके लिए 85 हजार टन का लक्ष्य रखा गया है। पेट्रोल से जो रसायन प्राप्त होंगे उनसे प्लास्टिक उद्योग को सहायता मिलेगी।

27. सीमेंट—1965-66 तक 150 लाख टन सीमेंट बनाने का लक्ष्य है, जो दूसरी योजना के उत्पादन से 50 प्रतिशत अधिक है।

(घ) व्यवहार की चीजें

28. कपड़ा—तीसरी योजना के अंत तक 930 करोड़ गज कपड़े की आवश्यकता का अनुमान है। इसमें 85 करोड़ गज निर्यात के लिए होगा। 930 करोड़ गज के लक्ष्य में से

350 करोड़ गज हयकरघा, बिजली का करघा और खादी उद्योग में बनेगा। कपड़े की मिलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तीसरी योजना की अवधि में 25 हजार स्वचालित करघे लगाए जाएंगे। मिलों में तकुवों की संख्या भी 165 लाख कर दी जाएगी, जो कि दूसरी योजना के अन्त में 127 लाख थी।

29. नकली रेशा—दूसरी योजना के अन्त में रेयन और नकली रेशा (स्टैपल) उद्योग की क्षमता 10 करोड़ पाँड थी—523 लाख पाँड रेयन और 480 लाख पाँड रेशा। इसे बढ़ाकर 21 करोड़ 50 लाख पाँड कर दिया जाएगा—14 करोड़ पाँड रेयन और 7 करोड़ 50 लाख पाँड रेशा।

30. कागज और अखबारी कागज—1965-66 तक 7 लाख टन अखबारी और अन्य कागज की दरकार होगी। इस समय कागज उद्योग की क्षमता 4 लाख 10 हजार टन है जिसे बढ़ाकर तीसरी योजना के अन्त तक 8 लाख 20 हजार टन कर दिया जाएगा। अखबारी कागज की क्षमता 30 हजार टन से बढ़ाकर 1½ लाख टन करने का प्रस्ताव है। कागज बनाने में अधिकतर गन्ने की खोई का इस्तेमाल करना होगा।

31. चीनी—तीसरी योजना में प्रतिवर्ष 35 लाख टन चीनी बनाने का लक्ष्य है। आशा है कि इसका 25 प्रतिशत सहकारी कारखानों में बनेगा। देश की जरूरत पूरी होने के बाद कुछ चीनी बच रहेगी जो निर्यात की जाएगी।

32. तेल—तिलहन और नारियल के तेल का उत्पादन 1965-66 तक 29 लाख टन हो जाएगा। तीसरी योजना में विनीले के तेल का उत्पादन 1 लाख टन कर दिया जाएगा और खली से तेल का उत्पादन 40 हजार टन से बढ़ाकर 1 लाख 60 हजार टन प्रतिवर्ष हो जाएगा।

33. औद्योगिक उत्पादन में कुल वृद्धि—आशा है कि औद्योगिक उत्पादन का सूचक संक 1965-66 में 329 हो जाएगा (1950-51=100)। 1960-61 का अनुमानित सूचक संक 194 है और पहली योजना के अन्तित वर्ष का 139।

: 2 :

खनिज और तेल

प्रगति की समीक्षा

1. पहली और दूसरी योजनाओं की अवधि में इसका ठीक-ठीक पता लगाने का प्रयत्न किया गया था कि हमारे देश में मुख्य-मुख्य खनिजों का कितना भंडार है और वह किस कोटि का है, ताकि उसकी रक्षा और उसको निकालने का उचित प्रबन्ध किया जा सके। दूसरी योजना में इन प्रयत्नों के फलस्वरूप कोयला, लोहा और बाक्साइट की खुदाई काफी बढ़ी।

2. कोयला—दूसरी योजना में 6 करोड़ टन कोयला खोदने का लक्ष्य रखा गया था। अर्थात् सन् 1955 के उत्पादन से 2 करोड़ 20 लाख टन अधिक। इसमें से 1 करोड़ 20 लाख टन सरकारी खानों के जिम्मे रखा गया और बाकी 1 करोड़ टन निजी खानों के जो वर्तमान और उनसे लगी हुई नयी खानों से निकाला जाएगा। जो सरकारी और निजी खानें पहले से चल रही थीं उनके उत्पादन को बढ़ाने में तो कठिनाई नहीं हुई किन्तु नयी खानों के विकास में

काफ़ी कठिनाइया पड़ी। खानों का पता लगाने और उन्हें प्राप्त करने में काफ़ी समय लग। इसके अलावा विदेशी मुद्रा और खनन कार्य में दश कर्मचारियों की भी कमी थी। इसलिए सन् 1960-61 से 5 करोड़ 46 लाख 20 हजार टन का ही उत्पादन हो सका जबकि लक्ष्य 6 करोड़ टन का था। परन्तु 1960-61 वर्ष की अंतिम तिमाही में जिस गति से कोयला खोदा गया है उसमें वार्षिक उत्पादन 6 करोड़ टन से अधिक हो जाएगा। 1950 में 3 करोड़ 23 लाख 10 हजार टन कोयला खोदा गया था, जबकि 1955 में 3 करोड़ 82 लाख 30 हजार टन और 1960-61 में 5 करोड़ 46 लाख 20 हजार टन कोयला खोदा गया।

3. सन् 1952 में कोयला खान सुरक्षा और बचाव कानून बनाया गया जिसमें सरकार को कोयला भंडारों की बरवादी रोकने का अधिकार मिला। खानों में खुदाई के बाद पोली जगहों को भरना अनिवार्य बना दिया गया, लोहा बनाने के काम खाने वाले कोयले की खुदाई पर नियंत्रण किया गया, ताकि इसकी बरवादी न हो। घटिया कोयले को धो कर अच्छा बनाने के लिए 4 केन्द्रीय धुलाई कारखाने खोले गये और एक दुर्गापुर के इस्पात कारखाने में खोला गया। दूसरी योजना में 64 लाख टन कोयले की धुलाई का लक्ष्य था। इसमें से 24 लाख टन की क्षमता के धुलाई-खाने कायम हो गये हैं और बाकी तीसरी योजना के शुरू के वर्षों में तैयार हो जाएंगे।

4 कोयले की बरवादी रोकने के लिए, गैर जरूरी कामों में कोकिंग या अच्छे कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगायी गयी और ऐसी खानों को विशेष सहायता दी गयी जिनमें खुदाई बहुत गहराई में होती है या जिनमें गैस अधिक है। इसके अलावा छोटी-छोटी और घाटे पर चलने वाली खानों को मिलाकर एक प्रबन्ध में खानों की कार्रवाई भी की जा रही है।

5 खनिज तेल—देश में खनिज तेल की खोज के लिए पहली योजना के अन्त में विशेष समूह स्थापित किया गया। दूसरी योजना में इस काम को और भी बढ़ाया गया और संसद ने कानून पास करके इस समूह को आइल एंड नैचुरल गैस कमीशन का रूप दिया। यह कमीशन तेल की खोज के लिए भूगर्भ सर्वेक्षण आदि करता है और पंजाब, खम्भात, उत्तर प्रदेश और ऊपरी असम में इसने तेल के कुएं भी खुदवाए हैं। यद्यपि इस समय देश में केवल असम में डिगबोई से थोड़ा-सा ऐसा तेल निकलता है पर आशा है कि जल्दी ही नहरकटिया के कुओं से 27.5 लाख टन तेल निकलने लगेगा। इन्हीं प्रायत इंडिया लि० निकालेगी। कच्चा तेल नलों के द्वारा गुवाहाटी और बरोनी के सफाई कारखानों में पहुंचाया जाएगा। गुवाहाटी में 7.5 लाख टन और बरोनी में 20 लाख टन तेल साफ किया जाएगा।

6. खनिज उत्पादन—सन् 1950 में 83 करोड़ रु० के खनिज खोदे गये थे। 10 वर्ष बाद अर्थात् सन् 1960 में 159 करोड़ रु० के खनिज खोदे गए। सबसे अधिक वृद्धि लोहे की खुदाई में हुई जिसका उत्पादन सन् 1950 के 29 लाख 70 हजार टन से बढ़कर 1960 में 105 लाख टन हो गया। यह वृद्धि देश में इस्पात मिलों के खोलने और लौह खनिज के दूसरे देशों में निर्यात के कारण हुई। कोयले का उत्पादन 323 लाख टन से बढ़कर 518 लाख टन हो गया, चूने के पत्थर का 29 लाख से 125 लाख टन, प्रोमाइट

का 17 हजार से 99 हजार टन, वाक्साइट का 64 हजार टन से 3 लाख 77 हजार टन और जिपसम (सेलखड़ी) का 2 लाख 4 हजार से 9 लाख 82 हजार टन हो गया।

7. खानों की पड़ताल—पहली और दूसरी योजनाओं की अवधि में भारत में भूगर्भ सर्वे और खान कार्यालय का विस्तार किया गया और नए इलाकों के बड़े भूगर्भ नक्शे तैयार किये गये। इनमें कुछ में बहुत महत्वपूर्ण खनिज भण्डार हैं। इसके अलावा कुछ चुने हुए इलाकों में कोयला, लोहा और अन्य धातु विशेषकर तांबा, शीशा और जस्ते की खोज के लिए खुदाई की गयी। ये इलाके राजस्थान (खेतड़ी और जावर) और त्रिक्कम में हैं। इन पड़तालों से देश के खनिज भंडार की अच्छी जानकारी मिली और पता चला कि कुछ चीजों के भंडार जितना अब तक अनुमान था उससे बहुत अधिक हैं।

तीसरी योजना में कार्यक्रम

8. तीसरी योजना में देश के खनिज भण्डार का पता लगाने का और अधिक प्रयत्न किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा—

- (क) ऐसी धातु या खनिज की खोज जो अब तक पूर्णतः या अधिकांशतः विदेशों से मंगाये जाते हैं,
- (ख) लोहा, वाक्साइट, जिपसम, कोयला, चूने के पत्थर आदि की नयी खानों का पता लगाना जो देश के उद्योग में काम आ सके, और
- (ग) निर्यात के लिए लोहा और अन्य धातु की नयी खानों का पता लगाना और उन्हें खोदना।

इस के लिए भूगर्भ पड़ताल को बढ़ाना होगा और भू-भौतिकी तथा भू-रसायन के तरीकों से भी काम लेना होगा और जहाँ खनिज होने की संभावना है वहाँ उनके परिमाण और उनकी किस्म की अच्छी तरह जांच करना होगा।

कोयला

9. अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक 970 लाख टन कोयले की दरकार होगी। इसका अर्थ यह है कि दूसरी योजना के लक्ष्य से जो 6 करोड़ टन था 370 लाख टन कोयला और बनाना होगा। यद्यपि दूसरी योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, पर लक्ष्यानुसार क्षमता उत्पन्न हो गयी है।

10. तीसरी योजना में जितने अधिक कोयले की जरूरत है उसको निकालने के लिए सरकारी क्षेत्र में बहुत-सी नयी खानें खोदनी पडेगी। इसमें बहुत मेहनत और बहुत रुपया लगेगा। 1960 में बढिया किस्म का कोकिंग कोयला 130 लाख टन निकाला गया था और 20 लाख टन ऐसा था जो मिलाकर (ब्लेंड) काम आ सकता था। धातु उद्योग के लिए तीसरी योजना के अन्त तक कम से कम 100 लाख टन कोकिंग कोयला और 20 लाख टन ब्लेन्डेबुल या मिलवा कोयला दरकार होगा। रेलों के लिए और अन्य उद्योगों के लिए करीब 100 लाख टन बढिया किस्म के गैर-कोकिंग कोयले की जरूरत होगी। इस-लिए तीसरी योजना में मुख्य काम यह होगा कि इस्पात कारखानों को और रेलों आदि अन्य उद्योगों को उपयुक्त कोटि का कोयला यथेष्ट मात्रा में मिलता रहे।

11. सरकार की नीति यह है कि नयी खानों सरकारी क्षेत्र में खोली जाएं और निजी क्षेत्र में केवल वर्तमान खानों के विस्तार की और इससे लगी हुई खानों को खोदने की अनुमति दी जाए। इसलिए सरकारी क्षेत्र को 200 लाख टन और निजी क्षेत्र को 170 लाख टन कोयला और खोदने का काम सौंपा गया।

12. सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम—सरकारी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की सिंगारेणी खानों का उत्पादन 30 लाख टन बढ़ाया जाए और बाकी 170 लाख टन, नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन, अन्य खानों से निकालेगा।

13. निजी क्षेत्र की खानों में 110 लाख टन का प्रतिरिक्त उत्पादन वर्तमान खानों से और उन नयी खानों से होगा जो पट्टे पर दिये गये इलाके में हैं।

14. सुरक्षा—अपने देश में कोकिंग कोयले का भण्डार केवल 280 करोड़ टन है। पर बढ़िया किस्म के लोहे का भण्डार बहुत अधिक है। इसलिए एक और तो कोकिंग कोयले की वरबादी रोकनी होगी और दूसरी और उसकी खानों की रक्षा करनी होगी और घटिया कोयले की धुलाई या बढ़िया के साथ दूसरा कोयला मिलाकर इसका भण्डार बढ़ाना होगा। बढ़िया कोयले की वरबादी रोकने के लिए कोयला परिषद की ईंधन कमेटी ने यह तय कर दिया है कि किस उद्योग को किस किस्म का कोयला कितनी मात्रा में दिया जाए।

15. खानों में भरवाई—तीसरी योजना में खानों की पोली जगह को भरने पर अधिक जोर दिया जाएगा क्योंकि इनमें से और कोयला खोदा जाएगा। खानों में भरने के लिए दामोदर नदी से बालू भेजी जाएगी। बालू ले जाने के लिए भरिया की खानों तक तार द्वारा परिवहन की चार लाइनें और रानीगज की खानों तक 3 लाइनें लगायी जाएंगी जिन पर वाल्टियों में बालू ले जाया जाएगा।

16. परिवहन—कोयले की अधिकांश खानें बंगाल और बिहार में हैं। इसलिए इनके परिवहन में दिक्कत होती है। तीसरी योजना में अन्य क्षेत्रों में भी कोयला निकालने के कोशिश की जाएगी। साथ ही ट्रकों और जहाजों के जरिये भी कोयला भेजने की व्यवस्था की जाएगी।

17. कोयला धुलाई के कारखाने—तीसरी योजना में इस्पात के अधिक उत्पादन के लिए 127 लाख टन कोयले की धुलाई का और इन्तजाम करना पड़ेगा। जो धुलाई-खाने अभी हैं या जो बन रहे हैं उनमें 32 लाख टन और कोयले की धुलाई हो सकेगी। बाकी के लिए नये धुलाई-खाने खोलने पड़ेंगे। इन धुलाई-खानों में रेलवे की जरूरत का गैर-कोकिंग कोयला भी घोसा जाएगा और खानों के कोयले की जाच करके देखा जाएगा कि उनकी धुलाई हो सकती है या नहीं।

18. नंवेली लिगनाइट योजना—मद्रास के दक्षिण अरकाट जिले में नंवेली में भूरे कोयले का जो भंडार है उसके विकास के लिए दूसरी योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम थे—

(1) 350 लाख टन भूरा कोयला निकाला जाए जिससे

(क) 250 मे० वा० बिजली बनाने के कारखाने की आवश्यकता पूरी हो जाए,

(ख) यूरिया के रूप में 70 हजार टन नत्रजन-युक्त खाद बनाने के कारखाने की किए जा जल्दत को पूरा किया जाए, और

(ग) भूरे कोयले को फूंक कर 3 लाख 80 हजार टन कोयले के पिंड तैयार सकें।

(2) एक मिट्टी-धुलाई का कारखाना खुले जिसमें प्रतिवर्ष 6 हजार टन सफेद चीनी मिट्टी बन सके।

तीसरी योजना में उपर्युक्त कार्यक्रम पूरे किये जाएंगे। बिजलीघर की क्षमता 150 मे० वा० और बढ़ायी जाएगी, तथा लिगनाइट का उत्पादन 350 लाख टन से बढ़ाकर 480 लाख टन किया जाएगा जो बिजलीघर में काम आएगा।

19. खनिज तेल—खनिज तेल का कार्यक्रम यह है—(क) आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में तेल निकालना, (ख) आयल और नेचुरल गैस कमीशन द्वारा तेल की खोज, (ग) गुवाहाटी और वरीनी के सफाई कारखानों को पूरा करना और गुजरात में 20 लाख टन क्षमता का नया कारखाना खड़ा करना, (घ) तेल को ले जाने के लिए नल लगाना, और (च) सरकारी तेल के कारखानों में तैयार होने वाले और बाहर से आने वाले तेल और तेल पदार्थों की बिक्री का सरकारी प्रबन्ध करना।

20. दूसरी योजना में तेल की खोज में केवल 26 करोड़ रु० खर्च हुए थे जबकि तीसरी योजना में 115 करोड़ रु० खर्च होंगे और देश के अधिकांश क्षेत्रों में, जिनमें कावेरी घाटी भी शामिल है, खोज होगी। तेल की खोज में विदेशों का भी सहयोग लेने का निश्चय किया गया है। बर्मा आयल कंपनी के साथ असम में तेल की खोज करने और तेल निकालने के लिए नया समझौता किया गया है। तीसरी योजना के अन्त तक देश में 65 लाख टन तेल निकालने की आशा है।

21. लोहा—तीसरी योजना में लोहा और इस्पात के उत्पादन का जो लक्ष्य है उसके लिए 200 लाख टन और बाहर निर्यात के लिए 100 लाख टन लौह खनिज की दरकार होगी। इसलिए तीसरी योजना में 320 लाख टन लोहा निकालने का लक्ष्य है।

आशा है कि तीसरी योजना में 1963 तक फिरिबुरु की खानों से कोयला निकालने लगेगा और मध्य प्रदेश की बेलडीला खानें भी चालू हो जाएगी, जिनसे प्रतिवर्ष 60 लाख टन लौह खनिज निकलेगा।

22. अन्य खनिज—तीसरी योजना में अन्य खनिजों का कार्यक्रम इस तरह है :

(1) राजस्थान में खेतड़ी और दडीबो की तांबे की खानों की खुदाई और 11,500 टन इलेक्ट्रोलिटिक तांबा बनाने की भट्टी लगाना।

(2) सिक्किम में रांगपो की तांबे की खानों की खुदाई और तांबा बनाने का कारखाना लगाना।

(3) बिहार में भ्रमजोर की पायरिट खानों की खुदाई और 84 हजार टन एलिमेंटल सल्फर का उत्पादन।

(4) मद्रास में पन्ना की हीरे की खानों का विवास ।

(5) कोलार की सोने की खानों में और खोज तथा खुदाई व हट्टी में सोने की खोज ।

23. खनिज पड़ताल—देश में खनिज भंडारों की और खोज के लिए तीसरी योजना में भूगर्भ सर्वे और खान कार्यालय के और विस्तार की व्यवस्था की गयी है । इन संगठनों के द्वारा देश के विभिन्न भागों में कोयला, लोहा, मैंगनीज, क्रोमाइट, बाक्साइट, चूना, तांबा, शीशे और जस्ते की खोज होगी ।

परिवहन और संचार साधन

पिछली दशाब्दी में अर्थ-व्यवस्था के द्रुत विकास के कारण परिवहन की मांग बहुत बढ़ गई है। यद्यपि पहली दोनों योजनाओं में परिवहन क्षमता में काफी विस्तार किया गया, फिर भी बड़ी मुश्किल से दिनों-दिन बढ़ती हुई मांग पूरी हो पा रही है। विशेषकर रेलों को इस अवधि में परिवहन की मांग को पूरा करने में बड़ी कठिनाई रही।

2. पहली पंचवर्षीय योजना में परिवहन के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम उन पुराने साधनों को बदलना या सुधारना था, जो उससे पहले की दशाब्दी में भारी काम करने के कारण गिरी हुई हालत में पहुंच चुके थे। रेलों के डिब्बे और इंजनों की मरम्मत, पुरानी लाइनों के स्थान पर नई लाइनें बिछाने, पुराने जहाजों को बदलकर नए जहाज उपलब्ध करने तथा बन्दरगाहों की साज-सज्जा की मरम्मत तथा नवीकरण के लिए बहुत बड़ी राशि की व्यवस्था करनी पड़ी। दूसरी योजना में भी इस काम के लिए, विशेषकर रेलों के पुराने सामान को बदलने के लिए बहुत बड़ी राशि लगाई गई। लेकिन दूसरी योजना में जोर नई लाइनें बिछाने और नए डिब्बे और इंजन बनाने पर रहा, ताकि अर्थ-व्यवस्था के कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि को ढोने का बड़ा हुआ कार्य रेलें निभा सकें।

3. पहली और दूसरी योजना में परिवहन और संचार के विकास के कार्यक्रमों की प्रगति सन्तोषजनक रही। इस अवधि में मालगाड़ी के डिब्बों की संख्या 244,441 से बढ़कर 341,041; इंजन 8461 से बढ़कर 10,554 और सवारी गाड़ी के डिब्बे 20,502 से बढ़कर 28,171 हो गए। बड़ी मात्रा में नई लाइन बिछाने का काम बहुत तेजी से हुआ। लगभग 1300 मील लाइन को दोहरा किया गया और 800 मील लाइन पर बिजली से रेल चलाने की व्यवस्था की गई। इस अवधि में 1200 मील लम्बी नई लाइनें बिछाई गईं और पिछले महायुद्ध में उखाड़ी गई 400 मील लम्बी लाइन फिर से बिछाई गई।

4. सड़क बनाने के काम में भी बहुत प्रगति हुई। जहां 1950-51 में 97,500 मील बढ़िया सड़कें थी, अनुमान है कि 1960-61 में 144,000 मील बढ़िया सड़कें बन चुकी थी। पक्की सड़कों की मील संख्या भी 151,000 से बढ़कर 250,000 मील हो गई। इस अवधि में मोटरों की संख्या भी लगभग दुगुनी हुई। अर्थात् जहां 1950-51 में केवल 81,000 माल ढोने की मोटरें थी, वहां 1960-61 में 160,000 मोटरें देश की सड़कों पर दौड़ने लगीं।

5. भारतीय जहाजों की टन संख्या भी पहली दो योजनाओं की अवधि में 3.9 लाख

से बढ़कर 9 लाख हो गई। इस अवधि में बड़े-बड़े बन्दरगाहों की क्षमता भी दो करोड़ टन से बढ़कर 3 करोड़ 70 लाख टन हो गई। दूसरी योजना की अवधि में अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनके पूरा होने पर आशा है बड़े बन्दरगाहों की क्षमता साढ़े चार करोड़ टन हो जाएगी।

6. 1953 में हवाई सेवाओं के राष्ट्रीयकरण होने के बाद से नागरिक वायु परिवहन ने भी बहुत उन्नति की है। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की क्षमता टन मीलों में 1953-54 में 4.6 करोड़ से बढ़कर 1960-61 में 6.9 करोड़ हो गई तथा एयर इंडिया इंटरनेशनल की क्षमता इस अवधि में 1.7 करोड़ से बढ़कर 10.3 करोड़ हो गई।

7. रेलों ने 1950-51 में 9 करोड़ 15 लाख टन माल ढोया था, जो 1960-61 में बढ़कर 15 करोड़ 40 लाख टन हो गया। इस अवधि में माल के लदान की औसत दूरी भी 292 मील से बढ़कर 354 मील हो गई। इस प्रकार माना के हिसाब से माल की ढुलाई में 69 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि टन मीलों के हिसाब से इसमें शत प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। इस अवधि में ट्रकों द्वारा माल की ढुलाई तिगुनी बढ़ गई और परिवहन की मांग में राष्ट्रीय आय या अर्थ-व्यवस्था के किसी भी बड़े क्षेत्र की वृद्धि से कहीं अधिक ज्यादा वृद्धि हुई।

8. परिवहन में समन्वय : तीसरी योजना का मांग निर्धारण—दीर्घकालीन परिवहन नीति बनाने में परामर्श देने के लिए तथा इस नीति के अनुसार अगले पांच-दस वर्षों में विभिन्न साधनों का परिवहन में भाग निश्चित करने के लिए जुलाई 1959 में जो परिवहन नीति और समन्वय समिति बनाई गई थी, उसने फरवरी 1961 में अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश की। समिति ने इस रिपोर्ट में रेल और सड़क परिवहन में समन्वय से सम्बन्धित बहुत विस्तृत मसाला दिया है, और देश के लिए एक दीर्घकालीन नीति बनाने की दृष्टि से कई प्रश्न उठाए हैं। इस समिति की अन्तिम रिपोर्ट आने पर तीसरी योजना के परिवहन कार्यक्रमों पर पुनर्विचार किया जाएगा। फिर भी अगले कुछ वर्षों में परिवहन के विकास सम्बन्धी कुछ ऐसी बातें हैं, जिन पर इस समय भी प्रकाश डाला जा सकता है। पहली बात तो यह है कि तीसरी योजना की अवधि में भी कोयला, लोहा, इस्पात कारखानों आदि के लिए आवश्यक भारी माल का अधिकांश रेलों को ही ढोना पड़ेगा। दूसरे, हालांकि आज देश में परिवहन सुविधाओं की आम कमी है और यह आगे भी कुछ दिन बनी रहेगी, लेकिन इससे यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि कुछ रास्तों पर और कुछ पदार्थों की ढुलाई में रेल और सड़क परिवहन में प्रतिपोगिता नहीं चलेगी। कुछ क्षेत्रों में नई लाइनें बिछाने की विस्तृत योजना बनते समय रेलों को उन क्षेत्रों में सड़क परिवहन के भावी विकास का भी ध्यान रखना होगा। नई लाइन बिछाने के प्रस्तावों पर विचार करते समय परिवहन के इन दोनों साधनों में समन्वय का ध्यान रखना भी अत्यन्त आवश्यक है। पहली दो योजनाओं की तरह तीसरी योजना में भी अधिकांश नई रेल लाइनों या तो रेलों की व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुसार या कोयला और अन्य खनिज पदार्थों की ढुलाई को ध्यान में रख कर बनाई जाएगी। तीसरी चीज जो इस पर असर डालेगी, वह है भारतीय रेलों की वित्तीय

स्थिति। इस समिति ने कुछ ऐसी बातों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है जिनसे रेलों की वित्तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है और इस सम्बन्ध में समिति ने विचार के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं।

9. तीसरी योजना में परिवहन और संचार साधनों के लिए आवण्टन—तीसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में परिवहन और संचार साधनों के कार्यक्रमों के लिए 1486 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस राशि को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नीचे दी गई सारिणी के अनुसार वितरित किया गया है—

तीसरी योजना में परिवहन और संचार साधनों के लिए व्यवस्था

(करोड़ रुपये)

कार्यक्रम	खर्च की व्यवस्था
रेल	890 ¹
सड़कें, सड़क परिवहन	297
जहाजरानी, अन्तर्देशीय जल परिवहन, बन्दरगाह और प्रकाश-स्तम्भ	153 ²
भूसैनिक वायु परिवहन	55
डाक और तार (दूरमुद्रक कारखाने समेत)	68
पर्यटन	8
प्रसारण	7
अन्य परिवहन और संचार साधन	8
	योग 1486

कुछ कार्यक्रमों के लिए ऊपर जो वित्तीय व्यवस्था दर्शाई गई है, अनुमान है वास्तव में उन पर उससे अधिक व्यय होगा। इस प्रकार रेलों के कार्यक्रमों की कुल अनुमित व्यय स्टोर्ज सस्पेंस समेत लगभग 1325 करोड़ रुपये, सड़क परिवहन के कार्यक्रम लगभग 324 करोड़ रुपये, बड़े बन्दरगाहों के कार्यक्रम 115 करोड़ रुपये और डाक तार के कार्यक्रम का व्यय 78 करोड़ रुपये होगा।

रेलें

10. तीसरी योजना में रेलों के विकास का कार्यक्रम यह मान कर बनाया गया है कि 1965-66 में माल की दुलाई 24 करोड़ 50 लाख टन पहुँच जाएगी। तीसरी योजना में

- (1) रेल अपनी हास निधि से जो 350 करोड़ रुपये इस्तेमाल करेंगी तथा उन्हें 'स्टोर्ज सस्पेंस' मद में जो 35 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, वह इसमें शामिल नहीं है।
- (2) अनुमान है कि बड़े बन्दरगाह अपने साधनों से 20 करोड़ रुपये जुटाएंगे, जिसे इस राशि में शामिल कर लिया गया है।

माल की ढुलाई में जो 9.1 करोड़ टन वृद्धि की आशा है, उसमें से 7.95 करोड़ टन तो कोयला, इस्पात और इस्पात का कच्चा माल, सीमेण्ट, निर्यात किया जाने वाला लोहा और रेलों का अपना माल होगा और शेष 1.15 करोड़ टन आम माल की ढुलाई में वृद्धि होगी। यह अनुमान केवल अस्थायी है।

11. पुराने डिब्बों और इंजनों को बदलने के अलावा इस कार्यक्रम में 90,447 नए माल के डिब्बे, 5025 सवारी डिब्बे और 1150 इंजन प्राप्त करने की व्यवस्था है। कारखानों के कार्यक्रम में अन्य कामों के अतिरिक्त चित्तूरजन के कारखाने में भोपाल के बिजली की भारी मशीनों के कारखाने के सहयोग से बिजली के इंजन तैयार करने का कार्यक्रम भी शामिल है। इसके साथ ही डीजल के इंजन बनाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। लाइन विद्यमाने के कार्यक्रम में 1600 मील लम्बी लाइन दोहरी की जाएगी, यार्डों का आधुनिकीकरण आदि किया जाएगा। इस काम में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि प्रमुख लाइनों की क्षमता बढ़े तथा जिन क्षेत्रों में कोयले और लोहे आदि भारी माल की ढुलाई में वृद्धि होने की आशा है, वहां अतिरिक्त लाइनें विद्यमाने जाएं।

12. बिजली से रेल चलाने की व्यवस्था करने के ये कार्यक्रम पूरे किए जाएंगे जो दूसरी योजना में हाथ में लिए गए थे। केवल एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और वह है मुगलसराय से कानपुर तक बिजली से रेल चलाने के प्रबन्ध का।

13. पुरानी लाइन बदलने का जो काम बाकी है, वह इस योजना के अन्त तक पूरा किया जायगा। योजना में 5000 मील लम्बी लाइनों का पूरा सामान बदलने, 2500 मील लम्बी केवल लाइन बदलने और 2250 मील लाइनों के सहतीर बदलने की व्यवस्था है।

14. तीसरी योजना की श्रवण में 1200 मील नई लाइनें विद्यमाने की व्यवस्था है। दूसरी योजना में शुरू की गई नई लाइनों अर्थात् गढ़वा रोड-राबर्ट्सगंज, सम्भलपुर-तितलागड और विमलगड-किरीबुरु के अतिरिक्त तीसरी योजना में निम्नलिखित नई लाइनें और विद्यमाने का कार्यक्रम है : झडकाडला, माधोपुर-कथुआ, उदयपुर-हिम्मतनगर, दिल्ली वचाकर चलने वाली लाइनें, दिवा-पानवेल-खारपडा-उरन, पाथरकण्डी-धर्मनगर, गुना-मकसी, राची-बोडामुण्ड, हिन्दूमलकोट-श्रीगंगानगर, गाजियाबाद-नुगलकाबाद, बेलामिला-कोटवालसा और हालिदा बन्दरगाह के लिए नई लाइन। इनके अतिरिक्त कोयला उद्योग के विकास के सिलसिले में 200 मील लम्बी नई लाइनों के बनाने की भी व्यवस्था की गई है। इनके अतिरिक्त कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए निम्नलिखित लाइनों पर भी विचार किया जा रहा है : (1) मंगलोर-हसन, (2) वगलूर-सलेम (3) मनमादुरई-विरदुनगर और (4) उड़ीसा के खान क्षेत्र मुक्तिष्ठा, देवई से खड्गपुर-कटक लाइन तक मेल लाइन।

15. तीसरी योजना में कर्मचारियों के लिए 54,000 नए मकान बनाने का भी प्रस्ताव है। ये मकान उनके अतिरिक्त होंगे जो अन्य कार्यक्रमों के अंग स्वरूप बनाए जाएंगे। कर्मचारियों के कल्याण के कार्यक्रमों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, मकानों में सुधार, पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली और कर्मचारियों के मुहल्लों में मनोरंजन की सुविधाएँ आदि भी शामिल हैं।

16. तीसरी योजना में रेलों के विकास कार्यक्रम में यह उद्देश्य सामने रखा गया है कि रेलों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में आत्मनिर्भर बनाया जाए। तीसरी योजना की अवधि में डीजल और बिजली के इंजन जो आजकल आयात किए जाते हैं, देश में ही तैयार करने का यथासम्भव प्रयत्न किया जायगा।

सड़कें

17. तीसरी योजना में सड़कों के कार्यक्रम उस 20 वर्षीय—(1961-81) सड़क विकास योजना के मोटे उद्देश्यों के अनुसार बनाया जा रहा है, जिसे राज्यो और केन्द्रीय सरकार के मुख्य इंजीनियरों ने तैयार किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि विकसित और कृषि क्षेत्रों का कोई भी गांव पक्की सड़क से चार मील से दूर और अन्य प्रकार की सड़क से डेढ़ मील से दूर न रहे। इस योजना में 1981 तक 252,000 मील बढ़िया सड़कें और 405,000 मील पक्की सड़कें बनाने का प्रस्ताव है।

18. मोटे तौर पर अनुमान है कि तीसरी योजना में लगभग 25,000 मील बढ़िया नई सड़कें बनेगी जबकि दूसरी योजना में केवल 22,000 मील सड़कें बनीं। सड़क कार्यक्रम के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसका अधिकांश वर्तमान सड़कों के सुधार पर खर्च किया जाएगा, ताकि वे बढ़ते हुए यातायात को सभाल सकें। इसमें सड़कों को चौड़ा करना, उनकी सतह को समतल करना, बीच में जहां सड़कें न हो वहां सड़कें और पुल आदि तैयार करना है। तीसरी योजना में राष्ट्र-पथों के कार्यक्रम में दूसरी योजना में शुरू की गई महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों को पूरा करना भी शामिल है। इसके साथ ही जो नए राष्ट्र-पथ बने हैं, उनके खराब हिस्सों को सुधारना तथा कलकत्ता के पास विवेकानन्द पुल की सड़क तथा राष्ट्र-पथों की अन्य कमियों को पूरा करना है। राष्ट्र पथों में उत्तरी सलमारा से ब्रह्मपुत्र के पुल तक एक सड़क 100 मील लम्बी बनाने का भी प्रस्ताव है।

19. ग्रामीण क्षेत्र में सड़क विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस काम के लिए स्थानीय निकायों और सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों के अलावा अनेक राज्यों की योजनाओं में भी विशेष व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क विकास का काम जिन अनेक संस्थाओं के पास है, उन सब के काम में वाञ्छित समन्वय के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

20. सड़क परिवहन—तीसरी योजना में व्यापार के लिए चलने वाली मोटरों और ठेलों की संख्या में वृद्धि हमारे मोटर कारखानों की मोटर बनाने की क्षमता पर निर्भर करेगी। मोटे तौर पर यह अनुमान है कि ऐसी गाड़ियों की संख्या 82 प्रतिशत बढ़ जाएगी अर्थात् 1960-61 में दो लाख से बढ़कर 1965-66 में 3 लाख 65 हजार हो जाएगी। मोटर-ठेलों की संख्या इस अवधि में 1 लाख 60 हजार से बढ़कर 285,000 और सवारी बसों की 50,000 से बढ़कर 80,000 हो जाएगी।

21. सरकारी सड़क परिवहन सस्थानों के विकास कार्यक्रमों पर राज्य सरकारें तीसरी योजना में, अनुमान है, 26 करोड़ रुपये खर्च करेगी। आशा है कि तीसरी योजना की अवधि में इनमें लगभग 7,500 मोटर गाड़ियां और बढ़ जाएंगी।

22. रेलों पर बढ़ते हुए बोझ को देखते हुए और परिवहन के विभिन्न साधनों के समन्वित विकास को ध्यान में रखकर तीसरी योजना में यह आवश्यक हो सकता है कि माल की ढुलाई के क्षेत्र में भी सरकार को उतरना पड़े। परिवहन नीति और समन्वय समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों से परामर्श करके इस काम के लिए संगठन का क्या रूप हो और कार्यक्रम किस प्रकार चले, ऐसे अनेक सवालों पर विचार किया जाएगा।

23. अन्तर्देशीय जल-परिवहन—तीसरी योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास का कार्यक्रम अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति (1959) की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है। इस कार्यक्रम पर साढ़े सात करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है जिसमें 6 करोड़ केन्द्रीय सरकार और छेड़ करोड़ ६० राज्यों की योजनाओं में होगा। केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम में दूसरी योजना में चलाए गए कार्यक्रमों को पूरा करने के अलावा सुन्दरवन में गंगा-ब्रह्मपुत्र मण्डल द्वारा चलाए जाने वाले प्रारम्भिक कार्यक्रम और उसके लिए नदी-तल को गहरा करने की मशीनें तथा छोटे जहाज खरीदने और अन्तर्देशीय जल-परिवहन से सम्बन्धित मामलों पर परामर्श देने के लिए एक केन्द्रीय संगठन बनाने का भी प्रस्ताव है। राज्यों के क्षेत्रों में अन्य कार्यक्रमों के अलावा केरल में पश्चिमी तटवर्ती नहर का विस्तार और सुधार, उड़ीसा में तालदण्ड और केन्द्रपाड़ा नहरों का सुधार और राजस्थान नहर में परिवहन की सुविधाओं का विकास शामिल है।

24. जहाजरानी—जहाजरानी के विकास का कार्यक्रम अधिकतर इस काम के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा पर निर्भर करता है। अभी हमें इस ओर धीरे-धीरे बढ़ना है। तीसरी योजना में जहाजरानी के लिए 55 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जहाजरानी विकास निधि के 4 करोड़ रुपये और जहाजरानी कम्पनियों के अपने साधनों से 7 करोड़ रुपये और इस कार्यक्रम में लगेंगे। आगे से कुछ अधिक राशि निजी क्षेत्र में और शेष सार्वजनिक क्षेत्र के दो निगमों के कार्यक्रम में लगेगी। आशा है कि इस योजना की अवधि में 57 जहाज खरीदे जाएंगे जिनकी क्षमता 375,000 टन होगी। इसमें से 194,000 टन क्षमता तो पुराने जहाजों को बदलने में लगेगी, और शेष 181,000 टन क्षमता बढ़ जाएगी। इस प्रकार कुल क्षमता 11 लाख टन हो जाएगी। लगभग 216,000 टन के जहाज निजी कम्पनियों द्वारा और शेष 159,000 टन के जहाज सार्वजनिक क्षेत्र में आएंगे। इसमें से 132,500 टन के जहाज तटवर्ती व्यापार के लिए और शेष 242,000 टन के जहाज विदेश व्यापार के काम आएंगे। तटवर्ती व्यापार के लिए योजना की अवधि में अधिकांश काम पुराने जहाजों की जगह नए लाने का है। जहाजरानी के और तीन कार्यक्रम में चार तेलवाही जहाज भी खरीदे जाएंगे जिनमें से एक तटवर्ती व्यापार के लिए विदेशी व्यापार के लिए होगा।

25. बन्दरगाह—मौजूदा बड़े बन्दरगाहों के लिए जो कार्यक्रम तीसरी योजना में बनाए गए हैं, उनका प्रमुख ध्येय यहाँ उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करना है। यह अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त में बड़े बन्दरगाहों की क्षमता 4.9 करोड़ टन हो जाएगी। योजना में कलकत्ता बन्दरगाह के रख-रखाव की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। पहला हलदिया में सहायक बन्दरगाह बनाने का और दूसरा फरवका पर गंगा पर

पर एक बांध बांधने का। हलदिया कलकत्ते से 56 मील नीचे की तरफ होगा। वहाँ कोयला, लोहा, अनाज आदि बड़ी मात्रा वाला माल उतारा-चढ़ाया जाएगा। गंगा पर बांध बनाना हुगली नदी की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक समझा गया है। कलकत्ता बन्दरगाह के कार्यक्रम में अन्य कार्यक्रमों के साथ ही बेलारी चैनल के सुधारने का काम भी शामिल है। बम्बई बन्दरगाह के कार्यक्रम में मुख्य बन्दरगाह के समीपवर्ती समुद्र को गहरा करने, प्रिसेस और विक्टोरिया गोदियों के आधुनिकीकरण और बंलाई पायर के विकास के कार्यक्रम हैं। मद्रास में कोयला और लोहा आदि सामान के लिए यादें बनाने और इन्हे उतारने-चढ़ाने के लिए मशीनें आदि खरीदने की व्यवस्था है। विशाखापत्तनम के कार्यक्रम में कच्चा धातु लादने की मशीनें लगाने का कार्यक्रम है। और बातों के अलावा काडला में दो अतिरिक्त बर्थ पूरा करने का कार्यक्रम है। बड़े बन्दरगाहों के कार्यक्रमों में तूतीकोरण और मंगलौर के छोटे बन्दरगाहों को सब मौसमों में काम आने वाला बनाना भी शामिल है।

26. बन्दरगाह विकास कार्यक्रम पर कुल 115 करोड़ रु० खर्च होंगे। इसमें से 80 करोड़ रु० बड़े बन्दरगाहों पर, 25 करोड़ रु० फरवका के बांध पर और 10 करोड़ रु० मंगलौर और तूतीकोरण के नए बन्दरगाहों के विकास पर खर्च होगा।

27. योजना में छोटे बन्दरगाहों के कार्यक्रमों पर 15 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। यह कार्यक्रम बिचोलिया बन्दरगाह विकास समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है। तीसरी योजना में शामिल कार्यक्रमों के पूरा होने पर छोटे बन्दरगाहों की क्षमता 60 लाख से बढ़ कर 90 लाख टन हो जाएगी।

28. प्रकाश-स्तम्भों और प्रकाश जहाजों के विकास के लिए 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। नए कार्यक्रमों में एक प्रकाश स्तम्भ खरीदने की भी बात है जिस पर 140 लाख रुपया व्यय होगा।

असैनिक वायु परिवहन

29. असैनिक उड्डयन—दूसरी योजना में बम्बई (शान्ताकुज), कलकत्ता (दमदम) और दिल्ली (पालम) हवाई अड्डों पर जैट हवाई जहाजों के आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए अनेक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए जो तीसरी योजना की अवधि में पूरे किए जाएंगे। तीसरी योजना में जहां कहीं आवश्यकता हो, हवाई पट्टियों को बढ़ाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें मद्रास में जैट हवाई जहाजों के आवागमन के लिए हवाई अड्डे के विस्तार, लखनऊ, गया और अहमदाबाद हवाई अड्डों की हवाई पट्टियों के विस्तार के कार्यक्रम भी शामिल हैं। अन्य अनेक नए हवाई अड्डे और हवाई पट्टियां बनाने की भी व्यवस्था है, जिनसे पर्यटक यातायात के विकास में सहायता मिलेगी।

30. वायुयानों के निगम—एयर इण्डिया इन्टरनेशनल के पास इस समय 3 बोइंग और 9 सुपर कांस्टलेशन हवाई जहाज हैं। तीसरी योजना में चार और जैट हवाई जहाज खरीदने की व्यवस्था की गई है। इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के पास 1960-61 के अन्त में 54 डकोटा, 5 स्काई मास्टर और 10 वाईकाउण्ट जहाज थे। तीसरी योजना में

चार वाईकाउण्ट और डकोटा जहाजों के स्थान पर 25 आधुनिक जहाज खरीदने की व्यवस्था है। यह प्रस्ताव है कि तीसरी योजना के अन्त में केवल 10 डकोटा रक्षे जाएं, जो माल ढोने के काम में लाए जाएंगे।

31. पर्यटन—पर्यटन के विकास के लिए योजना में 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी पर्यटकों के लिए यातायात और ठहरने की सुविधाओं पर अधिक जोर दिया जाएगा। होटल उद्योग को सहायता देने पर भी विचार किया जा रहा है। नए होटलों के निर्माण और पुरानों के सुधार और विस्तार के लिए ऋण देने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

संचार साधन

32. पिछले दस वर्षों में औद्योगिक और व्यावसायिक कार्यों में विस्तार के कारण संचार सुविधाओं की मांग बहुत बढ़ गई है। पिछली दो योजनाओं की अवधि में डाक घरों का काम 80 प्रतिशत बढ़ गया है अर्थात् 227 करोड़ पत्रादि से बढ़ कर 405 करोड़ पत्रादि का वितरण किया गया। तारों की संख्या 43 प्रतिशत बढ़ी अर्थात् 1950-51 से 1960-61 तक 279 करोड़ से बढ़ कर 4 करोड़ हो गई। ट्रंक टेलीफोनो की संख्या में 5 गुनी वृद्धि हुई। जहाँ 1950-51 में 71 लाख काल बुक की गई, वहाँ 1960-61 में उनकी संख्या 3 करोड़ 40 लाख हो गई। डाक और तार घरों में अत्यधिक विस्तार के बावजूद भी पिछले कुछ सालों में ये सेवाएँ अत्यधिक व्यस्तता से कार्य कर रही हैं।

33. डाक और तार—डाक-तार विभाग के कार्यक्रम पर तीसरी योजना में 77.6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें से 49.6 करोड़ ₹ स्थानीय तथा ट्रंक टेलीफोन सेवाओं पर जिनमें ट्रंक टेलीफोन के तार भी शामिल हैं; 2 करोड़ ₹ तार सेवाओं पर, 11 करोड़ ₹ भवनो पर, 13 करोड़ ₹ दूर संचार की सुविधाओं पर जिसकी आवश्यकता रेलों के विद्युतीकरण तथा अन्य प्रयासनात्मक आवश्यकताओं के कारण है, और 2 करोड़ ₹ विविध कार्यक्रमों पर व्यय किया जायगा।

34. स्थानीय टेलीफोन सेवा के कार्यक्रम में इस योजना की अवधि में 2 लाख नए सीधे टेलीफोन लगे गे और 50,000 लाइन स्वचालित कर दी जाएगी। ट्रंक टेलीफोन सेवाओं के कार्यक्रम में 10 ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज और अनेक मानव चालित एक्सचेंज तथा 2,000 पब्लिक काल आफिस खोले जाएंगे। दिल्ली और कलकत्ता तथा दिल्ली और बम्बई के बीच 'को-एक्सिल केबल' डालने का काम पूरा हो जाएगा और मद्रास और कोयंबटूर, बम्बई और नागपुर, और दिल्ली और अमृतसर के बीच को-एक्सिल केबल डालने की व्यवस्था की गई।

35. देश में तारघरों की संख्या 1960-61 में 6,450 से बढ़ कर 1965-66 में 8,450 हो जाएगी। तारघरों में दूरमुद्रक और टैप-रिले आदि आदि आधुनिक यन्त्र बढ़ायात से लगाने की भी व्यवस्था की गई है जिससे तारों की पुनरावृत्ति न हो।

36. तीसरी योजना के अन्त तक देश में डाकघरों की संख्या 1960-61 में 7,00,000 से बढ़ कर 94,000 हो जाएगी।

37. अन्य संचार सेवाएं—तीसरी पंचवर्षीय योजना में दूरमुद्रक बनाने का कारखाना लगाने की व्यवस्था है। इसमें 1963-64 तक 1,000 दूरमुद्रक तैयार होने की आशा है। भारतीय टेलीफोन उद्योग के विकास कार्यक्रम पर 2.8 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। इससे इस कारखाने की क्षमता तीसरी योजना की अवधि में प्रति वर्ष 1 लाख एक्सचेंज लाइन बनाने और 1,60,000 टेलीफोन यंत्र बनाने की हो जाएगी।

38. विदेश संचार सेवाओं के विस्तार के कार्यक्रम में तीसरी योजना में रेडियो प्रेषक लगाए जाएंगे इनकी संख्या 1960 में 22 से बढ़ कर तीसरी योजना के अन्त में 31 हो जाएगी और टेलीफोन संचार सरकिटों की संख्या 7 से 30 हो जायेगी। इस सेवा के आधुनिकीकरण का भी कार्यक्रम है जिसमें स्वचालित गलती पकड़ने वाले यंत्र लगाए जाएंगे और टेलीक्स सेवा तथा लीड चैनलों का विकास किया जाएगा जिससे सेवा में क्षिप्रता तथा कुशलता बढ़े।

39. भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग के कार्यक्रम में प्रमुख वेधशालाओं में आधुनिक यंत्र लगाए जाने की व्यवस्था है। विभाग नई दिल्ली में एक केन्द्र खोल रहा है जहाँ उत्तरी गोलार्द्ध की ऋतु सम्बन्धी जानकारी एकत्र की जाएगी, उसका अध्ययन किया जाएगा और फिर उसे चारों ओर भेजा जाएगा। पूना में उष्ण देशीय ऋतु विज्ञान संस्थान खोला जाएगा जहाँ उष्ण देशीय ऋतु विज्ञान में प्रशिक्षण और गवेषणा की व्यवस्था रहेगी।

40. प्रसारण—दूसरी योजना में प्रसारण के विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य देश के अधिक से अधिक भागों में शाटंवेव प्रेषक लगा कर रेडियो सुविधा पहुँचाना और विदेशी प्रसार सुविधाओं को मजबूत बनाना था। तीसरी योजना का उद्देश्य अन्तर्देशीय सेवा को मजबूत बनाने के लिए मीडियम वेव प्रसार सेवा का विस्तार और कार्यक्रमों को रिकार्ड करने का प्रबन्ध करना है। आजकल अन्तर्देशीय मीडियम वेव सेवा कुल क्षेत्र के 37 प्रतिशत और जनसंख्या के 55 प्रतिशत तक पहुँचती है। इसे बढ़ा कर 61 प्रतिशत क्षेत्र और 74 प्रतिशत जनता तक पहुँचाया जाएगा। तीसरी योजना में विदेशी संचार सेवा में और अधिक सुधार करने की भी व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में अन्य कार्यों के अतिरिक्त बम्बई में एक टेलिविज़न केन्द्र भी खोलने का प्रस्ताव है।

41. गावों में सामुदायिक रूप से रेडियो लगाने के कार्य के विस्तार की भी व्यवस्था की गई है और तीसरी योजना में ऐसे केन्द्रों को लगभग 32,000 नए रेडियो दिए जाएंगे। ये रेडियो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए रेडियो के अतिरिक्त होंगे

अध्याय 17

शिक्षा : सामान्य और तकनीकी

भूमिका

तीसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक यह है कि शिक्षा-प्रसार कार्यक्रम का विस्तार करके इसे हर घर तक पहुंचाना है, ताकि शिक्षा राष्ट्रीय जीवन की हर शाखा में आयोजित विकास की केन्द्र-बिन्दु बन जाए। तीसरी योजना के शिक्षा-कार्यक्रम व्यापक हैं। इस अध्याय में सामान्य, तकनीकी और अन्य विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में आयोजन के मुख्य लक्ष्यों का और तीसरी योजना के कार्यक्रमों की कुछ विशेषताओं और समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है।

2. विकास के सब साधनों में से शायद सबसे मूल इस समय प्रशिक्षित जन-शक्ति है। विभिन्न दिशाओं में कितनी प्रगति हो सकती है, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर होगा कि देश में प्रशिक्षित जन-शक्ति और प्रशिक्षण-सुविधाएं कहां तक उपलब्ध हैं। अर्थ-व्यवस्था के विकास के साथ-साथ हमें सख्या के अतिरिक्त, कुशलता और अनुभव पर भी जोर देना होगा। आवश्यक प्रशिक्षित जन-शक्ति तैयार करने की समस्याओं पर व्यापक दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। एक ओर तो उनको स्कूल और कालेज में हर स्तर पर दी गई शिक्षा और घरेलू जीवन पर प्रभाव पड़ता है; दूसरी ओर औद्योगिक और अन्य सत्वाओं के प्रबन्ध और सगठन की सम्पूर्ण प्रणाली और अनुसंधान तथा इसके परिणामों का प्रयोग इसकी सीमा में आते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी तथा प्रशिक्षण के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रगति अन्ततः सामान्य शिक्षा प्रणाली के मूल परिवर्तनों पर निर्भर होती है। इसलिए हर कदम पर सामान्य शिक्षा और तकनीकी तथा अन्य विशिष्ट शिक्षा में निकट सम्बन्ध होता है। शिक्षा की समस्याओं पर इसके विभिन्न पहलुओं के आपसी सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए। भारत की वर्तमान अवस्था में शिक्षा-कार्यक्रमों का पहले से कहीं अधिक महत्व है—एक समान नागरिकता की भावना पैदा करने, लोगों की कार्य-क्षमता का उपयोग करने और देश के हर भाग के प्राकृतिक और मानवीय साधनों का विकास करने के प्रयास की तह में शिक्षा-कार्यक्रम हैं। पिछले दस वर्षों में जो विकास हुआ है, उससे आधिक प्रगति का आधार तैयार हो गया है, परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में अभी काफी खामिया हैं। अगर हमें प्रगति को जारी रखना है और स्थायी बनाना है तो इस कमी को जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा।

I सामान्य शिक्षा

3. सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में तीसरी योजना में हमें 6 से 11 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए शिक्षा-सुविधाओं की व्यवस्था करने, विश्वविद्यालय और माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा में विस्तार और सुधार करने, हर स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का विस्तार करने, शिक्षा के हर स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं में सुधार और विस्तार करने, छात्रवृत्तियों, फ्री-शिपों और अन्य सहायताओं में वृद्धि करने पर जोर देना होगा। लड़कियों की शिक्षा पर किस तौर पर ध्यान देना और लड़कों तथा लड़कियों के वर्तमान शिक्षा स्तरों के अन्तर को काफी कम करना होगा। सभी प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदल देना होगा। विश्वविद्यालयों में तीन-साला डिग्री कोर्स पूरी तरह लागू किया जाएगा और स्नातकोत्तर (पोस्ट-ग्रेजुएट) और अनुसन्धान-सुविधाओं में विस्तार और सुधार किया जाएगा।

4. 1951-61 की दशाब्दी में छात्रों की संख्या 235 लाख से बढ़ कर 435 लाख हो गई। 6 से 11 वर्ष की उम्र के छात्रों की संख्या में 79 प्रतिशत वृद्धि, 11 से 14 वर्ष की उम्र के छात्रों की संख्या में 102 प्रतिशत की वृद्धि और 14 से 17 वर्ष की उम्र के छात्रों में 139 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन वर्गों में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या भी क्रमशः 43 प्रतिशत से 61 प्रतिशत, 13 से 23 प्रतिशत और 5 से 12 प्रतिशत हो गई। तीसरी योजना के दौरान स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या में 2 करोड़ 40 हजार वृद्धि होने की सम्भावना है।

पहली दो योजनाओं में स्कूलों की संख्या में 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई—कुल संख्या 2,30,555 से बढ़कर 3,98,200 हो गई। प्राथमिक स्कूलों की संख्या में 63 प्रतिशत की, मिडिल स्कूलों की संख्या में 191 प्रतिशत की और हाई स्कूलों की संख्या में 128 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तीसरी योजना की अवधि में कुल स्कूलों की संख्या में 24 प्रतिशत वृद्धि होगी, अर्थात् स्कूलों की कुल संख्या बढ़ कर 4,94,500 के लगभग हो जाएगी।

विश्वविद्यालयों और कालेजों के छात्रों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। 1950-51 में कला, विज्ञान, और वाणिज्य-पाठ्यक्रमों में छात्रों की कुल संख्या 3,60,000 थी; यह संख्या 1955-56 में 6,34,000 और 1960-61 में लगभग 9 लाख हो गई। दूसरी योजना की अवधि में देश में विज्ञान-पाठ्यक्रम लेने वालों की संख्या भी 33 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई। कुछ राज्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई, परन्तु कुछ अन्य राज्यों में इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तीसरी योजना में विश्वविद्यालय स्तर पर जिन 4 लाख छात्रों के बढ़ने की व्यवस्था है उसमें लगभग 60 प्रतिशत विज्ञान के छात्र होंगे। इस वृद्धि के पश्चात् विज्ञान पढ़ने वाले छात्र कुल के 42 प्रतिशत से अधिक हो जाएंगे।

व्यय

5. नीचे दी गई सारिणी में पहली, दूसरी और तीसरी योजना में सामान्य शिक्षा की योजनाओं के लिए निर्धारित व्यय का अलग-अलग ब्योरा दिया गया है।

शिक्षा पर होने वाले व्यय का विभाजन

मद	राशि (करोड़ ₹०)			प्रतिशत		
	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रारम्भिक शिक्षा	85	87	209	63.9	41.9	50.0
2. माध्यमिक शिक्षा	20	48	88	15.1	23.1	21.1
3. विश्वविद्यालय शिक्षा	14	45	82	10.5	21.6	19.6
4. अन्य कार्यक्रम						
समाज शिक्षा	} 14	4	6	—	1.9	1.4
शारीरिक शिक्षा और युवक कल्याण		10	12	10.5	4.8	2.9
अन्य		10	11	—	4.8	2.6
योग		133	204	408	100.0	98.1
6. सांस्कृतिक कार्यक्रम	(*)	4	10	—	1.9	2.4
7. कुल योग	133	208	418	100.0	100.0	100.0

शिक्षा-मद के अन्तर्गत जो राशि रखी गई है, उसके अतिरिक्त भी शिक्षा-कार्यक्रमों पर 37 करोड़ रुपये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित राशि में से और लगभग 42 करोड़ रुपये पिछड़ी जातियों के कल्याण-कार्यक्रमों के लिए निर्धारित राशि में से व्यय किए जाएंगे। इस प्रकार तीसरी योजना में सामान्य शिक्षा पर कुल मिलाकर 497 करोड़ रुपये व्यय होंगे, जबकि दूसरी योजना में 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। दूसरी योजना में शिक्षा-संस्थाओं को चलाने पर 375 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे—अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में इन्हें चलाने पर कुल 700 करोड़ रुपये खर्च आएंगे। शिक्षा के विकास के लिए गैर-सरकारी सूत्रों से जो राशि प्राप्त होगी, वह उपरोक्त राशि के अतिरिक्त होगी।

6. स्कूल-पूर्व शिक्षा—तीसरी योजना में बाल-सेविकाओं के प्रशिक्षण के लिए तीन प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की, वर्तमान बाल-बाड़ियों में सुधार करने की और नई बाल-बाड़ियां खोलने इत्यादि की व्यवस्था की गई है। शिक्षा-कार्यक्रम में से शिशु कल्याण और सम्बद्ध योजनाओं के लिए 3 करोड़ रुपये केन्द्र में और 1 करोड़ रुपये राज्यों में रखे गए हैं। यह राशि सामुदायिक विकास और समाज कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले साधनों के अतिरिक्त है।

*पहली योजना में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय को मद 4 में शामिल कर लिया गया था।

प्रारम्भिक शिक्षा

7. प्राथमिक शिक्षा—तीसरी योजना के मुख्य उद्देश्यों में से 6 से 11 वर्ष की उम्र के सब बच्चों के लिए शिक्षा-सुविधाओं की व्यवस्था करना है। चौथी और पांचवी योजनाओं में 11 से 14 वर्ष की उम्र के सब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। 6 से 11 वर्ष की उम्र के सब बच्चों के लिए तीसरी योजना में शिक्षा-सुविधाएं प्रस्तुत करने के रास्ते में जो मुख्य समस्याएं आती हैं, उनके कारण निम्नलिखित हैं—

(क) पर्याप्त संख्या में लड़कियों को स्कूलों में लाने में कठिनाइयां;

(ख) शिक्षा के मामले में कुछ क्षेत्रों और जनसंख्या के कुछ वर्गों का अत्यधिक पिछड़ा-पन; और

(ग) बच्चों के कमाने योग्य होते ही उनके माता-पिताओं द्वारा उनको स्कूल से उठा लेने से 'अपव्यय'—इस प्रवृत्ति के कारण आधे से अधिक बच्चे चौथी श्रेणी तक नहीं पहुंच पाते और इस प्रकार स्थायी रूप से साक्षर होने से वंचित रह जाते हैं।

लड़कियों की शिक्षा-सुविधाओं में विस्तार करने के लिए जिन विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है, उनमें से कुछ हैं: शिक्षिकाओं के लिए क्वार्टरों का प्रबन्ध, देहाती क्षेत्रों में काम करने वाली शिक्षिकाओं के लिए विशेष भत्ता, शिक्षिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए वयस्क महिलाओं के लिए सक्षिप्त शिक्षा-पाठ्यक्रम, शिक्षिका-प्रशिक्षणार्थियों के लिए वृत्तियां, पारितोषिक और छात्रवृत्तियां इत्यादि। बिलरी हुई बस्तियों जैसे, पहाड़ी इलाके और दूर-दूर बसे हुए गांवों में शिक्षा के प्रसार के रास्ते में कई विशेष कठिनाइयां हैं। इनमें अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी, हालांकि इन पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च आएगा। 'अपव्यय' को घटाने के लिए जो कदम उठाए जाएं उनमें से कुछ ये हैं: अनिवार्य शिक्षा, प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षा-प्रणाली में सुधार, मां-बाप को यह समझाना कि बच्चों को स्कूल भेजना बच्चों के हित में है; और स्कूल की छुट्टियों का इस ढंग से आयोजन कि वे फसल की कटाई और बुवाई के मौसमों से मेल खाएं, इत्यादि।

8. 6 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसे किसी राज्य में स्थगित नहीं करना चाहिए। यह सम्भव है कि हमें इस दिशा में अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़े जिन्हें थोड़े समय में दूर नहीं किया जा सकता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि तीसरी योजना तक लगभग 90 प्रतिशत लड़के तथा 62 प्रतिशत लड़कियां स्कूलों में होंगे—6 से 11 वर्ष की उम्र के कुल बच्चों का लगभग 76 प्रतिशत। तीसरी योजना की अवधि में लगभग 153 लाख अतिरिक्त बच्चे स्कूलों में दाखिल होंगे जिनमें से 86 लाख लड़कियां होंगी। राज्यों के विकास-स्तरों में अन्तर हालांकि कुछ कम हो जाएगा, फिर भी यह काफी रहेगा।

9. मिडिल स्कूल-शिक्षा—1951-61 की अवधि में 11 से 14 वर्ष की उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या लगभग दुगुनी और लड़कियों की संख्या में तिगुनी वृद्धि हुई। फिर भी इस अवधि के अन्त में 34 प्रतिशत लड़कों के मुकाबले केवल 11 प्रतिशत

लड़कियाँ स्कूलों में थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस वय-वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों में 54 प्रतिशत की वृद्धि करने का लक्ष्य है, परन्तु स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या लगभग दुगुनी की जाएगी। इसके बावजूद भी लड़को और लड़कियों का अन्तर उल्लेखनीय रहेगा क्योंकि इस वय-वर्ग के जहाँ 40 प्रतिशत लड़के स्कूलों में होंगे, वहाँ 17 प्रतिशत से भी कम लड़कियाँ स्कूलों में शिक्षा पा रही होंगी।

10 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा-सविधान में 6 से 14 वर्ष के वय-वर्ग की शिक्षा की चर्चा की गई थी—व्यावहारिक और प्रशासनिक कारणों से इस वर्ग को 6 से 11 और 11 से 14 दो वर्गों में बांट दिया गया है। अगर 6 से 14 वर्ष के सारे वय-वर्ग को लिया जाए, तो पिछले दस वर्षों में कुल जनसंख्या में से इस वय-वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 32 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत हो गई है। लड़को के मामले में यह वृद्धि 46 से 65 प्रतिशत और लड़कियों के मामले में 18 से 31 प्रतिशत हुई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में इस वय-वर्ग का प्रतिशत बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत हो जाएगा, लड़कियों और लड़को का क्रमशः 46 प्रतिशत और 73 प्रतिशत। इन अंको से हमें उस बाकी काम का भी अन्दाजा मिलता है जो हमें चौथी और पांचवीं योजनाओं में करना है।

11. बुनियादी शिक्षा—तीसरी पंचवर्षीय योजना में 57,760 स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदलने, वर्तमान स्कूलों में बुनियादी ढांचे के ढग पर लाने, सभी प्रशिक्षण संस्थाओं का बुनियादी प्रणाली के आधार पर पुनर्गठन करने, शहरी इलाकों में बुनियादी स्कूल खोलने और बुनियादी शिक्षा को हर स्थानीय समुदाय के विकास-कार्यों से सम्बद्ध करने की व्यवस्था है।

12. शिक्षकों का प्रशिक्षण—दूसरी योजना के अन्त में 1307 संस्थाओं में प्रारम्भिक स्कूलों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था—इन स्कूलों में से 70 प्रतिशत का बुनियादी प्रणाली के अनुसार पुनर्गठन हो चुका था। तीसरी योजना के अन्त तक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़कर 1424 हो जाएगी, जिनमें से सभी बुनियादी प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षण देंगी। इन संस्थाओं में प्रशिक्षार्थियों की संख्या 1960-61 के 1,35,000 से बढ़ कर 1965-66 में लगभग 2 लाख हो जाएगी। कुछ प्रशिक्षण संस्थाओं में विस्तार विभाग भी खोले जाएँ जिनका काम आसपास के स्कूलों में अध्यापन के स्तर में सुधार करना होगा।

13. सामुदायिक प्रयास—राज्यों की योजनाओं में जो व्यवस्था की गई है, उसके अतिरिक्त स्थानीय समुदायों को भी कुछ कार्यक्रमों में योग देना चाहिए; जैसे बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाने का आन्दोलन, स्कूलों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था आदि। कई राज्यों में स्थानीय साधनों के जुटाने में उत्साहवर्द्धक सफलता मिली है और आशा है कि पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न राज्यों में स्थापित होने के पश्चात् और भी अधिक स्थानीय सहयोग प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। कई राज्यों ने अपनी योजनाओं में स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था की है। हालांकि वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस समय इस प्रकार की सीमित व्यवस्था ही की जा सकती है, फिर भी राज्य-

सरकारों को इस दिशा में यथासम्भव प्रयास करना चाहिए, विशेष तौर पर उस अवस्था में जहां स्थानीय समुदाय भी इस पर होने वाले व्यय में अपना योग देने को तैयार हैं।

माध्यमिक शिक्षा

14. अर्थ-व्यवस्था के विकास, माध्यमिक स्कूलों की संख्या में काफी वृद्धि और 14 से 17 वर्ष की उम्र के छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण, हमें माध्यमिक शिक्षा-व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। माध्यमिक स्कूलों का इस ढंग से पुनर्गठन किया जाए कि उनमें छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षा-सेवाओं की व्यवस्था की जाए। आर्थिक जीवन की कई शाखाओं के बीच के और नीचे के स्तर के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति माध्यमिक स्कूलों से पास होने वाले छात्रों को प्रशिक्षण दे कर की जाती है। ये शाखाएं हैं : प्रशासन, ग्राम विकास, वाणिज्य, उद्योग और पेशे इत्यादि। हाल के वर्षों में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन और विकास के जो कार्यक्रम पूरे किए गए हैं उनका लक्ष्य माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों का विस्तार करना और इसे शिक्षा-क्रम के अन्तर्गत एक पूर्ण इकाई बनाना है। इसके लिए जो कदम उठाए जाएंगे, वे हैं हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदलना, बहूद्देशीय स्कूलों का विकास, जिनमें कई ऐच्छिक विषय पढ़ाने की व्यवस्था हो, विज्ञान पढ़ाने की सुविधाओं में विस्तार और सुधार, शिक्षा और व्यावसायिक सम्बन्धी निर्देशन की व्यवस्था, परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, व्यावहारिक शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, लड़कियों और पिछड़ी जातियों की शिक्षा सुविधाओं में विस्तार, योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियों द्वारा प्रोत्साहन, इत्यादि। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करना होगा। इस पुनर्गठन की मुख्य विशेषताएं होंगी : माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रमों में रद्दोबदल, नई प्रणालियों और तौर-तरीकों की शुरुआत और अध्यापकों की शिक्षा योजना में परिवर्तन।

15. पिछली दशक में नवीं से ग्यारहवीं श्रेणी तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 12 लाख से बढ़ कर 29 लाख हो गई है। तीसरी योजना के अन्त में इसके 46 लाख हो जाने की सम्भावना है। हालांकि स्कूल जाने वाली लड़कियों की कुल संख्या लगभग दुगुनी हो जाएगी, सारे वय-वर्ग में कुल मिलाकर उनका प्रतिशत काफी कम होगा; 24 प्रतिशत लड़कों के मुकाबले केवल 7 प्रतिशत लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही होंगी।

16. माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार करने और उते सुदृढ़ बनाने के लिए तीसरी योजना में जो कदम उठाए जाएंगे उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषयों का यहां संक्षिप्त वर्णन किया जाएगा। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या द्वितीय योजना के अन्त में 3121 से बढ़कर 6390 हो जाएगी। जहां तक बहूद्देशीय स्कूलों के बनाए गए कार्यक्रम का सम्बन्ध है जिनमें बौद्धिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐच्छिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था है। योजना का मुख्य उद्देश्य दूसरी योजना के अन्त तक बने 2115 स्कूलों को सुदृढ़ बनाना है—विस्तार कार्यक्रम केवल 331 नए स्कूलों तक सीमित रहेगा। बहूद्देशीय स्कूलों के लिए अध्यापक तैयार करने के लिए चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण कालेज स्थापित किए जाएंगे। बहूद्देशीय स्कूलों में निर्देशन की व्यवस्था करने के लिए राज्यों के वर्तमान शिक्षा और

व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशन ब्यूरो के विस्तार करने का सुभाव है। 'विज्ञान की शिक्षा में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे, जैसे वर्तमान विज्ञान पाठ्यक्रमों की समीक्षा, अध्यापकों के लिए हैण्डबुक, छात्रों के लिए मंग्युधल और विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकें तैयार करवाना, विज्ञान अध्यापकों की संख्या बढ़ाना, प्रयोगशाला सहायकों का प्रशिक्षण, वैज्ञानिक उपकरणों के डिजाइनों के मानक निर्धारण करना, इत्यादि। सभी माध्यमिक स्कूलों में सामान्य विज्ञान के अनिवार्य विषय की व्यवस्था तो की ही जाएगी, इसके अतिरिक्त 21,800 माध्यमिक स्कूलों में से 9,500 से अधिक में विज्ञान एक ऐच्छिक विषय के रूप में भी पढाया जाएगा। परीक्षा प्रणाली सुधार सम्बन्धी जो कार्यक्रम पहले ही आरम्भ किए जा चुके हैं उनको और आगे बढ़ाया जाएगा।

17. प्रशिक्षण कालेजों की संख्या 1960-61 के 236 से बढ़ाकर 1965-66 में 312 कर दी जाएगी। माध्यमिक स्कूलों की वर्तमान अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इन संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के पुनर्गठन करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। माध्यमिक स्कूलों में लगे हुए अध्यापकों को काम करते हुए भी प्रशिक्षण सुविधाएँ दिलवाने के लिए तीसरी योजना की अवधि में 54 चुने हुए प्रशिक्षण कालेजों में जो विस्तार केन्द्र खोले गए थे उनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी।

विश्वविद्यालय शिक्षा

18. प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा के विकास के फलस्वरूप उच्चतर शिक्षा की मांग भी बहुत बढ़ गई है। विश्वविद्यालयों की संख्या भी 1950-51 के 27 से बढ़ कर 1955-56 में 32 और 1960-61 में 46 हो गई है। तीसरी योजना की अवधि में लगभग एक दर्जन विश्वविद्यालय और खोले जाएंगे। इण्टरमीडिएट कालेजों के अतिरिक्त कालेजों की कुल संख्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में 772 से बढ़कर 1,050 हो गई है। तीसरी योजना में भी इस संख्या में हर वर्ष 70 से 80 तक की वृद्धि होने की आशा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर छात्रों के स्तर में होने वाली गिरावट पर काबू पाना है तो यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों की वृद्धि के साथ-साथ भौतिक और अन्य अध्यापन सुविधाओं में भी विस्तार हो।

19. तीसरी योजना में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में अधिक छात्रों के शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है। यह समस्या इतनी विशाल है कि इन सुविधाओं के पश्चात् भी कला, विज्ञान और वाणिज्य के उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेशने चाह वाले छात्रों की संख्या बहुत अधिक रहेगी। इसलिए उनमें से चुनाव करने के लिए हमें उपयुक्त मानदण्ड निर्धारित करने पड़ेंगे। योजना में उच्च शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार की जो व्यवस्था की गई है उसके अतिरिक्त सायकानीन कालेज खोलने, डाक-माध्यम शुरू करने और बाहरी (एक्स्टर्नल) डिग्रियाँ देने पर भी विचार हो रहा है। तीसरी योजना की अवधि में विज्ञान की शिक्षा सुविधाओं के विस्तार कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य विशेषताएँ हैं अधिक वैज्ञानिक उपकरणों की व्यवस्था, अधिक विज्ञान अध्यापकों को नियुक्ति और योग्य विज्ञान छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ। विश्वविद्यालयों और कालेजों के स्नातकोत्तर

विभागों को स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसन्धान के लिए सहायता दी जाएगी, जिसमें विज्ञान की शिक्षा पर खास जोर दिया जाएगा। दूसरी योजना में छात्राओं को अधिक सुविधाएं देने, ग्राम्य संस्थाओं के विकास और तीन-साला डिग्री पाठ्यक्रम लागू करने के जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे वह जारी रहेंगे।

लड़कियों की शिक्षा

20. विभिन्न स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा के कुछ पहलुओं का पहले ही जिक्र किया जा चुका है। इस समस्या के कुछ मोटे-मोटे पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 34 प्रतिशत है जब कि लगभग 13 प्रतिशत स्त्रियां ही साक्षर हैं। तीसरी योजना के अन्त तक लड़कों और लड़कियों का यह अन्तर कुछ कम हो जाने के बावजूद भी काफी रहेगा। तीसरी योजना की अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हर स्तर पर लड़कियों के लिए शिक्षा सुविधाओं में विस्तार करना होना चाहिए। तीसरी योजना के अनुमानों को प्राप्त करने के लिए भी सारे देश में बड़े पैमाने पर प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी, विशेष कर उन राज्यों में जिनमें लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है।

21. ऐसा अनुमान है कि योजना में शिक्षा के लिए निर्धारित राशि में से लगभग 175 करोड़ रुपये लड़कियों की शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे जिसमें से लगभग 114 करोड़ रुपये प्राथमिक और मिडिल स्कूल स्तर पर शिक्षा के विस्तार के लिए होंगे। लड़कियों की शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम की विशेष योजनाओं के लिए भी कुछ राशि निर्धारित की गई है। राज्यों की योजनाओं में लड़कियों की शिक्षा के लिए जो व्यवस्था की गई है उसको पूरा करते समय राज्य सरकारें महिला शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की विस्तृत सिफारिशों को ध्यान में रखें। ऐसा वातावरण बनाने, जिससे माता-पिताओं को लड़कियों को स्कूलों में भेजने के लिए प्रोत्साहन मिले, जनमत को शिक्षित करने, अध्यापन के पेशे में अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं को लाने और शहरी क्षेत्रों से अधिक से अधिक औरतों को देहाती स्कूलों में अध्यापिकाओं का कार्य करने की प्रेरणा देने पर खास तौर से जोर देना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा के कार्यक्रम की प्रगति का हर वर्ष ध्यान से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और तीसरी योजना के लक्ष्यों का प्राप्ति के लिए जो और कदम उठाना जरूरी है वे कदम उठाए जाएं। लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में इस बात की खास तौर पर आवश्यकता है कि जो तरीके देश के विभिन्न भागों में सरलता-पूर्वक अपनाए गए हों, उनका ध्यान से अध्ययन किया जाए और उन्हें सब के सामने रखा जाए। वार्षिक योजना बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि वित्तीय साधनों की कमी के कारण लड़कियों की शिक्षा के कार्यक्रम में किसी प्रकार की रुकावट न पड़े और जिन सामाजिक और संगठन सम्बन्धी कठिनाइयों से प्रगति के रास्ते में रुकावट पड़ती है, उन्हें जल्दी से जल्दी दूर किया जाए।

छात्रवृत्तियां

22. 1960-61 से छात्रवृत्तियों के रूप में हर वर्ष 18 करोड़ रुपये दिए जाएंगे— तीसरी योजना में इस राशि के अतिरिक्त 37 करोड़ रुपये और छात्रवृत्तियों के लिए

उपलब्ध होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई अनुसन्धान छात्रवृत्तियाँ और फेलोशिप तथा कृषि, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अनुसन्धान इत्यादि के लिए दी गई छात्रवृत्तियाँ इस राशि के अतिरिक्त होंगी।

तीसरी योजना में छात्रवृत्तियों को जो महत्व दिया गया है उसको देखते हुए राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को चाहिए कि वे अपनी वर्तमान योजनाओं की समीक्षा करें और छात्रवृत्तियाँ देने के ऐसे नियम बनाएं कि जरूरतमन्द योग्य छात्रों को, अगर उनकी प्रगति सन्तोषजनक हो, तो शिक्षा की समाप्ति तक छात्रवृत्तियाँ मिलती रहें और सामान्यतः उन्हें बीच में बन्द न किया जाय। पिछड़े हुए आर्थिक वर्गों के छात्रों की पूरी संख्या के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना और उनमें से अधिक से अधिक छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस बात का अध्ययन किया जाए कि हर राज्य में किस-किस वर्ग के कर्मचारियों की कमी है। यह जानने के बाद मंडिक के बाद की शिक्षा पाने वाले छात्रों में से प्रतिभाशाली छात्रों को चुन कर उन्हें सारे प्रशिक्षण-काल के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाएं। ऐसे छात्रों के लिए नौकरी-निर्दिष्ट होगी। उन्हें भी प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात् न्यूनतम नियत अवधि तक नौकरी करने का वायदा करना होगा।

सामाजिक शिक्षा और वयस्क साक्षरता

23. साक्षरता, स्वास्थ्य, वयस्कों का मनोरंजन और उनका घरेलू जीवन, नागरिकता के लिए प्रशिक्षण और आर्थिक दक्षता में सुधार के लिए निर्देशन—यह सब सामाजिक शिक्षा के अंग हैं। जनतन्त्र में अन्तिम विद्वेषण में आयोजन की सफलता सामाजिक शिक्षा के प्रसार, प्रगतिशील दृष्टिकोण और एक समान नागरिकता की भावना के विकास पर निर्भर करती है। परन्तु कृषि, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य और अन्य कल्याण-कार्यक्रमों के शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत कठिन होती है। पिछले दस वर्षों में कई दिशाओं में प्रगति हुई है, जैसे सामुदायिक केन्द्रों का विकास, गावों में वाचनालयों का निर्माण, युवकों और महिलाओं में सगठित कार्यवाहियों का प्रसार, और ग्राम-पंचायतों और सहकारी आन्दोलन को फिर से शक्तिशाली बनाना। सामाजिक शिक्षा का एक पहलू, जो कई दृष्टियों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है चिन्ता का विषय बना हुआ है। 1951-61 की अवधि में साक्षरता में केवल 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी यह, इस अवधि में 17 प्रतिशत से बढ़ कर 24 प्रतिशत हो गई है।

24. जिला और ब्लॉक स्तरों पर पंचायती राज की शुरुआत और ग्राम-पंचायतों को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे जाने के कारण यह अनिवार्य हो गया है कि हमारी वयस्क जनसंख्या का बड़ा भाग जल्दी से जल्दी पढ़ने-लिखने लायक हो जाए। यह उनके और समाज के हित में है। चूंकि इस दिशा में अब तक पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है इसलिए अब इन समस्या का नए सिरे से अध्ययन किया जा रहा है ताकि वयस्क-साक्षरता का तेज रफ्तार से विस्तार करने के लिए कदम उठाए जा सकें। इसके लिए देश में जनशक्ति और

घन के रूप में जितने भी साधन उपलब्ध होंगे, उन्हें जुटाना होगा, स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं और संगठनों को गतिशील करना होगा, हर शहर और कस्बे में खण्ड और ग्राम स्तर पर वयस्क शिक्षा और साक्षरता कार्य का प्रसार करना होगा, ताकि यह एक लोकप्रिय आन्दोलन का रूप ले ले।

शिक्षा और सामुदायिक विकास में हर स्तर पर लगे हुए कर्मचारियों का निरन्तर सहयोग बढ़े और प्रभावशाली वयस्क साक्षरता आन्दोलन के लिए अनिवार्य है। सामाजिक शिक्षा और वयस्क साक्षरता का विकास शिक्षा संस्थाओं, विशेष तौर पर गांव के स्कूलों, पंचायतों और स्वयंसेवी संगठनों से मिल-जुल कर की जाने वाली विस्तार कार्रवाइयों के रूप में किया जाना चाहिए। मोटे तौर पर यह लक्ष्य होना चाहिए कि जहां एक कक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में ऐसे लोग हैं जो साक्षर होना चाहते हैं, उनके लिए अध्यापकों और शिक्षा उपकरणों के रूप में सब सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। हर शिक्षा संस्था को इस प्रयास में योग देना चाहिए; इसमें भाग लेने वाले अध्यापकों को उचित पारिश्रमिक दिया जाए। साथ ही ग्राम-पंचायतों और अन्य अभिकरणों को भी इस कार्य में पूरा योग देना चाहिए। सामाजिक शिक्षा संगठनकर्ताओं, खण्ड शिक्षा अधिकारियों और निजी शिक्षा संस्थाओं को मिल-जुल कर आवश्यक सुविधाएं स्थानीय संस्थाओं को सौंप देनी चाहिए। पंचायत समितियों, ग्राम-पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं को चाहिए कि वे जनता में इसके लिए जोश पैदा करें और उसे बनाए रखें; वयस्क शिक्षा और साक्षरता का अपनी आवश्यकताओं और अवस्था के अनुसार निरन्तर विकास करते रहें। पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता बढ़ाने के इस आन्दोलन में हर कदम पर स्थानीय नेताओं, अध्यापकों, और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं का योग प्राप्त किया जाए। वयस्क साक्षरता के एक व्यापक कार्यक्रम के सुझावों पर आजकल विचार हो रहा है और आशा है कि तीसरी योजना की अवधि में इसमें उल्लेखनीय प्रगति होगी।

शिक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम

25. आगामी कुछ वर्षों में पूरे किए जाने वाले कुछ अन्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों को भी योजना में स्थान दिया गया है। इनमें अध्यापकों की सामाजिक और आर्थिक अवस्था में सुधार, शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के बारे में अनुसन्धान, परीक्षा प्रणाली में सुधार, पाठ्य-पुस्तकों का उत्पादन, और हिन्दी और संस्कृत का विकास शामिल हैं। योजना में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद के विकास, युवक कल्याण कार्रवाइयों के विकास और पुस्तकालयों के विस्तार की व्यवस्था भी की गई है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

26. सांस्कृतिक विकास की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का, जो पहली और दूसरी योजनाओं में शुरू की गई थीं, अब और विस्तार किया जाएगा। इनमें ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय कला दीर्घा का विस्तार, संग्रहालयों का विकास, और पुरातत्व विभाग की योजनाएं शामिल हैं।

राष्ट्रीय एकीकरण

27. नई सन्तति में राष्ट्रीय और सामाजिक एकीकरण पैदा करने में शिक्षा संस्थाओं को महत्वपूर्ण योग देना है। स्कूल कार्यक्रम ऐसे बनाए जाएं जो छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करें। इस कार्यक्रम के पूरक के रूप में अन्य कार्रवाइयां भी करनी होंगी जिनके द्वारा विद्यार्थियों को समृद्ध और मिली-जुली संस्कृति के बारे में स्वयं ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

II तकनीकी शिक्षा

जन-शक्ति आयोजन

आर्थिक विकास की तेज रफ्तार की मांग यह है कि निम्नलिखित कदम उठाए जाए, वर्तमान संस्थाओं का पुनर्गठन और विस्तार, बड़ी संख्या में नई संस्थाओं की स्थापना, शिक्षकों और प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष कार्रवाई, प्रशिक्षण को और गहन बनाने और इसकी अवधि घटाने के लिए नए-नए उपायों का प्रयोग, व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की सुविधाओं का विस्तार, और पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का नए-नए तरीकों से एक महत्वपूर्ण दुर्लभ साधन के रूप में उपयोग। जनशक्ति सम्बन्धी आयोजन करते समय हमें सारी अर्थ-व्यवस्था की एक अभिन्न इकाई मान कर चलना चाहिए और सार्वजनिक तथा निजी सभी उद्यमों में उपलब्ध सुविधाएं और सम्भावनाएं सारे समुदाय की सेवा में लगाई जानी चाहिए।

2. हर क्षेत्र में कर्मचारियों की आवश्यकताओं का अनुमान सावधानी से और लम्बे अर्से के लिए करना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी सांख्यिकी सूचना-सेवा और जन-शक्ति मूल्यांकन-प्रणाली में सुधार करना होगा। बदती हुई आवश्यकताओं और अनुभवों के प्रकाश में कर्मचारियों की आवश्यकता की समय-समय पर आवश्यक रूप से समीक्षा करनी होगी। हर क्षेत्र में और हर सगठन में जन-शक्ति आयोजन को आर्थिक योजना का एक अभिन्न अंग मान कर चलना होगा।

3. विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षित जन-शक्ति आवश्यकताओं का मोटे तौर पर अन्दाजा लगाने के लिए, जन-शक्ति आयोजन सम्बन्धी प्रशिक्षण सुविधाएं प्रस्तुत करने और नए-नए तरीके शुरू करने के लिए निरूट भविष्य में व्यावहारिक अनुसन्धान संस्था (इन्स्टीट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च) की स्थापना करने का विचार है।

4. तीसरी योजना में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, उनके फलस्वरूप कई क्षेत्रों में इतने प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार करने की योजना है जो चौथी और बाद की योजनाओं में और अधिक गहन विकास के काम आ सकते हैं। काफी क्षेत्र ऐसे होंगे, जिनमें पर्याप्त अनुभवी कर्मचारी काफी संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे। इन क्षेत्रों के लिए ऊंचे दर्जे के

प्रशिक्षण-प्राप्त कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक और जहा स्थानीय कर्मचारियों का सर्वाधिक उपयोग किया जाए, साथ ही तकनीकी सहायता कार्यक्रमों और अन्य साधनों का लाभ उठाने में भी किसी प्रकार की भिन्नक नही होनी चाहिए ।

5. कर्मचारी से सम्बन्धित आवश्यकताओं का अनुमान सामान्यतः पिछले और वर्तमान अनुभव के आधार पर भावी सम्भावनाओं का अन्दाजा लगाकर किया जाता है । ऐसी स्थिति में तीव्र गति से देश में और विदेशों में होने वाले टेक्नोलोजिकल परिवर्तनों और अर्थ-व्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण माग में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं । इसलिए सम्भव है कि हमें अपने वर्तमान अनुमानों को बढाना पड़े । तीसरी योजना की अवधि में हमें चाहिए कि हम समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का अन्दाजा लगाते समय तात्कालिक जरूरतों को तो सामने रखें ही, चौथी और पाचवी योजनाओं की जरूरतों को भी ध्यान में रखें ।

6. इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारी सम्बन्धी आवश्यकताओं पर तीन मुख्य स्तरों पर विचार किया जा सकता है—स्नातक, डिप्लोमा-प्राप्त कर्मचारी और दक्ष कारीगर । दूसरी योजना की अवधि में हमें 29,000 अतिरिक्त इंजीनियरी-स्नातकों की आवश्यकता पड़ी थी; वर्तमान अनुमानों के अनुसार इसके मुकाबले तीसरी योजना में हमें 51,000 नए इंजीनियरी-स्नातकों की आवश्यकता पड़ेगी । चौथी योजना की आवश्यकताओं का अनुमान लगभग 80,000 है । इंजीनियरी और टेक्नोलाजी के डिप्लोमा-प्राप्त अतिरिक्त कर्मचारियों की तीसरी योजना की आवश्यकता का अनुमान 1 लाख है, जबकि दूसरी योजना में लगभग 56,000 था । चौथी योजना की आवश्यकताओं का वर्तमान अनुमान लगभग 1,25,000 है ।

इंजीनियरी, टेक्नोलाजी और विज्ञान

7. तीसरी योजना में शामिल किए गए तकनीकी शिक्षा-कार्यक्रमों में निम्नलिखित बातों पर विशेष जोर दिया गया है : विभिन्न क्षेत्रों में हर स्तर पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, पर्याप्त सख्या में छात्रवृत्तियों और शिष्यवृत्तियों (फैलोशिप) की व्यवस्था, अशकालिक और डाक-पाठ्यक्रमों की शुरुआत, कुछ क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रमों का विकास, उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का पहले से बेहतर प्रयोग, अपव्ययिता में कमी और अनुसन्धान को बढ़ावा । इन कार्यक्रमों पर 142 करोड़ रुपये, अर्थात् तीसरी योजना की शिक्षा-योजनाओं पर होने वाले कुल व्यय का 25 प्रतिशत खर्च होगा । पहली और दूसरी योजनाओं में यह खर्च कुल शिक्षा-व्यय का क्रमशः 13 और 19 प्रतिशत था । तीसरी योजना में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, नेशनल अग्रैण्टिसिप योजना, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सायकलीन कक्षाओं और दस्तकारी-प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 49 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है ।

8. अब तक हुई प्रगति और तीसरी योजना के कार्यक्रम अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में सक्षिप्त रूप में दिए गए हैं—

अध्यापको की पेशगी भर्ती, अध्यापको के लिए नियत से अधिक नौकरिया (सुपरन्यूनरेरी पोस्ट्स) और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण-सुविधाओं का विस्तार। दूसरी योजना में इन दिशाओं में जो कार्य शुरू किए गए थे, उनका अब और अधिक विस्तार किया जाएगा।

12. औद्योगिक विकास के लिए केवल यही आवश्यक नहीं है कि दश श्रमिकों या कारीगरों की संख्या में काफी वृद्धि हो, बल्कि यह भी आवश्यक है कि उनका काम पहले से निरन्तर बेहतर होता जाए। इसलिए कई देशों में व्यापारिक स्कूलों में दाखिले की न्यूनतम योग्यताएँ और सामान्य शिक्षा स्तर ऊँचा करने की प्रवृत्ति है। तीसरी योजना की अवधि में लगभग 13 लाख कारीगरों की आवश्यकता होगी जिसमें से 8 लाख 10 हजार इजीनियरों व्यवसायों में और बाकी गैर-इजीनियरों व्यवसायों में होंगे। इस समय कारीगरों या दश श्रमिकों और कामगारों (आपरेटिव) को कई प्रकार की सस्थाओं में और अलग-अलग तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थाओं में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि सस्थाओं की संख्या 167 से बढ़ाकर 318 और उनमें दाखिले की संख्या 42,000 से बढ़ाकर 1 लाख की जाएगी। इसके अतिरिक्त नेशनल प्रेप्रेंटिसशिप योजना के अन्तर्गत 12,000 व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का मुभाव है। सायंकालीन कक्षाओं में दाखिले की संख्या 2,000 से बढ़ाकर 11,000 से अधिक की जाएगी। रेल, प्रतिरक्षा, डाक-तार जैसे कुछ केन्द्रीय मन्त्रालयों के अपने विशेष प्रशिक्षण केन्द्र हैं। सभी सरकारी उद्योगों और निजी उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं। ग्राम और लघु उद्योगों से सम्बद्ध अखिल भारतीय मण्डलों, लघु उद्योग सेवा सस्थाओं और राज्यों के उद्योग विभागों के भी अपने-अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं।

13. दस्तकारी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान चारों केन्द्रीय प्रशिक्षण सस्थाओं का, जिनमें से एक महिला प्रशिक्षकों के लिए है, पूरा विकास किया जाएगा और तीन नई सस्थाएँ स्थापित की जाएगी। तीसरी योजना की अवधि में इन सस्थाओं से उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 7,800 होगी और विभिन्न व्यवसायों के लगभग 1,800 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

14. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर में लगभग 1,06,000 लोगों के नाम दर्ज हैं जिनमें से 66,000 इजीनियर और टैक्नोलॉजिस्ट हैं। वैज्ञानिकों की सूची में उच्च योग्यता वाले वैज्ञानिकों के और कुछ अन्य नाम दर्ज हैं—विशेष कर उनके जो विदेशों से शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटे हैं। इस सूची में से अब तक 653 वैज्ञानिकों और टैक्नोलॉजिस्टों का चुनाव हो चुका है। दूसरी योजना में वैज्ञानिक कर्मचारियों की संख्या 23,300 से बढ़कर 37,500 हो गई है। तीसरी योजना की अवधि में माध्यमिक और विश्वविद्यालयों के स्तर पर विज्ञान की शिक्षा देने की सुविधाओं में काफी विस्तार किया जाएगा। विश्वविद्यालयों में विज्ञान के छात्रों की संख्या में 2 लाख 30 हजार की वृद्धि की जाएगी जिसके फलस्वरूप यह संख्या लगभग 4 लाख हो जाएगी। तीसरी योजना में कॉलेजों के लिए 27,000 अध्यापकों की आवश्यकता होगी जिसमें से 17 हजार विज्ञान के होंगे।

अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता

15. विकास के विभिन्न क्षेत्रों की तीसरी योजना और जहां सम्भव हुआ है, चौथी योजना की कर्मचारियों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है। इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय हैं : कृषि और ग्राम विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण, प्रशासन और सांख्यिकी। कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काफी हद तक आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास दूसरी योजना में ही किया जा चुका है और इन क्षेत्रों में कर्मचारियों की भावी मांग को आधुनिक सुविधाओं में थोड़ा विस्तार करके पूरा किया जा सकता है, परन्तु इस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना होगा कि योजना की प्रगति के साथ-साथ इस मांग के बढ़ने की भी सम्भावना है। कुछ वर्गों के कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुमानों का यहाँ संक्षेप में विवरण दिया जा रहा है।

16. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए तीसरी और चौथी योजनाओं में कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, यह नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट हो जाएगा।

कृषि और सम्बद्ध कर्मचारियों की अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुमान

	1960-61 में काम पर लगे हुए	तीसरी योजना की अतिरिक्त आवश्यकताएं	चौथी योजना की अतिरिक्त आवश्यकताएं
कृषि स्नातक	14,000	20,000	30,000
पशु चिकित्सा के स्नातक	5,000	6,800	7,000
दुग्ध टैक्नोलॉजिस्ट			
स्नातक	52	625	1,150
डिप्लोमा वाले	308	975	1,150
वन-विद्या :			
वन अधिकारी	1,100	480	600
रेजिस्ट्रार	3,000	1,520	1,900
मछली पालन :			
प्रशासनिक और सांख्यिकी कर्मचारी	460	1,475	2,410
मछली पालन इंजीनियर	150	240	
मछली पकड़ने की नौकाओं के कर्मचारी	120	250	
तकनीकी तट कर्मचारी	50	170	

तीसरी योजना में जिन अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी, उसका विवरण नीचे दी गई सारणी में दिया गया है।

तीसरी योजना में अतिरिक्त प्रशिक्षण की सुविधाएं

	1960-1961			1965-66		
	संस्थाएं	दाखिल हुए	उत्तीर्ण हुए	संस्थाएं	दाखिल हुए	उत्तीर्ण हुए
कृषि कालेज	53	4,600	2,300	57	6,200	4,500
पशु चिकित्सा कालेज	17	1,300	1,200	19	1,460	1,350
दुग्ध टेक्नोलॉजिकल शिक्षा संस्थाएं	5	110	100	7	170	154
मछली पालन शिक्षा संस्थाएं	2	50	50	3	80	75

सामुदायिक विकास खण्डों के लिए और सहकारिता के विकास के लिए आवश्यक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए भी कार्यक्रम बनाए गए हैं।

17. तीसरी योजना में प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में 61 प्रतिशत मिडिल स्कूलों में लगभग 81 प्रतिशत और माध्यमिक स्कूलों में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि करने का विचार है। तीसरी योजना के अन्त में तीनों वर्गों में कुल अध्यापकों में से लगभग 75 प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षित होंगे। इसलिए बाकी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी हमें पुनर्रम्यात पाठ्यक्रम और काम करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी।

18. तीसरी योजना के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को पूरा करने में कई वर्गों के कर्मचारियों की कमी होने की सम्भावना है। नीचे की सारणी में दूसरी योजना के अन्त की अवस्था और तीसरी योजना की अवधि में प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रस्तावित विस्तार पर प्रकाश डाला गया है :

स्वास्थ्य और डाक्टरी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की अतिरिक्त सुविधाएं

	1960-61			1965-66		
	संस्थाएं	दाखिल हुए	उत्तीर्ण हुए	संस्थाएं	दाखिल हुए	उत्तीर्ण हुए
डाक्टर	57	5,800	3,200	75	8,000	4,830
नर्स	250	4,000	2,800	350	6,200	4,500
सहायक नर्स						
मिडवाइव/निडवाइव	420	5,200	4,000	550	9,100	7,000
स्वास्थ्य निरीक्षक	30	650	375	50	850	500
दारीया सफाई	28	2,250	2,250	38	2,850	2,850
फार्मसिस्ट	10	550	480	15	1,450	1,270

19. तीसरी योजना में भारतीय प्रशासन सेवा और राज्यों की प्रशासन सेवाओं के विस्तार की व्यवस्था है।
20. दूसरी योजना की अवधि में केन्द्र और राज्य सरकारों की सेवाओं में सांख्यिकी प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या 4,000 से बढ़कर 10,000 हो गई। तीसरी योजना में ऐसे लगभग 6,000 और कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। निजी उद्योगों और वाणिज्य की मांग में वृद्धि होगी। भारतीय सांख्यिकी संस्था, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, राज्यों के सांख्यिकी ब्यूरो, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में सांख्यिकी की प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है।
21. सयुक्त राष्ट्र संघ की तकनीकी सहायता योजनाओं, कोलम्बो योजनाओं तथा अन्य देशों, विदेशी विश्वविद्यालयों और फाउण्डेशनों से हुए तकनीकी सहायता समझौतों के अन्तर्गत विशेष और उच्च अध्ययन के क्षेत्रों में काफी लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला है। जहाँ तक सम्भव हुआ है, भारत ने भी अन्य देशों को अपनी प्रशिक्षण सुविधाओं से लाभ उठाने का मौका दिया है। अगर हम चाहते हैं कि हम विभिन्न तकनीकी सहायता कार्यक्रमों से अधिक से अधिक लाभ उठाएं तो हमें चाहिए कि हम भावी कमियों का इस समय सही-सही अन्दाजा लगाएं और तीसरी और चौथी योजनाओं की आवश्यकताओं का ध्यान से अव्ययन करने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों और उनके प्रशिक्षण-माध्यमों का चुनाव करें। प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करते समय और प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते समय हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि आगामी वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए अन्य देश भारत से भी विशेषज्ञ मांग सकते हैं।

प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक अनुसन्धान

प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण

देश के प्राकृतिक साधनों पर समन्वित रूप से विचार होना चाहिए, और उनके अन्वेषण और उपयोग की योजना दीर्घकालीन आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर बनाई जानी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक साधनों के सर्वेक्षण और उपयोग से सम्बद्ध विभिन्न संगठनों का काफी विस्तार किया गया है और उन्होंने अनेक नए सर्वेक्षण और अन्वेषण किए हैं। इनके फलस्वरूप देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्णतर निर्धारण हो सका है। तीसरी योजना तैयार होने के बाद हम उस स्थिति में पहुँच गए हैं, जब सुचिन्तित दीर्घकालीन योजनाओं की आवश्यक शर्त के रूप में मुख्य प्राकृतिक साधनों सम्बन्धी उपलब्ध जानकारी की किस्म और मात्रा के विषय में व्यापक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। भूमि के उपयोग, वनों के विकास और सिंचाई तथा बिजली, इस्पात, कोयला, तेल और खनिजों के विकास के विषय में निश्चित दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए यह देखना है कि मुख्य कमियाँ क्या हैं, कैसे-कैसे सर्वेक्षण की जरूरत है और आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

2. अपने प्राकृतिक साधनों के कारण कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की भारत में बहुत क्षमता है और अगली दो या तीन योजनाओं की अवधि में एक आत्मनिर्भर और आत्मवाहन अर्थ-व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस क्षमता का विकास आवश्यक है। राष्ट्रीय आय और प्रतिव्यक्ति आय सम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति और कृषि एवं उद्योग तथा आर्थिक जीवन के अन्य अंगों का विकास तभी सम्भव है, जब देश के प्राकृतिक साधनों के स्वरूप और मात्रा और उनके विकास के लिए आवश्यक बातों का निर्धारण कर लिया जाए और इसके लिए पहले से ही आवश्यक कदम उठाए जाए। सन्तुलित विकास के लिए यह निर्धारित करना भी उतना ही जरूरी है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं, इन क्षेत्रों की क्या-क्या जरूरतें हैं और वहाँ उपलब्ध साधनों के विकास को क्या-क्या सम्भावनाएँ हैं।

3. भावी विकास की दृष्टि से प्राकृतिक साधनों के निर्धारण और विकास की समस्या को सामने लाने के लिए तीसरी योजना में पिछले कुछ वर्षों में हुई मुख्य बातों की सक्षिप्त समीक्षा की गई है और भूमि, जल, खनिज, ऊर्जा और अन्य साधनों के विकास से सम्बन्धित समस्याओं की ओर संकेत किया गया है। योजना आयोग ने अब एक विशेष विभाग स्थापित किया है जो प्राकृतिक साधनों के निर्धारण और विकास सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन

करेगा' सर्वोपेक्षण और अन्वेषण-कार्य में लगे विभिन्न अभिकरणों के काम की तेजी से उन्नति कर रही अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं से सम्बद्ध करेगा और विभिन्न सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए एक समान भाग निर्धारित करने में सहायता देगा। यह आशा है कि अन्य संगठनों के सहयोग से प्राकृतिक साधनों के निरन्तर समन्वित अध्ययन का प्रबन्ध किया जाएगा, जिससे वर्तमान जानकारी की कमियों, विशेषकर दीर्घकालीन विकास की दृष्टि से महसूस होने वाली कमियों, को वताया जा सके और इस समन्वित अध्ययन को कार्य रूप में परिणत करने के लिए उचित नीतियाँ और कदम सुभाए जा सकें।

4. अगले पन्द्रह वर्ष और उसने भी अधिक अवधि को छूनेवाली आर्थिक विकास की दीर्घकालीन योजना तैयार करने से वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणामों और देश के साधनों की इस समय प्राप्त की जा रही अधिक जानकारी का महत्व समझने में सहायता मिलेगी। यह कार्य बटून विभाग है-और इसे पूरा करने के लिए योजना आयोग, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अनुसंधान-मण्डलों, राज्यों के संगठनों, वैज्ञानिक और आर्थिक अनुसंधानकार्य में लगे प्रमुख संस्थानों और विश्वविद्यालयों में निरन्तर सहयोग की आवश्यकता रहेगी। भारत के प्राकृतिक साधनों का वृद्धिकाम विकास हो सकता है। इन साधनों के व्यवस्थित अध्ययन और अन्वेषण से तथा उनके निर्धारण और उपयोग में विज्ञान और टेक्नालाजी की सहायता से आर्थिक उन्नति की सम्भावना वर्तमान आशा से कहीं अधिक बढ़ सकती है।

5. वैज्ञानिक अनुसंधान के लक्ष्य : प्राकृतिक साधनों के विकास का वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान की प्रगति से गहरा सम्बन्ध है। द्वितीय महायुद्ध के बाद समुन्नत देशों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान की गति बहुत बढ़ी है। इसका एक परिणाम यह हुआ है कि उन्नत और अल्प-उन्नत देशों में अन्तर पहले से अधिक बड़ गया है। भारत के सम्मुख कार्य यह है कि वह वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान के विकास का पूरा प्रयत्न करके इस अन्तर को कम करे और अपने विकास-कार्यक्रमों के लिए विज्ञान की सहायता ले।

6. वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय करना देश की समृद्धि में बहुत बड़ा और स्थायी योग देना है। अतः प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए पहले से अधिक राशि रखी गई है। इस कार्य में अब उद्योगों के अंशदान की पहले से अधिक आवश्यकता है। शुद्ध, व्यावहारिक और शिक्षाप्रद विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना भारत सरकार के मार्च 1958 के वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव में स्वीकृत मुख्य लक्ष्यों में से एक है। पहली योजना में मुख्यतः राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अन्य अनुसंधान-संस्थानों के निर्माण पर ध्यान दिया गया। दूसरी योजना में वर्तमान सुविधाओं को और बढ़ाया गया, अनुसंधान-कार्य का आधार व्यापक किया गया और विश्व-विद्यालयों और अन्य विभिन्न अनुसंधान-केन्द्रों में अनुसंधान की सुविधाएँ बढ़ाई गईं।

7. पहली दो योजनाओं में जो कार्य हुए, उनके फलस्वरूप वैज्ञानिक अनुसंधान-कार्य में लगे संस्थानों का जाल बिछ गया और अब पहले से अधिक केन्द्रों में शुद्ध और व्यावहारिक अनुसंधान और विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान हो रहा है। तीसरी योजना

में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया जाएगा—

- (1) वर्तमान अनुसंधान संस्थानों को मजबूत बनाना और अनुसंधान को सुविधाओं को व्यापक क्षेत्र में प्रसारित करना;
- (2) विश्वविद्यालयों में बुनियादी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना;
- (3) विशेष रूप से इंजीनियरी और औद्योगिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देना;
- (4) अनुसंधान-कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और अनुसंधान-फेलोशिपों एवं वृत्तियों के कार्यक्रम को विस्तृत करना;
- (5) वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरणों के निर्माण और विकास के विषय में अनुसंधान करना;
- (6) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, शिल्पिक संस्थानों, वैज्ञानिक संघों की प्रयोगशालाओं और सरकारी विभागों की अनुसंधान-शाखाओं में होने वाले अनुसंधान-कार्य का समन्वय करना, और
- (7) प्राजमायसी तौर पर उत्पादन करना और सम्पूर्ण रूप से क्षेत्र-परीक्षण आदि के बाद के अनुसंधान के परिणामों की सार्थकता सिद्ध हो जाने पर उनका उपयोग करना।

8. तीसरी योजना के अन्तर्गत केन्द्र के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान-कार्यक्रमों के लिए 130 करोड़ रु० रखे गए हैं, जब कि दूसरी योजना में 72 करोड़ रु० रखे गए थे। इस व्यय का विभाजन निम्नलिखित प्रकार है:—

(करोड़ रु० में)

	दूसरी योजना का अनुमित व्यय	तीसरी योजना
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (बड़े पैमाने पर क्षेत्र-परीक्षण सहित) और वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय	20.00	35.00
अपुनर्विभाजित विभाग	27.00	35.00
वृत्ति अनुसंधान	13.80	26.40
चिकित्सा अनुसंधान	2.20	3.50
अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों (प्रतिरक्षा मंत्रालय को छोड़कर) के अधीन होनेवाला अनुसंधान-कार्य	9.00	30.10
जोड़ :	72.00	130.00

तीसरी योजना का यह व्यय 5 वर्ष की अवधि में किए गए उस 75 करोड़ रु० के

व्यय के अतिरिक्त है, जो दूसरी योजना के अन्त में मुहैया की गई सुविधाओं को बालू रखने के लिए किया गया।

9. तीसरी योजना में पहली दो योजनाओं में हुई वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान की प्रगति की कुछ विस्तृत समीक्षा की गई है, और निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत तैयार किए गए कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई है:—

- (1) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद,
- (2) वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय,
- (3) अणुशक्ति विभाग,
- (4) कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान,
- (5) चिकित्सा अनुसंधान,
- (6) अनुसंधान के अन्य कार्यक्रम—(क) सिंचाई और विजली, (ख) परिवह और निर्माण, (ग) खनिज, (घ) संचार,
- (7) चीनी, पटसन और अन्य उद्योग,
- (8) विश्वविद्यालयों और उच्च प्रौद्योगिक संस्थानों में अनुसंधान (इंजीनियरी अं सार्वजनिक अनुसंधान सहित)
- (9) वैज्ञानिक अनुसंधान का उपयोग,
- (10) वैज्ञानिक उपकरण, और
- (11) मानकीकरण, किस्म-नियंत्रण और उत्पादकता।

10. वैज्ञानिक अनुसंधान का उपयोग : वैज्ञानिक अनुसंधान की उपलब्धियों के शी और व्यापक व्यावसायिक उपयोग के महत्व पर अनेक वर्षों से जोर दिया जाता रहा है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की स्थापना प्रयोगशालाओं में होने वाले अनुसंधान परिणामों का व्यावसायिक उत्पादन के लिए लाभ उठाने के उद्देश्य से हुई थी। फिर देश में जो बहुत से आविष्कार हुए हैं, उनसे लाभ उठाना बाकी है। प्रयोगशालाओं में होने वाले अनुसंधान के परिणाम प्राप्त होने के बाद उन पर व्यापक रूप से अमल होने तक अभी काफी समय लगता है, और इस दिशा में अधिक प्रभावशाली कदम उठाने की आवश्यकता है। अनुसंधान की उपलब्धियों के शीघ्र उपयोग में एकावटें इसलिए हैं कि आजमावशी संयंत्रों और डिजाइन और सविरचना की सुविधाएं नहीं हैं, उद्योगों और अनुसंधान-संगठनों के बीच सम्पर्क अपर्याप्त है, उद्योग इस बात की आवश्यकता की ओ पर्याप्त ध्यान नहीं देते कि आयात की जाने वाली वस्तुओं को देश में ही बनाया जाए और अनुसंधान-विकास के कार्यक्रमों तथा लाइसेंस देने की नीतियों में समन्वय नहीं है। आज मायशी संयंत्रों के डिजाइन और सविरचना की सुविधाएं अब पहले से कहीं अधिक उपलब्ध हैं, और जो कमी बाकी है, उसे तीसरी योजना में काफी हद तक पूरा कर दिया जाएगा जिन अन्य पहलुओं का उल्लेख किया गया है, उनके समन्वय में नए मार्ग-निर्धारण व

आवश्यकता है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि अनुसंधान-कार्यकर्त्ताओं और उद्योगों में गहरा सम्पर्क रहे; दोनों की समस्याओं और उन्हें हल करने के प्रयत्नों के परिणामों का ज्ञान रहे और उद्योग अनुसंधान के परिणामों के उपयोग की सुचिन्तित योजनाओं को अपनाएं, आयात की जाने वाली वस्तुएं देश ही में बनाई जाएं और देश में अनुसंधान के आधार पर निर्धारित स्तर ऊपर उठाए जाएं। विशेषकर विकास-परिषदों और विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित अन्य संगठनों को इन योजनाओं को तीसरी योजना के विकास कार्यक्रमों का आवश्यक अंग मानना चाहिए। उन्हें इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि अनुसंधान-कार्यकर्त्ताओं को उद्योगों और उनके संचालकों तथा इंजीनियरों से आवश्यक सहायता और सुविधाएं मिलती रहे।

11. उद्योगों में अनुसंधान की उपलब्धियों के उपयोग की जो कमी नजर आती है, वही कमी परिवहन, निर्माण और बिजली जैसे विकास के अन्य क्षेत्रों में भी है। अनुसंधान के परिणामों पर विस्तृत रूप से अमल न होने से अनुसंधान-कार्य पर किए जाने वाले व्यय का पूरा लाभ नहीं होता जिससे शिल्पिक उन्नति और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। केन्द्रीय सरकार के सड़क-निर्माण-कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया है कि सम्भावित जोखिमों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए और सड़क-निर्माण की नई विधियों के विस्तृत परीक्षण पर जो अतिरिक्त खर्च आए, उसे उठाया जाए। निर्माण और साव्यजनिक सेवाओं के अन्य क्षेत्रों में भी इसी मार्ग पर चला जा सकता है।

12. किसी देश की औद्योगिक उन्नति नए आविष्कारों की बड़ी मर्यादा से प्रतिलक्षित होती है। इनमें से कुछ बहुत महत्व के होते हैं और प्रयोगशालाओं में दीर्घ काल तक अनुसंधान के बाद किए जाते हैं। अन्य आविष्कार कुशल कर्मचारियों और शिल्पिकों के नित्य प्रति के काम के दौरान में कामचलाऊ हलों के रूप में होते हैं। औद्योगिकीकरण का काम जड़ पकड़ ले, इसके लिए यह जरूरी है कि सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, शिल्पिकों तथा अन्य कार्यकर्त्ताओं की रचनात्मक शक्ति को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया जाए। यह सुझाव है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभिन्न अभिकरणों को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिनसे कर्मचारियों और शिल्पिकों को आविष्कार करने में प्रोत्साहन मिले। उन्हें अपने विचारों को विकसित करने और क्रियान्वित करने में आवश्यक सहायता भी देनी चाहिए।

वैज्ञानिक उपकरण

13. वैज्ञानिक उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने के कारण, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास और स्कूलों तथा कालेजों में विज्ञान की शिक्षा के विस्तार और सुधार में बहुत बड़ी बाधा रही है। अक्टूबर, 1959 में वैज्ञानिक उपकरण समिति की रिपोर्ट के बाद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एक केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन की स्थापना की। वर्तमान और भावी उत्पादक दीर्घकालीन आधार पर उत्पादन की व्यवस्था कर सकें, इसके लिए यह जरूरी है कि सरकारी विभाग और शिक्षा संस्थाएं अपनी

जहरतों का हिसाब पहले से लगा लें और उत्पादकों को उनकी मूल्यना दे दें और, जहां तक सम्भव हो, सामान सप्लाई करने का पहले से ही पक्का आर्डर दे दें। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सामान खरीदने वाले संगठनों और वस्तु-आदेश देने वाले विभिन्न अधिकारियों को वैज्ञानिक उपकरण उद्योग के विकास के लिए अपने वर्तमान तरीके में सुधार के लिए सहयोग करना चाहिए।

मानकीकरण, किस्म-नियंत्रण और उत्पादकता

14. दशमिक माप और तौल शुरू करने के निर्णय पर कितना जमल हुआ है, इसकी तीसरी योजना में समीक्षा की गई है। अगले तीन वर्षों में दशमिक प्रणाली अन्य सब प्रणालियों को काफी हद तक हटा देनी और दिसम्बर, 1966 के बाद दशमिक प्रणाली ही कानून द्वारा मान्य एकमात्र प्रणाली रह जाएगी।

15. भारतीय मानक निर्धारित करने की दिशा में उठाए गए कदमों और उत्पादकता को प्रोत्साहित करने और किस्म-नियंत्रण का आरम्भ करने में हुई प्रगति की सक्षिप्त समीक्षा के बाद, यह प्रस्ताव रखा गया है कि तीसरी योजना में अन्य क्षेत्रों में भी किस्म निर्धारित करने की योजनाएं शुरू की जाएं। विशेषकर, निर्यात किया जाने वाला माल बढ़िया किस्म का हो, इसके लिए जहाज पर माल लाने में पहले उसकी जांच तथा ऐसे ही अन्य उपायों को व्यवस्थित रूप से सभी क्षेत्रों में अपनाया जाए और यदि आवश्यकता हो तो इसके लिए कानून भी बनाया जाए।

स्वास्थ्य, आवास और कल्याण

इस अध्याय में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, आवास और शहरी तथा ग्रामीण आयोजन, पिछड़े हुए वर्गों का विकास, समाज कल्याण, मद्य निषेध और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी मुख्य नीतियों और कार्यक्रम की चर्चा है। तीसरी योजना में इन क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम पर 736 करोड़ ६० लाख किया जाएगा जबकि दूसरी योजना में लगभग 474 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। प्रत्येक क्षेत्र के बारे में तीसरी योजना में जिन नीतियों और प्राथमिकताओं की सिफारिश की गई है, वे पहली दो योजनाओं के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन और सामाजिक परिस्थितियों की नए सिरे से की गई समीक्षा पर आधारित हैं।

1 स्वास्थ्य और परिवार नियोजन

2. तीसरी योजना में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है और जनता के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार लाना है। निरोधात्मक जन स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में घरों के बाहर की सफाई, विशेषतः ग्रामीण और शहरी जल व्यवस्था की उन्नति, संक्रामक रोगों के नियमन, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था के लिए संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सुविधा का सभ्य और स्वास्थ्य और चिकित्सा सम्बन्धी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य की देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा और पीप्टिक आहार जैसी सेवाओं की व्यवस्था के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं। तीसरी योजना में परिवार नियोजन को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है। पहली और दूसरी योजनाओं में क्रमशः 140 करोड़ और 225 करोड़ रुपये की अपेक्षा तीसरी योजना में कुल 342 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

3. गत दस वर्षों में विभिन्न दिशाओं में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। मलेरिया के नियमन और उन्मूलन के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनसे रोग में काफी कमी हो गई है। फाइलेरिया, तपेदिक, कुष्ठ और यौन रोगों के नियमन में भी काफी प्रगति हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशिक्षण सुविधाओं का काफी बड़े पैमाने पर विकास किया गया है। शहरी जल पूर्ति और निकासी की लगभग 664 योजनाएं या तो पूरी की जा चुकी हैं या उन पर काम हो रहा है। समस्त देश में ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं चालू हैं।

जीवन और मृत्यु सम्बन्धी प्रांकड़ों के इकट्ठा करने की काफी परिमीमाएं हैं, जैसा कि नीचे की सारिणी से स्पष्ट है। जनता के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है।

जन्म दर, मृत्यु-दर और जीवनावधि—1941-61

श्रवधि	जन्म-दर	मृत्यु-दर	शिशु-मृत्यु-अनुपात		जन्म के समय जीवनावधि	
			सड़का	सड़की	सड़का	सड़की
1941-51	39.9	27.4	190.0	175.0	32.45	31.66
1951-56	41.7	25.9	161.4	146.7	37.76	37.49
1956-61	40.7	21.6	142.3	127.9	41.68	42.06

4. दूसरी योजना के अन्त तक सुधारों के बावजूद कुछ दिशाओं में प्रत्यक्ष कमियाँ थीं। जरूरतों को देखते हुए सस्याओं की सुविधा विल्कुल नाकाफी थी, विशेष रूप से देहाती क्षेत्रों में। देहाती और शहरी क्षेत्रों में डाक्टरों का अनुपात समान नहीं है। गांवों में डाक्टरों की बहुत कमी है। डाक्टरों की कमी के कारण सन्नामक रोगों की रोकथाम के कार्य की प्रगति में काफी बाधा पहुंची है यद्यपि गांवों में पानी की सुविधा पहुंचाने में काफी प्रगति हुई है, फिर भी एक बड़े देहाती क्षेत्र में पीने के पानी की अभी तक कोई सुविधा नहीं है। बहून से शहरी क्षेत्रों में आबादी के एकदम बड़ जाने के कारण जल-निकासी की समस्या बहुत विकट हो गई है। तीसरी योजना का उद्देश्य इन विभिन्न कमियों को और दोषों को दूर करना है। इसका एक मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां तक सम्भव हो सके, योजना के अन्त तक देश के ज्यादा से ज्यादा भागों में पीने के पानी की सुविधा पहुंचाई जाए। मलेरिया के उन्मूलन का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा और चेचक के उन्मूलन और फाइलेरिया, हैजा, तपेदिक, कुष्ठ और अन्य सन्नामक रोगों के नियन्त्रण के लिए प्रयास किए जाएंगे।

5. तीसरी योजना के लिए प्रस्तावित मुख्य-मुख्य भौतिक लक्ष्य दूसरी और तीसरी योजनाओं की प्रगति के आंकड़ों के साथ सक्षिप्त रूप में नीचे की सारिणी में दिए गए हैं :

सफलताएं और लक्ष्य 1951-66

वर्ग एकक	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66
ग्रस्पताल और डिस्पेंसरीया				
संस्थाएं	8600	10000	12600	14600
रोगी क्षम्याएं	113000	125000	185600	240100
प्रारम्भिक स्वास्थ्य एकक		725	2800	5000
डाक्टरों शिक्षा				
डाक्टरों कालेज	30	42	57	75
वार्षिक दाखिले	2500	3500	5700	8000
दन्त चिकित्सा-शिक्षा				
दन्त चिकित्सा कालेज	4	7	10	14

वर्ग एकक	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66
वार्षिक दाखिले	150	231	281	400
प्रशिक्षण कार्यक्रम				
डाक्टर*	56000	65000	70000	81000
नर्स*	15000	18500	27000	45000
सहायक नर्स मिडवाइफज और				
मिडवाइफज*	8000	12780	19900	48500
स्वास्थ्य निरीक्षक*	521	800	1500	3500
नर्स-दाई, दाई*	1800	6400	11500	40000
सफाई दारोगा*	3500	4000	6000	19200
फार्मसिस्ट	उ० न०	उ० न०	42000	48000
संक्रामक रोगो का नियमन				
मलेरिया एकक		133	390	390‡
परिधि में आई आबादी		107	438	497
फाइलेरिया एकक		11	48	48
परिधि में आई आबादी (दस लाख में)		15.1	24.6	उ० न०
तपेदिक				
बी०सी०जी० दल	15	119	167	167
तपेदिक क्लिनिक	110	160	220	420
तपेदिक प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र		3	10	15
रोगी शय्याएं	10371	22000	26500	30000
कुष्ठ निवारक केन्द्र		33	135	235
यौन रोग—यौन रोग क्लिनिक			83	189
जच्चा, बच्चा और शिशु कल्याण केन्द्र	1651	1856	4500	10000

6. पानी की व्यवस्था और स्थानीय सफाई—तीसरी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था के लिए 67 करोड़ रुपये की व्यवस्था है—35 करोड़ रुपये ग्रामीण जल व्यवस्था कार्यक्रम के अन्तर्गत और शेष स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास और पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए। ग्रामीण जल व्यवस्था कार्यक्रम का प्रारम्भिक उद्देश्य गांवों के स्तर पर ग्रामीण जल व्यवस्था की समस्या को सुलझाना है और विकास खण्डों में गांव पंचायतों और पंचायत समितियां ये काम करेंगी। अधिकांश गांवों में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध

* इस संख्या में सेवा में और प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले दोनों ही शामिल हैं।

उ० न० = उपलब्ध नहीं।

‡ तीसरी योजना के उत्तरार्द्ध में इन एककों को धीरे-धीरे हटा लिया जाएगा।

कराने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि न केवल अथक प्रयास किया जाए, बल्कि यह भी देखना होगा कि हर स्तर पर कार्यक्रम बनाने में सभी सम्बद्ध अभिकरण सम्मिलित हैं और उनमें प्रभावकारी समन्वय है। और स्थानीय लोगों का आगे बढ़ कर काम करने और सहायता का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। विभिन्न राज्यों में वर्तमान ग्रामीण जल व्यवस्था की स्थिति का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

7. ग्रामीण जल व्यवस्था के साथ-साथ ही गांवों की सफाई की ओर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से गांवों में मानव मल-मूत्र विसर्जन की ओर। गांवों में शौचालयों के प्रारम्भ और इस्तेमाल सम्बन्धी सक्रिय कार्यक्रम की मोटी रूपरेखा अब काफी अच्छी तरह निश्चित हो चुकी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक विकास खण्ड में गांवों की सफाई की समस्या के बारे में जागृति पैदा की जाए और स्कूलों और कम्पों, मकानों के समूहों और जहाँ सम्भव हो, अलग-अलग मकानों में स्वच्छ शौचालयों के उपयोग को प्रारम्भ कराया जाए। स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा गांवों की सफाई के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अङ्ग है। स्वच्छ, बदबू रहित और सस्ते शौचालयों की सुविधाएं तथा लाभ स्पष्ट हैं। मानव मलमूत्र के उर्वरक मूल्य को सुरक्षित रखने और भूमि को समृद्ध बनाने के लिए इनकी आवश्यकता किसी से कम नहीं है।

8. शहरों में पानी की व्यवस्था और सफाई—शहरों में पानी की व्यवस्था और जल-निकासी की योजनाओं के लिए योजना में 89 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। जल-निकासी और मल विमर्जन तथा पानी की व्यवस्था करने वाली योजनाओं पर साथ-साथ ही विचार करना और-उन्हें एक समन्वित कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा करना महत्वपूर्ण है। एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जल पूति के कार्यक्रम का अनुमानित लागत का 20 से 30 प्रतिशत तक मल विसर्जन योजनाओं के लिए अलग कर देना वाछनीय होगा। दूसरी योजना में शहरों में पानी की व्यवस्था करने की योजनाओं के अनुभव ने यह सिखाया है कि काम का विभिन्न सोपानों में सावधानी से बटवारा किया जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि कार्यक्रम के विभिन्न सोपान एक सही शृंखला में हैं। उपलब्ध साधनों को अनेक योजनाओं में थोड़ा-थोड़ा बाटने से बचना आवश्यक है। उचित मानदण्ड के आधार पर शहरों में पानी की व्यवस्था की योजनाओं का चुनाव करना चाहिए। नगरपालिका निकायों को न केवल इनके रख-रखाव की जिम्मेदारी सभालनी चाहिए बल्कि जहाँ तक सम्भव हो, इनके निर्माण को लागत में भी हाथ बटाना चाहिए। जल पूति योजनाओं के इंजीनियरी और स्वास्थ्य सम्बन्धी पहलुओं में समन्वय की ओर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

9. प्रारम्भिक स्वास्थ्य एकक, अस्पताल और डिस्पेंसरियां—तीसरी योजना में 2,000 और अस्पतालों और डिस्पेंसरियों और 54,500 अतिरिक्त रोगी-शय्याओं की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जो विस्तार होगा, उसके अतिरिक्त सभी विकास खण्डों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य एकक स्थापित किए जाएंगे। गांवों के लिए डाक्टरों की उपलब्धि की समस्या को मुलभाने के लिए ये उपाय सुझाए गए हैं।

- (1) जैसा कि कुछ राज्यों में रिवाज है, शहरी और देहाती क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों का एक ही सवर्ग होना चाहिए। सेवा के नियमों को इस तरीके का बनाया जाए कि सवर्ग का प्रत्येक पदाधिकारी जब तक शायद ही निश्चित अवधि तक सेवा न कर ले, उसको अगला ग्रेड न दिया जाए और न ही प्रथम दक्षता-अवरोध पार करने दी जाए। शीघ्र उन्नति, अग्रिम सबुद्धि या स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के चुनाव के लिए देहाती क्षेत्रों में की गई सेवा का विशेष खयाल रखा जाए।
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले चिकित्सा कर्मचारियों को रहने के लिए मकान तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनके अतिरिक्त व्यय जैसे उनकी बच्चों की शिक्षा का व्यय का भी उचित ध्यान रखा जा चाहिए।
- (3) प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पर्याप्त संख्या में छात्रवृत्तियां उपलब्ध की जानी चाहिए और इनके लिए यह धर्म होनी चाहिए कि स्नातक हो जाने के बाद वे एक न्यूनतम निर्धारित अवधि तक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करेंगे।
- (4) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निजी तौर पर चिकित्सा करने वाले लोगों की सेवाओं का आंशिक समय के आधार पर अस्पतालों, औपचारिक और विद्यालय स्वास्थ्य सेवा में उपयोग किया जाना चाहिए।
- (5) चिकित्सा अधिकारियों के अतिरिक्त देशी चिकित्सा प्रणाली में योग्यता प्राप्त और उचित प्रकार से प्रशिक्षित स्नातकों की सेवाओं का प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाइयों तथा उपकेन्द्रों में उपयोग किया जाना चाहिए।

यह भी सुझाव दिया गया है कि स्वास्थ्य सहायकों के प्रशिक्षण के लिए एक नया अल्पकालीन पाठ्यक्रम चालू किया जाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों के प्रारम्भिक स्वास्थ्य एककों में 3 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए काम करना चाहिए जिसके बाद उन्हें साधारण चिकित्सा योग्यताएं प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए और उन्हें सार्वजनिक सेवा करते रहनी चाहिए।

प्रारम्भिक स्वास्थ्य एककों का स्तर उन्नत करने के लिए उन्हें जिला अस्पतालों से सम्बद्ध किए जाने का विचार है।

10. संक्रामक रोगों का नियंत्रण—तीसरी योजना में संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के निमित्त कुल लगभग 70 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई।

दूसरी योजना के अन्त में 390 मलेरिया उन्मूलन एकक कार्य कर रहे थे। इसके साथ-साथ ही निरीक्षण कार्य चालू किए गए और ज्यो-ज्यो तीसरी योजना में प्रगति होगी, वे एकक धीरे धीरे हटा दिए जाएंगे।

तीसरी योजना में फाइलेरिया के नियंत्रण के लिए उन शहरों में नास्तियां बनाने के

काम को प्राथमिकता दी जाएगी जहां यह रोग अधिक फैला हुआ है। भारत में चेचक स्थानिक रोग है और यह अन्य देशों में छूत फैलने का एक साधन है।

चूक इस रोग की रोकथाम की जा सकती है और इसका उन्मूलन करने में टीके लगाना बड़ा प्रभावशाली उपाय है इसलिए तीसरी योजना में इस रोग को उन्मूलित करने के लिए प्रयत्न की व्यवस्था है।

तपेदिक की रोकथाम के लिए पहले से ही बहुत से उपाय किए जा रहे हैं। तीसरी योजना की अवधि में बी० सी० जी० ग्रान्दोलन के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ लोगों की जांच की जाने की आशा है। तपेदिक क्लिनिकों की संख्या 220 से बढ़ाकर 420 कर दी जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए 25 चलते-फिरते क्लिनिक संगठित किए जाएंगे। लगभग 3,500 और शय्याएं बढ़ाई जाएंगी जिससे रोगी शय्याघों की कुल संख्या 300,00 हो जाएगी।

कुष्ठ रोग के नियामक कार्यक्रम में 100 और नियामक एककों की स्थापना तथा पर्यवेक्षण, शिक्षा एवं उपचार केन्द्रों की स्थापना सम्मिलित है।

गिल्लड के उन्मूलन, कंसर विषयक अनुसन्धान तथा यौन रोगों के निदान एवं उपचार से सम्बन्धित कार्यक्रम भी चालू किए जा रहे हैं।

11. हैजा—भारत हैजे के लिए एक स्थानिक क्षेत्र रहा है। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और मद्रास की पांच प्रमुख नदियों के डेल्टा वाले इलाकों में हैजे के पांच मुख्य केन्द्र स्थल हैं। पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में हैजा सबसे अधिक और बार बार होता है। बार बार फैलने वाली इस बीमारी को रोकने के लिए इन मुख्य केन्द्र स्थलों को दूर करना होगा। यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जबकि लोगों को पीने का अच्छा पानी पर्याप्त मात्रा में मुलभ हो विशेष तौर पर हैजे वाले क्षेत्रों में; और मलमूत्र की निकासी के लिए आधुनिक तरीके बरते जाए। भारत में हैजा फैलने का सबसे बड़ा स्थानिक केन्द्र महानगरी कलकत्ता है। यह सुझाव दिया गया है कि जिन राज्यों में हैजा फैलता है वहां हैजा फैलने वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति और सफाई विषयक कार्यक्रम मुख्य रूप से किए जाने चाहिए। इन इलाकों के लिए शीघ्र विशिष्ट कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो तो योजना के अन्तर्गत साधनों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि तीसरी योजना की अवधि में इस रोग को कम किया जाना सम्भव न हो और चौथी योजना के अन्त तक इसे पूरी तरह उन्मूलित न किया जा सके

12. स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्य पहलू—तीसरी योजना की अवधि में स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिन कुछ अन्य पहलुओं पर काफी ध्यान देना होगा उनका यहां संक्षेप में उल्लेख कर देना चाहिए।

13. स्वास्थ्य शिक्षा—व्यापक अर्थों में स्वास्थ्य शिक्षा ही एक सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की नींव है। अधिकांश रूप से स्वास्थ्य खराब रहने का कारण यह है कि लोग सफाई के साधारण नियमों को भी नहीं जानते या उन नियमों का पालन करने में वे

उदासीन रहते हैं। इस लिए स्वास्थ्य शिक्षा को छोड़ कर सम्भवतः कोई अन्य उपाय ऐसा नहीं है कि जिस पर किए व्यय के अनुपात से लाभ अधिक हो। यह सुभाव दिया गया है कि स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में दिया जाना चाहिए और इस पर तथा सामुदायिक विकास खण्डों में सामाजिक शिक्षा के कार्य पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए।

14. स्कूल के बच्चों का स्वास्थ्य—स्कूलों के बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल न केवल अपने आप में महत्वपूर्ण है बल्कि समूचे समुदाय के स्वास्थ्य का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। राज्यों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्कूलों के बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कुछ न्यूनतम सेवाओं का प्रवन्ध किया जाना चाहिए। ज्यों ज्यों स्थानीय समुदाय अपना हिस्सा अदा करने के लिए तैयार हों स्कूलों में दोपहर के भोजन के कार्यक्रम को निरन्तर बढ़ाना चाहिए यथासमय अधिकांश स्कूलों के बच्चे, विशेष तौर पर कम आय वाले लोगों के बच्चे, दोपहर के भोजन आन्दोलन के अन्तर्गत आ जाने चाहिए।

15. जन्म-मृत्यु के आंकड़े—जन्म-मृत्यु के महत्वपूर्ण आंकड़ों की कमी मौजूदा सांख्यिकीय प्रणाली की अनेक गम्भीर कमजोरियों में से एक है। एक अन्तर्राज्यीय सम्मेलन में महत्वपूर्ण आंकड़ों में सुधार करने के प्रस्ताव हाल में ही बनाए गए हैं। इनमें ये बातें सम्मिलित हैं : महत्वपूर्ण आंकड़ों के लिए केन्द्रीय कानून बनाने की सिफारिश, विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में जन्म और मरण के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने की दृष्टि से क्षेत्रों के नमूना पंजीकरण की एक योजना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक तथा अन्य व्यवस्थाओं के सुभाव तथा आंकड़ों की प्राप्ति तथा संग्रह। आवश्यक आंकड़ों के सुधार का कार्यक्रम यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए और इसके लिए केन्द्र द्वारा जिस ओर सहायता की आवश्यकता हो वह भी दी जानी चाहिए।

16. मानसिक स्वास्थ्य—स्वास्थ्य सेवाओं के विकास कार्यक्रमों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते हुए महत्व की दृष्टि से यह जरूरी है कि चिकित्सा विशेषज्ञ, सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता विशेषतः वे लोग जो मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करें।

17. औषधि—ऐसा प्रस्ताव है कि राज्य सरकारों को औषधि अधिनियम 1940 के दैनिक प्रशासन के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए तथा नमूनों के लिए अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

18. खाद्य वस्तुओं में मिलावट—खाने पीने की ग्राम चीजों में मिलावट बढ़ती जा रही है। थोक तथा फुटकर दोनों स्तरों पर चीजों के बनने, तैयार होने और वितरण के समय उनमें मिलावट की जाती है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक प्रारम्भिक अवस्था में मिलावट की इस समस्या का ठीक प्रकार से सामना किया जाए और मिलावट करने वाले सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। स्थानीय संस्थाओं, ऐच्छिक संगठनों तथा उपभोक्ता संघों द्वारा देखभाल किए जाने के अतिरिक्त विशेषतः शहरों में सहकारी उपभोक्ता दूकानें खोली जानी चाहिए ताकि खाने-पीने की शुद्ध वस्तुएं प्राप्त हो सकें।

19. देशी चिकित्सा प्रणालियाँ—आयुर्वेद की शिक्षा के प्रति इस समय जो दृष्टिकोण है उसके सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकले हैं। 'एकीकृत' चिकित्सा के पाठ्यक्रम से यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है कि इस पाठ्यक्रम से दीक्षित व्यक्ति आयुर्वेदीय ढंग से चिकित्सा करें। प्रवेश, पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण आदि के लिए निर्दिष्ट योग्यताओं के बारे में विभिन्न राज्यों में कोई एकरूपता नहीं है। आयुर्वेद विषयक योजना आयोग के विशेषज्ञों ने चिकित्सा की आयुर्वेदिक प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कई सिफारिशों की हैं। आयुर्वेद के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्यों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

20. पोषण—1935-48 तथा 1955-58 में भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद की ओर से किए गए आहार सम्बन्धी पर्यवेक्षणों से पता चलता है कि यद्यपि ग्रन्थों और दालों की खपत में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ किन्तु सह सम्भव है कि कुछ ग्रन्थ-भिन्न खाद्यों की प्रति व्यक्ति खपत में थोड़ी-सी कमी हुई हो। जनता के गरीब वर्गों के बढती उम्र के बच्चों पर खाद्य विषयक कमियों का सबसे अधिक बुरा असर पड़ता है। पोषण में सुधार करने के लिए जो कार्यक्रम है उनके दो भाग हैं—अर्थात् आम लोगो तथा मजदूरों के विभिन्न वर्गों को पोषण सम्बन्धी शिक्षा देना और समुदाय के अपुष्ट वर्गों की पीष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उपाय। अपुष्ट वर्गों में, जिनकी ओर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताएँ, छोटे बच्चे, स्कूल-पूर्व बच्चे, और स्कूलों के बच्चे विशेषतः छोटी आय वाले लोगों के बच्चे हैं। दोपहर के भोजन के कार्यक्रम द्वारा स्कूलों के बच्चों को सबसे अधिक अच्छे रूप में आहार दिया जा सकता है। अर्द्ध पुष्ट बच्चों के लिए दूध आदि संरक्षण खाद्यो तथा उनके आहार में बहुदेशीय खाद्य जैसे विटामिन आदि के द्वारा वृद्धि करना बहुत आवश्यक है। सामान्य जनता के लिए औद्योगिक कारखानों की केन्टीनो, होस्टलों, रेस्टोरा तथा अन्य खाने के स्थानों पर सस्ते और मनुलित भोजनों की व्यवस्था करने की ओर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। केन्द्र में पहले से ही एक राष्ट्रीय पोषण सलाहकार समिति विद्यमान है। राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों में पोषण सम्बन्धी विशेष विभागों की स्थापना पर बारम्बार जोर दिया गया है।

परिवार नियोजन

21. तीसरी तथा बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे अधिक जोर परिवार नियोजन के कार्यक्रम पर देना होगा। इसके लिए भरपूर शिक्षा, सुविधाओं तथा यथासंभव बड़े पैमाने पर परामर्श की व्यवस्था और प्रत्येक शहरी तथा ग्रामीण समुदाय में व्यापक प्रयत्न की आवश्यकता है। देश की मौजूदा परिस्थितियों में परिवार नियोजन का कार्य न केवल एक मुख्य विकास कार्यक्रम के रूप में करना होगा बल्कि उसे एक ऐसे देशव्यापी आन्दोलन के रूप में करना होगा कि जिसमें व्यक्ति, परिवार और समुदाय के लिए एक अधिक अच्छे जीवन के प्रति एक बुनियादी दृष्टिकोण निहित है।

22. पहली योजना में शहरी क्षेत्रों में 126 परिवार नियोजन क्लिनिक और ग्रामीण क्षेत्रों में 21 परिवार नियोजन निवृत्तिक स्थापित किए गए थे। दूसरी योजना में शहरी क्षेत्रों में इनकी संख्या बढ़कर 549 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1100 हो गई। इनके प्रति-

रिक्त 1864 ग्रामीण तथा 330 शहरी चिकित्सा और स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवार नियोजन सेवाओं की व्यवस्था की गई है। कई बन्ध्याकरण केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। इस कार्य का पथ-प्रदर्शन केन्द्रीय और राज्यीय परिवार नियोजन बोर्डों द्वारा होता है। वम्बई तथा अन्य स्थानों पर गर्भ-निरोधक उपकरण परीक्षण एकको में काफी अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है। जनसंख्या सम्बन्धी 4 अनुसन्धान केन्द्र भी खोले गए हैं। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय जाच भी की गई हैं। एक व्यापक आधार वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बनाया गया है।

23. तीसरी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम में इन बातों की व्यवस्था की गई है—(अ) परिवार नियोजन के लिए शिक्षा और प्रयोजन, (ब) सेवाओं की व्यवस्था, (स) प्रशिक्षण, (द) आपूर्तियां, (च) संचार तथा प्रयोजन, (छ) जनसंख्या सम्बन्धी अनुसन्धान, और (ज) चिकित्सा और जीवविज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान। इस कार्यक्रम पर कुल 50 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

इस समस्त आन्दोलन की सफलता के लिए शैक्षिक कार्यक्रम को बढाना बड़ा महत्वपूर्ण है। परिवार नियोजन सम्बन्धी शिक्षा एक अधिक अच्छे जीवन के लिए शिक्षा का ही एक भाग है। इसे अन्य रचनात्मक कारंवाइयों के साथ सम्बद्ध करना होगा। तीसरी योजना के लिए बनाए गए अस्थायी कार्यक्रमों के अनुसार द्वितीय योजना के अन्त में परिवार नियोजन क्लिनिकों की संख्या लगभग 1 800 से बढ़ कर लगभग 8,200 हो जाने की सम्भावना है। इनमें से लगभग 6,100 क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्रों में और 2,100 शहरी क्षेत्रों में होंगे।

24 तीसरी योजना में अनुसन्धान का एक विस्तृत कार्यक्रम लागू किया जाएगा। अन्य बातों के साथ-साथ निम्न पहलुओं की जाच की जा रही है :

- (1) मानवीय जनन सम्बन्धी अध्ययनों का विकास;
- (2) प्रजनन सम्बन्धी शरीर विज्ञान का अध्ययन;
- (3) अधिक प्रभावशाली स्थानीय गर्भनिरोधक उपकरणों का विकास;
- (4) एक उपयुक्त मौखिक गर्भनिरोधक दवाई का विकास, और
- (5) जो स्त्री और पुरुष बन्ध्या किए जाए उनके बारे में यह मालूम करते रहना कि बन्ध्याकरण के क्या परिणाम निकलते हैं।

24. मौखिक गर्भनिरोधक दवाइयों के बारे में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है जो इस क्षेत्र में समय-समय पर होने वाले विकास कार्य की समीक्षा करेगी और सिफारिशें करेगी। परिवार नियोजन के लिए संचार, प्रयोजन तथा कार्य-अनुसन्धान का पथ-प्रदर्शन करने के लिए एक समिति हाल में बनाई गई है। वर्तमान समय की अपेक्षा और अधिक व्यापक रूप से परिवार नियोजन की समाजशास्त्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में अध्ययन करने की आवश्यकता है।

25. परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐच्छिक आधार पर किए गए बन्ध्याकरण का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरी योजना में जिला अस्पतालों और उप-विभागीय अस्पतालों में बन्ध्याकरण की सुविधाओं का विस्तार करने का विचार है।

26. तीसरी योजना में परिवार नियोजन क्षेत्र में जो मुख्य कार्य करना है वह यह है कि कुछ बुनियादी समस्याओं का प्रभावशाली रूप से समाधान किया जाए तथा परिवार नियोजन के समर्थन के लिए शैक्षणिक एवं विस्तार कार्य करने वाले सभी उपलब्ध अभिकरणों को गतिशील किया जाए। केन्द्र में तथा राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी। हजारों प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा यथासमय उनके उपकेन्द्रों में आवश्यक कर्मचारियों तथा सामान की व्यवस्था करना ताकि गावों तक पहुंचा जा सके और वहां न केवल परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श दिया जाए बल्कि परिवार नियोजन के साधन भी पहुंचाए जाए। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिनकी विशालता और पेचीदगी को कम नहीं समझना चाहिए। निजी चिकित्सको, आयुर्वेदिक चिकित्सको तथा गाव की दाइयो आदि विभिन्न उपकरणों का परिवार नियोजन क्लिनिकों और प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ परिवार नियोजन कार्य के लिए उपयोग करने के निमित्त स्थानीय स्तर पर अत्यन्त सावधानी के साथ आयोजन करना होगा। आवश्यक स्तर पर गर्भ-निरोधको के उत्पादन का संगठन करना एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। यह आवश्यक है कि यथासंभव बड़े पैमाने पर स्वयंसेवी संगठनों, श्रमिक संगठनों तथा राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अन्य सघों की सहायता प्राप्त की जाए और उसे, प्रत्येक क्षेत्र में कार्य के व्यावहारिक कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जाए।

अन्त में, यह कह देना आवश्यक है कि जिन सुविधाओं की आवश्यकता है उनके अतिरिक्त परिवार नियोजन के लिए बड़े पैमाने पर किए जाने वाले किसी भी प्रयत्न में नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक तत्वों पर सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सधम तथा ऐसी सामाजिक नीतियों पर बल दिया जाना चाहिए जैसे कि स्त्रियों की शिक्षा, उनके लिए रोजगार के नए अवसर जुटाना, और शादी की आयु बढ़ाना। बच्चे पैदा करने पर नियन्त्रण के बारे में सलाह देने के अतिरिक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम में धीन-विधय तथा पारिवारिक जीवन सम्बन्धी शिक्षा तथा परिवार के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अन्य आवश्यक उपायों के बारे में परामर्श देना सम्मिलित होना चाहिए।

II आवास और देहाती तथा शहरी विकास

जनसंख्या, विशेषकर शहरी जनसंख्या, में वृद्धि का तीसरी और उसके बाद आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में आवास-कार्यक्रम पर मोटे तौर से तीन प्रकार से प्रभाव हो सकता है। पहला यह है कि आवास-नीतियों को आर्थिक विकास और औद्योगीकरण तथा अगली एक या दो दशकों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर निर्धारित करना होगा। उद्योगों को छितराने और स्थापित करने के प्रस्तावों का आवास-समस्या के हल के लिए महत्व बढ़ता जाएगा। दूसरा यह कि सरकारी, सहकारी अथवा गैर-सरकारी सभी अभिकरणों के प्रयत्नों में समन्वय करना जरूरी होगा। शहरी क्षेत्रों के लिए बृहत्तर योजनाएं बनाने की आवश्यकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि विभिन्न अभिकरणों को दीर्घकाल के

लिए व्यवस्थित रूप से एक सुस्पष्ट लक्ष्य की दिशा में ले जाने और उनके योगदान को बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं है। तीसरी बात यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी होगी कि समस्त आवास-कार्यक्रम, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों या गैर-सरकारी क्षेत्र में, इस प्रकार ढाले जाएं कि उनसे समाज के कम आय वाले वर्गों की आवश्यकता की पूर्ति हो। पहली योजना में आवास-कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक कर्मचारियों और कम आय वाले वर्गों के लिए मकान बनाना था।

2. दूसरी योजना में इस कार्यक्रम में गन्दी बस्तियों को सुधारने, वागान-मजदूरों के लिए मकान बनाने, गांवों में मकान बनाने और जमीन लेकर उसका विकास करने की योजनाएँ शामिल की गई थी। इन कार्यक्रमों को तीसरी योजना में जारी रखा और बढ़ाया जाएगा। जमीन प्राप्त करने और विकास करने के काम पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि यही सब आवास-कार्यक्रमों की सफलता का आधार है। समाज के निर्धन वर्गों, गोदी कर्मचारियों और सड़ककी पटरियों पर रहने वालों के लिए मकान बनाने के नए कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। बड़े नगरों, औद्योगिक नगरों और साधन-क्षेत्रों के लिए बृहत्तर योजनाएँ और प्रादेशिक विकास-योजनाएँ तैयार करने के लिए जोरदार प्रयत्न करने का प्रस्ताव है।

3. आवास पर व्यय—तीसरी योजना में आवास और शहरी विकास-कार्यक्रमों के लिए 142 करोड़ रु० रखे गए हैं, जबकि दूसरी योजना में इन कार्यक्रमों पर 80 करोड़ रु० के व्यय का अनुमान है। इसके अलावा यह आशा है कि जीवन बीमा निगम भी आवास-कार्य के लिए लगभग 60 करोड़ रु० दे सकेगा।

तीसरी योजना में शामिल किए गए आवास-कार्यक्रमों के अतिरिक्त कोयले और अवरक की खानों में काम करने वालों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए मकान बनाने के कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे और अनेक केन्द्रीय मंत्रालय भी अपने-अपने आवास-कार्यक्रम आरम्भ करेंगे। मोटे तौर पर यह अनुमान है कि तीसरी योजना के दौरान मन्त्रालयों के आवास-कार्यक्रमों के अन्तर्गत 9 लाख मकान बनाए जाएंगे, जबकि दूसरी योजना में कुल 5 लाख मकान बनने थे। आवास और अन्य निर्माण-कार्यों पर तीसरी योजना में लगभग 1125 करोड़ रु० की निजी पूँजी लगने का अनुमान है।

4. आवास-मण्डल—मकान बनाने के लिए सरकार सीधे जितना पैसा देगी, उससे मकानों की जरूरत का अल्पांश ही पूरा हो सकेगा। अतः ऐसे सस्थान बनाने होंगे, जो मकान बनाने में बहुत ज्यादा लोगों की, जिनमें से अनेक की आय कम होगी, मदद कर सकें। इस सम्बन्ध में एक केन्द्रीय आवास-मण्डल की स्थापना की सम्भावना पर इस समय विचार किया जा रहा है। इस प्रकार के सगठन से आवास के लिए मिलने वाली अतिरिक्त निधि निर्माण-कार्य में लगाई जा सकेगी, आसान विस्तो ऋण मिलने को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ऋण देने की पद्धति में सुधार किया जा सकता है और मकानों को बन्धक रखने की उचित व्यवस्था के लिए प्रबन्ध किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, आवास-मण्डल किसी हद तक स्वयं वित्त जुटाकर जमीन खरीदने और उसका विकास करने, मकान बनाने और गन्दी बस्तियों को सुधारने के लिए राज्य सरकारों या राज्य आवास-मण्डलों को ऋण दे सकता है। जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार से

मिलने वाला धन भी आवास-मण्डल की मार्फत आगे दिया जा सकता है। केन्द्रीय आवास-मण्डल और राज्यों में आवास-मण्डलों की स्थापना से आवास-विकास के लिए ऐसे साधन उपलब्ध किए जा सकते हैं, जो अन्यथा ग्रामीणों से उपलब्ध नहीं हो सकते। ये सत्यान आवास में मिलकर ऐसी आवास-नीतियाँ निर्धारित करने में सहायता कर सकते हैं, जिनसे सीमित आय वाले लोगों ही अपने-अपने लिए मकान बना सके और बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों आवास-कार्य के लिए विभिन्न सेवाएँ जुटा सकें।

5. भूमि प्राप्ति और विकास—आवास-कार्यक्रम को सफल रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि मकान बनाने के लिए स्थान काफी मात्रा में और उचित दामों पर उपलब्ध हो। इस कार्यक्रम के लिए तीसरी योजना में 26 करोड़ रु० का (जिसमें जीवन बीमा निगम का अशदान भी शामिल होगा) कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो साधन उपलब्ध होंगे, वे जमीन लेने और उमका विकास करने के लिए राज्यों में परिभ्रमण-निधि स्थापित करने के काम आ सकते हैं।

6 औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मकान—औद्योगिक श्रमिकों के लिए मकान बनाने के हेतु सहायता देने की योजना 1952 से चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत दूसरी योजना के अन्त तक लगभग 1 लाख मकान बनाए जा चुके थे और 40 हजार मकान, जिनका निर्माण के विभिन्न सोपानों में थे, बन रहे थे। श्रमिकों के एक बहुत बड़े भाग के लिए मकान बनाने को यदि मालिक द्वारा अनिवार्य उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार न किया जाए, तो बहुत अधिक प्रगति नहीं हो सकती। औद्योगिक श्रमिकों के आवास की स्थिति में सुधार के बिना औद्योगिक कुशलता और उत्पादकता पर असर पड़ेगा। अतः नए और पुराने उद्योगों के लिए ऐसा प्रवन्ध करना होगा कि श्रमिकों के लिए मकान बनाना उन्हें वित्तीय और अन्य दृष्टियों से साध्य जान पड़े और वे आवास-समस्या के हल करने में प्रभावशाली योगदान कर सकें। यह सुझाव है कि एक नियत परिदत्त पूँजी (उदाहरणार्थ 20 लाख रु० या उससे अधिक) वाले नए प्रतिष्ठानों के लिए यह जरूरी कर दिया जाए कि वे अपने श्रमिकों के लिए आवश्यक कुल मकानों में से आधे स्वयं 10 वर्ष की अवधि में बना लें। पुराने प्रतिष्ठानों के मामले में इस बात का ध्यान रखा जा सकता है कि श्रमिकों के आवास के लिए मालिक लोग कितना अशदान करते हैं। उद्देश्य यह होना चाहिए कि ऐसे उद्योग 50 प्रतिशत मकान एक नियत अवधि में बनाएँ और बाकी मकान आवास की साधारण योजना के अन्तर्गत बनवाएँ जाएँ। जहाँ मालिक सीधे मकान नहीं बनवा सकते, वहाँ सरकार या आवास-मंडल मकान बनाने का काम हाथ में लें। ऐसे मामलों में मालिकों को मकान बनाने की लागत का एक भाग चुकाना होगा। कोई संतोषजनक योजना बनाने के लिए इन तथा अन्य सुझावों पर मालिकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर विचार करने का प्रस्ताव है।

7. कम आय वालों के लिए मकान—कम आयवालों के लिए मकान बनाने की योजना 1954 में शुरू की गई थी। तब से 85 हजार मकानों के लिए ऋण मंजूर किए जा चुके हैं और दूसरी योजना के अन्त तक लगभग 53 हजार मकान बनाए जा चुके थे। समाज के निर्धन वर्ग, जैसे वे लोग जिनकी वार्षिक आय 1,800 रु० या इससे कम है, इस

योजना से लाभ उठा सकें; इसके लिए तीसरी योजना में विरूप व दम उठाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव है कि स्थानीय निकायो को रियायती दर पर लम्बी अवधि के लिए ऋण दिए जाएं और ये निकाय निर्धन वर्ग के लिए किराये के मकान बनाए। निर्धन वर्गों की आवास सहकारी समितियों को भी इसी प्रकार की सहायता दी जा सकती है। यह विचार है कि जब कम आय वाले वर्गों को विभिन्न सस्थानों से मकान बनाने के लिए धन मिलने लगेगा, तब सरकार द्वारा दिए जाने वाले धन का उपयोग अधिकतर निर्धन वर्ग के लिए मकान बनाने के हेतु होगा।

8. गन्दी बस्तियों को हटाना और सुधार— यह प्रस्ताव है कि गन्दी बस्तियों का सर्वेक्षण होना चाहिए और उन्हें दो श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए—एक तो वे क्षेत्र, जिन्हें साफ करके पूर्णतः नए सिरे से विकसित करना है और दूसरे वे क्षेत्र, जिन्हें अडोस-पडोस की स्थिति में सुधार करके रहने योग्य बनाया जा सकता है। दूसरी श्रेणी की गन्दी बस्तियों के मकान-मालिक यदि ये सुधार न करें तो स्थानीय निकायो को यह काम करना चाहिए और काम की लागत मालिकों से वसूल कर लेनी चाहिए और जहां आवश्यक हो, सम्पत्ति को कानूनी रूप से स्थायी/अस्थायी आधार पर ले लेना चाहिए। जहां स्थानीय निकाय सरकारी भूमि या अधिगृहीत भूमि पर बसी गन्दी बस्तियों में सफाई कार्य करें, वहां इस बात की आवश्यकता हो सकती है कि स्थानीय निकायो को अनुदान दिए जाए, जिससे वे इन बस्तियों में आवश्यक सेवाओं का प्रदत्त कर सकें। सफाई और सुधार के लिए गन्दी बस्तियों को चुनते समय, उन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनमें भगी बस्ते हैं। गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार के कार्यक्रम को चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग पूर्णतः प्राप्त किया जाना चाहिए।

गन्दी बस्तियों की सफाई की वर्तमान योजना में 6 बड़े शहरों—कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कानपुर और अहमदाबाद—की गन्दी बस्तियों की समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है। तीसरी योजना में इन 6 शहरों में भी अधिक से अधिक प्रयत्न किए जाने चाहिए। परन्तु सिद्धान्त रूप से राज्य सरकारों को उन सभी क्षेत्रों में सफाई और सुधार का काम करना चाहिए, जहां यह समस्या विकराल रूप में उपस्थित हो। साधन सीमित होने के कारण सामान्य रूप से उन्हीं बस्तियों और नगरों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिनकी जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक हो।

9. वर्तमान गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार के काम के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि नई गन्दी बस्तियां न बनने दी जाए। यह कोई आसान काम नहीं है। सभी बढ़ते हुए कस्बों और नगरों के लिए बृहत्तर योजना बनाने और उस पर अमल करने के अलावा, यह भी जरूरी होगा कि नगरपालिका के उपनियमों और निर्माण सम्बन्धी नियमों को लागू किया जाए और इसके साथ ही साथ कम आय वाले और निर्धन वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने के लिए अन्तरिम उपाय के रूप में पटरियों पर रहने वालों और परिवारहीन मजदूरों के लिए रेंट-बसेरे और कोठरियां बनाने के काम पर अविलम्ब ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार भगियों के लिए मकान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

शहरी नियोजन और भूमि-नीति

10. 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 1951 में 75 से बढ़कर, 1961 में 115 हो गई है और उनकी कुल जनसंख्या कुल शहरी जनसंख्या का 43 प्रतिशत है। आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में शहरी के बढ़ने का अन्य कई समस्याओं से गहरा सम्बन्ध है; जैसे, लोगों का गांवों से शहरी में आकर बसना, देहाती और शहरी क्षेत्रों का भिन्न-भिन्न जीवन स्तर, विभिन्न आकार के कस्बों में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था की लागत, जनता के विभिन्न वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था, पानी, सफाई, परिवहन और बिजली जैसी सुविधाओं के प्रबन्ध, आर्थिक विकास का ढांचा, उद्योगों को स्थापित करना और छितराना, नागरिक प्रशासन, वित्तीय नीतियां और भूमि के उपयोग की योजना। दीर्घकालीन दृष्टि से आर्थिक विकास का ढांचा और उद्योगों को किस स्थान में रखा जाए यही बातें निर्णायक पहलू हैं। शहरी क्षेत्र जिस तरह से विकसित हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, उस पर इन्हीं का विशेष प्रभाव पड़ता है। विकास की नीति के मूल तत्व निम्नलिखित हैं :

- (1) जहां तक सम्भव हो, नए उद्योगों को बड़े और मीडभाड वाले नगरों से दूर स्थापित किया जाए;
- (2) बड़े उद्योगों की योजना बनाते समय पूरे प्रदेश को ध्यान में रखा जाए और नए उद्योग वृहत्तर क्षेत्र के विकास का केन्द्र-बिन्दु बनें, और वहां का नया उद्योग उस क्षेत्र के विकास में योगदान दे।
- (3) सामुदायिक विकास परियोजनाओं या जिले के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रों में विकास के शहरी और देहाती तत्वों को मिलाकर ऐसी योजना बनाई जाए, कि नगर और उनके आसपास के देहाती क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से परस्पर निर्भर हों ;
- (4) प्रत्येक देहाती क्षेत्र में इस बात का प्रयत्न किया जाए कि लोग कृषि पर ही अत्यधिक निर्भर न रहें, बल्कि विविध प्रकार के घन्वे अपनाएं।

11. तेजी से बढ़ने वाले शहरी क्षेत्रों में रहन-सहन की स्थिति अधिकतर इसलिए बिगड़ती है कि वहां विकास-कार्यों का खर्च बहुत आता है और यह खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। बेरोजगारी, भीड़भाड, गन्दी वस्तियों के बनने और धनेक नगरों में जनता के एक भाग के निराश्रित रहने के कारण स्थिति और भी बिगड़ जाती है। तीसरी योजना के दौरान कुछ दिशाओं में कदम उठाना तो अनिवार्य ही है, जिससे भविष्य में प्रगति के लिए ठीक मार्ग निर्धारित हो जाए। वे कदम ये हैं

- (1) सरकार द्वारा भूमि की अधापति और समुचित वित्तीय नीतियों द्वारा शहरी भूमि के मूल्य का नियंत्रण।
- (2) भूमि-उपयोग का भौतिक नियोजन और वृहत्तर योजनाओं की तैयारी।

(3) नगरों की आवश्यकताओं के अनुसार वहा आवास और अन्य सेवाओं की व्यवस्था का न्यूनतम मानक निमित्त करना और जहाँ तक जरूरी हो, उच्चतम मानक भी निर्धारित करना ।

(4) नए विकास-कार्यों को शुरू करने के लिए नगरपालिका प्रशासन को दृढ करना ।

12. जमीन की कीमत बढ़ने से मकान बनाने आदि की लागत भी बढ जाती है और कम आय वाले लोगों के हित के लिए जो सुधार किए जा सकते हैं, वे भी उसी अनुपात से कम हो जाते हैं । सामान्य कारणों के अलावा, सट्टेबाजी के कारण भी जमीन की कीमते बढ जाती हैं । जमीन की कीमत बढाने वाले हालात तो सभी शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, परन्तु ऐसे हालात वहा अधिक होते हैं, जहाँ नए उद्योग, नया सार्वजनिक अथवा अन्य प्रकार का काम शुरू किया जा रहा हो । शहरी भूमि और सम्पत्ति पर कर लगाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत सभी नगरों में है । अनेक शहरी क्षेत्रों में कानूनी और दूसरे उग्र कदम उठाने की जरूरत है, जिनके द्वारा जमीन की कीमते स्थिर की जा सके और सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि की अवाप्ति की जा सके । यदि विशेषकर महानगरों, बढते हुए नगरों और नए औद्योगिक नगरों में और उनके आसपास भूमि के उपयोग को नियमित किया जाए तो भूमि कीमतों में वृद्धि को रोकने के उपाय प्रभावशाली सिद्ध ही सकते हैं । ऐसे नगरों के लिए भी मास्टर योजनाएं बनाने का विशेष महत्व है ।

जमीन की कीमतों पर नियंत्रण के लिए जो मुख्य कदम उठाए जा सकते हैं, वे ये हैं : भूमि के मूल्य को निश्चल करना, जिससे सार्वजनिक अधिकारी शीघ्र भूमि का अधि-ग्रहण कर सकें, अन्तरिम सामान्य योजनाओं के अनुसार भूमि की अवाप्ति और विकास, भूमि को पट्टे पर देना, खेती के काम में न लाई जाने वाली कृषि-भूमि पर सुधार-कर, निरधीन सम्पत्ति के हस्तांतरण पर पूजी-कर, विकसित क्षेत्रों में खाली पड़े प्लाटों पर कर और प्रशासन को इस बात का अधिकार कि यदि नियत समय में वहा निर्माण न हो तो ऐसे प्लाट सरकार अपने अधिकार में कर ले, प्लाटों के आकार की अधिकतम सीमा निर्धारित करना और यह निश्चित करना कि एक व्यक्ति के पास कितने प्लाट हो, और किरायों का उचित प्रमाण निश्चित करना तथा किरायों को नियमित और नियंत्रित करना । ये कदम सुनियोजित शहरीकरण के आधार हैं ।

13. कस्बों और नगरों के व्यवस्थित विकास के लिए नगर-नियोजन अनिवार्य है । इस दिशा में पहला कदम यह उठाना होगा कि भूमि के उपयोग के निर्धारण के लिए अन्तरिम सामान्य योजना बनाई जाए और विकास-कार्य भूमि-उपयोग के इस प्रतिरूप के अनुसार ही हो । इसके बाद शहरी और प्रादेशिक विकास के लिए मास्टर योजनाएं बनाई जाएं । शुरू में मास्टर योजनाएं महानगरों, राज्यों की राजधानियों, बन्दरगाह वाले नगरों, नए औद्योगिक केन्द्रों और उन बड़े और बढते हुए नगरों के लिए बनाई जानी चाहिए, जहा स्थिति और विगड़ने की सम्भावना हो । तीसरी योजना के लिए ऐसे नगरों की

अस्थायी सूची* तैयार की गई है। मास्टर योजनाएं तैयार करने का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और सम्बद्ध स्थानीय प्रशासनो पर है। मास्टर योजनाएं बनाने के कार्य में केन्द्र द्वारा सहायता देने की भी सीमित व्यवस्था की गई है। एक आवश्यक कार्य यह है कि नगर-नियोजन के विषय में उपयुक्त कानून बनाया जाए। यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें नगर-नियोजन-संगठन स्थापित करें, जिनमें पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी हों और नगर-नियोजन के काम के लिए नगरो और क्षेत्रों को चुन लें।

14. वर्तमान नगरो के विकास और नए नगरो के निर्माण करते समय प्रादेशिक विकास का दृष्टिकोण अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक और सामाजिक विकास में उचित सतुलन रखने तथा विकासोन्मुख शहरी समाज के जीवन में अधिक सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समग्रता के लिए भी यह बहुत आवश्यक है। दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं तथा वातावरण में सुधार करने से सब नागरिकों के शहरी जीवन में सहचारिता की भावना का उदय होने में बड़ी सहायता मिलेगी।

15. नगरपालिकाएं ही सामाजिक स्तर पर शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करने, आवास के विस्तार और रहन-सहन की स्थित में सुधार का काम सफलतापूर्वक निभा सकती हैं। अधिकांश नगरपालिकाओं में इन कामों को निभाने की क्षमता नहीं है। उन्हें अधिक साधन और कर्मचारी देकर तथा उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार करके उन्हें अधिक सूक्ष्म बनाना चाहिए। जिन शहरी क्षेत्रों की वर्तमान परिधि इन समस्याओं को हल करने के लिए नाकामी है वहां उसे बढ़ा देना चाहिए। बढ़ते हुए शहरों के मामले में यह वांछनीय है कि शुरू से ही उन्हें छोटे के बजाय बड़े नागरिक क्षेत्र दिए जाए जिससे इन शहरों के निम्नवर्ती गावों का भी उनके साथ ही साथ समन्वित रूप में विकास हो और बाद में विभिन्न कार्य-क्षेत्रों के कारण कठिनाइया पैदा न हो। वर्तमान परिकल्पना के अनुसार जब अधिकांश नगरो की अपनी विकास योजनाएं होंगी और उन्हें

* (क) महानगर, राज्यों की राजधानियां और बन्दरगाह वाले नगर } ग्रहमदावाद, बगलौर, भोपाल, कोचीन, (दिल्ली, महानगर क्षेत्र), बृहत्तर बम्बई, बृहत्तर कलकत्ता, हैदाराबाद-सिकन्दराबाद, जयपुर, कडला, कानपुर, लखनऊ, मद्रास, पटना, पूना, शिलांग, धीनगर, वाराणसी, विशाखपत्तनम्, और तिरुवनन्तपुरम्।

(ख) औद्योगिक केन्द्र— इलाहाबाद, आसनसोल, बरोनी, भद्रावती, भिलाई, बोकारो, चित्तोजन, कोयमुत्तूर, डेरी-ग्रोन सोन, धनबाद, डिगबोर्ड, दुर्गापुर, गुवाहाटी, गोरखपुर, देवरिया, गुडूर, जमशेदपुर, कोठागुडम, मिर्जापुर, मुगलसराय, नगल, पनवेल, रांची, ऋषिकेश-हरिद्वार, राउरकेला, सिन्दरी, तिनसुखिया, विजयवाड़ा और वारंगल।

(ग) साधन-क्षेत्र— भाखड़ा-नगल क्षेत्र, दामोदर घाटी, दण्डकारण्य, राजस्थान-नहर क्षेत्र और रिहद क्षेत्र।

राज्यो की विकास योजनाओं में मिला दिया जाएगा तो इनके विकास में और सुविधा हो जाएगी ।

ग्रामीण आवास और आयोजन

16. ग्रामीण आवास यथार्थतः सामुदायिक विकास और ग्राम आयोजन का अंग है। इस-लिए ग्रामीण आवास का कार्यक्रम खंड स्तर पर सामुदायिक विकास आन्दोलन के साधनों को बढ़ाने और गांवों की सहायता की दृष्टि से बनाया गया है। इस कार्यक्रम में प्राविधिक परामर्श, प्रदर्शन, बढ़िया डिजाइन और नक्शे, स्थानीय सामान का बेहतर इस्तेमाल और कुछ हद तक वित्तीय सहायता देना शामिल है। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण समाज के सब वर्गों के लिए स्वस्थ वातावरण बनाना और सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन का सन्तुलित विकास करना है।

17. चार साल पहले जो ग्रामीण आवास योजना बनाई गई थी उसका उद्देश्य चार से छः गांवों को लेकर उनका भौतिक और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करना और उन गांवों के लिए नक्शे तैयार करना था। दूसरी योजना के अन्त तक दो हजार गांवों के इस प्रकार सर्वेक्षण किए जा चुके थे और लगभग 1600 गांवों के नक्शे तैयार हो चुके थे। इस अवधि में 15,400 मकानों के लिए ऋण दिए गए जिनमें से लगभग 3000 मकान बन कर पूरे हो गए। दूसरी योजना में इस स्कीम के चलने से जो अनुभव हुए उनसे निम्नलिखित सुझाव मिलते हैं :

- (1) एक ग्राम की अपेक्षा दस-पाच गांवों को लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे वहां ईंट पकाने का भट्टा लगाना या सहकारी आधार पर माल उपलब्ध करना संभव हो जाता है। आवास कार्यक्रम से रोजगार बढ़ने और रहन-सहन के वातावरण में जो सुधार होता है वह कई गांव एक साथ लेने से अधिक स्पष्ट रूप से लोगों के सामने आता है।
- (2) उपलब्ध साधनों का सबसे प्रथम उपयोग ग्राम आवादी के विस्तार पर, सड़कों और नालियों के सुधार पर तथा सामुदायिक हित के कामों के लिए भूमि देने के लिए होना चाहिए।
- (3) सुधरे हुए आवास के लिए सबसे पहली आवश्यकता गांवों के विस्तार के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धि है। जहां तक सम्भव हो अतिरिक्त आवश्यक भूमि गांव वालों को ही आपसी प्रबन्ध करके देनी चाहिए। फिर भी खेतिहर मजदूरों और हरिजनों के मकान बनाने के लिए भूमि लेने में कुछ हद तक ग्राम समाज की मदद की जा सकती है।
- (4) ग्रामीण आवास के सुधार के कार्यक्रमों में सबसे अधिक प्राथमिकता अनुसूचित जातियों, खेतिहर श्रमिकों और समाज के उन वर्गों को देनी चाहिए जिनके मकान दयनीय दशा में हों। अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के मामलों में पिछड़ी जातियों के कल्याण के कार्यक्रमों से जो धन मिले उसका अन्य साधनों से उपलब्ध धन के साथ समन्वित ढंग से उपयोग होना चाहिए।

(5) ग्रामीण आवास कार्यक्रम में पहले की अपेक्षा और भी अधिक जोर इस बात पर हो कि सड़कें और नालिया बनाने, गाव के विस्तार के लिए जमीन देने और अच्छे घर बनाने में गाव वाले स्वयं एक-दूसरे की मदद करें। इस कार्यक्रम को सामुदायिक प्रयास जैसे पानी की व्यवस्था, सड़कें, नालिया, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, आदि कार्यक्रमों के साथ मिला कर चलाना चाहिए। साथ ही इसका अन्य संबंधित आर्थिक कार्यक्रमों से भी असरदार तरीके से सम्बन्ध होना चाहिए।

(6) इस कार्यक्रम के लिए किन गावों को चुना जाए इसके लिए ग्रामीण आवास स्कीम में निर्देश हैं जैसे षाढ प्रस्त गाव या पिछड़ी जातियों और खेतिहर मजदूरों की काफी जनसंख्या वाले गाव या ऐसे गाव जिनकी जनसंख्या में काफी फेर बदल हुई हो। जिन गावों में कारीगरों का आधिक्य हो उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो गांव चुने जाए उनमें सहकारी भावना तथा ग्राम समाज द्वारा गाव के विकास के लिए भूमि और हरिजनो तथा अन्य पिछड़ी जातियों के मकानों को प्राथमिकता देने की भावना होनी चाहिए।

18. खेतिहर मजदूरों के मकानों के लिए स्थान—ग्रामीण आवास के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें से 5 करोड रुपये राज्यो को खेतिहर मजदूरों की काफी जनसंख्या वाले गावों में उनके मकानों के लिए जमीन प्राप्त करने तथा आवास कार्यक्रम चलाने के लिए अनुदान स्वरूप देने का प्रस्ताव है।

III पिछड़ी जातियों की उन्नति

अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों की उन्नति करके उन्हें समाज के और वर्गों के बराबर स्तर तक लाने के कार्यक्रम पहली और दूसरी योजना के मुख्य कार्यक्रमों में से थे। सविधान के 46 वें अनुच्छेद में यह निर्देशक सिद्धान्त है कि राज्य जनता के दुर्बलतर वर्गों की, विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा तथा ग्रंथ सबधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्धाय तथा सब प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा करेगा। अगली दो-तीन योजनाओं में अनुसूचित आदिमजातियों और अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए भरपूर प्रयत्न करने की आवश्यकता है जिससे वे बास्तव में देश की अन्य जातियों के बराबर स्तर तक पहुच जाए।

2. पंचवर्षीय योजनाओं में पिछड़ी जातियों की उन्नति के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाए गये हैं जिन से विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों से होने वाले लाभ इन जातियों को भी मिले। सामान्यतः समाज के दुर्बल वर्ग विभिन्न क्षेत्रों में से उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। उन्हें यह लाभ मिलें, इस के लिए यह वांछनीय है कि जहां आवश्यक हो वहां दुर्बल वर्गों के लोगों को विशेषतः पिछड़ी जातियों के लोगों को विशेष सहायता दी जाए। विकास

के सामान्य कार्यक्रम इस प्रकार बनाए जाएं कि पिछड़ी जातियों के लोगों की पर्याप्त उन्नति हो, इसके साथ ही साथ योजना में यथासंभव इन वर्गों की पूरी उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. पिछड़ी जातियों की भलाई के कामों के लिए तीसरी योजना में इस समय लगभग 114 करोड़ रु० की व्यवस्था है, जब कि दूसरी योजना में 79 करोड़ और पहली योजना में 30 करोड़ रु० की व्यवस्था थी। इस राशि में से 42 करोड़ रु० शिक्षा कार्यक्रमों पर, 47 करोड़ रु० आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर और 25 करोड़ रु० स्वास्थ्य, मकान तथा अन्य कार्यक्रमों पर खर्च किए जाएंगे। अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों की समस्याएँ मूलतः समाज के आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए ऐसे वर्ग की समस्याएँ हैं जो सामाजिक उपेक्षा के भी शिकार हैं। विमोचित जातियों का एक विशेष वर्ग है जिसे शेष समाज में मिलाने में कुछ अजीब कठिनाइयाँ हैं। लेकिन यह सब होते हुए भी यह काम बहुत जरूरी है। तेज रफ्तार से बढ़ती हुई अर्थ-व्यवस्था में अनुसूचित आदि जातियाँ अब पहले की तरह अलग नहीं रह सकेंगी। बहुत से क्षेत्रों में उद्योग, सिंचाई और बिजली के विकास के कारण अब यह समस्या उत्पन्न हो गयी है कि अनुसूचित आदिम जातियों को किस तरह इस नये वातावरण में खपाया जाए और किस तरह उन्हें फिर से बसाया जाए। यद्यपि बहुत सी बातें समान हैं, लेकिन फिर भी देश के विभिन्न भागों में रहने वाली अनुसूचित आदिम जातियाँ एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं और प्रत्येक आदिम जाति वर्ग के संबंध में उनकी विशेष स्थितियों और समस्याओं को सदैव ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

अनुसूचित आदिम जातियाँ

4. विकासमान स्थितियों में आदिम जाति क्षेत्रों का अलग रहना कठिन है लेकिन फिर भी विकास के नाम पर अनावश्यक प्रशासनिक कड़ाई करना भूल होगी। इन दोनों सीमाओं के बीच का कोई रास्ता योजना है। खेती, संचार साधन, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का विकास करते हुए आदिम जातियों को अपने ही ढंग से आगे बढ़ने देना चाहिए। उनकी परम्परागत कला और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और उन पर बाहर से कोई जोर या दबाव नहीं डालना चाहिए। आदिम जाति क्षेत्रों में उन्हीं लोगों में से प्रशिक्षण देकर प्रशासन और विकास का काम करने के लिए टोली तैयार करनी चाहिए और इस काम में बराबर यह उद्देश्य रखना चाहिए कि सरकारी काम-काज तथा सामाजिक सेवाओं को संभालने के लिए स्थानीय लोगों को ही तैयार करना है। इन क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम चुनते समय इस बात पर विशेष जोर होना चाहिए कि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाओं को छेड़े बिना गरीबी को दूर किया जाए, उन्हें आधुनिक तरीके सिखाए जाएं, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हो, उनके रहन-सहन का स्तर बढ़े और इन क्षेत्रों में संचार के साधनों का सुधार हो। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अधिक से अधिक काम आदिम जाति समुदाय के लोग ही संभालें।

5. आदिम जाति के विकास कार्यक्रमों को पूरा करने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ तथा रुकावटें हैं। विशेषतः ये कि लोगों में काम करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्थानीय

लोग नहीं हैं और जो लोग विक्रम के काम में लगे हैं उनके बीच तथा आदिम जातियों के परम्परागत नेताओं और संस्थाओं के बीच सपर्क के साधन नहीं हैं। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में इस समस्या के निम्नलिखित पहलुओं की ओर ध्यान दिलाया है :

- (1) अनुसूचित क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और कुछ क्षेत्रों में उसे पुनर्गठित करने की आवश्यकता है,
- (2) आदिम जाति क्षेत्रों में काम करने वाले विभिन्न स्तर के लोगों को विशेष संस्थाओं के द्वारा काम करने के लिए प्रशिक्षण का अधिक प्रयत्न किया जाना चाहिए;
- (3) आदिम जाति क्षेत्रों की ऐसी अनेक समस्याएँ हैं जिन का वैज्ञानिक अध्ययन और मूल्यांकन करना जरूरी है, और
- (4) विकास कार्यक्रमों के आधार पर गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को पर्याप्त सहायता देनी चाहिए। कार्यक्रम बड़ी सावधानी के साथ बनाये जाने चाहिए, और दूसरे कार्यक्रमों में उन्हें सम्मिलित करना चाहिए।

6. यह प्रस्ताव है कि कार्यक्रम बनाने समय आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में आदिम जाति के लोगों के आर्थिक पुनर्संस्थापन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षा कार्यक्रमों में मिडिल तथा माध्यमिक कक्षाओं तक मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और छात्रवासों की व्यवस्था होनी चाहिए। शिल्पिक शिक्षा के लिए भी छात्रवृत्ति और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। साधारण विकास कार्यक्रमों में मुख्य-मुख्य बड़ी सड़कें बनानी चाहिए, दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पुलिया और पुल, छोटी सड़कें, जंगलों में जीप के चलने लायक सड़कें बनानी चाहिए तथा दूर के क्षेत्रों के लिए इस समय जो मंचार साधन हैं उनकी मरम्मत करनी चाहिए। योजना में 300 आदिम जाति विचार खण्ड खोलने की व्यवस्था है। ये विकास खण्ड सामुदायिक विकास के तरीके पर आदिम जाति क्षेत्रों में सब विभागों में भरपूर विकास के लिए प्रयत्न करेंगे लेकिन आदिम जाति क्षेत्रों की स्थितियों के अनुकूल इनके तरीकों में कुछ संशोधन होगा।

7. बहुत हद तक अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार, खेती के स्तर में सुधार की सफलताओं पर निर्भर है। जहाँ-जहाँ स्थायी रूप से खेती होती है इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए कि सुधरे हुए औजार अपनाये जाए तथा तकनीकी सलाह ली जाए। भूमि की खेती वाले क्षेत्रों में मुख्यतः इस उद्देश्य से काम होना चाहिए कि खेती वैज्ञानिक ढंग से की जाए जिससे कि भूमि की खेती की हानियाँ कम हो और मिट्टी की उर्वरता बड़े। आदिम जातियों में बहुत सी बातें सहायता के आधार पर विकास करने के अनुकूल हैं। लेकिन समस्या यह है कि लोग पहले से ही कर्ज से लदे हुए हैं और इस समस्या को दूनियादी तौर पर हल करना चाहिए। राज्यों की योजनाओं में आदिम जाति क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के विकास करने के अनेक कार्यक्रम हैं। यह आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र में इस समय जो भी कला और दस्तकारी मौजूद है उसका पूरी तरह अध्ययन किया जाए और यह विचार जाए कि उसका किस तरह विकास किया जा सकता है। साथ ही

एसी नई दस्तकारियों के बारे में भी विचार किया जाए जिन्हें आर्थिक दृष्टि से इन क्षेत्रों में शुरू किया जा सकता है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग अपनी आखिरी रिपोर्ट में जो कुछ भी सुझाव और सिफारिशें देगा उनके आधार पर बाद में आदिम जातियों के विकास कार्यक्रमों पर फिर विचार किया जाएगा। आदिम जातियों के विकास कार्यक्रमों के लिए विभिन्न मदों में जितनी और राशि की आवश्यकता होगी उसे योजना में आदिम जातियों के लिए की गई व्यवस्था में से पूरा किया जाएगा और इसमें केन्द्र और प्रत्येक राज्य के हिस्से पर समयानुसार विचार किया जाएगा।

8. हाल के वर्षों में उन क्षेत्रों में जहाँ आदिम जातियों के लोग रहते हैं, सिंचाई, बिजली और उद्योगों के विकास की बहुत सी योजनाएँ शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के तात्कालिक परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में काफी उखाड़-पछाड़ हुई है। इसके लिए जमीन या नकदी के रूप में या दोनों तरह मुआवजे दिये गये हैं। यह देखा गया है कि जिन्होंने नकदी के रूप में मुआवजा लिया उन्होंने उसे तुरन्त खर्च कर दिया और जहाँ जमीन के रूप में मुआवजा मिला वहाँ बहुत से कारणों से संतोषजनक रूप से पुनर्स्थापन नहीं हुआ है। यह समस्या विकराल रूप ले सकती है और इसे बड़ी सावधानी से हल करना चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि जहाँ बेदखली और पुनर्स्थापन अनिवार्य ही है वहाँ इस काम में यथा संभव आदिम जातियों की भलाई के काम करने के लिए बने विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेना चाहिए।

9. यद्यपि पहली दो योजनाओं में काफी काम हुआ है लेकिन फिर भी राज्यों में आदिम जातियों के लोगों के विकास के कार्यक्रम चलाने के लिए नियुक्त किये गये विभाग जन और साधन की दृष्टि से पूर्णतः सम्पन्न नहीं हैं। यह बात विचारणीय है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारें मिलकर अनुसूचित क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों में जहाँ आदिम जातियों के लोग अधिक संख्या में बसे हैं विकास का काम करने वाले शिक्षित तथा अन्य लोगों का विशेष कर्मचारी वर्ग बनाएं।

अनुसूचित जातियाँ

10. अनुसूचित आदिम जातियों से भिन्न, अनुसूचित जातियाँ देश के सभी भागों में बसी हैं और यद्यपि वे शोष समुदाय का अंग ही हैं फिर भी कुछ सामाजिक उपेक्षाओं के कारण और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण इनका एक विशेष वर्ग है। राज्यों की योजनाओं में अनुसूचित जातियों के लिए 30 करोड़ रु० की व्यवस्था है। इसमें से आधी राशि शिक्षा कार्यक्रमों के लिए और शेष आधी में से लगभग बराबर-बराबर राशि—(1) आर्थिक विकास, और (2) स्वास्थ्य, भ्रूण तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए है।

11. तीसरी योजना में पूरे समुदाय के विकास के लिए जो कार्यक्रम रखे गये हैं उन्हीं के साथ पूरक रूप में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम भी शामिल हैं। सामान्यतः अनुसूचित जातियों के विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यों की योजनाओं में ही व्यवस्था की जाती है लेकिन केन्द्र द्वारा चलायी गयी निम्नलिखित योजनाओं के लिए स्वराष्ट्र मंत्रालय व्यवस्था करता है—

- (1) गन्दगी आदि उठाने के कामों में लगे हुए लोगों की काम की स्थितियों में सुधार करना जिसमें सिर पर मैला उठाने की प्रथा को खत्म करना भी शामिल है;
- (2) भगियों को मकानों के लिए सहायता देना;
- (3) अनुसूचित जातियों के ऐसे लोगों के मकानों के लिए जगह की व्यवस्था करना जो—
(क) गन्दगी उठाने का काम करते हैं; और
(ख) जो भूमिहीन मजदूर हैं;
- (4) मैट्रिक के बाद पढाई के लिए छात्रवृत्तिया देना; और
- (5) स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता देना;

12. मकान निर्माण के साधारण कार्यक्रमों में खेत मजदूरों, जिनमें अधिकांश अनुपात अनुसूचित जातियों का है, को मकानों के लिए भूमि अधिग्रहण और विकास के लिए अलग से व्यवस्था है। स्वयंसेवी संस्थाओं को, जनता को अस्पृश्यता निवारण की शिक्षा देने के लिए सहायता दी जाती है। इसमें यह बात महत्वपूर्ण है कि इस सहायता से स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रचार के अतिरिक्त स्कूल, अस्पताल, मकान, सहकारिया, औद्योगिक केन्द्र, स्थापित करने या उन्हें चलाने के लिए काम करना होना है।

13. अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के विकास के लिए जो काम किये जा रहे हैं उनका क्या परिणाम होता है, इसकी जल्दी-जल्दी और पूरी जांच करने की आवश्यकता है जिससे कि अनुभव के आधार पर नये तरीके अपनाए जाएं और मौजूदा व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

विमोचित जातियां

14. विमोचित जातियों का एक विशेष वर्ग है जिसे शेष समाज में मिलाने में कुछ अजीब कठिनाइयां हैं। लेकिन यह सब होते हुए भी यह काम बहुत जरूरी है। 1952 में जरायमपेशा जाति अधिनियम, 1924, के रद्द होने पर विमोचित जातियों के प्रति नीति में बुनियादी परिवर्तन हुआ। पहले इन पर निगरानी रखने और सजा देने की नीति थी लेकिन अब उन्हें सुधारने, पुनरुद्धार और शेष समुदाय में मिलाने की नीति अपनायी गयी। इन जातियों को फिर से बसाने में अनेक समस्याएँ हैं। अब तक जो कुछ भी किया गया उसमें बहुत सफलता नहीं मिली है। अतएव अब यह विचार है कि प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाए और निम्नलिखित आधार पर कार्यक्रम बनाए जाए—

- (1) विमोचित जातियों के पुनरुत्स्थापन के लिए एक ऐसी मिली-जुली नीति की आवश्यकता है जिसमें सुधार के साथ-साथ उनकी भलाई के काम भी किए जाएं और साथ ही उन्हें सामाजिक शिक्षा भी दी जाए;
- (2) इन जातियों की साहसी वृत्ति और परम्परागत गुणों को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास के विशेष कार्यक्रम बनाए जाएं,
- (3) औद्योगिक तथा अन्य सहकारी संस्थाएँ बनाई जाएं;
- (4) इन जातियों के लोगों को अतिरिक्त प्रशिक्षण तथा नयी जानकारी प्राप्त करने की सुविधाएँ दे कर सरकारी नौकरियों में लगाने का अवसर दिया जाए; और

- (5) जिन क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या विमोचित जातियों के लोगों की है, वहाँ काम करने के लिए ऐसे प्रशिक्षित लोगों का एक कर्मचारी वर्ग बनाया जाय जो उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक आदतों से परिचित हो तथा उनके साथ मिलकर काम कर सकें।

पुनर्संस्थापन तथा विकास के कार्यक्रमों में शुरू से ही यह उद्देश्य रखा जाना चाहिए कि इन लोगों को शोष समुदाय में मिलाना है। इस काम के लिए इन लोगों में से गतिशील तथा समझदार लोगों को सहायता और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

IV समाज कल्याण

पिछले दस वर्षों में पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनिवार्य अंग के रूप में समाज कल्याण कार्यक्रमों का जो विकास हुआ है उसका महत्व पहले से शुरू हुई सेवाओं या अब तक प्रयुक्त सभी साधनों की अपेक्षा कही अधिक है। इन कार्यक्रमों में जनता के कई पीड़ित वर्गों के कल्याण के सम्बन्ध में समाज की चिन्ता सूचित होती है, और इन कार्यों में राष्ट्रीय विकास के एक महत्वपूर्ण अंग पर जोर दिया जाता है। सृजनात्मक सामाजिक सेवा के क्षेत्र में स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं, विशेष कर स्त्रियों को लाने से स्वयं समाज ही उन्नत एवं बलशाली बनता है।

2. समाज कल्याण कार्यों में, जिनको स्वयंसेवी संगठनों ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों की सहायता से कार्यान्वित किया है, कई कार्यक्रम सम्मिलित हैं जैसे केन्द्रीय तथा राज्य समाज कल्याण मण्डलों द्वारा आरम्भ किए गए कल्याण विस्तार योजनाकार्य, समाज सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम, सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएं और सावधानी सम्बन्धी सेवाएं तथा अन्य कल्याण कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों को विकसित करने के उद्देश्य यह है कि व्यक्तिगत और बेतरतीब सहायता और दान के स्थान पर आम जनता की सहायता लेकर संगठित और नियमित रूप से शिक्षा, कल्याण और पुनरुद्धार के कार्यक्रमों को संगठित किया और कायम रखा जाय।

3. हाल ही के वर्षों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों से आर्थिक सहायता लेकर कई तरह के कल्याण कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। विकास के प्रत्येक चरण के बाद स्थायी रूप से नई सेवाओं को स्थायी आधार पर चलाने के लिए उचित व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तीसरी योजना में जिन साधनों की व्यवस्था है उन्हें विद्यमान कल्याण सेवाओं का विस्तार करने और उन्हें जारी रखने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को ही सहायता देने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इस तरह कुछ हद तक नई सेवाओं का विकास सीमित हो गया है। भावी विकास के हित में यह जरूरी है कि पुरानी सेवाओं को जारी रखने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को दी जाने वाली सहायता और नई सेवाओं के विकास के लिए आवश्यक साधनों में भेद रखा जाए।

4. कल्याण सेवाओं के विकास में अब एक ऐसा सोपान आ गया है जब उपलब्ध साधनों का पहले से अच्छा उपयोग किया जा सकता है और सेवाओं को भी पहले की अपेक्षा अधिक उन्नत बनाया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि केन्द्रीय और राज्य स्तरो पर काम करने वाली विभिन्न सरकारी संस्थाओं को आपस में अधिक मेल-जोल से काम करना चाहिए। स्वयंसेवी सगठनों को विशेष रूप से अपनाई हुई दिशाओं में विकसित होना चाहिए जिससे प्रत्येक सगठन अपने लिए काम करने का एक विशेष क्षेत्र चुन ले और उसके कार्यकर्ता अनुभव तथा अपने विषय का अंतरंग ज्ञान प्राप्त करें।

5. समाज कल्याण की प्रकृति ही ऐसी है कि इसमें हुई प्रगति को मापना मुश्किल है। इसका असली माप तो यही है कि कितने ऐसे स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं जो समाज कल्याण के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, और अपनी सामाजिक समस्याओं को सुलभाने के प्रति उस स्थान विशेष की जनता की प्रतिनिधिता कितनी और किस रूप में होती है। इस कार्यक्रम में चाहे कितनी भी कमियां क्यों न हो और कमियां तो इतने फठिन काम में होनी स्वाभाविक ही हैं—पिछले दस वर्षों में जो कुछ भी काम हुआ है वह अनेक रूपों में विशिष्ट है। केन्द्रीय और राज्यीय समाज-कल्याण-मण्डलों ने लगभग छ हजार स्वयंसेवी कल्याण सगठनों को देश के विभिन्न भागों में सहायता दी है। केन्द्र और राज्य कल्याण मण्डलों ने नगर, सामुदायिक केन्द्र और उत्पादन-एकक भी खोले हैं जिनमें काम कर के स्त्रियां अपने परिवार की आय बढ़ा सकती हैं।

कुछ शहरों में रैन-बसेरे खोले गए हैं। कुछ प्रौढ महिलाओं के लिए सक्षिप्त पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था कर व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए जरूरी कम-से-कम शिक्षा सम्बन्धी योग्यता प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण काम कल्याण विस्तार कार्यक्रमों को चालू करने की दिशा में हुआ है। प्रत्येक योजना कार्य में जच्चा-बच्चा और शिशु-स्वास्थ्य-सेवाओं, शिल्प कक्षाओं, स्त्रियों के लिए सामाजिक शिक्षा और बालबाडियों के माध्यम से बच्चों की देखभाल करने की व्यवस्था की गई है।

6. तीसरी योजना में इस कार्यक्रम के लिए कुल मिला कर 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें 16 करोड़ केन्द्र में और 9 करोड़ राज्यों में खर्च किया जाएगा। अनुमान है कि केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल की योजनाओं में, जिनमें स्वयंसेवी सगठनों और कल्याण विस्तार योजनाकार्यों को दी जाने वाली सहायता सम्मिलित है, कुल 12 करोड़ रुपए खर्च होगा। समाज कल्याण कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के अतिरिक्त शिशु कल्याण योजनाओं के लिए शिक्षा के अन्तर्गत 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गई है। समाज कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जो अन्य योजनाएं आरम्भ की गई हैं वे शहरी जनता के लिए कल्याण योजनाकार्यों, प्रशिक्षण, शोध और सर्वेक्षण, सामाजिक सुरक्षा, सावधानी के कार्यक्रमों और सुधार सम्बन्धी प्रशासन के लिए एक केन्द्रीय ब्यूरो स्थापित करने से सम्बन्धित हैं। यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि स्त्रियों, बच्चों और उन बेशहारा लोगों के लिए जो या तो शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हैं या वृद्धावस्था के कारण काम नहीं कर सकते, सहायता देने की दिशा में भी कुछ काम आरम्भ किया गया है।

7. तीसरी योजना में शिशु कल्याण कार्यक्रमों पर काफी जोर दिया गया है। प्रत्येक राज्य और संघीय क्षेत्र में चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आरम्भ की गई सेवाओं में पूर्ण समन्वय के आधार पर कम-से-कम एक अप्रगामी शिशु कल्याण योजना आरम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि स्कूल न जाने वाले वय वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा सम्बन्धी योजना और बाल सेविकाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरम्भ किए जाएं।

8. समाज प्रतिरक्षा के कार्यक्रम में बाल अपराधियों को अपराध करने से रोकने और अपराधी वृत्ति को दूर करने, सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य तथा वेश्यावृत्ति और स्त्रियों के व्यापार को रोकने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। 1960 के शिशु अधिनियम के साथ ही जो केवल सघीय क्षेत्रों में ही लागू है, यह सुझाव रखा गया है कि मूल बातों के विषय में समस्त देश में एकरूपता होनी चाहिए। यह देखना जरूरी है कि समाज प्रतिरक्षा के इन कार्यक्रमों को किस प्रकार अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जाए और किस तरह स्त्रियों और लड़कियों के पुनरुद्धार के लिए जनता तथा परिवार का अधिक-से-अधिक सहयोग प्राप्त किया जाए।

9. भिक्षावृत्ति हमारे देश के लिए एक सदियों पुराना अभिशाप है। इससे लोगों का मानसिक पतन तो होता ही है, देश के लिए भी यह बड़े शर्म की बात है। कई बार इस समस्या पर विचार किया जा चुका है और अब इस बात की जरूरत है कि राज्य सरकारें और स्थानीय संस्थाएँ इसको दूर करने में तन-मन से लग जाएं। सबसे पहले इस प्रथा को बड़े शहरों, तीर्थ स्थानों और पर्यटक केन्द्रों से हटाना चाहिए। बाल भिक्षावृत्ति की समस्या पर पहले अलग से विचार होना चाहिए क्योंकि भीख मागनेवाले बच्चे ज्यादातर शोषक गिरोहों के चंगुल में फँस कर ही यह काम करते हैं। जो भिखारी बीमार, असमर्थ, बूढ़, या कमजोर, हैं, उन्हें स्वयंसेवी कल्याण संगठनों द्वारा इस काम के लिए निर्धारित वेि गई संस्थाओं में रख कर उनकी देखभाल की जानी चाहिए। हट्टे-कट्टे भिखारियों को खोज-खोज कर विभिन्न योजनाकार्यों के अन्तर्गत लगाए गए कार्य-शिविरों में काम करने के लिए भेज देना चाहिए। समर्थ शरीर वाले लोगों का भीख मांगना एक सार्वजनिक अपराध घोषित कर देना चाहिए। भिक्षावृत्ति और आधारागर्दी को रोकने और उसका उन्मूलन करने के लिए यह उचित है कि एक केन्द्रीय कानून बनाया जाय।

10. असमर्थ और अपाहिजों के विभिन्न वर्गों के लिए आरम्भ की गई सेवाओं का मूल लक्ष्य उन्हें काम के द्वारा उनका पुनरुद्धार करना होना चाहिए। इनकी सेवाओं को नीचे लिखे तरीकों से और भी विकसित किया जा सकता है :

(क) असमर्थ लोगों को उनके घर पर शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाए।

(ख) जो लोग चल-फिर नहीं सकते उनके लिए घर अथवा पड़ोस में काम का प्रबन्ध किया जाए।

(ग) असमर्थ, बूढ़ों और अशक्त लोगों के लिए मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।

(घ) विशेष सहायता की व्यवस्था की जाए।

11. शहरी क्षेत्रों में तरह-तरह के विभेदों के बावजूद सामाजिक और वातावरण सम्बन्धी परिवर्तन करने के अवसर बहुत अधिक हैं। इस कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगी कि लोग अपनी सहायता अपने आप कितनी करते हैं। सरकार तो केवल उनके स्वयंसेवी प्रयत्नों को ही आगे बढ़ा सकती है। स्वयंसेवी संगठनों के लिए इस दिशा में कार्य करने की बहुत भारी गुंजाइश है।

V मद्य निषेध

सविधान के निदेशक सिद्धान्तों और मार्च 1956 में लोकसभा द्वारा पास किए गए इस प्रस्ताव को कि, मद्य निषेध अयोजित विक्रम का एक अभिन्न अंग बना दिया जाए, ध्यान में रखते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना में मद्य निषेध कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए गए। इन सिफारिशों पर राज्यों में अमल हुआ है लेकिन कुल मिला कर सारे देश में प्रगति पर्याप्त नहीं हुई। 1960 के अन्त में मद्य निषेध कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने और देश के विभिन्न भागों में मद्य निषेध कार्यवाहियों को संयोजित करने के लिए एक केन्द्रीय समिति की स्थापना की गई।

2. मद्य निषेध आवश्यक रूप से समाज कल्याण आन्दोलन है। समाज सुधार के एक स्वयंसेवी आन्दोलन के रूप में इसकी सफलता के लिए कई बातों का होना आवश्यक है, विशेष तौर पर नीचे दी गई बातों का—

- (1) इसे सार्वजनिक नीति के रूप में स्वीकार किया जाए और इस नीति को वास्तविकता का रूप देने के लिए ठोस प्रशासनिक कदम उठाए जाएं;
- (2) इसे जनता के बड़े भाग का समर्थन और बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं और मुख्य-मुख्य स्वयंसेवी संगठनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो;
- (3) मद्य निषेध की समस्याओं के व्यावहारिक हल निकाले जाएं, जैसे रोजगार की समस्या और शराब बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का कुछ अन्य उपयोग तथा शोषेच्छिण;
- (4) मद्य निषेध कार्यक्रम के फलस्वरूप राज्य सरकारों को होने वाले राजस्व के घाटे की पूर्ति की व्यवस्था;

3. मद्य निषेध के कारण होने वाला राजस्व का घाटा एक महत्वपूर्ण समस्या है। हो सकता है कि यह घाटा स्थायी न होकर केवल अस्थायी प्रभाव डाले और कुल मिला कर घाटा इतना अधिक न हो कि जितने का अनुमान किया गया हो। अगर मद्य निषेध आन्दोलन सही दिशा में प्रगति करता है—यही मान कर मद्य निषेध सम्बन्धी कार्यक्रम नहीं बनाए जाने चाहिए—तो यह व्यक्ति और समाज को अधिक स्वस्थ जीवन

प्रदान करने, और निजी रूप से श्रमिक और उनके परिवार को अधिक उत्पादक बनाने और राष्ट्रीय बचत बढ़ाने में सहायक होगा। यह सम्भव है कि आरम्भ में मद्य निषेध नीति के अन्तर्गत की गई कार्रवाई के फलस्वरूप राजस्व में इतने से भी अधिक कमी आ जाए जितने का राज्य सरकारों ने अपनी योजनाएँ बनाते समय अनुमान लगाया था। इस पहलू पर केन्द्र और राज्य सरकारों को और ध्यान देना चाहिए। देश की अपार जनता के हित में जो सामाजिक कार्यक्रम आवश्यक हैं उसे केवल वित्तीय कारणों से बन्द नहीं किया जा सकता।

4. मद्य निषेध के वित्तीय पहलुओं के प्रति यह दृष्टिकोण रखते हुए हर राज्य के लिए और अधिक कदम उठाने सम्भव होने चाहिए। राज्यों से यह आशा नहीं की जाती कि वे सम्पूर्ण मद्य निषेध आरम्भ करने के लिए लक्ष्य-तिथियाँ निर्धारित करें क्योंकि व्यवहार में इन लक्ष्यों पर अमल करना या चलना कठिन होता है। परन्तु अगर देशव्यापी कदम उठाए जाएं तो सब राज्यों के लिए अपनी योजनाओं को पूरा करना और अन्तरराज्यीय और अन्तर्जिला तस्करी रोकना आसान होगा। दूसरी योजना में जो आवश्यक कदम सुझाए गए हैं, वह एक ऐसा सीमित परन्तु व्यावहारिक कार्यक्रम है जिसे आगामी दो या तीन वर्षों में पूरा किया जाना चाहिए। जिन राज्यों ने कुछ जिलों में मद्य निषेध लागू किया है उन राज्यों के लिए इसे धीरे-धीरे और क्षेत्रों में बढ़ाना भी सम्भव होना चाहिए।

5 मद्य निषेध जैसे कार्यक्रम में यह बात विशेष महत्व रखती है कि कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और किस अभिकरण के मार्फत किए जाते हैं। अगर मद्य निषेध को लागू करने का काम मुख्यतः पुलिस और आवकारी कर्मचारियों पर ही छोड़ दिया जाए तो, स्पष्ट है कि अधिक प्रगति नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें मुख्यतः निम्नलिखित पर निर्भर करना होगा—

- (क) मद्य निषेध की सार्वजनिक हित का एक समाज कल्याण कार्यक्रम मानते हुए इसके हक में जनमत को अधिकाधिक तैयार करना;
- (ख) स्वयंसेवी संगठन, जिन्हें सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा आवश्यक सहायता और अनुदान दिया जाए;
- (ग) शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में सरकारी अभिकरणों द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों की पूर्ति में मद्य निषेध पर जोर दिया जाए; और
- (घ) केन्द्रीयों में सस्ते और पोषक खाद्यों और गैर-नशीले पेय पदार्थों की उपलब्धि और वर्ग तथा सामुदायिक आधार पर खेलों और मनोरंजन कार्रवाइयों को प्रोत्साहन।

इन दिशाओं में अधिक प्रगति करने के लिए जनता में शिक्षा सम्बन्धी और अन्य उन्नयन कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना और मद्य निषेध की गति में सहायक अन्य कार्रवाइयों को बढ़ावा देना लाभदायक हो सकता है।

VI विस्थापितों का पुनर्वास

विभाजन के पश्चात् लगभग 89 लाख व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए, लगभग 47 लाख पश्चिम पाकिस्तान से और बाकी पूर्वी पाकिस्तान से। 1947-48 और 1960-61 के बीच सहायता और अन्य कार्रवाइयों पर 128 करोड़ रु० व्यय किए गए हैं। इनके अतिरिक्त विस्थापितों के पुनर्वास पर लगभग 239 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जिसमें से 133 करोड़ रुपये पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों पर और 106 करोड़ रु० पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों पर खर्च हुआ।

2. पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास का काम मुख्यतः पहली योजना के पूर्व और पहली योजना के दौरान हुआ, पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों का मुख्यतः पहली और दूसरी योजना में। पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत कई प्रकार की कार्रवाइयों की गई हैं जैसे भूमि पर बसाना, मकानों की व्यवस्था, कस्बों और उपनगरों का निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, व्यापार और उद्योग के लिए वित्तीय सहायता और नए उद्योगों की स्थापना।

3. विस्थापितों के पुनर्वास का काम समाप्त प्रायः है, जहाँ तक पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों का सम्बन्ध है, तीसरी योजना में उनके लिए आवास योजनाओं की बकाया आवश्यकताओं की पूर्ति और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सहायता देने की व्यवस्था की गई है। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के कार्यक्रम के अन्तर्गत दो विशेष कार्य किए जाएंगे : पहला पश्चिम बंगाल के कैंम्पो और अन्य केन्द्रों में बसे हुए 28,600 परिवारों का पुनर्वास, और दूसरा, पश्चिम बंगाल में बसने वाले 2 लाख अनाथ पुनर्वासित परिवारों का पुनर्वास। दण्डकारण्य परियोजना का विकास-कार्य दूसरी योजना में आरम्भ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल के कैंम्पो में बसने वाले पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित परिवारों का पुनर्वास है; इसके साथ ही स्थानीय जनता, विशेष तौर पर आदिवासियों को भी इस योजना से लाभ होगा।

4. विस्थापितों के पुनर्वास के काम के अन्तिम चरणों में अब पहले से वचे हुए कुछ खास-खास काम ही बाकी रह गए हैं। पुनर्वास कार्य अब राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण के विद्यालयकार्य का एक अंग बनता जा रहा है, विशेष कर उन राज्यों और क्षेत्रों में जिनको ज्यादा जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ी हैं। विकासशील अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत पुनर्वास और विकास के कार्यों के समन्वय द्वारा विस्थापितों को देश के आर्थिक जीवन का अंग बन जाने में सहायता मिलेगी।

श्रम नीति

उद्योग और श्रमिक वर्ग की विशेष आवश्यकताओं और आयोजित अर्थ-व्यवस्था की जरूरतों को देखते हुए, श्रम नीति का विकास किया गया है। मालिकों, मजदूरों और सरकार—तीनों दलों की राय विचार-विनिमय से जान ली जाती है। इस त्रिदलीय व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर पर भारतीय श्रमिक सम्मेलन है। उक्त त्रिदलीय मत कानूनी तथा प्रशासनिक कार्य का आधार बन कर राष्ट्रीय श्रम नीति की शक्ति तथा चरित्र में परिणत होता है। यह नीति स्वयंसेवी आधार पर चालू रहती है। दूसरी योजना की अवधि में अनुचित प्रवृत्तियों को रोकने और औद्योगिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए एक नए दृष्टिकोण को अपनाया गया, जो कानूनी शक्ति के स्थान पर नैतिक मान्यताओं पर आधारित था। इस समय हर स्तर पर यथासमय कार्यवाही करके अशान्ति को रोकने पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी योजना की अवधि में जो उल्लेखनीय विकास हुए, उनमें से कुछ हैं—उद्योग में अनुशासन-सहिता और आचार-सहिता लागू करना, प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की योजनाएं और उद्योग में उत्पादन बढ़ाने के महत्व के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता। उद्योगीकरण की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए, तीसरी योजना में श्रमिकों को महत्वपूर्ण योग देना है और बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को पूरा करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के फलस्वरूप श्रम-ग्रान्दोलन के कर्तव्य में गुणगत अन्तर आ जाएगा। इस विस्तार के फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था को समाजवाद की ओर ले जाने में आसानी होगी।

2. औद्योगिक सम्बन्ध—सभी मालिकों और श्रमिकों को अनुशासन-सहिता के अन्तर्गत अपने-अपने उत्तरदायित्वों को पूरी तरह समझना चाहिए। औद्योगिक सम्बन्धों के रोजमर्रा के संचालन में इस सहिता को एक जीवित शक्ति बनाना है। स्वयंसेवी पंचनिर्णय के सिद्धान्त को अधिक से अधिक लागू करने के रास्ते निकाले जाएंगे। यह आवश्यक है कि कारखानों में मालिक-मजदूर समितियों को सशक्त बनाया जाए ताकि वे श्रम सम्बन्धी मामलों के जनतान्त्रिक प्रशासन का सक्रिय अभिकरण बन जाएं। संयुक्त प्रबन्ध परिपद योजना को धीरे-धीरे नए उद्योगों और औद्योगिक इकाइयों पर लागू किया जाए ताकि वे औद्योगिक व्यवस्था का एक सामान्य अंग बन जाएं।

3. तीसरी योजना की अवधि में श्रमिकों की शिक्षा को बड़े पैमाने पर फैलाने की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम को विविध बनाने और इसे चलाने में श्रमिकों के प्रतिनिधियों का पूरा सहयोग प्राप्त करने की योजना है।

4. मजदूर सघों को औद्योगिक और आर्थिक प्रशासन के ढांचे का एक अनिवार्य अंग माना जाए और इन्हें इन उत्तरदायित्वों को सम्हालने के लिए तैयार किया जाए। अधिका-

विक्र मात्रा में श्रमिकों से ही श्रमिकों का नेतृत्व किया जाना चाहिए—श्रमिकों के शिक्षा कार्यक्रम में प्रगति के साथ-साथ यह प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। अनुशासन-महिता में मजदूर संघों को मान्यता देने के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं, उनके फलस्वरूप देश में एक सशक्त और स्वस्थ मजदूर आन्दोलन का विकास होगा।

5. मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा—न्यूनतम मजदूरी विधेयक को पहले से अधिक अच्छी तरह लागू करने के लिए हमें निरीक्षण व्यवस्था को और अच्छा बनाना होगा। जैसे-जैसे सम्भव हो, वेतन मण्डलों को और उद्योगों में भी स्थापित करना चाहिए। बोनस सम्बन्धी दावों और बोनस की अदायगी के लिए निदेशक सिद्धान्त और आदर्श निर्धारित करने की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी।

6. जहाँ-जहाँ 500 या इससे अधिक औद्योगिक कर्मचारी हैं, उन सभी केन्द्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की जाएगी। इसके फलस्वरूप कुल मिलाकर लगभग 30 लाख श्रमिक इस योजना के अन्तर्गत आ जाएंगे। कर्मचारी प्रोविडेंट फंड योजना का, जो इस समय 58 उद्योगों पर लागू है, और विस्तार किया जाएगा।

7. अब तक केवल संगठित उद्योगों के मजदूरों को ही सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से लाभ पहुँचा है। मजदूरों के ऐसे वर्ग भी हैं, जिनकी स्थिति ऐसी है कि उनकी ओर समाज को अधिक ध्यान देना चाहिए। इनमें विरोपतौर पर वे विकलांग व्यक्ति, काम के अयोग्य वृद्ध व्यक्ति और स्त्रियाँ और बच्चे शामिल हैं, जिनकी आय का कोई उपयुक्त साधन नहीं है। स्वयंसेवी और सँराती संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पंचायतों और पंचायत समितियों को स्थानीय समुदायों की सहायता से अपनी कार्यवाहियाँ चलाने योग्य बनाने और उन्हें थोड़ी सहायता देने के लिए एक छोटा सहायता कोष स्थापित करने का सुभाव विचाराधीन है। इस सुभाव पर राज्यों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से और अधिक विचार किया जाएगा।

8. काम करने की स्थिति, सुरक्षा और कल्याण—काम करने की स्थिति, सुरक्षा और कल्याण सम्बन्धी जो बानूनी व्यवस्थाएँ हैं, उनको और अच्छी तरह कार्यान्वित करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। इस सम्बन्ध में काम करने की व्यवस्था और दक्षता मुधारने में केन्द्रीय श्रम सस्थान और क्षेत्रीय श्रम सस्थानों को विशेष योग देना है। कारखानों में दुर्घटनाएँ कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए एक स्थायी सलाहकार समिति की नियुक्ति की जाएगी। खान उद्योग में सुरक्षा-शिक्षा और प्रचार के लिए एक राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद की स्थापना की जाएगी। इमारती और निर्माण श्रमिकों के लिए अलग सुरक्षा कानून बनाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। जिस प्रकार कोयला और अवरक्ष श्रमिकों के लिए कल्याण कोष है, उसी प्रकार मैंगनीज और कच्चा सोडा खान उद्योगों के श्रमिकों के लिए भी कल्याण कोषों की स्थापना की जाएगी। सहकारी ऋण और उपभोग समितियों के कामकाज तथा सत्कारिता पर आधारित अन्य कार्यवाहियों में मजदूर संघों और स्वयंसेवी संस्थाओं को और अधिक हस्ति लेने ले लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। श्रमिकों के आवास और मनोरंजन पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा। कृषि

और असंगठित उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की समस्याओं पर सरकार और श्रमिक संगठनों को विशेष ध्यान देना होगा ।

9. रोजगार और प्रशिक्षण योजनाएं—कारीगरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 58,000 और जगहों की व्यवस्था की जाएगी । इस वृद्धि के फलस्वरूप कुल प्रशिक्षण क्षमता बढ़कर लगभग 1 लाख हो जाएगी ताकि उनकी रोजगार की सम्भावनाएं व्यापक हो जाए । दस्तकारी प्रशिक्षकों के लिए जो तीन केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान हैं उनका उन्नयन होगा और योजना की अवधि में तीन और केन्द्रीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी । अप्रेंटिस प्रशिक्षण योजना को अनिवार्य रूप देने का विचार है और इस सम्बन्ध में एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा । हर जिले में कम से कम एक रोजगार दफ्तर खोलने के लक्ष्य को सामने रखते हुए तीसरी योजना की अवधि में लगभग 100 नए रोजगार दफ्तर खोले जाएंगे । छटनी किए गए कर्मचारियों की सहायता के लिए छोटे पैमाने पर एक कोष की स्थापना करने का विचार है ।

10. उत्पादकता—प्रबन्धकों को चाहिए कि वे श्रमिकों के लिए मशीन, काम करने की उपयुक्त स्थिति और तरीके, पर्याप्त प्रशिक्षण और उपयुक्त मनोवैज्ञानिक और भौतिक प्रेरणाएं प्रदान करने की कोशिश करें । काम में लगे श्रमिकों की योग्यता और दक्षता में वृद्धि करने के लिए उद्योग, मजदूर सभों और सरकार को मिलजुल कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने चाहिए । इस देश में जब तक उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि नहीं होती, तब तक श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर में वास्तविक सुधार नहीं हो सकता । श्रमिकों को अपने तथा देश के हित में वैज्ञानिक के रास्ते में रुकावटें नहीं डालनी चाहिए, बल्कि उन्हें इसकी मांग करनी चाहिए । वैज्ञानिक का अधिक से अधिक विस्तार हो सकता है, बशर्ते कि वैज्ञानिक के फलस्वरूप निकाले हुए लोगों को श्रमिकों की सहमति से नौकरी में रखने और दूसरे कामों में लगाने की ठीक व्यवस्था हो । भारतीय श्रमिक सम्मेलन अब कार्यकुशलता और कल्याण-सहिता बनाने के काम को अपने हाथ में लेगा । विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले प्रबन्धकों को मालिक-मजदूर सम्बन्धों के बारे में प्रशिक्षण देने पर और अधिक ध्यान देना होगा ।

11. श्रम अनुसन्धान का समन्वय करने के लिए एक छोटी केन्द्रीय समिति की नियुक्ति की जाएगी । इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के बाहर श्रम सम्बन्धी मामलों पर अनुसन्धान करने के लिए संस्थाओं को सुविधाएं देने का विचार है ।

परिशिष्ट I

उत्पादन और विकास : प्रगति और लक्ष्य

मद	इकाई	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1950-51 से 1960-61 तक वृद्धि का प्रतिशत	1960-61 से 1965-66 तक वृद्धि का प्रतिशत
		51	56	61	66	अनुमित लक्ष्य	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1. खेती और सामुदायिक विकास							
1.1 कृषि उत्पादन							
अनाज ✓	लाख टन .	522(क)	658(क)	780	1000	46	32
रई ✓	लाख गांठे .	29	40	51	70	76	37
गन्ना-गूड ✓	लाख टन .	56	60	80	100	43	25
तेलहन ✓	लाख टन .	51	56	71	98	39	38
पटसन ✓	लाख गांठे .	33	42	40	62(ख)	21	55
चाय ✓	लाख पींडे .	6130	6780	7250	9000	18	24
तम्बाकू	हजार टन .	257	298	300	325	17	8
मछली	लाख टन .	7	10	14	18	100	29
दूध	लाख टन .	171	193	220	253	29	16
ऊन	लाख पींडे .	600	650	720	900	20	25
1.2 कृषि सेवाएं							
सिंचित क्षेत्र (कुल)	लाख एकड़ .	516	502	700	900	36	29
भूमि पुनरुद्धार (अतिरिक्त क्षेत्रफल) (घ)	लाख एकड़ .	..	27	12	36	..	200

भूमि संरक्षण (अतिरिक्त लाभान्वित क्षेत्र) (घ)	..	7	20	110 ✓	..	450
नवजातीय उर्वरक की खपत	55	105	230	1000 ✓	318	335
फास्फेटयुक्त उर्वरक की खपत	7	13	70	400 ✓	900	471
फौज फार्म (घ)	4000	4800	..	20
1.3 सामुदायिक विकास						
खण्ड	—	1069	3110	5223 ✓	..	68
अन्तर्गत आने वाले गाव	—	106	368	550	..	49
अन्तर्गत आने वाली आबादी	—	6.9	20.4	35.9	..	76
1.4 सहकारिता						
प्राथमिक कृषि ऋण समितिया	105	160	210	230	100 ✓	10
लघु और मध्यावधि ऋण	22.9	49.6	200.0	530.0 ✓	773	165
2. विजली						
2.1 बिजली						
स्थापित क्षमता	23(घ)	34(घ)	57	127	148	123
पैदा की गई	657.5(घ)	1077.7(घ)	1985.0	4500.0	202	127
2.2 कस्बे और गाव, जहां बिजली लगी	3.7	7.4	23.0	43.0	523	87
3. खनिज पदार्थ						
खनिज लोहा	32	43	107	300 ✓	234	180
कोयला	323	384	546	970 ✓	69	76

(क) 1956-57 तक आंकड़ों की उपलब्धि और आकलन के तरीकों में अन्तर को ध्यान में रखते हुए उत्पादन के ये अनुमान तैयार किए गए हैं।
 (ख) इसमें मेस्टा का उत्पादन शामिल नहीं है, जिसकी मात्रा तीसरी योजना में 13 लाख गांठ हो सकती है।
 (ग) पांच वर्ष की अवधि में

मद	इकाई	1950-1955-1960-		1965-		1950-51		1960-61से	
		51	56	61	66	तक वृद्धि का प्रतिशत	1960-61 तक वृद्धि का प्रतिशत	1965-66 तक वृद्धि का प्रतिशत	1965-66 तक वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. बड़े उद्योग									
4.1 धातु शोधन उद्योग									
इस्पात के डोके	लाख टन	14	17	35	92 ✓	150	163		
तेयार इस्पात	लाख टन	10	13	22	68 ✓	120	209		
विश्री के लिए कच्चा लोहा	लाख टन	35	38	90	150 ✓	157	67		
मिश्रित ओजार और विशेष इस्पात (तेयार)	हजार टन	—	—	40	200	..	400		
अलमुनियम	हजार टन	3.7	7.3	18.5	80.0	400	322		
ताबा (अग्नि संधित और विद्युतजन्य)	हजार टन	6.6	7.5	8.9	20.0	35	125		
4.2 मैकेनिकल और विद्युतीय इंजीनियरी उद्योग									
सीमेट की मशीनें	मूल्य लाख रु० में	—	34(ग)	60	450	..	650		
चीनी की मशीनें	मूल्य लाख रु० में	—	19	330	1000	..	203		
धोशोगिक वायलर	मूल्य लाख रु० में	—	—	40	2500	..	6150		
मशीनी ओजार (वर्गिकृत)	मूल्य लाख रु० में	34	78	550	3000	1618	445		
वाल और रोलर वीयरिंग	लाख अदद	1	9	29	140 (ख)	2800	383		
डीजल इंजन (स्विचर)	हजार अदद	5.5	10.0	40.0	66.0	627	65		
ट्रैक्टर	अदद	—	—	2000	10000	..	400		
विजली के मोटर (200 अददवाकित और कम के)	हजार अददवाकित	100	272	700	2500(घ)	600	257		

विजली के ट्रांसफार्मर (33 किलोवाट और कम के)	हजार किलोवाट	179	625	1200	3500	570	192
विजली के केबल (ए सी एस आर) कडवटर	हजार टन	1.7	8.7	22.0	44.0	1194	100
रेल इंजन		7	179	295	1175(घ)	3214	..
वाष्पीय	अदद	—	—	—	434(घ)
डीजल	अदद	—	—	—	232(घ)
विजली	अदद	—	—	—
4.4 रबड़ के उत्पादन		—	9	13.5	30	..	122
मोटर गाड़ियों के टायर	लाख अदद	—	58	110	310	..	182
बाइसिकिल के टायर	लाख अदद	—	—	—	—	—	—
4.5 रसायन							
नयजनयुक्त उर्वरक	नयजन के हजार टन	9	79	110	800 ✓	1122	627
फास्फेटयुक्त उर्वरक	पी ₂ ओ ₅ के हजार टन	9	12	55	400 ✓	511	627
गंधक का लेआव	हजार टन	99	164	363	1500	267	313
सोडा ऐश	हजार टन	45	81	145	450	222	210
कार्बिक सोडा	हजार टन	11	35	100	340	809	240
सल्फा दवाएँ	टन	—	83(ग)	150	1000	..	567
डी० डी० टी०	टन	—	284	2800	2800	..	—
रंगाई का सामान	लाख पीड	—	40	115	180	..	57

(ग) कैंडर वर्ष से सम्बद्ध

(घ) पंचवर्षीय अन्वेष से सम्बद्ध

(ङ) तीनों पालियों में काम करके

1950-51 से 1960-61 से
1960-61 1965-66
तक वृद्धि का शत वृद्धि का
प्रतिशत प्रतिशत

1950-1955- 1960- 1965-
51 56 61 66
अनुमित लक्ष्य

इसकी

मद

	1	2	3	4	5	6	7	8
4.6 अन्य उद्योग								
रिलाई की मशीनें (केवल समष्टि क्षेत्र)		हजार श्रद्ध	33	111	297	700	800	136
वाइसिफिकल (केवल संगठन क्षेत्र)		हजार श्रद्ध	101	513	1050	2000	940	90
मोटर साइकिल और स्मूटर		हजार श्रद्ध	—	1.6	18	50	..	178
मोटर गाड़ियां		हजार श्रद्ध	16.5	25.3	53.5	100.0	224	67
जहाज निर्माण		हजार जी० आर० टी०	—	50(ब)	20	50-00	..	150-200
सूती वस्त्र (मिल के बने)		करोड़ गज	372.0	512.0	512.7	580.0	38	13
रेयन के वस्त्र		लाख पींड	4	160	470	1400	11650	198
चीनी (छ)		लाख टन	11.2	18.6	30	35	168	17
इस्पाती ढांचा विपयक सामान		हजार टन	—	90	150	1000	..	567
सीमेंट		लाख टन	27	46	85	130	215	53
पेट्रोसियम के उत्पादन		लाख टन	—	36	57	99	..	74
कागज और गत्ता		हजार टन	114	187	350	700	207	100
प्लास्टिक		हजार टन	—	0.7	10.0	74.0	..	640
शीशा और नीचे का सामान		हजार टन	92	125	225	440	145	96
औद्योगिक गैस-प्राप्तरीजन		करोड़ घनफुट	—	—	70.0	165.0	..	136

5. ग्राम और लघु उद्योग खादी

परम्परागत	लाख गज	73	289	480	—	558
भम्बर	लाख गज	—	—	260	35000	..
हथकरथा	करोड़ गज	74.2	147.1	190.0	—	156
विजली के करसे	करोड़ गज	14.8(ग)	27.3(ग)	37.5	—	153
रेशम ।	लाख पौंड	25(ज)	32(ग)	36(ग)	50	44

6. परिवहन और संचार

6.1 परिवहन सेवाएं

रेलें : माल ढोया	लाख टन	915	1140	1540	2450	68
सड़कें : राष्ट्रीय राजपथ समेत पबकी सड़कें	हजार मील	97.5	122.0	144.0	169.0	48
सड़क परिवहन : सड़कों पर व्यापारिक वाहन	हजार अदद	116	166	210	365	81
जहाजरानी	लाख जी० आर० टी०	3.9	4.8	9.0	10.9	130
बड़े बन्दरगाह : सामान की क्षमता	लाख टन	200	250	370	490	85

6.2 संचार

डाक घर	हजार में	36	55	77	94	114
तार घर	हजार में	3.6	5.1	6.5	8.5	81
टेलीफोनों की संख्या	हजार में	168	280	460	660	174

(ग) कॅलेण्डर वर्ष से सम्बद्ध

(घ) पंचवर्षीय अवधि से सम्बद्ध

(च) 300 अक्षयशक्ति और नीचे

(छ) फसल वर्ष (नवम्बर से अक्तूबर) से सम्बद्ध

(ज) कॅलेण्डर वर्ष 1951

मर

इकाई

1950-51 से 1960-61 तक वृद्धि का प्रतिशत
1960-61 से 1965-66 तक वृद्धि का प्रतिशत
1965-66 तक वृद्धि का प्रतिशत

	1	2	3	4	5	6	7	8
--	---	---	---	---	---	---	---	---

7. शिक्षा

7.1 सामान्य शिक्षा

स्कूलों में विद्यार्थी

विभिन्न वय वर्गों के बच्चों में स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत

प्राथमिक कक्षाएं

मिडिल कक्षाएं

हाई/हायर सेंकेंडरी कक्षाएं

संख्याएं

प्राथमिक/जूनियर बुनियादी स्कूल

मिडिल/सीनियर बुनियादी स्कूल

हाई/हायर सेंकेंडरी स्कूल

बहुदेशीय स्कूल

7.2 तकनीकी शिक्षा

इंजीनियरी टेक्नोलॉजी

डिग्री (दाखिला)

डिप्लोमा (दाखिला)

कृषि कालेज (दाखिला)

पशुचिकित्सा कालेज (दाखिला)

लाख में

6-11 वर्ष

11-14 वर्ष

14-17 वर्ष

हजार में

हजार में

हजार में

हजार में

संख्या

संख्या

संख्या

संख्या

23.5 31.3 43.5 63.9 85 17

42.0 52.0 61.1 76.4 79(क) 45(क)

12.7 16.5 22.8 28.6 102(क) 55(क)

5.3 7.8 11.5 15.0 139(क) 57(क)

209.7 278.1 342.0 415.0 63 21

13.6 21.7 39.6 57.7 101 40

7.3 10.8 16.6 21.8 128 31

— 0.3 2.1 2.4 .. 14

4120 5890 13858 19137 236 83

5000 10480 25570 37390 333 40

1060(क) 1989 4600 6200 331 35

434(क) 1269 1300 1460 200 12

परिशिष्ट II

दूसरी योजना में व्यय और तीसरी योजना के सांस्तविक कार्यक्रमों की लागत—सर्वों के अनुमान

विकास की मद	दूसरी योजना में अनुमित व्यय				तीसरी योजना के कार्यक्रमों की अनुमित लागत				कुल जोड़	
	राज्य	संघीय क्षेत्र	राज्य और संघीय क्षेत्र	केन्द्र	राज्य	संघीय क्षेत्र	राज्य और संघीय क्षेत्र	केन्द्र		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कृषि उत्पादन	8367	268	8635	1075	9810	18351	598	18949	3658	22607
छोटी सिंचाई	9160	98	9261	230	9494	17269	177	17446	230	17676
भूमि संरक्षण	1553	8	1561	200	1761	5732	246	5978	1295	7273
पशुपालन	1869	73	1942	200	2142	4592	172	4764	680	5444
दुग्ध उद्योग और दूध की आपूर्ति	958	3	961	244	1205	3086	24	3110	198	3608
वन	1656	122	1778	150	1928	4204	268	4472	667	5139
मछली उद्योग	710	26	736	170	906	2090	102	2192	672	2864
पोदान और हाट आदि की व्यवस्था	310	18	328	170	498	843	10	853	3300	4153
I. कृषि कार्यक्रम	24580	616	25205	2439	27644	56107	1597	57704	11000	68764
सहकारिता	3278	55	3333	50	3383	6959	151	7110	900	8010
सांसाधन विकास	18744	403	19207	200	19407	28189	578	28767	600	29367
पंचायत	160	30	490	1976(क)	2466	2824	56	2880	—	2880
II. सामुदायिक विकास और सहकारिता	22482	548	23030	2226	25256	37072	785	38757	1500	40257

(लाख रु०)

मिचर्ड	34479	21	34500	2717	37217	58121	10	58131	1803	59934
बाढ-नियंत्रण	(र)	(र)	(र)	4800	4800	5995	137	6132	—	6132
विजयी	41882	914	42796	1753	44549	88315	2345	90660	11312	101972(र)
III सिंचाई और विजली	76361	935	77296	9270	86566	152431	2492	154923	13115	168038
उद्योग और खनिज	2859	2	2861	87128	89989	7958	32	7990	180240	188230
सयु और ग्रामोद्योग	6949	294	7243	10323	17566	13703	425	14128	12300	26428
IV उद्योग और खनिज	9808	296	10104	97451	107555	21661	457	22118	192540	214658
रेलवे	—	—	—	86011	86011	—	—	—	94000	94000
सड़कें	14326	1598	15924	6440	22364	21830	2575	24405	8000	32405
सड़क परिवहन	1502	91	1593	225	1818	2044	559	2603	—	2603
पर्यटन	144	13	157	60	217	394	22	416	350	766
बंदर और बंदरगाह	314	45	359	2980	3339	490	18	508	12500	13008
जहाजरानी	—	—	—	5268	5268	—	263(व)	263	5500	5763
डाक और तार	—	—	—	5059	5059	—	—	—	7900	7900
श्रमौतिक विमानन	—	—	—	4900	4900	—	—	—	5500	5500
प्रसारण	—	—	—	468	468	—	—	—	1100	1100
ग्रन्थ परिवहन	52	99	151	53	204	273	25	298	1200	1498
ग्रन्थ मंचार	—	—	—	327	327	—	—	—	930	930
V परिवहन और संचार	16338	1846	18184	111791	129975	25031	3462	28493	136980	165473

(क) 'स्थानीय विकास कार्य' के व्यय सहित

(ख) दूसरी योजना में बाढ नियंत्रण का व्यय केन्द्र के अंतर्गत दिखाया गया है।

(ग) इसमें डी. बी. सी. विजली कार्यक्रम और बडौल राष्ट्रीय केन्द्र के लिए भ्रम सम्मिलित है।

(घ) अनुमान और निकोबार द्वीपों के लिए।

दूसरी योजना में अनुमित व्यय

विकास की मद

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

सामान्य शिक्षा और सांस्कृतिक

कार्यक्रम	16011	721	16732	4072	20804	31006	2104	34010	7800	41810
सकनीकी शिक्षा	2141	31	2172	2600	4772	6986	173	7159	7000	14159
वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल अनुसंधान	—	—	—	—	—	—	—	—	7000	7000
स्वास्थ्य	13021	566	13587	8047	21634	27114	2565	29080	4500	34180
आवास	6411	266	6677	1356	8033	9620	2076	11696	2500	14106
रिछकी हुई जातियों का कल्याण	5080	214	5294	2647	7941	7498	389	7887	3500	11387
समाज कल्याण	327	10	337	1181	1518	1048	114	1162	1600	2762
धर्म और धर्म कल्याण	769	12	781	1200	1981	2519	189	2708	4400	7108
पुनर्वास	—	—	—	6341	6341	—	—	—	4000	4000
जनसहयोग और स्थानीय सकार्य	—	—	—	—	—	34 (र)	—	34	5000	5034
V.I. समाज सेवाएं	43760	1820	45580	27444	73024	80725	7611	94336	473000	141636

सांख्यिकी और अनुसंधान

सूचना और प्रचार	403	7	410	322	27	349	500	849
स्थानीय निकाय	276	21	297	562	58	620	600	1220
राज्यीय पूंजीगत परियोजनाएं	415	44	459	5086(च)	9980	310	65	375
अन्य	3196	—	3196	2475	—	2475	—	2475
	507	25	532	1075	933	2008	4100	6108

विविध	4797	97	4894	5096(ब)	9980	4744	1083	5827	5200	11027
कुल जोड़	198135	6158	204293	255707	460000	384731 (घ)	17487	402218	407635(ब)	809853(ज)

- (८) इस राशि के अतिरिक्त, जन सहयोग पर व्यय तीसरी योजना के लिए निश्चित उच्चतम सीमा के भीतर ही निम्नलिखित राज्यों के म उचित समायोजन के द्वारा प्राप्त किया जाएगा . आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में से हरेक में 6 लाख, मैसूर में 5 लाख और असम में एक लाख ।
- (ब) इसमें परमाणु शक्ति विभाग, वित्त मंत्रालय की योजनाओं और निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के दफ्तरों की इमारतों और रिटायरी सक्नों के लिए अनुमित व्यय भी सम्मिलित है ।
- (घ) पश्चिम बंगाल में व्यय का वितरण इन समायोजनों के अनुरूप होगा : (i) डी. वी. सी. में पश्चिम बंगाल के भाग खाते, (ii) अनुमित 43 करोड़ रुपये के संसाधन में वृद्धि, जिसे राज्य सरकार 90 करोड़ रुपये तक पहुंचा देने की आशा करती है, जैसा कि अध्याय 6 वित्तीय संसाधन में दिखाया गया है ।
- (ज) इसमें 'सूचियों' के लिए निर्धारित 200 करोड़ रुपया सम्मिलित नहीं है ।

परिक्षिप्त III

राज्यों और संघीय क्षेत्रों के लिए पहली, दूसरी और तीसरी योजना में व्यय

(करोड़ रुपये)

राज्य संघीय क्षेत्र	पहली योजना (वास्तविक)	दूसरी योजना (अनुमान)	तीसरी योजना (वास्तविक- व्यय)
आन्ध्र प्रदेश	108	175	305
असम	28	51	120
बihar	102	166	337
गुजरात	224 (क)	143	235
जम्मू और कश्मीर	13	25	75
केरल	44	76	170
मध्य प्रदेश	94	145	500
मद्रास	85	167	230.9
महाराष्ट्र	(ख)	207	390
मैसूर	94	122	250
उड़ीसा	85	85	160
पंजाब	163	148	231.4
राजस्थान	67	99	236
उत्तर प्रदेश	166	227	497
पश्चिम बंगाल	154	145	250 (ग)
कुल राज्य	1427	1981	3847.3
अरुणाचल और निकोबार द्वीप	2	3	9.8
दिल्ली	10	14	81.8
हिमाचल प्रदेश	8	16	27.9
मणिपुर	2	6	12.9
उत्तरी पहाड़िया और खेन्नाय क्षेत्र	—	4	7.1
त्रिपुरा	3	9	16.3
लक्षदीव, मनीनदीवो और मिनिक्वाय द्वीप	—	0.4	1.0
उत्तर-पूर्व सीमा एजेंसी	4	5.6	7.1
पाण्डिचेरी	1	4	6.9
कुल संघीय क्षेत्र	30	62	174.8(र)
कुल भारत	1457	2043	4022.1

क. अविभाजित बम्बई के लिए

ख. गुजरात के मामले देखिए

ग. अस्मादी

घ. इसमें बिना आवंटन किए हुए 4 करोड़ रुपये भी शामिल हैं